हरियाणा सरकार

हरियाणा स्वर्ण उत्सव
1 नवम्बर, 2016-31 अक्टूबर, 2017

॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ॥

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2016-17

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

2017

प्रकाशन संख्या – 1159
विभाग की वेबसाईट www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2016–17

जारीकर्ता:
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकूला
2017

विषयसूची

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–14
2.	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण तथा वित्तीय समावेश	15–30
3.	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	31–61
4.	उद्योग, विद्युत, सड़कें तथा परिवहन	62–88
5.	शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी	89–113
6.	स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास	114–130
7.	पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी विकास	131–141
8.	सामाजिक क्षेत्र	142–163
	अनुलग्नक	164–171

***

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
भौगोलिक क्षेत्र		वर्ग कि.मी.	44,212	32,87,469
प्रशासनिक ढांचा	फरवरी, 2017	संख्या		
(क) मण्डल			6	
(ख) जिले			22	
(ग) उप–मण्डल			71	
(घ) तहसीलें			93	
(ड़) उप–तहसीलें			49	
(च) खण्ड			140	6,374
(छ) कस्बे	जनगणना 2011		154	5,161
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)	जनगणना 2011		6,841	5,93,772
जनसंख्या	जनगणना 2011	संख्या		
(क) कुल			2,53,51,462	1,21,05,69,573
(ख) पुरूष			1,34,94,734	62,31,21,843
(ग) स्त्रियाँ			1,18,56,728	58,74,47,730
(घ) ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत			1,65,09,359 65.12	83,34,63,448 68.85
(ड़) शहरी			88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573	382
(छ)साक्षरता दर पुरूष . स्त्री . कुल .		प्रतिशत	84.1 65.9 75.6	80.9 64.6 74.0
(ज) लिंग अनुपात		हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकड़े	2014	प्रति हजार		
(क) जन्म दर				
(i) इक्टठी			21.2	21.0
(ii) ग्रामीण			22.6	22.7
(iii) शहरी			18.7	17.4
(ख) मृत्यु दर				
(i) इक्टठी			6.1	6.7
(ii) ग्रामीण			6.6	7.3
(iii) शहरी			5.4	5.5
(ग) बाल मृत्यु दर		प्रति हजार		
(i) इक्टठी			36	39
(ii) ग्रामीण			40	43
(iii) शहरी			29	26
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2007–09	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	153	

भूमि उपयोग	2013–14			
(क) वनों के अधीन क्षेत्र		प्रतिशत	4.00	21.85
(ख) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,497	1,41,428
(ग) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			2,974	59,431
(घ) कुल बोया गया क्षेत्र			6,471	2,00,859
(ड़) कुल भौगोलिक क्षेत्र का निवल बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	7.91	43.02
(च) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			85.04	42.02
चालू जोतें	2010–11 कृषि गणना	संख्या (000)		
(क) चालू जोतों की संख्या			1,617	1,37,757
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646	1,59,180
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25	1.16
विद्युत	2014–15			
(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	11,102	2,71,722
(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	4,38,956	
(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	3,19,973	8,14,25,001
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	55,62,009	23,76,65,162
राज्य आय (चालू कीमतों पर)	2015–16 (द्रुत अनुमान)	करोड़ रूपये		
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)			4,85,184	1,36,75,331
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)			4,38,095	1,24,51,938
(ग) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन			83,967	21,72,910
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन			1,39,025	36,83,358
(ड़) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन			2,15,103	65,95,670
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	1,62,034	94,178
योजना परिव्यय		करोड़ रूपये		
12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–17		*1,76,760	
वार्षिक योजनाएं :-				
वार्षिक योजना परिव्यय संशोधित योजना परिव्यय	2015–16		24,870.87 42,591.34	
वार्षिक योजना परिव्यय	2016–17		40,078.53	

* पी.एस.यू. एवं स्थानीय निकायों का परिव्यय शामिल है

***

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा ने अपने गठन के समय से ही कुछ अवधि को छोड़कर अद्भुत आर्थिक विकास किया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है, परन्तु 2015–16 के द्रुत अनुमानों के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर 3.5 प्रतिशत का योगदान अनुमानित किया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 5,47,396.06 करोड़ रूपये दर्ज किया गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 12.8 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है। वर्ष 2016–17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (2011–12) पर 8.7 प्रतिशत की वृद्वि से 4,34,607.93 करोड़ रूपये पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2016–17 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि 8.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। वर्ष 2014–15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनन्तिम अनुमान चालू कीमतों पर 4,37,462.07 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्रुत अनुमान चालू कीमतों पर 4,85,183.99 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जोकि 10.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2014–15 में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनन्तिम अनुमान 3,66,635.87 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्रुत अनुमान 3,99,645.94 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए, जोकि 9.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू तथा स्थिर (2011–12) कीमतों पर **तालिका 1.1** में जबकि इसमें वास्तविक वृद्धि **तालिका 1.2** में दर्शायी गई।

तालिका 1.1– हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपयें)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	297538.52	297538.52
2012–13	347032.01	320569.52
2013–14 (अ:)	400662.12	346799.32
2014–15 (अ:)	437462.07	366635.87
2015–16 (द्रु:)	485183.99	399645.94
2016–17(अग्र:)	547396.06	434607.93

अ: अन्तिम अनुमान, द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.3 वर्ष 2013–14 के दौरान वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि 7.6 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन घटकर 5.2 प्रतिशत हुआ जिसके लिए उद्योग क्षेत्र में दर्ज धीमी वृद्धि दर (2.2 प्रतिशत) और कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में प्राप्त 1.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को मुख्य कारण माना गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन में 8.4 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि, सेवा क्षेत्र में दर्ज उच्च विकास दर (10.9 प्रतिशत) और उद्योग क्षेत्र में (7.9 प्रतिशत) वृद्वि के कारण सम्भव हुई। वर्ष 2016–17 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

8.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण सेवा क्षेत्र व कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में प्राप्त कमशः 10.8 प्रतिशत तथा 6.4 प्रतिशत की अधिक वृद्धि दर रही। वर्ष 2016–17 में भारत के सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि 7.0 प्रतिशत की तुलना में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि 8.6 प्रतिशत दर्ज की गई (**तालिका 1.2 तथा आकृति 1.1**)।

तालिका 1.2–सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	हरियाणा				अखिल भारत
	2013–14 (अ.)	2014–15 (अ.)	2015–16 (द्रु.)	2016–17 (अग्र.)	2016–17 (अग्र.)
कृषि एवं सहबद्ध	2.8	-1.9	2.9	6.4	4.1
उद्योग	7.4	2.2	7.9	6.4	5.2
सेवा	9.9	10.3	10.9	10.8	8.8
सकल राज्य मूल्य वर्धन	7.6	5.2	8.4	8.6	7.0
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8.2	5.7	9.0	8.7	7.1

अः अन्तिम अनुमान द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान,
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र (फसले, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा। इसके बाद सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है। उस समय, कृषि (फसले एवं पशुधन) क्षेत्र की प्रधानता अर्थव्यवस्था की विकास दर की अस्थिरता का मुख्य कारण थी जो कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण हुई। इसके बाद, राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ और जो बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षो (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्वि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना व उसके बाद की अवधि के दौरान, राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति ज्यों की त्यों जारी रही। इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र के मजबूत विकास के परिणामस्वरूप वर्ष 2016–17 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इसका अंश बढ़कर 51.7 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश घटकर 17.8 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की रचना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश लगातार घट रहा हैं तथा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा हैं।

आकृति 1.1 – हरियाणा के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्धि

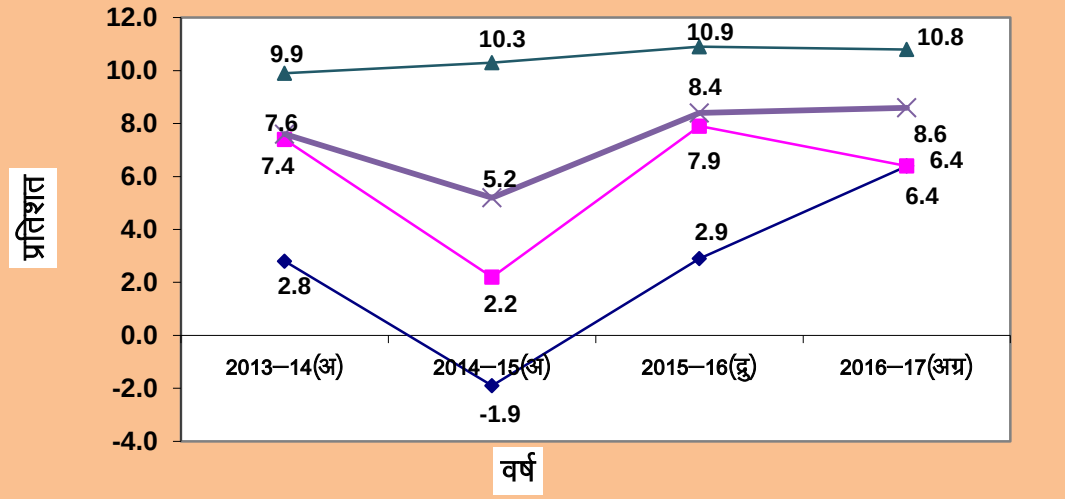

आकृति 1.2– हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय

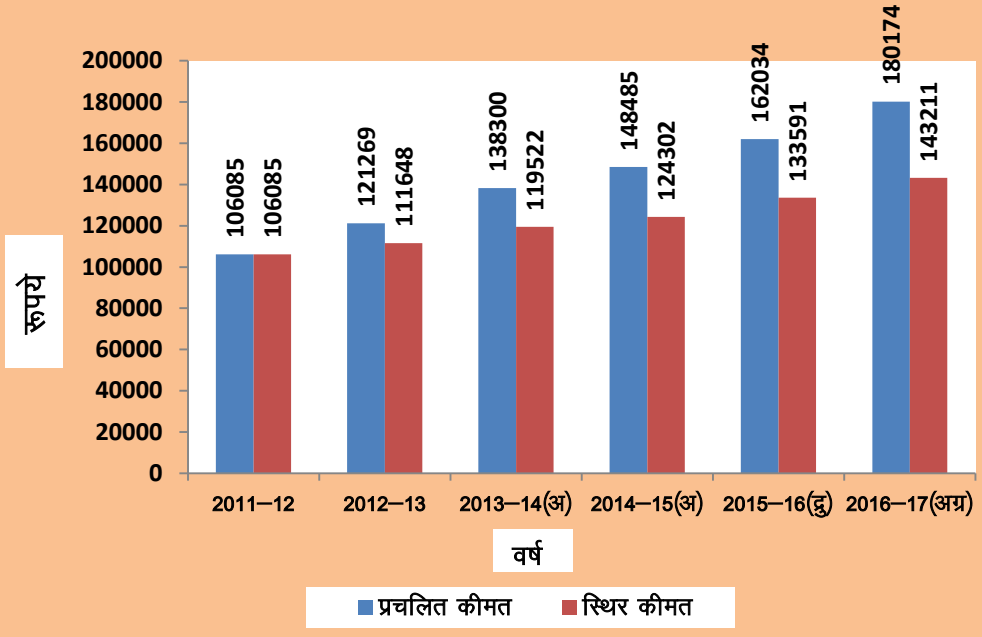

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.7 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक दूसरा महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान, चालू कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक प्रचलित और स्थिर (2011–12) कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **तालिका 1.3** और **आकृति 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.3–हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रूपये) हरियाणा		प्रति व्यक्ति आय (रूपये) अखिल भारत	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	106085	106085	63460	63460
2012–13	121269	111648	71011	65568
2013–14 (अ:)	138300	119522	79146	68717
2014–15 (अ:)	148485	124302	86513	72712
2015–16 (द्रु:)	162034	133591	94178	77524
2016–17 (अग्र.)	180174	143211	103007	81805

अ.: अन्तिम अनुमान, द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों (2011–12) पर 2015–16 में 1,33,591 रूपये से बढ़कर 2016–17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1,43,211 रूपये पंहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2016–17 में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। चालू कीमतों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015–16 में 1,62,034 रूपये से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 1,80,174 रूपये होने की संभावना है जो कि 2016–17 में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यह भी देखा गया है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू तथा स्थिर (2011–12) दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक रही है।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। राज्य में मजबूत बुनियादि सुविधाए जैसे पक्की सडके, ग्रामीण विद्धयुतीकरण, नहरों का जाल, मंडियों का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में अति आवश्यक तरक्की हुई है। इन सुविधाओं के निर्माण के साथ कृषि अनुसंधान के समर्थन और कृषि अभ्यास से सम्बन्धित सूचनाओं को किसानों के पास पहुंचाने वाले उच्च स्तरीय नेटवर्क के कारण अच्छे परिणाम मिले हैं। भोजन की कमी वाला राज्य खाद्य अधिशेष राज्य में परिवर्तित हो गया। अनाज खाद्यान्न के योगदान में राज्य ने केंन्द्रीय पूल में दूसरा सर्वोतम स्थान पाया है और राज्य का क्षेत्र देश के क्षेत्र का 1.4 प्रतिशत होने के बावजूद, अनाज खाद्यान्न के केन्द्रीय पूल में राज्य का योगदान 15.6 प्रतिशत रहा।

1.10 कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2016–17 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों (2011–12) पर कम होकर मात्र 17.8 प्रतिशत रह गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के

अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का निरन्तर विकास राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

1.11 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, कृषि, वानिकि एवं लोगिंग और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों से बना है। कृषि क्षेत्र जिसमें पशुपालन और फसलों की खेती शामिल है, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 93 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वानिकी और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है जिससे इन दो उप–क्षेत्रों का कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसमें दर्ज की गई विकास दर **तालिका 1.4** में दर्शायी गई है। वर्ष 2013–14 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की राज्य अर्थव्यवस्था में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की विकास दर में 1.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि आंकी गई। वर्ष 2015–16 के द्रुत अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 65,628.12 करोड़ रूपये आंका गया जोकि वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानों 63,779.52 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2.9 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 6.4 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 69,826.63 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2016–17 में कृषि (फसलें एवं पशुपालन) क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 65,158.96 करोड़ रूपये आंका गया। इसी वर्ष के दौरान वानिकि एवं मत्स्य क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन क्रमशः -2.6 तथा 26.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,397.82 करोड़ तथा 1,269.85 करोड़ रूपये आंका गया।

तालिका 1.4– कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) भावों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14 (अः)**	**2014–15 (अः)**	**2015–16 (द्रुः)**	**2016–17(अग्र.)**
फसलें व पशुपालन	59785.53	58589.94 (-2.0)	60492.59 (3.2)	59298.32 (-2.0)	61135.62 (3.1)	65158.96 (6.6)
वानिकी तथा लोगिंग	3894.90	3772.16 (-3.2)	3677.45 (-2.5)	3580.57 (-2.6)	3489.41 (-2.5)	3397.82 (-2.6)
मत्स्य	858.43	902.89 (5.2)	855.10 (-5.3)	900.64 (5.3)	1003.09 (11.4)	1269.85 (26.6)
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	64538.86	63264.99 (-2.0)	65025.14 (2.8)	63779.52 (-1.9)	65628.12 (2.9)	69826.63 (6.4)

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कृषि सूचकांक

1.13 राज्य में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन व उपज के सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) दर्शातें हैं कि फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2014–15 में 109.41 से थोड़ा सा बढ़कर वर्ष 2015–16 में 109.70

होने का अनुमान है। कृषि उत्पादन सूचकांक 2014–15 में 106.60 से घटकर वर्ष 2015–16 में 103.60 होने का अनुमान है। इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक भी वर्ष 2014–15 में 97.42 से घटकर वर्ष 2015–16 में 94.44 हो जाएगा। यद्यपि अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2014–15 में 108.53 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 115.32 हो जाएगा जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2014–15 में 102.46 से घटकर वर्ष 2015–16 में 78.07 होने का अनुमान है।

उद्योग क्षेत्र

1.14 औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। इससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है।

1.15 विभिन्न वर्षो के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप–क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर (2011–12) मूल्यों पर **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 2.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानो के अनुसार 1,03,814.61 करोड़ रूपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन के मुकाबले वर्ष 2015–16 के द्रुत अनुमानों में राज्य का सकल मूल्य वर्धन 1,11,972.01 करोड़ रूपये आंका गया तथा इसमें वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,19,176.43 करोड़ रूपये आंका गया तथा इसकी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत दर्ज की गई।

तालिकाः 1.5– औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14 (अः)	2014–15 (अः)	2015–16 (द्रुः)	2016–17 (अग्र.)
खनन व उत्खनन	118.82	90.97 (-23.4)	276.66 (204.1)	245.25 (-11.4)	477.11 (94.5)	932.90 (95.5)
विर्निमाण	53286.09	63497.60 (19.2)	67653.23 (6.5)	69874.02 (3.3)	76840.61 (10.0)	81911.41 (6.6)
बिजली, गैस, जलापूर्ति व अन्य सेवाएं	3446.04	3375.07 (-2.1)	2917.19 (-13.6)	3039.96 (4.2)	2813.79 (-7.4)	2923.94 (3.9)
निर्माण	29759.66	27614.98 (-7.2)	30686.74 (11.1)	30655.37 (-0.1)	31840.51 (3.9)	33408.19 (4.9)
उद्योग	**86610.61**	**94578.62 (9.2)**	**101533.82 (7.4)**	**103814.61 (2.2)**	**111972.01 (7.9)**	**119176.43 (6.4)**

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1.16 एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से एक हैं। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक	
	2013-14	**2014-15**
विनिर्माण	177.8 (2.4)	187.6 (5.5)
विद्युत	252.7 (3.8)	275.4 (9.0)
आधारभूत पदार्थ	214.5 (1.1)	226.4 (5.5)
पूंजीगत पदार्थ	204.8 (7.8)	239.1 (16.7)
मध्यवर्ती पदार्थ	156.7 (-9.8)	171.4 (9.4)
उपभोक्ता पदार्थ	170.4 (9.2)	164.3 (-3.6)
(क) उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ	187.1 (4.5)	187.2 (0.1)
(ख) उपभोक्ता गैर– टिकाउ पदार्थ	158.9 (13.5)	148.5 (-6.5)
सामान्य सूचकांक	**184.0** **(2.6)**	**194.8** **(5.9)**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.17 आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2013–14 में 184.0 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 194.8 हो गया जिसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2013–14 के 177.8 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 187.6 हो गया जो गतवर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं, क्योंकि यह वर्ष 2013–14 के 252.7 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 275.4 हो गया।

1.18 आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसें रद्धी माल, लोहा, स्टील, कोल्ड रोल्ड सीट, पाईप और टयूब, स्टेनलैसस्टील, हाई कार्बन स्टील स्टेनलैसस्टील और छड़, चादर, प्लेट आदि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 214.5 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 226.4 हो गया, जिसमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.19 पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे चीनी मशीनरी, सी.के.डी./एस.टी.डी. टेलीफोनी अंग, एयर कम्प्रैशर, सूक्ष्मदर्शी और सभी प्रकार की तारें आदि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 204.8 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 239.1 हो गया जिसमें 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.20 मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे मिश्रित धागे, पाईप, प्लास्टिक/पी.वी.सी., ईटें और टाईल(गैर–सिरेमिक), सूती पोलिस्टर, यार्न पोलिस्टर ब्लडिंड इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 156.7 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 171.4 हो गया, जोकि 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता हैं।

1.21 उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 170.4 से घटकर वर्ष 2014–15 में 164.3 हो गया जिसमें 3.6 प्रतिशत की कमी दर्शाता हैं। उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ उद्योग जैसे पोल और ककंरीट के खम्भें, हैल्मेट, सेफ्टी, कैब/कार के टायर तथा छत पंखे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 187.1 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 187.2 हो गया जिसमें गतवर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

1.22 उपभोक्ता गैर–टिकाउ वस्तु उद्योगों जैसे एच.आई.वी. जॉच कीट, पोलीथिन

बैग, खाद्य तेल, सभी प्रकार का दूध, पाउडर दूध, होजरी वस्तुएँ, अन्य सूती और माल्ट बरले इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 158.9 से घटकर वर्ष 2014–15 में 148.5 हो गया जिसमें 6.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई हैं। वर्ष 2014–15 में विभिन्न औद्योगिक समूहो वर्गो के दौरान दो अंकों के स्तर पर हुई वृद्धि **अनुलग्नक 1.1 व 1.2** में दी गई हैं।

1.23 राज्य आई.आई.पी. का आधार वर्ष 2004–05 से 2011–12 बदलने का कार्य प्रगति पर है।

सेवा क्षेत्र

1.24 सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर वर्ष 2016–17 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 51.7 प्रतिशत हो गया। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि ढांचे के करीब ले जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधि के दौरान भी सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान जारी रहा।

1.25 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में अच्छी विकास दर के बाद वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः 10.5, 9.9 व 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,64,644.34 करोड़ रूपये के विरूद्व वर्ष 2015–16 (द्रुत अनुमान) में 10.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,82,602.31 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2015–16 में 10.9 प्रतिशत की शानदार विकास दर व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट सेवाएं (13.3 प्रतिशत) तथा वित्त, वास्तविक सम्पदा एवं व्यक्तिगत सेवाएं (10.4 प्रतिशत) में अधिक विकास दर का परिणाम था। अग्रिम अनुमान 2016–17 में सेवा क्षेत्र की विकास दर 10.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,02,336.34 करोड़ रूपये होने की संभावना है। इस उच्च वृद्धि दर (10.8 प्रतिशत) का मुख्य कारण वित्त, वास्तविक सम्पदा एवं व्यक्तिगत सेवाएं (11.4 प्रतिशत) तथा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं (12.7 प्रतिशत) में प्राप्त की गई उच्च वृद्धि दर रही है **(तालिका 1.7)**।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.26 वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान इस क्षेत्र क्रमशः ने 5.3 तथा 12.7 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की। वर्ष 2015–16 के द्रुत अनुमानों के अनुसार 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा अग्रिम अनुमान वर्ष 2016–17 में इस क्षेत्र की विकास दर 9.0 प्रतिशत होने की संभावना है।

तालिका 1.7– सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14 (अ.)	2014–15 (अ.)	2015–16 (द्रु.)	2016–17 (अग्र.)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेन्ट	33107.42	36079.07 (9.0)	37988.89 (5.3)	42811.58 (12.7)	48493.64 (13.3)	52877.84 (9.0)
परिवहन, भण्डारण, संचार वित्त, और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	18743.77 (8.5)	20469.99 (9.2)	22991.78 (12.3)	25358.80 (10.3)	27969.28 (10.3)
वित्त, वास्तविक सम्पदा एवं व्यक्तिगत सेवाएं	52584.59	59475.62 (13.1)	68666.72 (15.5)	73741.07 (7.4)	81400.78 (10.4)	90659.38 (11.4)
सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	19956.26	21482.82 (7.6)	22127.24 (3.0)	25099.92 (13.4)	27349.10 (9.0)	30829.84 (12.7)
कुल सेवाएं	**122925.16**	**135781.27 (10.5)**	**149252.84 (9.9)**	**164644.34 (10.3)**	**182602.31 (10.9)**	**202336.34 (10.8)**

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान

* कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।

परिवहन, भण्डारण एवं संचार

1.27 वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 9.2 प्रतिशत व 12.3 प्रतिशत रही है। वर्ष 2015–16 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इन क्षेत्रों की वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्त वास्तविक सम्पदा एवं व्यक्तिगत सेवाऐं

1.28 वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 15.5, 7.4 एवं 10.4 प्रतिशत रही है। वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमानों पर 11.4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं

1.29 वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 3.0, 13,4 एवं 9.0 प्रतिशत रही है। वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमानों पर 12.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.30 अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती हैं यानि अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता। अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसे कि उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार एवं परिसम्पतियों के प्रकार तैयार करता है। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2013–14 के दौरान 59,134 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2014–15 के दौरान 65,357 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए। जिसमें 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई इसी तरह स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2013–14 के 33,584 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्श 2014–15 में 36,158 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जिसमें 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई **(तालिका 1.8)**।

तलिका 1.8–सकल स्थाई पूंजी निर्माण

वर्ष	स्कल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर
2011–12	47948	30958
2012–13	53158	32041
2013–14	59134	33584
2014–15(अः)	65357	36158

अः अनन्तिम अनुमान

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.31 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर 2004–05 में 9.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 12.0 प्रतिशत हो गया है।

उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.32 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में उद्योग क्षेत्र का अंश वर्ष 2004–05 में 55.8 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2014–15 में घटकर 55.3 प्रतिशत रह गया।

सेवा क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.33 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में सेवा क्षेत्र का अंश वर्ष 2012–13 में 30.1 प्रतिशत था। उसके पश्चात् यह बढ़कर वर्ष 2013–14 में 31.7 प्रतिशत और 2014–15 में 32.7 प्रतिशत रहा।

कीमतों की स्थिति

1.34 वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि,जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू. पी.आई.) के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों पर आधारित होता है जिस पर थोक लेन देन की कीमत आधारित है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता स्थानीय बाजार में खुदरा भावों पर वस्तुओं को खरीदता है। तीन से चार अंक तक की मुद्रास्फीति वृद्धि संकेतक है कि यह उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और उपभोग को हतोत्साहित नहीं करती। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

1.35 थोक मूल्य सूचकांकः राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2014–15 में 1279.7 से बढकर वर्ष 2015–16 में 1,338.6 हो गया जोकि 4.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2013–14 और वर्ष 2014–15 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 6.8 एवं 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 1.9– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
2011–12	1065.7
2012–13	1143.1
2013–14	1220.9
2014–15	1279.7
2015–16	1338.6

स्त्रोत अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

1.36 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की मास–वार गति का अध्ययन करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक को **तालिका 1.10** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह दिसम्बर, 2015 में 1,316.3 से बढ़कर दिसम्बर, 2016 में 1,358.2 अंक हो गया जोकि 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, एवं कपास के भाव में वृद्धि के भावों में क्रमशः 6.7 तथा 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

तालिका 1.10– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2015	1316.3
जनवरी, 2016	1315.4
फरवरी, 2016	1313.2
मार्च, 2016	1311.6
अप्रैल, 2016	1322.4
मई, 2016	1335.3
जून, 2016	1345.9
जुलाई, 2016	1347.7
अगस्त, 2016	1350.7
सितम्बर, 2016	1353.2
अक्तूबर, 2016	1353.9
नवम्बर, 2016	1356.2
दिसम्बर, 2016	1358.2

स्त्रोत अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

1.37 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उददेश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न 24 गांवों से, जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत हैं, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

1.38 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): खाद्याय वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 214–15 3.8 प्रतिशत की तूलना में वर्ष 2015–16 में बढ़कर 4.7 की गति रही तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2014–15 में 5.48 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में 5.50 प्रतिशत रही। हरियाणा में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015-16 तक को **तालिका 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका– 1.11 हरियाणा में ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2011–12	586	537
2012–13	638	580
2013–14	682	620
2014–15	708	654
2015–16	741	690

स्त्रोत अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

1.39 वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) की गति का मासवार दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक को **तालिका 1.1**2 में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2015 में 688 अंक था जो कि दिसम्बर, 2016 में बढ़कर 703 अंक हो गया, जो कि 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका–1.12 हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक (आधार वर्ष 1988–89=100)
दिसम्बर, 2015	688
जनवरी, 2016	689
फरवरी, 2016	683
मार्च, 2016	684
अप्रैल, 2016	693
मई, 2016	703
जून, 2016	709
जुलाई, 2016	719
अगस्त, 2016	718
सितम्बर, 2016	718
अक्तूबर, 2016	721
नवम्बर, 2016	710
दिसम्बर, 2016	703

स्त्रोत अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

1.40 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर

तालिका–1.13 हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
2012	832
2013	903
2014	959
2015	1016
2016	1068

स्त्रोत अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2012 से 2016 तक को **तालिका 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2015 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2016 में केन्द्रवार पानीपत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (5.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि सोनीपत में सबसे कम (4.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

तालिका–1.14 हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
दिसम्बर, 2015	1046
जनवरी, 2016	1047
फरवरी, 2016	1040
मार्च, 2016	1041
अप्रैल, 2016	1052
मई, 2016	1065
जून, 2016	1073
जुलाई, 2016	1086
अगस्त, 2016	1085
सितम्बर, 2016	1085
अक्तूबर, 2016	1090
नवम्बर, 2016	1078
दिसम्बर, 2016	1070

स्त्रोत अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

1.41 राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक को **तालिका 1.14** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2015 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 1,046 अंक था जो कि दिसम्बर, 2016 में बढ़कर 1,070 अंक हो गया, जिसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

योजना नीति

वार्षिक योजना 2016–17–रूप रेखा

1.42 योजना विभाग ने 40,078.53 करोड़ रूपये का राज्य योजना बजट 2016–17 तैयार किया जिसमें 5,100 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सम्मिलित है जो कि राज्य संकलन कोष के माध्यम से मिलेगी । राज्य के योजना परिव्यय को विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करते समय सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दूसरी उच्च प्राथमिकता सिंचाई, बिजली, सड़क व सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास को प्रदान की गई है ।

सामाजिक सेवाएं

1.43 सामाजिक सेवाओं के लिए 19347.30 करोड़ रूपये (48.27%) का परिव्यय रखा गया है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धों, दिव्यागों, विधवाओं और निराश्रितों के लिए पैंशन के प्रावधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं तथा राज्य का इनके प्रति स्वयं एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। तदानुसार सामाजिक न्याय व अधिकारिता के लिए 4,172.60 करोड़ रूपये (10.41%) प्रस्तावित किए गए हैं। महिलाओं व बच्चों का एक अन्य कमजोर वर्ग होने के कारण राज्य को इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों जिसमें न्यूट्रिशन भी शामिल है, के लिए 986.75 करोड़ रूपये (2.46%) का प्रावधान अलग से रखा गया है। शिक्षा एवं

तकनीकी शिक्षा के लिए 5479.38 करोड़ रूपये (13.67%) का परिव्यय रखा गया है। वार्षिक योजना में स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, को 2881.73 करोड़ रूपये (7.2%) का परिव्यय निर्धारित करके उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य के सभी गांवों में पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया है। फिर भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है, तदानुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा स्वच्छता में सुधार लाने के लिए 1319.60 करोड़ रूपये (3.29%) का प्रावधान रखा गया है। पुलिस के आवास व आधुनिकीकरण के लिए 281.47 करोड़ रूपये (0.70%) की राशि का आवंटन किया गया है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 515.25 करोड़ रूपये (1.28%) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 3182.62 करोड़ रूपये (7.94%) का प्रावधान रखा गया है। राज्य में विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों के लिए 238.90 (0.60%) का प्रावधान किया गया है। युवाओं में ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को 289 करोड़ रूपए (0.72%) परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

आधारभूत ढांचे का विकास

1.44 सिंचाई, बिजली, सड़क व सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास एवं विस्तार हेतू 14494.04 करोड़ रूपये का परिव्यय आवंटित किया गया जो कुल प्रस्तावित योजना परिव्यय 40078.53 करोड़ रूपये का 36.16 प्रतिशत है। सिंचाई क्षेत्र के लिए 1192.01 करोड़ रूपये (2.97%) का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली के उत्पादन, हस्तांतरण एवं वितरण के लिए 10018.73 करोड़ रूपये रखे गये जो कुल योजना परिव्यय का 25 प्रतिशत है। सड़क व सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 3283.30 करोड़ रूपये (8.19%) का परिव्यय रखा गया है।

कृषि व सहबद्ध गतिविधियॉ

1.45 कृषि व सहबद्ध गतिविधियों को भी उचित प्राथमिकता दी गई है । इस क्षेत्र के लिए 2,707.97 करोड़ रूपये (6.76%) आवंटित किए गए हैं। विभिन्न कृषि सहायक कार्यक्रम जैसे प्रमाणित बीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, उर्वरक के संतुलित उपयोग, पौध सरंक्षण के उपाय, भूमि सुधार आदि को मजबूत करते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की मुख्य रणनीति है । गेहूं, चावल, तिलहन, कपास और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है।

1.46 वर्ष 2016–17 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को उनकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए 231 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

1.47 पशुधन मालिकों को उनके घर के नजदीकी स्थान पर प्रभावी और कुशल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के लिए पशुपालन व डेयरी विभाग को अपनी गतिविधियों के संचालन/विस्तार हेतु 221.50 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। राज्य में परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण को बेहतर बनाने व लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं व ईंधन के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने हेतू वनों के विस्तार के लिए 201.80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राज्य में सहकारी संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 624.30 करोड़ रूपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास

1.48 राज्य वित्त आयोग पुरस्कार एवं सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ग्रामीण विकास क्षेत्र को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम व पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता के लिए 1,865.12 करोड़ रूपये का परिव्यय आवंटित किया है। लोगों को ईंधन/ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पशुओं व कृषि के अपशिष्ट से उत्पादित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतू समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

(आई.आर.ई.पी.) के लिए 1.79 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 1,209.66 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

विशेष क्षेत्र विकास

1.49 पिछड़े मेवात क्षेत्र जहां मुख्यतः मुस्लिम समुदाय बसा हुआ है, के विकास हेतू मेवात विकास बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है। इस क्षेत्र के तीव्र विकास हेतू मेवात विकास बोर्ड के लिए 31.50 करोड़ रूपये का प्रावधान अलग से किया गया है। इसी प्रकार अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर जिलों के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु शिवालिक विकास बोर्ड भी अस्तित्व में है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए 17.60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यह राशियां इन दोनों क्षेत्रों के विभिन्न विभागों की सामान्य विकास गतिविधियों के अतिरिक्त हैं।

सिंचाई

1.50 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक अति महत्वपूर्ण निवेश है। राज्य के पास नहर के साथ–साथ भूमिगत पानी जैसे सीमित जल संसाधन हैं। इसलिए इस संसाधन के अपव्यय को कम करके इसके सही उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के लिए इस क्षेत्र का परिव्यय 1,192.01 करोड़ रूपये आंका गया है।

1.51 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 814.12 करोड़ रूपये रखे गये हैं। बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए 172.89 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिए 205 करोड़ रूपये रखे गए है।

ऊर्जा

1.52 अर्थ–व्यवस्था के समग्र विकास के लिए बिजली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निवेश है। यह लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भी अनिवार्य है। लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने हेतू उत्पादन बढानें के लिए वार्षिक योजना 2016–17 में इस क्षेत्र के लिए 1,0002.43 करोड़ रूपये का परिव्य रखा गया है। इसमे राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उदय योजना के 8,650 करोड़ रूपये भी शामिल हैं। इसमें से 16.30 करोड़ रूपये ऊर्जा के अक्षय स्त्रोतों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

उद्योग

1.53 हरियाणा राज्य अपनी मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था के कारण उद्योगों के लिए पसंदीदा निवेश स्थान बनता जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भागीदारी/सहायता जारी रखेगा। उद्योग विभाग ने प्रक्रिया का सरलीकरण, न्यूनत्म प्रतिक्षा अवधि, कारोबारी माहौल मे सुधार, शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी की शुरूआत के माध्यम से 'व्यापार करने में आसानी' लाने के लिए प्रमुख पहल की है। वर्ष 2016–17 के दौरान नई उद्यम नीति को लागू करने हेतू ओद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए 692.42 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

1.54 सरकार ने राज्य को सूचना क्रांति में क अग्रणी बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) नीति एवं कार्य योजना तैयार की है। हारट्रोन को राज्य सरकार के सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकार द्वारा लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सेवाऐं प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य में उपरोक्त वर्णित आई.टी. गतिविधियों के लिए 85.50 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

सड़क और परिवहन

1.55 वार्षिक योजना 2016–17 में राज्य में सड़क नेटवर्क तथा परिवहन सुविधाओं के विकास हेतू 3,283.30 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। इसमें से 2,948 करोड़ रूपये सड़क और पुलों के निर्माण के लिए रखे गए हैं। पुरानी बसों के प्रतिस्थापन, बस अड्डो/आश्रयों

के निर्माण, कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण आदि के लिए 261 करोड़ रूपये रखे गये हैं। नागरिक उड्डयन के लिए 74.30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन

1.56 मौजूदा पर्यटन स्थलों विशेषकर जिला/उप–प्रभागीय मुख्यालयों पर मुख्य राजमार्गों के साथ लगे पर्यटन सैरगाहों पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 66.81 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

जिला योजना

1.57 राज्य में जिला योजना के लिए 400 करोड़ रूपये रखे गये हैं जोकि स्थानीय प्रकृति वाले विकास कार्यों पर उपयोग किए जाएंगे।

सामान्य सेवाएं

1.58 सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 325.92 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है जिससे लघु सचिवालयों और उससे सम्बन्धित ईमारतें, जेलों के लिए भवन, न्यायिक, आबकारी एवं कराधान (गैर आवासीय भवनों), लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) की इमारतें विश्राम गृहों, होलीडे होम्ज़, खजाना एवं लेखा की ईमारतें तथा आतिथ्य भवनों जैसी अत्यावश्यक प्रशासनिक ईमारतों के निर्माण पर उपयोग किया जाएगा।

अनुसूचित जाति उप योजनाः

1.59 वार्षिक योजना 2016–17 के लिए अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 6368.63 करोड़ रूपये रखे गए हैं जो कि राज्य शुद्ध परियोजना परिव्यय 31458.53 करोड़ रूपये का 20.26 प्रतिशत हैं। जबकि राज्य में अनुसूचित जाति की अनुपातिक जनसंख्या 20.17 प्रतिशत है ।

स्वर्ण जयंती योजनाः

1.60 हरियाणा राज्य स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने हेतू स्वर्ण जयंती समारोह योजनाओं के अन्तर्गत कुछ नई स्कीमें शुरू की गई हैं। वार्षिक योजना 2016–17 के दौरान इन योजनाओं के लिए 1,657.04 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

1.61 आरम्भ से राज्य की योजनाओं का आकार व व्यय **अनुलंग्नक 1.3 व 1.4** में दर्शाया गया है।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण तथा वित्तीय समावेश

भारत वर्ष में हरियाणा एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित है; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 14 वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की तय अवधि के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखा था। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों के अनुसार 14,520 करोड़ रूपये राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.47 प्रतिशत बनता है तथा उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार, पूर्व निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों अनुसार ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 19.55 प्रतिशत होने का अनुमान है। कुल राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों अनुसार 10.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों अनुसार 10.71 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य के अपने कर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों अनुसार 6.88 प्रतिशत व वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों अनुसार 6.84 प्रतिशत के नजदीक स्थिर है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2013–14 से 2016–17 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** व **अनुलग्नक 2.1 से 2.3** तक में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2016–17 के दौरान, हरियाणा सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 62,955.53 करोड़ रूपये एवं व्यय 75,235.88 करोड़ रूपये अनुमानित व्यय के विरूद्ध रहने का अनुमान है, जोकि 12,280.35 करोड़ रूपये (बी.ई.) के घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 38,012.08 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 41,887.10 करोड़ रूपये था तथा इस अवधि में 3,875.02 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2014–15, में 40,798.66

करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 49,117.87 करोड़ रूपये था जो कि 8,319.21 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है।

राज्य के स्वयं के स्त्रोत (कर राजस्व एवं गैर–कर राजस्व)

2.4 राज्य के अपने साधनों के मुख्य दो घटक हैं, (1) राज्य की स्वंय कर राजस्व व (2) राज्य की स्वंय गैर–कर राजस्व। राज्य के स्वंय साधनों से राजस्व वर्ष 2013–14 में 30,541.66 करोड़ रूपये से बढ़कर 2016–17 (ब.अ.) में 48,507.96 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राज्य के स्वंय कर राजस्व वर्ष 2013–14 में 25,566.60 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 40,199.51 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि इसी अवधि में गैर–कर राजस्व 4,975.06 करोड़ रूपये से बढ़कर 8,308.45 करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

कर

2.5 वर्ष 2013–14 से 2016–17 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है। कुल कर मुख्यतया दो घटकों पर निर्भर है, नामतः i) राज्य का स्वयं कर (ओ.टी.आर.) तथा ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (एस.सी.टी.)। राज्य का कुल कर वर्ष 2013–14 में 28,909.84 करोड़ रूपये (25,566.60 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 3,343.24 करोड़ रूपये एस. सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 46,388.31 करोड़ रूपये (40,199.51 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 6,188.80 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) रहने का अनुमान है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति

(करोड़ रूपये)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	कुल कर
2013–14	25566.60	3343.24	28909.84
2014–15	27634.57	3548.09	31182.66
2015–16 (स.अ.)	34939.88	5496.22	40436.10
2016–17 (ब.अ.)	40199.51	6188.80	46388.31

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

कर राजस्व

2.6 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में यह 28,750 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में यह 25,000 करोड़ रूपये था। वर्ष 2015–16 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में बिक्री कर में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व 5,251.58 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 4,567.59 करोड़ रूपये थी, जो कि वर्ष 2015–16 (स.अ.) से वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 14.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 3,700 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में इस मद से 3,096.90 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.7 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजना स्कीमों में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य गैर–योजना अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 6,188.80 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 5,496.22 करोड़ रूपये था जो कि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में वर्ष

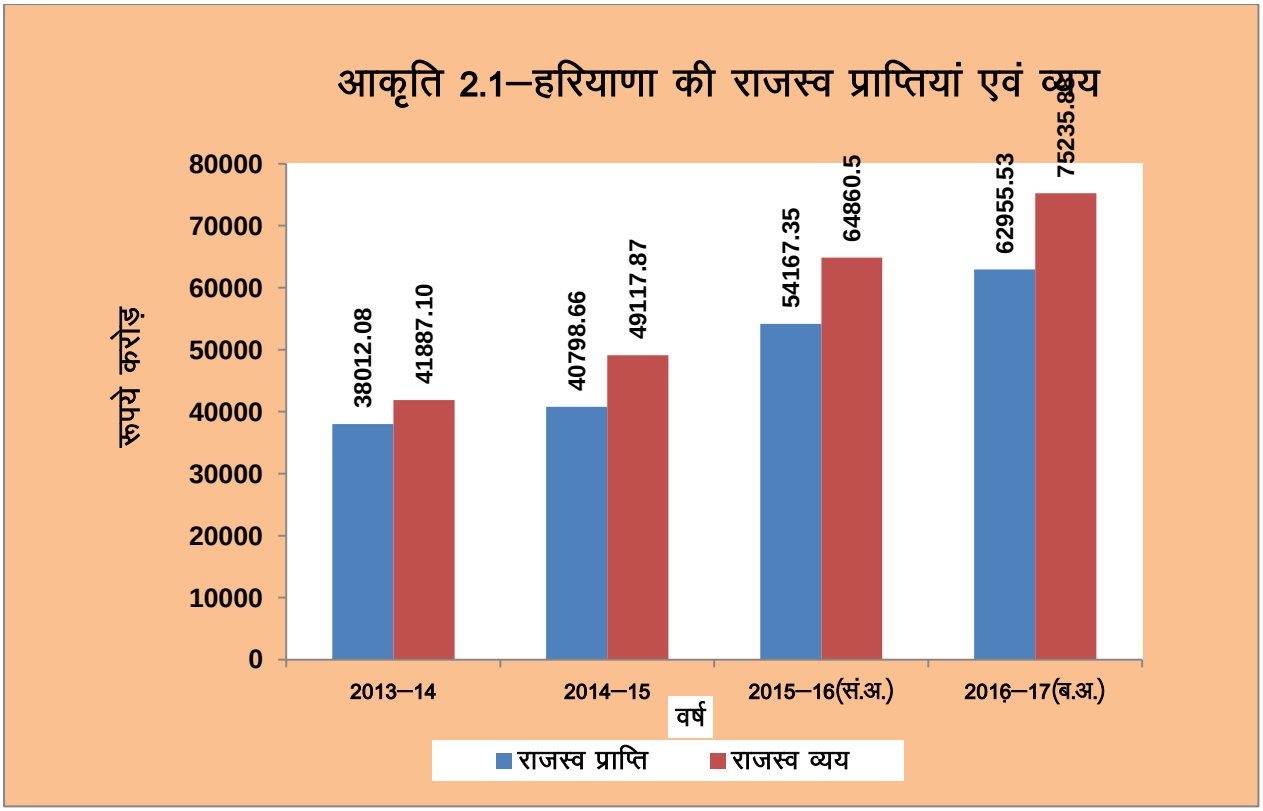

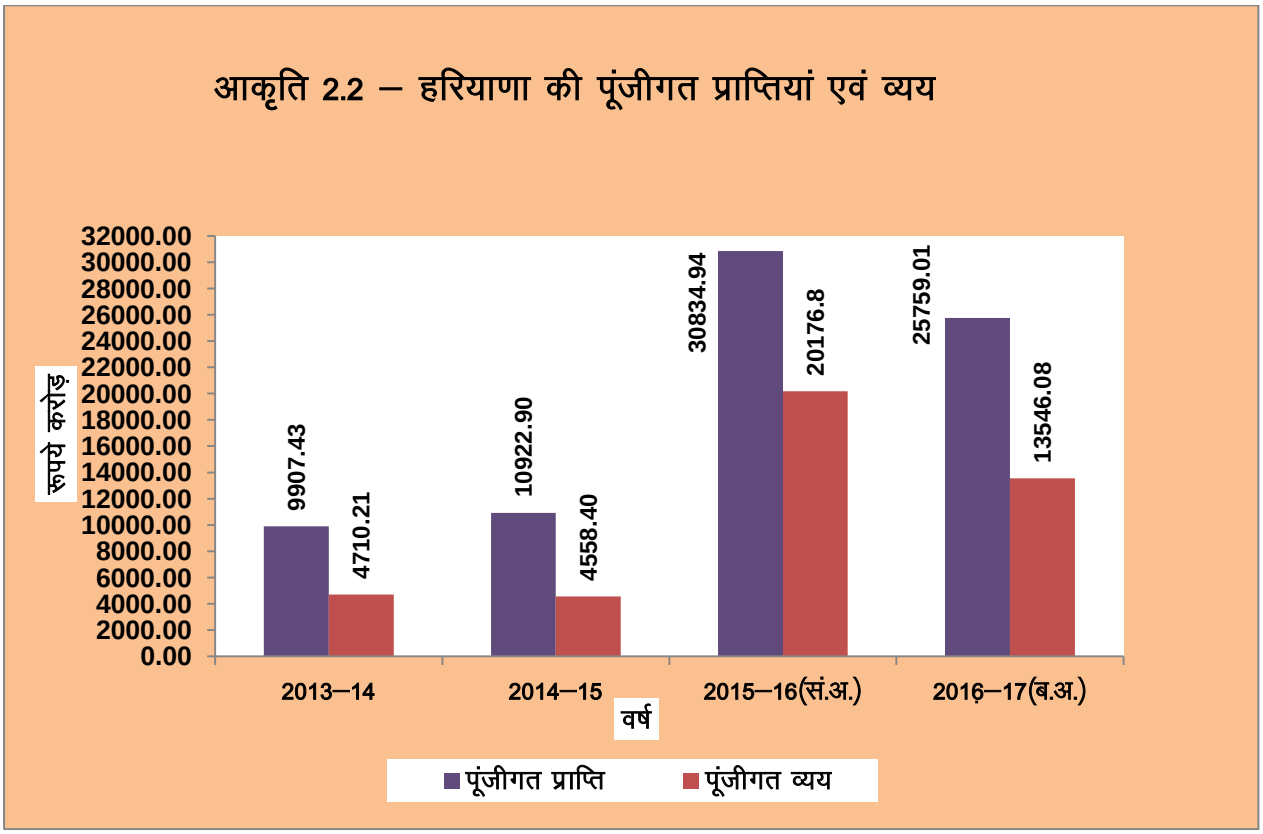

आकृति 2.1–हरियाणा की राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय
रुपये करोड़
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
38012.08
41887.10
40798.66
49117.87
54167.35
64860.5
62955.53
75235.8
2013–14
2014–15
2015–16(सं.अ.)
2016–17(ब.अ.)
वर्ष
राजस्व प्राप्ति
राजस्व व्यय

आकृति 2.2 – हरियाणा की पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय
रुपये करोड़
32000.00
30000.00
28000.00
26000.00
24000.00
22000.00
20000.00
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
9907.43
4710.21
10922.90
4558.40
30834.94
20176.8
25759.01
13546.08
2013–14
2014–15
2015–16(सं.अ.)
2016–17(ब.अ.)
वर्ष
पूंजीगत प्राप्ति
पूंजीगत व्यय

2015–16 (स..अ.) की तुलना में 12.60 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.8 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 8,258.77 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2015–16 (स.अ.) में यह राशि 8,386.71 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2015–16 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 1.53 प्रतिशत की कमी की सम्भावना है।

तालिका 2.2–राज्य को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये)

वर्ष	प्राप्त राशि
2013–14	4127.18
2014–15	5002.88
2015–16 (स.अ.)	8386.71
2016–17 (ब.अ.)	8258.77

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.9 वर्ष 2013–14 से 2016–17 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) लोक ऋण (शुद्ध)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में 9,907.43 करोड़ रूपये से बढकर वर्ष 2014–15 में 10,922.90 करोड़ रूपये हो गई तथा इसके वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 25,759.01 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

2.10 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2013–14 में 4,710.21 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 13,546.08 करोड़ रूपये हुआ जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में दर्शाया गया है।

2.11 विकासात्मक कुल व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 65,841.76 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में यह 65,345.31 करोड़ रूपये था। इसमें वर्ष 2015–16 (स.अ.) से वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 0.76 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

2.12 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 22,692.65 करोड़ रूपये है, जोकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 19,384.23 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2015–16 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 17.07 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.13 वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में होने वाले शुद्ध लेन–देन में 43.46 करोड़ रूपये घाटे का अनुमान है जबकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 61. 09 करोड़ रूपये का घाटा था। राजस्व खाते में वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 12,280.35 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल

जमा में 1,572 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 1,345 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.14 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणीयों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.15 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2016–17 (ब.अ.) में कुल व्यय 88,464.25 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 84,904.14 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में वर्ष 2015–16 (स.अ.) से 4.19 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.16 सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 28,789.34 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 24,097.40 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2016–17 (ब.अ.) में वर्ष 2015–16 (स.अ.) से 19.47 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.17 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में 6,909.99 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2015–16 (स.अ.) में 4,736.99 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2016–17 (ब.अ.) में वर्ष 2015–16 (स.अ.) से 45.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती हैं जिसे **अनुलग्नक 2.4** में दर्शाया गया है।

संस्थागत वित्त

2.18 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। हरियाणा में राज्य सरकार की भूमिका बैंकिग संस्थाओं को कृषि एंव सहबद्ध क्षेत्र, विशेषतया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करना है।

2.19 राज्य में सितम्बर, 2016 को वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4,563 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2016 तक बढकर 2,62,083 करोड़ हो गई। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2016 को बढ़कर 1,90,447 करोड़ रूपये हो गई थी। ऋण–जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचचांक है। सितम्बर, 2016 में ऋण–जमा अनुपात कम होकर 73 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 80 प्रतिशत था ।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.20 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2016–17 के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 49,529.40 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। गत वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 का लक्ष्य 43.76 प्रतिशत कम है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2016–17 के अन्तर्गत सितम्बर, 2016 तक कुल उपलब्धि 43,183.72 करोड़ रूपये रही जो कि 49,529.40 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 87 प्रतिशत था (**तालिका–2.3**) ।

तालिका–2.3 हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2016–17

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	उपलब्धियां 2015–16	लक्ष्य 2016–17	उपलब्धियां (30–9–2016 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	50496.14	33856.72	27247.04	80
कुटीर एवं लघु उद्योग	20371.39	8088.90	10630.01	131
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	10662.11	7583.78	5306.67	70
कुल	81529.64	49529.40	43183.72	87

स्त्रोतः– संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

2.21 बैंकों की कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण उधार उपलब्धि संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 33,856.72 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2016 तक 27,247.04 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंक ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए 8,088.90 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 10,630.01 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 131 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 7,583.78 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 5,306.67 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 70 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.22 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2016–17 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2016 तक 37,071.42 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 42,303.74 करोड़ रूपये था। वर्ष 2016–17 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण **तालिका – 2.4** में दिया गया है ।

तालिका – 2.4 हरियाणा में वर्ष 2016–17 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	उपलब्धियां 2015–16	लक्ष्य 2016–17	उपलब्धियां (30–9–2016 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	40333.87	27205.41	21968.70	81
कुटीर एवं लघु उद्योग	19731.77	7679.16	10517.50	137
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9691.81	7419.17	4585.22	62
कुल	69757.45	42303.74	37071.42	88

स्त्रोतः– संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

2.23 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 21,968.70 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद कुटीर एवं लघु क्षेत्र के अन्तर्गत

10,517.50 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 4,585.22 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये । फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र 137 प्रतिशत रही, कृषि क्षेत्र में 81 प्रतिशत रही और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 62 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.24 सितम्बर, 2016 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 6,717.75 करोड़ रूपये के लक्ष्यों के विरूद्ध 5,904.58 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 88 प्रतिशत है । क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5– हरियाणा में वर्ष 2016–17 में सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	उपलब्धियां 2015–16	लक्ष्य 2016–17	उपलब्धियां (30–9–2016 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	10008.73	6321.19	5152.18	82
कुटीर एवं लघु उद्योग	154.47	241.73	34.06	14
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	961.16	154.83	718.34	464
कुल	11124.36	6717.75	5904.58	88

स्त्रोतः– संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.25 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2016 तक 350.19 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 134.61 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 38 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धि **तालिका 2.6** में दी गई है।

तालिका 2.6– वर्ष 2016–17 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा दिए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	उपलब्धियां 2015–16	लक्ष्य 2016–17	उपलब्धियां (30–9–2016 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	153.55	330.11	126.16	38
कुटीर एवं लघु उद्योग	5.11	10.30	5.35	52
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9.10	9.78	3.10	32
कुल	167.76	350.19	134.61	38

स्त्रोतः– संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.26 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2016 तक 152.97 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 71.23 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 47 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7– वर्ष 2016–17 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	उपलब्धियां 2015–16	लक्ष्य 2016–17	उपलब्धियां (30–9–2016 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	.	.	.	.
कुटीर एवं लघु उद्योग	412.54	152.97	71.23	47
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	.	.	.	.
कुल	**412.54**	**152.97**	**71.23**	**47**

स्त्रोतः– संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 76 हो गई है। अब इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 1–4–2015 से 31–03–16 तक 168.42 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये जबकि वार्षिक लक्ष्य 250 करोड़ रूपये था। यह राशि वार्षिक लक्ष्य का 67.37 प्रतिशत है। वर्ष 2015–16 व 2016–17 (31–1–2017 तक) में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धियां **तालिका 2.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की उपलब्धियां

(करोड़ रूपये)

क्रं0स0	क्षेत्र व स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2015–16	ऋण उपलब्धियाँ वर्ष 2015–16	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2016–17	ऋण उपलब्धियाँ 31–1–17 तक
1	लघु सिंचाई	56.25	67.47	75.00	37.41
2	कृषि मशीनीकरण	15.62	6.68	25.00	3.06
3	भूमि विकास	25.00	23.63	33.00	13.35
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	15.62	11.21	25.00	6.10
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	15.63	18.37	23.00	11.34
6	ग्रामीण आवास योजना	21.88	8.92	29.00	5.01
7	गैर कृषि क्षेत्र	25.00	22.28	32.00	13.07
8	भूमि खरीदने हेतु	15.63	3.42	23.00	2.37
9	ग्रामीण भण्डारण	3.12	0.06	5.00	0.41
10	अन्य	56.25	6.38	80.00	3.49
	कुल	**250.00**	**168.42**	**350.00**	**95.61**

स्त्रोतः– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0।

2.29 बैंक ने 21–1–2016 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर 13 प्रतिशत पुनः स्थापित कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 14 से 15 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 2.5 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा केवल 1.50 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

2.30 समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजनाः वर्ष 2009 में राज्य सरकार ने समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजना पेश की । इस योजना के अन्तर्गत 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज माफी के रूप में 5.66 करोड़ रूपये की ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–3–2018 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में 1–1–2010 से 24–8–2014 तक प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में 25–8–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत

तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–8–2014 से 31–12–2016 तक 45,810 ऋणी किसानों को 43.52 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है।

2.31 वसूली सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना (एक मुश्त योजना)–2013: यह योजना जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के उन चुककर्ता ऋणियों के लिये लागू की गई है जो अपने मूलधन की किस्तों एवं ब्याज का भुगतान निश्चित कारणों से 30–6–2013 तक नही कर सके। इस योजना के नियमानुसार, कोई भी चुककर्ता ऋणी 30–6–2013 तक के कुल ब्याज दायित्व बकाया ब्याज राशि सहित 50 प्रतिशत छूट का अधिकारी होगा । 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया गया दंडस्वरूप ब्याज 50:50 के अनुपात में जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। यह योजना भूमि खरीदने पर लिये गए ऋण को छोड़कर बाकि सभी उद्देश्य के ऋणों पर लागू होती है। यह योजना 31–7–2016 को समाप्त कर दी गई है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.32 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य में किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 50 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार कांउटर है तथा जिला मुख्यालयों पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी 594 शाखाओं व 711 प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ के साथ 31.25 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं जिनमें से अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।

2.33 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर, 1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक उत्कृष्ट ऋण पात्रों की मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में विकसित हो चुका है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। 31–1–2017 तक इस बैंक की कार्यशील पूंजी 8,582.72 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.9**)।

तालिका – 2.9 हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये)

क्र0स	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	जनवरी, 2017
1	हिस्सा पूंजी	101.74	114.31	119.10	132.61	137.99	142.59
2	निजि कोष	494.64	524.29	538.12	566.45	756.53	759.37
3	अमानतें	2130.90	2375.82	2057.34	2179.55	3104.91	3384.23
4	उधार राशि	3404.41	3655.23	3941.97	4425.04	4025.27	3952.83
5	ऋण दिये	4676.69	4909.01	5627.14	6748.60	7608.77	6348.70
6	बकाया ऋण	4515.33	4962.42	5184.58	5904.08	6318.60	6196.98
7	लाभ/हानि	18.69	30.21	21.98	16.23	.	.
8	वसूली प्रतिशत	99.95	99.96	99.95	99.95	.	.
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	0.05	0.05	0.05	0.05	.	.
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	0.05	0.05	0.05	0.05	.	.
11	कार्यशील पूंजी	6070.63	6620.72	6604.68	7245.08	8029.50	8582.72

2.34 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की (फसलवार) तुलनात्मक स्थिति तालिका 2.10 में दर्शाई गई है ।

तालिका 2.10– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(i) खरीफ फसल:- **(करोड़ रूपये)**

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2014	3880.00	195.00	4075.00	3782.23	137.83	3920.06
2015	4194.00	201.00	4395.00	4376.96	211.16	4588.12
2016	4600.00	227.00	4827.00	4560.31	250.55	4810.86

(ii) रबी फसल:– **(करोड़ रूपये)**

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2014–15	4175.00	305.00	4480.00	4310.25	250.59	4560.84
2015–16	4483.00	305.00	4788.00	4523.94	361.06	4885.00
2016–17	4700.00	400.00	5100.00	2093.34	277.21	2370.55 (31–1–2017 तक)

स्त्रोतः– हरको बैंक।

2.35 राज्य में अपैक्स बैंक 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । स्वीकृत सीमा एवं उसकी उपयोगिता की स्थिति **तालिका 2.11** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.11– स्वीकृत सीमा एवं उसकी उपयोगिता

(करोड़ रूपये)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत सीमा	अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. द्वारा उपयोगिता सीमा	सी.सी.बी. से चीनी मिल की उपयोगिता सीमा (अधिकतम अन्य स्त्रोत वर्ष के दौरान)
2013–14	597.80	120.00	503.88
2014–15	822.00	214.00	548.24
2015–16	799.90	237.00	555.46
2016–17	815.00	.	.

2.36 रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एव डिपोजिट गारंटी स्कीमः किसानों के हितों के लिए दिसम्बर 2015 तक 13.20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 6 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है । ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत सदस्यों द्वारा 50 हजार रूपये जमा करने पर बैंक द्वारा उनकी गारन्टी दी जाती है ।

2.37 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना हेतु पुनरूद्धार पैकेज़ का कार्यान्वयनः अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतु राज्य सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये भारत सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20–2–2007 को एक आश्य पत्र हस्ताक्षर किया गया है। लेखा परीक्षा आधार पर पैक्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार का हिस्सा + 29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक

499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। शेष राशि 163.30 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी अपेक्षित है।

2.38 राज्य ब्याज राहत योजनाः भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत की ब्याज राहत उन किसानों को प्रदान की जाएगी जिन किसानों ने वित्तिय वर्ष 2016–17 के दौरान फसली ऋण प्राप्त किया या प्राप्त करेगें और उसका देय तिथि से पूर्व या देय तिथि तक भुगतान कर दिया हो या कर देंगे। वर्ष 2015–16 में 5.06 लाख किसानों को फसली ऋण पर 224.16 करोड़ रूपये (127.98 करोड़ रूपये राज्य सरकार + 96.18 करोड़ रूपये भारत सरकार) की ब्याज राहत प्रदान की गई। हरियाणा सरकार की राज्य ब्याज राहत योजना–2014 के अंतर्गत 1–3–2016 से 31–8–2016 तक प्राप्त किये गये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा फसली ऋणों की देय तिथि या उससे पूर्व अदायगी करने वाले सदस्यों को 4 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा ब्याज राहत प्रदान की जाएगी । यह स्कीम अब राज्य सरकार द्वारा आगामी चार फसलों के लिए दिनांक 1–3–2016 से 28–2–2018 तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 0 प्रतिशत होगी (7 प्रतिशत–4 प्रतिशत–3 प्रतिशत) ।

2.39 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का मात्र 4.95 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.45 रूपये का अंशदान देना है तथा शेष 3.50 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।

2.40 सामाजिक सुरक्षा पेंशन/भत्ते योजनाः सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पेंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत इन बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.56 लाख पैंशनधारको के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से राज्य में पेंशन वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य में सहकारी बैंकों ने लोक व निजि क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

2.41 राज्य की प्राईवेट शुगर मिलों को ऋणः हरियाणा राज्य में हरको बैंक द्वारा गन्ना पिराई सीज़न 2014–15 में गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान करने के लिए ऋण देने हेतु योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर को 100 करोड़ रूपये व पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री भादसों, करनाल को 30.82 करोड़ रूपये दिये जा चुके हैं तथा नारायणगढ़ शुगर मिल लिमिटेड, नारायणगढ़ को 45 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से 34.10 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त 10 सहकारी शुगर मिलों को पात्रता के आधार पर राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2014–15 के पिराई सीज़न में गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान हेतु 76.58 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये हैं।

2.42 कोर बैंकिंग प्रणाली (सी.बी.एस.) तथा उपभोगताओं को सूचना प्रोद्योगिकी सेवाः हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है और अपने ग्राहकों को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. व एसएमएस एलर्ट सेवाएं और डीबीटी सेवाएं प्रदान कर रही है। हरको बैंक द्वारा रूपये डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, बाकि जिला केंन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा शीघ्र ही राज्य में ए.टी.एम., रूपये डेबिट कार्ड जारी कर दिए जाएगें। ए.टी.एम. के लिए हरको बैंक व जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा सम्पूर्ण

भारत में एक्सिस बैंक के साथ उनके ए.टी.एम. के प्रयोग के लिए गठजोड़ किया गया है।

2.43 नकद उधार ऋण की सीमा 50,000 रूपये कार्य आबंटन के विरूद्ध व 1 लाख रूपये लम्बित बिलों के विरूद्ध श्रम व निर्माण समितियों को और 1,50,000 रूपये वेतनभोगी सहकारी समिति के सदस्यों को प्रदान की जा रही है।

2.44 सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदान कर रहे हैं तथा अम्बाला केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, रूपये डैबिट कार्ड व किसान कार्ड सुविधा प्रदान कर रहा है।

2.45 हरको बैंक की भविष्य की योजनाएं निम्न प्रकार से दी गई हैः–

i) रबी 2016–17 के दौरान 5,000 करोड़ रूपये के फसली ऋण जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ii) वर्ष 2016–17 के दौरान सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज्य में एटीएम सुविधा प्रदान की जाएगी। iii) अगले पिराई सीज़न के दौरान राज्य में शुगर मिलों को सहकारी बैंकों द्वारा 815 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाए जाएगें। iv) सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सामाजिक सुरक्षा पैशन लाभ योजना के अन्तर्गत पैंशन वितरित करने के लिए केन्द्रीय बैंक के व्यावसायिक फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है जो कि प्रक्रियाधीन है ।

खजाना एवं लेखा

2.46 वर्तमान में इस राज्य में 21 जिला स्तरीय खजाने तथा 85 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि राज्य के संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियॉ तथा अदायगी खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। विभाग राज्य में विभिन्न विभागों, बोर्डो एवं निगमों को अधीनस्थ लेखा सेवा के योग्य अधिकारियों/कर्मियो को उपलब्ध करवाता है। विभाग अपने अधीन लेखा प्रशिक्षण संस्थान के तहत विभिन्न विभागों मे कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को लेखा से सम्बधित प्रशिक्षण प्रदान करता है । वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 10,800 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी (व्यय) व जमा (प्राप्तियों) का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा ई–गवर्नेंस परियोजनाऍ संचालित की जा रही हैं।

2.47 आनलाईन बजट आवंटन नियंत्रण तथा वितरण विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.एस): यह सोफ्टवेयर 1–4–2010 से कार्यान्वित किया गया है जो सफलता पूर्वक चल रहा है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बिंधत सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि आनलाईन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है ।

2.48 ई–बिलिंगः ई–बिलिंग सॉफटवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में 1–4–2013 से कार्यन्वित किया गया था। सभी प्रकार के बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालय कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है । इस प्रणाली से लगभग सभी डी.डी.ओ. द्वारा प्रति मास 1.50 लाख के करीब बिल तैयार किऐ जाते है। कार्य में प्रादर्शिता लाने के लिए और नकद लेन देन को रोकने के लिए अब ज्यादातर भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक के खातो में सीधे तौर पर जमा किया जाता है । सभी डी.डी.ओ. को ऑन लाईन टी.डी.एस. रिर्टन भरने हेतु ई–बिलिंग में

सुविधा प्रदान की गई है जिससे की चार्टर्ड एकाउटेंट (सी.ए.) की मदद के बिना फाईल तैयार करने की सुविधा दी गई है।

2.49 ई–ग्रासः वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य भर में राजकीय प्राप्ति प्रणाली (ई–ग्रास) लागू की गई। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई–चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार की और से धन प्राप्त करने के लिए स्टैट बैंक ऑफ इडिंया ,पंजाब नेशनल बैंक, सैट्रल बैंक ऑफ इडिंया और आई डी बी आई बैक को अधिकृत किया गया है। अब राज्य सरकार ने तीन बैकों, स्टैट बैंक ऑफ इडिंया ,पंजाब नेशनल बैंक और आई डी बी आई बैक के साथ पैमेंट एग्रीगेटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को सबंद्ध किया गया है। ई–ग्रास और ई–कुबेर का इन्टिग्रेशन प्रक्रियाधीन है तथा ई–कुबेर की तकनीकी टीम के साथ एक बैठक हो चुकी है जिसमें कुछ मुद्दे उठाए गये थे और अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दूसरी बैठक के लिए आग्रह किया है।

2.50 ओटिस (ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली): वैब ओटिस (ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली) सभी खजानों और उप–खजानों में दिनांक 1–7–2013 से लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। खजाना/उप खजाना का सम्बंधित खजाना बैंक शाखाओं तथा महा लेखाकार कार्यालय के साथ वैब–ओटिस का एकीकरण किया गया है । इस प्रणाली के माध्यम से खजानो के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दों बार महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। महालेखाकार ने केवल हरियाणा राज्य को कागज रहित लेन–देन/डीजीटाईड वॉउचर के लिए अनुमति दी है। इसके लिए कार्य शुरू हो चुका है तथा उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कार्य 31–12–2016 तक पूर्ण होगा।

2.51 ई–पोस्टः विभिन्न विभागों द्वारामांगे जाने वाले पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में 23–5–2014 से ई–पोस्ट स्वीकृती मॉडल लागू किया गया और अब सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है । शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों के मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों का विवरण इस में दर्ज की जा चुका है ।

2.52 ई–पेंशनः ई–पेंशन सॉफटवेयर 1–10–2012 से लागू किया गया। 1–10–2012 के बाद सभी पीपीओ धारी अपने सम्बंधित बैंक खातों में पेंशन हर महीने की पहली तारीख को पेंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान मे 54,000 पेंशनर, पेंशन वितरण शैल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे है। अब जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद पेंशनर को किसी भी खजाना/उप–खजाना में पेंशन से संबधित कार्य के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने 1.50 लाख पैशंनधारकों को बैंक की बजाये पेंशन वितरण शैल द्वारा भुगतान करने हेतू पहल की है। यह कार्य अक्तूबर, 2016 तक पूरा किया जाना था परन्तु मानव शक्ति की कमी की वजह से केवल 7,400 पीपीओं धारी ही पेंशन वितरण शैल को हस्तांतरित हुए हैं।

2.53 ई–स्टैंपिंगः सरकार द्वारा राज्य में ई–स्टैंपिंग प्रणाली को 2–5–2015 से शुरू किया गया है। ई स्टैंपिंग प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक ऑनलाइन स्टांप पेपर प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार ने ई–स्टैंपिंग प्रणाली को पहले फेज में 4 जिलों गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में 1–5–2016 से अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया व दिनांक 1–3–2017 से समस्त प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है ।

2.54 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.): मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण आदि के बारे मे सूचनाए दर्ज की जाती हैं। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली जून, 2016 को लागू की गई । सरकार के आदेशानुसार यह कार्य अक्तूबर, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

2.55 भूमि अधिग्रहण भुगतानः राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और रेलवे मंत्रालय से सीधे बैंक खातों में प्राप्त फण्ड को राज्य किटी के अधीन लाने में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि हेतू नयी योजनाए स्वीकृत की हैं। राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि पर चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने की भी मंजूरी दी है।

2.56 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोषः (एस. डी.आर.एफ) राज्य सरकार ने डिपोजिट हेड (8121) के अन्तर्गत योजना स्वीकृत करते हुए इन निधियों को स्टेट किटी के अधीन करने हेतू पहल की है तथा इन निधियों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने की भी स्वीकृति प्रदान की है। हाल ही में एक बैठक राजस्व विभाग के साथ की गई जिसमें निश्चित मुद्दे हल किए गए और वर्तमान वर्ष का फण्ड 362 करोड़ रूपये तत्काल इस योजना में जमा कराने के लिए उसका ब्यौरा राजस्व विभाग को भेजा गया तथा यह फैसला भी किया गया कि विभिन्न बैंकों में पड़ी हुई शेष राशि को भी राजस्व विभाग इस योजना में जमा करेगा ।

2.57 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ. एम.एस): भारत सरकार ने प्लान योजना के तहत बजट और व्यय के बहाव पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित प्रबंधन प्रणाली विकसित की है । अब भारत सरकार ने राज्यों में स्थापित खजानों को इस पोर्टल के साथ एकीकरण करने और साथ में राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई और राज्य की सभी स्कीमों को केंद्रीय स्कीमों के साथ आकार देने हेतू राज्यों से आग्रह किया है। राज्य सरकार ने राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन कर दिया है। सरकार द्वारा 274 परियोजनाओं में से 257 परियोजनाओं को केन्द्रीय स्कीमों के साथ मैप किया जा चुका है। राज्य खजानो की लोक वित प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है।

वित्तीय समावेश स्कीमें

2.58 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम. जे.डी.वाई.): इस योजना को 15 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था और हरियाणा राज्य द्वारा 18 दिसम्बर, 2014 को सभी 48.58 लाख परिवारों को बैंक खाता प्रदान करते हुए देश में चौथा राज्य बन कर मिल का पत्थर स्थापित किया है । राज्य में 31–3–2016 तक 51.84 लाख बैंक खाते खाले गए और 42.97 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 83 प्रतिशत हैं । राज्य में दिसम्बर, 2016 तक 56.76 लाख बैंक खाते खाले गए और 48.40 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 85 प्रतिशत हैं **(तालिका 2.12)**।

तालिका 2.12 पी.एम.जे.डी.वाई. स्कीम के तहत खोले गए खाते, आधार सिडींग और जारी किए गए रूपे कार्डः

विवरण	31–12–2016 तक
खोले गए बैंक खाते	5675611
आधार सिडींग	3761276
जारी किए गए रूपे कार्ड	4839816

स्त्रोतः लोक उद्धयम विभाग, हरियाणा

2.59 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.): यह स्कीम एक साल के लिए है जिसे साल दर साल नवीनीकरण करवाना होता है । दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई

विकलांगता के बीमा की पेशकश करती है। यह स्कीम 9 मई, 2015 को शुरू हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों व अन्य सामान्य कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित की जा रही है। सभी बचत बैंक खाताधारक जिनकी आयु समूह 18 से 70 वर्ष है वे अपने आप को साल दर साल नवीकरण आधारित 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से इस स्कीम में सम्मिलित हो सकते है। 31–3–2016 तक बैंकों द्वारा 24,32,364 व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और 31–12–2016 तक यह संख्या 25,05,062 हो गई है । 31–12–2016 तक 1,253 लाख रूपये के कुल 630 दर्ज दावों में से 820 लाख रूपये के 411 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

2.60 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.): यह स्कीम 1 जून, 2015 से लागू हुई है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनियां जो समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ टाईअप कर लिया है के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर अपने आप को इस योजना के लाभ उठाने के लिए नामांकन करवा सकते हैं । इस स्कीम के तहत, इसके प्रत्येक सदस्य को किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर 2 लाख रूपये भुगतान किए जाएगें । 31–3–2016 तक बैंकों ने 7,91,767 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत दर्ज किया है और 31–12–2016 तक यह संख्या बढकर 7,95,662 हो गई है । 31–12–2016 तक 2,974 लाख रूपये के कुल 1,487 दर्ज दावों में से 2,504 लाख रूपये के 1,252 दावों का निपटारा कर दिया गया है ।

2.61 अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.): गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृति तक बचत करने में सक्षम बनाने व इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को स्वैच्छा से दीर्घाअवधि जोखिम को कम करने व सेवानिवृति पर स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से अटल पैंशन योजना लागू की है । सभी बैंक खाता धारक जो भारत के नागरिक है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पैंशन योजना में सम्मिलित हो सकते है और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं । अटल पैंशन योजना के तहत 1,000 रूपये से 5,000 रूपये तक मासिक पैंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है । यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये के बीच में मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमास 42 रूपये से 210 रूपये तक मासिक प्रीमियम अदा करना होगा । इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम 291 रूपये से 1,454 रूपये के बीच रहेगा । 31–3–2016 तक बैंक ने 55,797 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत शामिल किया है जो 31–12–2016 तक बढ़कर 86,302 हो गई है ।

2.62 प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः (पी.एम.एम. वाई.): सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुनर्वित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सक्ष्म उद्यमों को उधार देने के कारोबार में लगी हुई वित्तीय मध्यस्थ जैसे बैंक, एन.बी. एफ.सी. और एन.एफ.आई. इत्यादि को विकसित और पुनर्वित प्रदान करने के लिए मुद्रा 8 अप्रैल, 2015 को एक नई वित्तीय इकाई के रूप मे शुरू की गई है। उसी दिन जिन उद्यमों के पास कोषों की कमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और सस्ती दर पर ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना "फंड

दा अनफन्डीड" लागू की गई। यह महसूस किया गया कि बहुत सी ऐसी इकाईयॉ जो वर्तमान में औपचारिक ऋण से बाहर है उनको मिशन मोड पर बैंक वित्त के लिए एक विशेष बढ़ावा देने की जरूरत है । यह खण्ड मुख्य रूप से उन विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगी हुई गैर कृषि उद्योगों के लिए है जिनकी ऋण आवश्यकताऍ 10 लाख रूपये से कम है । मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है । मुद्रा योजना का यह प्रभाव होगा कि ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत राशि शिशु वर्ग इकाईयों में तथा बाकि राशि किशोर व तरूण वर्ग की इकाईयों को जाएगी । राज्य में मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.13** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.13 – पी.एम.एम.वाई. के तहत खातों की संख्या व जारी की गई राशिः

योजना	ऋण सीमा रूपये में	1–4–2016 से 31.12.2016 तक			
		खातों की कुल संख्या	जारी की गई राशि (लाख रूपयें)	महिला लाभार्थी	कुल खातो से महिला खातों की प्रतिशतता
शिशु	50000 तक	68312	17904	39751	58.19
किशोर	50001–500000	22336	45082	3858	17.27
तरूण	500001–1000000	6757	49838	499	7.38
कुल		97405	112824	44108	45.28

स्त्रोतः लोक उद्धयम विभाग, हरियाणा

2.63 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.): प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) वर्तमान जटिल भुगतान प्रकिया को सुलभ करने हेतू आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकि का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2013 से भारत सरकार का उठाया गया सीधे लाभ हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है । डी.बी.टी. दिए जाने वाले लाभों को सही लोगों तक उचित समय पर पहुॅचाना सुनिश्चित करने का एक अच्छा प्रयास है । डी.बी.टी. में दिए जाने वाले सरकारी लाभ जैसे कोई भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान अनुदान इत्यादि सीधे लाभार्थियों तक पहुचाने, त्वरित भुगतान करने, लाभों का रिसाव रोकने तथा वित्तीय समावेश को कम करने का एक सहरानीय कदम है । डी.बी.टी. की सीधे और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली सरकार को आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ पहुॅचाने के लिए सक्षम करती है । आधार नम्बर और बायोमीट्रीक इन्नपुट अपने आप में अनूठा है जो सरकार के डाटा बेस में ड्यूप्लीकेशी और अवांछन को रोकता है । वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 61.99 लाख लाभार्थियों में से 25.61 लाख लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया । 56,238.80 लाख रूपये की धनराशि आधार सेतू भुगतान केवल (डी.बी.टी.) तथा 3,18,550.71 लाख रूपये की धनराशि इलैक्ट्रोनिक फण्ड (आधार रहित हस्तांतरण केवल (ई.बी.टी.) द्वारा किए गए । वित्तिय वर्ष 2015–16 में 22,60,727 अवांछित लाभार्थी हटाए गए जिसके परिणाम–स्वरूप सरकार को 349.69 करोड़ रूपये की बचत हुई ।

2.64 स्टैंड अप इंडियाः यह योजना अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है । इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना, ऋण लेने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मिलने वाली अन्य आवश्यक सहायता को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर आधारित है । भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी को दिया जाएगा । स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत 1–4–2016 से 30–11–2016

तक राज्य में 443 बैंक शाखाओं द्वारा 13,188 लाख रूपये के ऋण 687 उद्यमियों (171 एस. सी./एस.टी. और 516 महिला) के लिए मंजूर किए गए हैं । 1–4–2016 से 30–11–2016 तक स्वीकृत किए गए 13,188 लाख रूपये में से 10,796.81 लाख रूपये 638 उद्यमियों को जारी किए जा चुके हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

2.65 केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है । हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतू इसे लागू किया है । इसे लागू करने से लगभग 2.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होगें । इसके अतिरिक्त सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने अपने पैंशनधारकों के लिए पैंशन रिविजन कमेटी का गठन किया जिसने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं और इन सिफारिशों को इसी वित्त वर्ष में लागू करने की संभावना है । इससे राज्य के लगभग 2.25 लाख पैंशनधारक लाभान्वित होगें ।

2.66 राज्य सरकार ने वित्त प्रबंधन के लिए स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है ।

***

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। राज्य में मजबूत बुनियादि सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का जाल, मंडियों का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में आवश्यक तरक्की हुई है। भोजन की कमी वाला राज्य खाद्य अधिशेष राज्य में परिवर्तित हो गया। खाद्यान्न के योगदान में राज्य ने केंन्द्रीय पूल में दूसरा सर्वोतम स्थान पाया है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में स्थित है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में अत्यन्त सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 व 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1– राज्य में जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2015 के दौरान हुई वर्षा व सामान्य वर्षा

(मि.मि.)

जिला	जुलाई, 2015		अगस्त		सितम्बर		अक्तुबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
हिसार	34.0	121.8	42.0	114.2	15.1	68.9	0.0	0.6	0.0	4.1	0.0	4.4
रोहतक	93.5	195.7	114.5	164.6	2.5	97.4	6.5	1.0	2.0	5.1	0.0	5.9
गुरूग्राम	155.8	176.4	148.0	47.3	38.3	100.8	9.3	0.8	0.0	2.6	0.0	4.0
फतेहाबाद	60.5	107.5	16.0	97.5	19.5	60.9	4.0	0.4	1.5	3.0	0.0	5.1
झज्जर	136.6	133.5	143.0	105.7	31.1	66.4	2.8	0.5	0.8	3.5	0.0	3.7
करनाल	259.5	206.4	122.5	171.4	23.0	103.4	4.0	1.1	6.5	5.2	0.0	10.6
पानीपत	185.0	184.6	118.0	194.1	108.0	92.0	10.0	0.9	7.0	3.9	0.0	6.1
यमुनानगर	229.5	305.9	351.5	325.9	135.5	161.1	1.0	34.8	2.0	6.3	1.5	17.3
अम्बाला	398.5	294.2	246.0	117.8	143.5	160.5	5.0	24.1	2.0	6.6	0.5	18.2
जींद	134.5	154.5	110.0	144.6	29.3	93.8	5.0	10.6	9.0	4.9	0.0	5.3
महेन्द्रगढ़	128.0	148.6	68.5	161.1	15.0	66.3	15.0	17.5	0.0	3.0	0.0	5.0
रेवाड़ी	112.3	144.5	88.3	103.6	32.8	79.8	6.8	13.0	0.0	2.7	0.0	3.7
पंचकूला	231.0	327.6	149.0	332.6	33.0	154.9	3.0	20.6	2.0	13.2	3.0	18.2
सोनीपत	224.0	200.0	152.0	183.9	18.0	94.4	0.0	18.7	9.5	5.2	0.0	6.2
भिवानी	68.2	133.6	74.0	132.4	27.6	58.6	1.6	11.3	0	4.1	0.0	2.9
कुरूक्षेत्र	156.0	207.0	129.5	192.5	24.0	107.7	6.0	18.9	1.5	4.8	0.0	9.3
कैथल	121.7	142.5	67.0	168.4	36.0	100.0	4.3	13.3	9.3	4.3	0.0	5.8
सिरसा	107.5	96.5	72.5	86.3	42.5	51.3	5.0	9.5	2.0	4.5	0.0	2.7
फरीदाबाद	265.0	192.7	238.0	17.1	10.5	98.0	2.0	23.7	0.0	2.4	0.8	6.0
मेवात	226.9	174.2	151.0	146.0	152.0	97.6	0.0	0.7	0.0	3.1	0.0	4.6
पलवल	193.3	176.8	151.0	146.0	32.5	105.8	5.3	20.1	0.0	2.7	0.0	2.4

तालिका 3.2– राज्य में जनवरी, 2016 से जून, 2016 के दौरान हुई वर्षा व सामान्य वर्षा

(मि.मि.)

जिला	जनवरी, 2016		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
हिसार	0.0	14.3	1.5	1.8	12.0	9.7	0.0	8.9	19.5	14.0	38.5	32.7
रोहतक	0.0	20.9	0.0	3.0	15.5	17.7	0.0	6.8	18.0	15.4	16.0	41.5
गुरूग्राम	0.0	11.9	0.0	39.8	18.8	7.0	0.0	5.4	23.5	6.4	50.8	34.1
फतेहाबाद	0.0	17.7	15.8	4.5	26.0	11.2	0.0	6.4	8.0	13.0	6.0	28.0
झज्जर	0.0	9.9	3.7	29.6	21.6	9.7	0.0	5.4	23.9	9.1	44.6	28.9
करनाल	0.0	27.7	18.0	27.0	30.5	19.4	0.0	8.3	54.1	11.2	44.5	54.5
पानीपत	0.0	21.6	13.0	36.0	82.0	12.6	0.0	9.3	51.0	8.7	18.0	47.9
यमुनानगर	0.0	46.9	7.5	33.7	35.0	31.9	7.0	11.3	86.0	25.6	129.0	104.3
अम्बाला	0.0	38.2	36.5	37.1	28.5	25.3	7.0	6.9	48.5	20.6	100.5	87.5
जींद	0.0	18.0	12.3	21.0	20.0	12.4	0.0	4.4	69.0	14.6	63.4	37.3
महेन्द्रगढ़	0.0	9.7	0.0	11.5	6.5	9.4	0.0	5.1	56.5	17.2	47.4	41.0
रेवाड़ी	0.0	10.1	17.0	10.3	13.5	5.2	0.0	3.7	67.2	9.9	46.8	34.7
पंचकूला	1.0	46.2	42.0	36.7	19.0	27.8	2.0	8.3	5.0	27.4	83.0	95.6
सोनीपत	0.0	19.4	1.0	15.1	32.7	14.4	0.0	8.9	24.0	13.5	19.5	41.4
भिवानी	0.0	17.0	1.4	9.8	10.8	8.1	0.0	5.2	25.2	11.2	50.8	26.3
कुरूक्षेत्र	0.0	31.7	10.5	21.1	18.0	21.5	0.0	10.4	34.0	9.0	13.5	62.2
कैथल	0.0	25.3	20.0	16.5	33.7	12.5	0.0	7.4	20.7	8.1	23.0	50.9
सिरसा	0.0	12.4	15.0	11.1	33.0	10.1	0.0	4.6	0.5	11.9	9.0	18.7
फरीदाबाद	0.0	20.5	0.0	17.1	17.0	10.4	0.0	3.8	61.0	8.7	43.5	52.8
मेवात	0.0	12.4	0.0	13.5	26.0	6.3	0.0	5.4	46.5	10.5	115.0	38.0
पलवल	0.0	10.3	0.0	8.6	23.8	5.9	0.0	3.8	11.8	7.1	60.3	30.2

वाः वास्तविक, साः सामान्य

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966-67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970-71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980-81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990-91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000-01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005-06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010-11	2504	1243	4700	85	493	515	6499
2011-12	2531	1234	4581	95	602	546	6489
2012-13	2497	1206	4302	101	593	568	6376
2013-14	2499	1245	4362	101	568	549	6471
2014-15	2601	1287	4445	97	648	510	6471
2015-16	2576*	1354	4388	93	615	512*	6471

*: अनन्तिम

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

आकृति 3.1 – हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

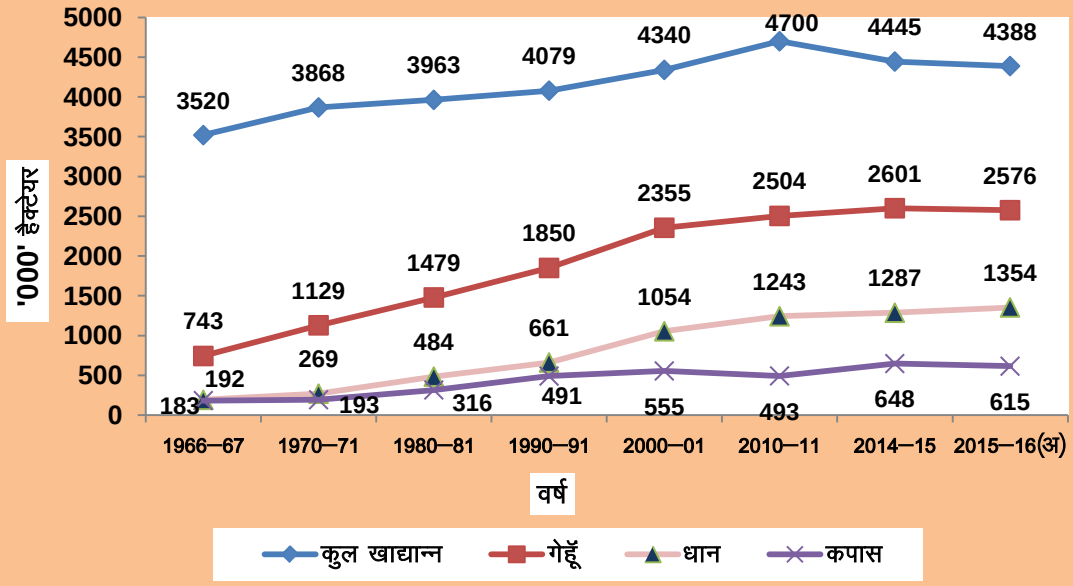

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

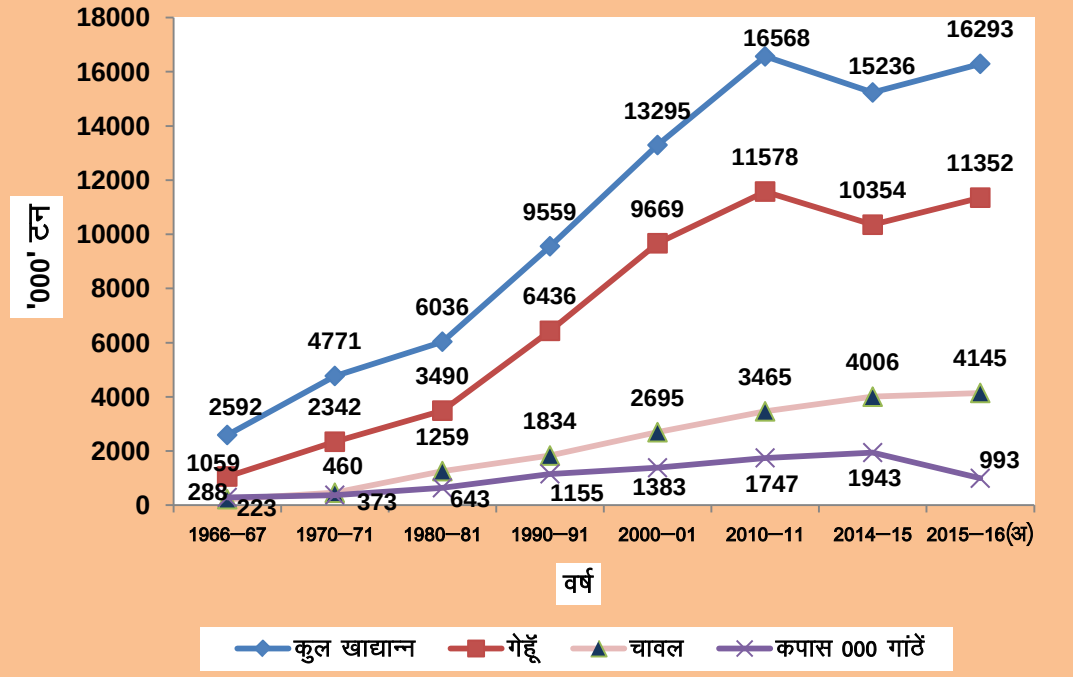

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 3.3 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र 64.71 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2015–16 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत्ता 60.73 प्रतिशत थी। वर्ष 2015–16 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 25.76 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2015–16 के दौरान चावल के अधीन 13.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव रहा है।

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन क्षेत्र **तालिका 3.4 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 183.70 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि सात गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 2015–16 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 163.33 लाख टन था। चावल का उत्पादन वर्ष 2015–16 में 41.45 लाख टन होने का अनुमान था। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में गेहूं का उत्पादन 113.52 लाख टन होने का अनुमान था। वर्ष 2015–16 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 8.67 लाख टन तथा 69.92 लाख टन होने का अनुमान था। वर्ष 2015–16 में कपास का उत्पादन 9.93 लाख गाठें होने का अनुमान है। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है।

तालिका 3.4–मुख्य फसलों का उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (000 गांठे)	तिलहन
1966–67	1059	223	2592	5100	288	92
1970–71	2342	460	4771	7070	373	99
1980–81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990–91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000–01	9669	2695	13295	8170	1383	563
2005–06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010–11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2011–12	13119	3757	18370	6953	2616	758
2012–13	11117	3941	16150	7500	2378	968
2013–14	11800	4041	16973	7427	2025	900
2014–15	10354	4006	15236	7169	1943	743
2015–16	11352*	4145	16293	7169	993	855*

*: अनन्तिम

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों की पैदावार

3.5 वर्ष 2014–15 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 3,981 व 3,113 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2015–16 में गेंहू तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,407 तथा 3,061 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 3.5)**।

तालिका 3.5– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की मुख्य फसलों की औसत उपज
(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000–01	4106	2557	2708	1901
2005–06	3844	3051	2619	2102
2010–11	4624	2788	2988	2239
2011–12	5183	3044	3177	2393
2012–13	4452	3268	3117	2462
2013–14	4722	3248	3075	2424
2014–15	3981	3113	–	–
2015–16	4407*	3061	–	–

*: अनन्तिम
स्त्रोतः–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2016–17 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.6** में दर्शाये गए हैं।

तालिकाः 3.6– मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र ('000' हैक्टेयर)	उत्पादन ('000' टन)	औसत उपज (कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर)
चावल	1250	4250	3400
ज्वार	65	37	570
मक्की	50	140	2800
बाजरा	460	855	1859
खरीफ दालें	60	57	950
कुल खरीफ खाद्यान्न	1885	5339	2832
गेंहूं	2550	11997	4705
चना	80	105	1312
जौ	42	150	3580
रबी दालें	10	12	1200
कुल रबी खाद्याान्न	2682	12264	4572
व्यावसायिक फसलेंः			
गन्ना	105	7770	74000
कपास (गांठें)*	620	2425	665
तेल बीज	10	10	950

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि0ग्र0।
स्त्रोतः–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

फसल विविधीकरण

3.7 फसल विविधीकरण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप–योजना है और टिकाऊ कृषि के लिए तकनीकीय नवाचार को बढावा देने तथा उत्पादकता व आय में वृद्धि के वैकल्पिक चयन के लिए किसानो को सक्षम करती है। यह योजना/कार्यक्रम भू–जल की कमी की समस्या का सामना करने के लिए ही नहीं, बल्कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रणाली को

बेहतर बनाने में भी मदद करती है। इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, दलहन, खरीफ मूँग/समर मूँग, ढैंचा आदि को बढावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी के साथ फसल अंतरण, कृषि औजार प्रदान करते हुए कृषि मशीनीकरण व मूल्य संवर्धन को बढावा और पानी के नुकसान को बचाने के लिए अंडर ग्राऊंड पाइप लाइन द्वारा विशिष्ट स्थानीय गतिविधियों को किसानो के बीच बढ़ावा दिया जाता है। जागरूकता प्रशिक्षण शिविर जैसे राज्य स्तरीय किसान मेला, जिला स्तरीय किसान मेला और ब्लाक स्तर गोष्ठीयों का आयोजन अन्य वैकल्पिक फसलों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए धान के विविधीकरण, मिटटी की उर्वरकता बहाली, कृषि प्रसंस्करण, फसल उत्पाद का मूल्य संवर्धन से कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है ।

फसल बीमा योजना

3.8 भारत सरकार द्वारा 13–1–2016 को ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' स्कीम शुरू की गई है जिसमें किसानों को ऋृण के माध्यम से प्रीमियम दरों का भुगतान किया जाना है। यह योजना आगामी खरीफ फसल में भी चालू रहेगी।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 अब तक, 2.49 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मुफ्त वितरित किए गए है। उपरोक्त में से वर्ष 2015–16 के दौरान 0.32 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक विशेष फसल के लिए उर्वरक की विशिष्ट सिफारिश के साथ किसानों को प्रदान किए गए है। हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रतिष्ठित केंद्र प्रायोजित योजना नामांकित ''मृदा स्वास्थय कार्ड योजना'' शुरू की है। इस योजना की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 19–2–2015 को सूरतगढ (राजस्थान) से की गई। यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने व पोषक तत्व प्रबंधन तरीकों के विकास के लिए पूरे राज्य में लागू की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देशय 3 वर्ष की अवधि में राज्य के सभी कृषक परिवारों को मृदा स्वास्थय कार्ड प्रदान करना है। वर्ष 2016–17 में 12.85 लाख मिटटी के नमूने संग्रह करने का लक्ष्य रखा है और इन मिटटी के नमूनों के आधार पर लगभग 5.64 लाख किसानों को मृदा स्वास्थय कार्ड उपलब्ध कराए जाएगें।

3.10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक 60:40 के अनुपात में (केंन्द्रीय:राज्य) योजना है। यह योजना वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य में शुरू की गई थी। योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करके 11वीं योजना के दौरान कृषि व कृषि सहबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देशय राज्यों को कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा राज्य को परियोजना की स्वीकृति के लिए उचित लचीलापन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रबी 2007–08 से राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के पहचान किए गए जिलों मे स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार व उत्पादकता वृद्धि करके उत्पादन बढाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की प्रगति **तालिका 3.7 (क)** एवं **(ख)** मे दिखाई गई है।

चावल की सीधी बिजाई

3.12 विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों से चावल की सीधी बिजाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रणाली से लगभग 25 प्रतिशत पानी की बचत होती है व पैदावार भी बराबर बनी रहती है। वर्ष 2015–16 मे 30,000 हैक्टेयर व वर्ष 2016–17 में लगभग 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा चुका है। यह एक अच्छी व्यवस्था है और आने वाले वर्षो में यह अधिक विकसित होगी।

तालिका 3.7 (क)– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की प्रगति दलहन (एन.एफ.एस.एम.)

अंतः क्षेप	ईकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक		वित्तीय (लाख रूपये)	
		2016–17	2016–17	2016–17	2016–17 (31–12–2016 तक)	2016–17	2016–17 (31–12–2016 तक)
1. उन्नत प्रौद्योगिक का प्रदर्शन	है0	2310	173.25	3510	173.25	1811.80	–
2. फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन	है0	600	75.00	3000	75.00	2787.80	–
3. प्रमाणित बीजों का वितरण	क्वि0	9937	248.43	4968	124.20	223.50	–
4. समेकित पोषण प्रबन्धन	है0	12000	60.00	48000	31.80	495.00	–
5. एकीकृत कीट प्रबन्धन	है0	13000	65.00	13000	65.00	1244.70	–
6. संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी / उपकरण	नं0	100	92.50	–	–	–	–
7. कुशल जल आवेदन उपकरण							
(i) छिड़काव सैट	नं0	25	2.50	–	–	–	–
(ii) पानी ले जाने के लिए पाइप	मी0	7500	3.75	–	–	–	–
8. फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण	नं0	60	8.4	–	–	–	–
9. विविध	जिले सं0	0	137.00	–	–	–	–
10.क्लस्टर प्रदर्शन (ग्रीष्मकालीन मूंग)	है0	14583	700.00	–	–	–	–
वित्तीय योग		**60115**	**1565.83**	**72478**	**469.25**	**6562.80**	

तालिका 3.7 (ख)–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) की प्रगति–मोटे अनाज व वाणिज्यक फसलें

अंतः क्षेप	ईकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक		वित्तीय (लाख रूपये)	
		2016–17	2016–17	2016–17	2016–17 (31–12–2016 तक)	2016–17	2016–17 (31–12–2016 तक)
1. मोटे अनाज							
(i) सुधार पैकेज पर प्रदर्शन	है0	4500	225.00	10945.50	–	–	–
(ii) प्रमाणित बीजों का वितरण	क्वि0	5700	173.00	883.48	–	–	–
2. वाणिज्यक फसलें							
(1) कपासः प्रदर्शन / प्रयोग	है0	–	–	–	–	–	–
(i) गन्ना: (अ) प्रदर्शन (ब) टिशु कल्चर पौधों की आपूर्ति	है0 नं0	–	–	–	–	–	–
वित्तीय योग		**10200**	**398.00**	**11828.98**			

स्त्रोतः–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

जल प्रबंधन

3.13 जल प्रबंधन न केवल राज्य के कृषि विभाग के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। विभाग द्वारा पानी के मितव्ययी उपयोग के लिए, विभिन्न जल बचत तकनीकों का प्रोत्साहन समग्र रूप से किया जा रहा है। जल बचत प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिए ''खेत–जल प्रबंधन'' कार्यक्रम पर पूरा जोर दिया गया है। विभाग किसानों को भूमिगत पाईप लाइन, फव्वारा सिंचाई प्रणाली और कपास व गन्ने की फसलों मे ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर सहायता प्रदान कर रहा है। ये पानी की बचत प्रणालियां, कृषि जलवायु परिस्थितियों के काफी अनुकूल पाई गई हैं जिसमें फव्वारा सिंचाई प्रणाली रेतीली मिट्टी के लिए अनुकूल है। जबकि भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली राज्य के मध्य समतल क्षेत्र में सबसे उपयोगी होती है। यद्यपि, कपास व गन्ने की फसलो मे ड्रिप सिंचाई प्रणाली को पायलट आधार पर पहली बार वर्ष 2010–11 में अपनाया गया। जल प्रबंधन की प्रगति **तालिका 3.8** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.8– छिड़काव सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का ब्यौरा

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		किसानों को दी गई सब्सिडी (लाख रूपये)
	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	
छिड़काव सिंचाई प्रणाली					
2015–16	20,000.00	2,000.00	19,787	1648.84	10346 किसानों की संख्या
2016–17 (31–12–2016 तक)	150,000.00	1500.00	कार्य प्रगति पर है।		
भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली					
2015–16	36,000.00	6,000.00	35316	5668.59	15135 किसानों की संख्या
2016–17 (31–12–2016 तक)	2500.00	3,000.00	18580	2500.00	9580 किसानों की संख्या
ड्रिप सिंचाई प्रणाली					
2015–16	2380.00	1443.20	976.32	591.80	709 किसानों की संख्या
2016–17 (31–12–2016 तक)	-----	------	------	-----	.....

स्त्रोतः–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

छिड़काव सिंचाई प्रणाली

3.14 राज्य के विशेष तौर पर दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में छिड़काव सिंचाई प्रणाली की भारी मांग है। अब तक, राज्य में 1,65,160 छिड़काव सैट स्थापित किए जा चुके हैं जिनपर 243.45 करोड रूपये अनुदान के रूप में खर्च किए गए है। वर्ष 2015–16 के दौरान उपरोक्त अनुदान राशि में से 1,648.84 लाख रूपये अनुदान राशि से 19,787 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 2016–17 में 28,000 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए कुल 3,000 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रस्तावित है। छोटे व सीमांत किसानो के लिए दिये जा रहे अनुदान की दर 60 प्रतिशत व अन्य के लिए 50 प्रतिशत है।

भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली

3.15 भूमिगत पाइप लाईन परियोजना विभाग की फ्लैगशिप परियोजना में से एक है जोकि आर.के.वी.वाई के तहत आती है और इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से पूरे राज्य में किसानों द्वारा स्वीकार किया गया है। भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली से कम से कम पानी घाटा होता हैं, ऊर्जा बचती है, अतिरिक्त क्षेत्र खेती के अधीन आता है, परिचालन लागत कम होती है और कीट/कीट की घटना से होने वाले बीमारियों में कमी आती है। अब तक, 282.65 करोड़ रूपये अनुदान का उपयोग करके 2,06,223 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। उपरोक्त में से 5,668.59 लाख रूपये का कुल अनुदान देकर वर्ष 2015–16 में 35,316 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया गया है। वर्ष 2016–17 में 44,350 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए कुल 4,500 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रस्तावित है। भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली की लागत 25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 प्रतिशत सहायतार्थ पैटर्न पर सीमित है जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 60,000 रूपये हो सकती है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

3.16 ड्रिप सिंचाई प्रणाली कपास व गन्ने की फसलों में प्रोत्साहित की जा रही है। अब तक, राज्य में 40.01 करोड़ रूपये अनुदान का उपयोग करके 4,582.64 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। उपरोक्त में से 590.33 लाख रूपये का कुल अनुदान देकर वर्ष 2015–16 में 971.64 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया गया है।

3.17 वर्ष 2016–17 में 2,470 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुल 1,470 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रस्तावित है। सहायतार्थ राशि इस प्रणाली की कुल लागत का 70 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानो के लिए व 60 प्रतिशत दूसरो के लिए स्वीकार्य है।

कृषि यंत्र

3.18 कृषि विभाग द्वारा किसानो को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिये गये हैं। इनका ब्यौरा **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9– वर्ष 2015–16 में किसानों को सब्सिडी पर दिए गए कृषि यंत्र

क्रम सं0	कृषि यंत्रों के नाम	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)
1	जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल	1919	271.35
2	रोटावेटर्स	475	102.65
3	बैड प्लान्टर्स (बहु फसल)	0	0
4	पावर वीडर/स्प्रेयर/रिपर	78	23.74
5	स्ट्रा–रिपर	0	0
6	रिपर बाईन्डर	123	146.5
7	कपास के बीज ड्रिल	466	66
8	ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर	840	123.64
9	लेजर लेवलर	1017	677.86
10	सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल	296	41.94
11	डी एस आर	183	25.2
12	व्हील हाथ कुदाल	0	0
13	कल्टीवेटर	39	1.77
14	हैप्पी सीडर	32	18.47
15	मल्चर	9	5.28
16	स्ट्रा बेलर	0	0
17	बैल चालित यंत्र	24	0.96
18	मैन्युल स्प्रेयर	0	0
लाभार्थियों की संख्या/कुल व्यय		**5501**	**1505.36**

स्त्रोतः–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

प्राकृतिक आपदा एवं राहत कार्य

3.19 सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 1–3–2015 से बाढ़, खडे पानी, आग, बिजली स्पार्किगं, भारी वर्षा, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी इत्यादि के कारण खराब हुई फसलों के निम्नानुसार राहत नियमों में वृद्धि की गई है जो **तालिका 3.10** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.10–प्राकृतिक आपदा एवं राहत उपाय

क्र0 सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	पूर्व राहत मुआवजा		वर्तमान राहत मुआवजा 1–3–2015 से लागू	
		फसल का नाम	राशि प्रति क्षतिग्रस्त फसल/एकड़ (रूपयें)	फसल का नाम	राशि प्रति क्षतिग्रस्त फसल/एकड़ (रूपयें)
1	क्षति ≥ 25 % से <33 % तक	...	...	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	7,000 5,500
2	क्षति 26 % से 50 % तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	5,000 4,000	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	7,000 5,500
3	क्षति 51 % से 75 % तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	7,500 5,000	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	9,500 7,000
4	क्षति 76 % से 100 % तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	10,000 7,500	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	12,000 10,000

सूखे से हुऐ फसलों के नुकसान के नियमः

क्र0 सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	फसल का नाम	पूर्व राहत मुआवजा प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	वर्तमान में राहत मुआवजा प्रति क्षतिग्रस्त एकड़ 1–1–2014 से लागू
1	क्षति 51 % व अधिक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसले	2,700 2,100	4,000 3,500

स्त्रोतः राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।

3.20 प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान की निःशुल्क राहत/क्षतिपूर्ति का वितरण करने के लिए विभिन्न जिला उपायुक्तों को स्वीकृत की गई क्षतिपूर्ति राशि का विवरण **तालिका 3.11** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.11– निःशुल्क राहत/क्षतिपूर्ति का वितरण

क्र0स0	जिला	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत राशि	उद्देश्य
1.	करनाल	8–4–2016	89,43,175	ओलावृष्टि/रबी 2015
2.	भिवानी	25–4–2016	17,85,87,500	सुखा/रबी 2015
3.	करनाल	6–5–2016	10,57,667	एयरक्राफ्ट बिल/2013
4.	कैथल	26–7–2016	53,97,000	ओलावृष्टि/खरीफ 2015
5.	कैथल	26–7–2016	28,45,00,000	पैस्ट अटैक/खरीफ 2015
6.	गुरूग्राम	23–8–2016	23,77,51,000	ओलावृष्टि/रबी 2015

स्त्रोतः राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।

3.21 राज्य सरकार द्वारा वर्षा व नदियों के जल प्रवाह को जॉचने के लिए वटस–एप सोशल मीडिया एपलिकेशन प्रयोग किया है । वर्ष 2016–17 में सभी जिला उपायुक्तों और

हिपा के द्वारा क्षमता बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए (जैसे गॉव स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण व दूसरे सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम) 5.32 करोड़ रूपये स्वीकृत किए ।

बीज प्रमाणीकरण

3.22 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना बीज अधिनियम 1966 की धारा–8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों और रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण हुआ जो 6–4–1976 से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई फसलों के बीजों/जातियों को निर्धारित मानको के अनुसार प्रमाणित करना है। फसलवार निर्धारित मानको का विवरण, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको में दिया हुआ है। प्रमाणीकरण का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ.एफ.डी.सी., कृभकों एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों द्वारा आफर किया जाता है। वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण किये गए क्षेत्र और प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा का ब्यौरा **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12– निरीक्षण किया गया क्षेत्र व प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा

वर्ष	निरीक्षण किया गया क्षेत्र (000 हैक्टयेर)	प्रमाणित की गई मात्रा (000 क्विंटल)
2012–13	63.54	1652.49
2013–14	73.34	2069.84
2014–15	75.73	2055.72
2015–16	89.46	2748.69
2016–17 (लक्ष्य)	90.50	2800.00

स्त्रोतः–बीज प्रमाणीकरण संस्था, हरियाणा।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.24 हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.डी.सी.) ने वर्ष 2015–16 के दौरान खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों का 6,317 किवंटल तथा रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का 2,07,118 क्विंटल उत्पादन किया। किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 74 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है, इसके अतिरिक्त सभी विभिन्न सरकारी/सहकारी संस्थाओं जैसे मिनी बैंकों,

3.23 वर्तमान में, राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 215 प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिनमें विभिन्न फसलों की जातियों के बीजों का प्रसंस्करण का कार्य प्रमाणीकरण के उद्देश्य से होता है। बीजों के प्रसंस्करण के उपरान्त, प्रत्येक लोट से बीज का एक नमुना लेकर और उसे राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल व सिरसा (कृषि विभाग के अधीन नियन्त्रित) व बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला पंचकुला व रोहतक में आवश्यक जांच के लिए भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लोट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करती है तब लोट को प्रमाणित कर दिया जाता है।

हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करवाने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है जो कि किसानों

में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा बीज विकास निगम राज्य से बाहर अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों एवं बहुतायत बीज खरीददारों और वितरकों को भी प्रमाणित बीजों की पूर्ति करता है। वर्ष 2015–16 (खरीफ–2015) के दौरान निगम ने 33,794 क्विंटल (बाहरी राज्यों सहित) विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, बाजरा, तिलहन, मक्का तथा रबी 2015–16 में 2,93,575 क्विंटल गेहूँ जौ, जई एवं बरसीम आदि के बीजों की विक्री की है।

3.25 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों जैसे कि एन.एफ.एस.एम., एम.एम.ए., एन. एम.ओ.ओ.पी., आर.के.वी.वाई., फसल विविधिकरण योजना, राज्य योजना एवं ए3पी स्कीम आदि के तहत उपलब्ध करवाता है। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा समर/खरीफ–2015 में 1,015 क्विंटल मूँग का प्रमाणित बीज हरियाणा के किसानो को ए3पी स्कीम के अन्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया । निगम ने बी.टी. काटन के 4,712 पैकेट हरियाणा के किसानों को बेचे। निगम ने रबी 2015–16 में राज्य के किसानों को निगम के बिक्री कॉउंटरों के माध्यम से बरसीम व जई के चारा बीजों को भी बेचा। निगम की वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक प्रमाणित बिजों की बिक्री प्रगति एवं वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित लक्ष्य **तालिका 3.13** में दर्शाये गये हैं :–

तालिका 3.13 निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल)

मौसम	2014–15	2015–16 (अनुमानित)	2016–17 (अनुमानित)
खरीफ	14669	33794	36225
रबी	229833	293575	269929

स्त्रोतः– हरियाणा बीज विकास निगम।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.26 हरियाणा भूमि सुधार एवम् विकास निगम लिमिटिड (एच.एल.आर.डी.सी.लि.) की स्थापना वर्ष 1974 में की गई । निगम का मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है । भूमि सुधार स्कीम (डब्लयू.एस.टी) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम (आर.के.वी.वाई) के अर्न्तगत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है । इसी प्रकार राष्ट्रीय मिशन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम (नमूप) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) के तहत 60 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम राज्य के किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है । वर्ष 2015–2016 में (31–3–2016 तक) निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों में 57,803 मी0.टन व वर्ष 2016–17 में (30–6–2016 तक) 23,313 मी0टन जिप्सम हरियाणा राज्य के किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाई है । हरियाणा राज्य के कुल 4,05,499 हैक्टेयर कल्लर भूमि में से निगम ने 3,64,711 हैक्टेयर भूमि का सुधार 30 नवम्बर, 2016 तक कर दिया है । भारत सरकार के नवीनतम सर्वे के अनुसार जो वर्ष, 2010 में किया गया है, हरियाणा राज्य में अब अनुमानित 1,84,000 हैक्टेयर कल्लर भूमि का सुधार ओर किया जाना है जो आगामी 10 से 15 वर्षो में पूरा कर लिया जायेगा । वर्ष 2015–2016 में (31–3–2016 तक) निगम ने 34 मी.टन डी.ए.पी, 605 मि0 टन सिंगल सुपर फासफेट, 6,991 मी0 टन यूरिया, 2,232 मि.टन जिंक सल्फेट, 178 एम.टी. माईक्रोन्यूट्रीयेन्ट, 2,33,867 लीटर/किलोग्राम वीडीसाईड, 25,941 लीटर/किलोग्राम पैस्टीसाईड दवाईयां, 14,164 क्विंटल गेहूं का बीज, 327 यूनिट कॉटन बीज, 2564 स्प्रे पम्प, 2,25,683 बैग ओरगैनिक मैन्योर, 1,87,219 किलोग्रम एक्टोबेटर, 32,094 किलोग्रम एजैटोबैक्टर, 4,000 किलोग्राम चायपती, 125 क्विंटल लहसुन का बीज व 3,190 न. आई.पी.एम. किट की

बिक्री की गई है व वर्ष 2016–17 में (30–11–2016 तक) निगम द्वारा 28.950 एम.टी. डी.ए.पी., 4.80 एम.टी. यूरिया, 4.270 एम.टी. जिंक सल्फेट, 30,650 लीटर/ किलोग्रम/यूनिट खरपतवार/ कीटनाशक दवाईयां, 720 स्प्रे पम्प व 12,216.40 क्विंटल गेहूं के बीज की बिक्री हरियाणा राज्य के किसानों को की गई है।

बागवानी

3.27 हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य में सभी तरह के फल, सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। कुल क्षेत्र के 85 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फूल व मसाले इत्यादि हैं। बागवानी विभाग द्वारा किसानों के लिए दीर्घकालिक उद्धेश्यों में किसानों के लिए बागवानी एक लाभदायक विविध कृषि गतिविधि बनाने, स्थाई और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से सम्भावित उत्पादकता प्राप्त करने और आम जनता के लिए पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। जबकि मध्यम और वार्षिक उद्धेश्यों में प्रति ईकाई क्षेत्र उत्पादन बढ़ाने, फसल कटाई बाद नुकसान को कम करने, घरेलू बाजार के विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने, कुलीन और रोगमुक्त गुणवता रोपण सामग्री उपलब्ध करवाने और बागवानी में प्लास्टिक संस्कृति मशीनीकरण सहित परिचय और नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.28 राज्य में 4.90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 7.58 प्रतिशत है। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 70.50 लाख मीट्रीक टन था।

फल की खेती

3.29 वर्ष 2015–16 में 5.97 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फल का क्षेत्र 46,788 हैक्टेयर था। वर्ष 2016–17 में 7.29 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 48,856 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.14)**।

तालिका 3.14– फलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	उपलब्धियां 2015–16		लक्ष्य 2016–17		उपलब्धियां 2016–17(नवम्बर,2016 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) नींबू वर्गीय फसलें	19652	301764	20522	367892	501	143822
2) आम	9259	89965	9420	109738	91	949445
3) अमरूद	11211	152184	12025	185633	494	79649
4) चीकू	1632	16022	1711	19544	48	12456
5) आंवला	2226	12056	2258	14708	2	2708
6) अन्य	2808	25848	2920	31529	63	13252
योग	**46788**	**597839**	**48856**	**729044**	**1199**	**346832**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

सब्जी की खेती

3.30 वर्ष 2015–16 में 42.04 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जी की खेती का क्षेत्र 2,49,602 हैक्टेयर था । वर्ष 2016–17 में 47.57 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 2,41,047 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.15)**।

तालिका 3.15– सब्जीय फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	उपलब्धियां 2015–16		लक्ष्य 2016–17		उपलब्धियां 2016–17 (नवम्बर,2016 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) आलू	34273	853806	36293	964802	31793	57094
2) टमाटर	29027	675384	31491	763743	17156	260462
3) प्याज	30645	705795	32455	797447	13394	291552
4) बेल वाली सब्जी	24337	307793	2579	347806	9100	218083
5) फूल गोभी	36143	578953	38278	654217	36922	327795
6)पत्ते वाली सब्जी	31930	370646	33808	418830	25846	159591
7) मटर	14276	111081	15317	125523	13144	14303
8) बैंगन	17531	331169	17531	374224	12838	176181
9) अन्य	31440	269993	33295	310684	19642	154961
योग	**249602**	**4204620**	**241047**	**4757276**	**179835**	**1660022**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

मसाले

3.31 वर्ष 2015–16 में 0.55 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल मसालों का क्षेत्र 8,031 हैक्टेयर था। वर्ष 2016–17 में 0.61 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 8,270 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.16)**।

तालिका 3.16– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	उपलब्धियां 2015–16		लक्ष्य 2016–17		उपलब्धियां 2016–17 (नवम्बर,2016 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) अदरक	289	4304	298	4710	88	1559
2) लहसुन	3973	40497	4093	44750	3350	24758
3) मैथी	3534	9348	3638	10274	1750	3555
4) अन्य	235	840	241	890	152	800
योग	**8031**	**54989**	**8270**	**60624**	**5340**	**30672**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.17– औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	उपलब्धियां 2015–16		लक्ष्य 2016–17		उपलब्धियां 2016–17 (नवम्बर,2016 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) एलोवेरा	88	1403	78	1560	39	2146
2) स्टीविया	9	13	43	645	5	0.5
3) अरन्डी	0	0	0	0	0	0
योग	**97**	**1416**	**121**	**2205**	**44**	**2146.5**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.32 वर्ष 2015–16 में 0.014 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र 97 हैक्टेयर था । वर्ष 2016–17 में 0.022 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 121 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.17)**।

फूलों की खेती

3.33 वर्ष 2015–16 में 0.63 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 5,930 हैक्टेयर था । वर्ष 2016–17 में 0.64 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 6,017 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.18)**।

तालिका 3.18– फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	उपलब्धियां 2015–16			लक्ष्य 2016–17			उपलब्धियां 2016–17 (नवम्बर,2016 तक)		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	उत्पादन (लाख)
ग्लोयोलियस	183	-	24486200	188	-	25162200	129	-	700250
गेंदा	5502	61830	-	5553	63259	-	4224	44609	-
गूलाब	191	1027	18611600	211	1047	29811600	62	848	3379400
अन्य	54	-	6913000	65	125	7613200	119	110	3535000
योग	**5930**	**62857**	**50010800**	**6017**	**64431**	**62587000**	**4534**	**45567**	**7614650**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

मशरूम

3.34 वर्ष 2015–16 में खुम्ब का उत्पादन 10,500 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2016–17 में 10,980 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और नवम्बर, 2016 तक 1,548 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है।

संरक्षित खेती

3.35 रोग मुक्त पौधे, गैर मौसमी व कीटनाशक रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2015–16 में 44.65 करोड़ के व्यय से 149.66 हैक्टेयर क्षेत्र पर पोली हाऊस/ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2016–17 के लिए 75.91 लक्ष्य के मुकाबले नवम्बर, 2016 तक 73.49 हैक्टेयर पोली हाऊस/ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। जिस पर कुल राशि 22.45 करोड़ खर्च हुई।

कम्यूनिटी टैंक

3.36 वर्ष 2015–16 में 152 सामुदायिक तालाब बनाये गए जिन पर 5.88 करोड़ खर्च हुआ। वर्ष 2016–17 में नवम्बर, 2016 तक 90 सामुदायिक व 58 व्यक्तिगत तालाब बनाये गए जिन पर 320.69 लाख रूपये खर्च हुए हैं।

सूक्ष्म सिंचाई

3.37 राष्ट्रीय मिशन के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक 3,116 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है तथा वर्ष 2015–16 में नवम्बर, 2016 तक 687 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। जिस पर 339 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं।

नई पहल (2016–17)

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापनाः

3.38 बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है । बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशीला दिनांक 6–4–2016 को रखी जा चुकी है। एक्ट पास हो चुका है और सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 50 करोड़ रूपये का बजट रखा है।

यू.एस. के साथ कृषि एवं बागवानी एम.ओ.यू. साईनः

3.39 कृषि को बढ़ावा व तकनीक के स्थानान्तरण के लिए सरकार ने 8 अगस्त, 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका के आईओवा राज्य (आई.ओ.डब्लयू.ए.) के कृषि विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। फल व सब्जियों के कटाई उपरान्त प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना के लिए अमेरिका की एक फर्म के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर 4–9–2016

को हस्ताक्षर किए गये। इससे उत्पाद के ब्रांडिंग, पैकेजिंग व विपणन के लिए सहायता मिलेगी विशेषकर 'हरियाणा फ्रेश' ब्राण्ड उत्पाद के लिए।

नए केन्द्रों की स्थापनाः

3.40 सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना कर रही है। करनाल, सिरसा तथा कुरूक्षेत्र में तीन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। एक अन्य केन्द्र मार्च, 2017 तक शाहाबाद, कुरूक्षेत्र में स्थापित हो जाएगा तथा दो अन्य केन्द्रों में एक झज्जर व एक नारनौल पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अन्य केन्द्रों की स्थापना अगले वर्ष की जाएगी।

किसान उत्पादक संगठन का गठनः (एफ.पी.ओं.)

3.41 बागवानी उत्पाद के लिए समग्र बाजार को विकसित करने के लिए सरकार ने 20 किसान उत्पादक संगठन बनाएं हैं जो कि 12,151 किसानों सहित 672 किसान रूची समूह (एफ.आई.जी.) 20 जिलों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सीधा फायदा लेते हैं। ये किसान तकनीक का सीधा स्थानान्तरण, मौसम और बाजार की सूचना के लिए सीधे एमकिसान पोर्टल से जुड़े हुए हैं।

बागवानी गांवः

3.42 सरकार ने 140 फसल कलस्टर के लिए 340 "बागवानी ग्राम" घोषित किए है तथा स्वर्ण जयंती योजना के अन्तर्गत इन गांवों के लिए एक फसल कलस्टर विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.) तैयार किया गया है तथा सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत फसलों के विविधीकरण व किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 517 करोड़ रूपये के बजट का अनुमोदन किया है।

विभागीय कार्यक्रमों/गतिविधियों को राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय मान्यताः

3.43 उद्यान विभाग को 8–9–2016 को बागवानी क्षेत्र में दूरदर्शी निति पहलों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए 'वैश्विक कृषि नेतृत्व अवार्ड 2016' दिया गया है।

तकनीकी प्रदर्शन/उत्कृष्टता केन्द्र 7 स्थानों परः

- उद्यान बायो तकनीकी केन्द्र, शामगढ़, करनाल 4.25 करोड़ रूपये (दिनांक 6–4–2016 को उद्घाटन)
- उप उष्णकटिबंधीय फल केन्द्र, लाडवा (कुरूक्षेत्र) 9.10 करोड़ रूपये (दिनांक 6–4–2016 को उद्घाटन)
- मधुमक्खी उत्कृष्टता केन्द्र, रामनगर (कुरूक्षेत्र) 10.50 करोड़ रूपये (कार्य प्रगति पर)
- फूल उत्कृष्टता केन्द्र, झज्जर 15.00 करोड़ रूपये (कार्य योजना प्रगति पर)
- अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केन्द्र, भूना, (फतेहाबाद) 1.00 करोड़ रूपये (उद्घाटन किया जाना है)
- स्थापित किए जाने वाले नए उत्कृष्टता केन्द्र :
  - O 2015–16 में 3 केन्द्रः होडल, जिला पलवल; सुन्दरह, जिला नारनौल; नूह, जिला मेवात
  - O 2016–17 में 4 केन्द्रः मुरथल जिला सोनीपत, बरवाला जिला हिसार, भूना जिला फतेहाबाद व रेवाड़ी

सिंचाई

3.44 पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या बनती जा रही है और विभिन्न कारण इस अनमोल व महत्वपूर्ण स्त्रोत की समस्या को और जटिल बना रहे हैं । जल संसाधनों की उपलब्धता पानी के अन्य इस्तेमाल जैसे कि पीने के लिए, पशुओं के लिए, उद्योगों के लिए, बिजली उत्पादन व पर्यावरण आदि में बढने के कारण भविष्य में कृषि प्रयोजनों के लिए कम होने की संभावना है। इसके विपरीत, जनसंख्या

में हो रही बढ़ौतरी के कारण भोजन व रेशम के उत्पादन की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हरियाणा, स्तही जल के किसी भी बारहमासी स्त्रोत के बिना और उसका पानी में हिस्सा विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौते पर निर्भर होने के बावजूद स्तही पानी का प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डारण में हरियाणा राज्य मुख्य योगदानकर्ता में से एक बन गया है। सिंचाई विभाग की उपलब्धियां **तालिका 3.19** से **3.21** में दर्शाई गई हैं ।

तालिका 3.19–वर्ष 2015–16 के दौरान सिंचाई व जल निकासी की कमीशनंड की गई परियोजनाएं

परियोजनाओं के प्रकार	मुख्य परियोजनाएं			मध्यम परियोजनाएं			लघु परियोजनाएं		
	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)
सिचाई	32	980913	11551.05	15	231604	913.49	-	-	-
बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी	25	581473	7535.70	85	248734	2936.54	-	-	-
कुल	**57**	**1562386**	**19086.75**	**100**	**480338**	**3850.03**	-	-	-

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

तालिका 3.20–वर्ष 2015–16 के दौरान सिंचाई व जल निकासी की सुविधा की मरम्मत/रखरखाव पर खर्च

परियोजनाओं के प्रकार	मुख्य परियोजनाएं			मध्यम परियोजनाएं			लघु परियोजनाएं		
	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)
सिचाई (गाद निकालना, सुरक्षा, रख–रखाव)	50	3937200	2550	250	3937200	4120	210	8202500	3286
बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी (गाद निकालना, सुरक्षा, रख–रखाव)	20	1480295	252	100	655000	315	221	7250500	289
कुल	**70**	**5417495**	**2802**	**350**	**4592200**	**4435**	**431**	**15453000**	**3575**

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

तालिका 3.21– वर्ष 2015–16 के दौरान निर्माण और जल चैनल की मरम्मत पर खर्च

कार्य के प्रकार	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	भौतिक (फीट)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (फीट)	वित्तीय (लाख रूपये)
पानी के नये चैनलों का निर्माण	3470000	14500.00	3800000	14463.75
मौजूदा जल चैनलों की मरम्मत			1480000	5180.00
कुल	**347000**	**14500.00**	**5280000**	**19643.75**

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

3.45 हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग राज्य में नहर व जल निकासी प्रणाली के संचालन और रखरखाव के साथ–साथ सिंचाई, पीने का पानी, तालाबों के भरने और औद्योगिक व अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति करवाने के लिए जिम्मेवारी रखता है । हरियाणा द्वारा 14,085 कि.मी. लम्बाई की 1,461 चैनलों की व्यापक नहर प्रणाली का विकास किया गया है । भाखडा प्रणाली में कुल 5,961 कि.मी. की

लम्बाई में कुल 522 नहरें हैं, यमुना प्रणाली में 4,422 कि.मी. की लम्बाई में कुल 446 नहरें हैं व उठान प्रणाली में 3,702 कि.मी. की लम्बाई में 493 नहरें हैं। इसके अलावा, राज्य में 5,150 कि.मी. लम्बाई में लगभग 800 ड्रेनों की विशाल निकास प्रणाली है । राज्य में नहर प्रणाली बहुत पुरानी है और लगातार प्रचलन से वाहक क्षमता कम हो चुकी है इस कारण इसका पुनर्वास करना बहुत ही जरूरी हो गया है । इसके अतिरिक्त, सरकार मौजूदा नहर प्रणाली की उठान प्रणाली की क्षमता बढ़ाकर इसका पुनर्निर्माण करने की योजना बना रही है ताकि मानसून ऋतु में अतिरिक्त पानी को राज्य में सिंचाई के अलावा संरक्षण के काम में लाया जा सके । सरकार के ध्येय ''हर खेत को पानी'' को पूरा करने की दिशा में प्रथम कदम के रूप में विभिन्न पम्पों और जे.एल.एन. नहर उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की एक परियोजना 143 करोड़ रूपये की लागत से स्वीकृत की जा चुकी है । कार्य लागत व पम्पों की खरीद का कार्य, जिसकी लागत 100 करोड़ रूपये है, प्रगति पर है और दिसम्बर, 2017 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है । इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है और अगले दो सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा । नहरों की चल वाहक बाधाओं और वाहक क्षमता की कमी को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है, डब्ल्यू.जे.सी. चैनल पर पांच पुराने टूटे हुऐ पुलों को 30 करोड़ रूपये की लागत से पुनः बनाया जा रहा है। तीन पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य पुरा हो चुका है और शेष दो पुलों का कार्य अग्रिम चरण में है ।

3.46 कुल 15,404 जलमार्गों मे से लगभग 9,700 जलमार्गों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई विभाग और काडा द्वारा पक्का किया गया है । इनमें से अधिकत्र जलमार्ग 30 वर्ष पूर्व पक्के किए गए थे, इनमें से बहुत से जलमार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनका वृहद पुनर्वास जरूरी है । विभाग ने 7,500 जलमार्गों की बड़ी मुरम्मत और पुनर्वास के लिए चिन्हित किया है । जलमार्गों की रिमॉडलिंग व पुनर्वास का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया गया है । इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2016–17 में 80 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं । 160 जलमार्गों के पुनर्वास का कार्य 60 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 400 जलमार्गों के पुनर्वास की योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 में स्टेट प्लान व नाबार्ड के अन्तर्गत बनाई है । 150 करोड़ की लागत से पेटवार शाखा, हिसार मेजर शाखा, पृथला शाखा, पहाड़पुर माईनर, खनौरी माईनर, जखौली शाखा, टोहाना शाखा, न्यु उरलाना माईनर, जहांगीरपुर माईनर, लोहारू शाखा, बसाई शाखा आदि के पुर्नवास के कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में शुरू कर दिए गए है। इन चैनलों के पुनर्वास का कार्य पूरा होने के अग्रिम चरण में है । इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 में स्टेट प्लान और नाबार्ड के तहत 125 चैनलों की पुनर्वास की योजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत 550 करोड़ रूपये है ।

3.47 कुरूक्षेत्र में ब्रहम सरोवर को ताजा पानी उपलब्ध कराने के लिए 16 करोड़ की लागत की एक योजना सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई है । इस योजना पर कार्य शुरू किया जा चुका है और दिसम्बर, 2017 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है । राज्य में सिंचाई आपूर्ति के लिए जैसे कि जलसंसाधन, वर्षा जल संचय, वितरण नेटवर्क, खेत आवेदन और नई तकनीकों/सूचनाओं के विस्तार के लिए प्रथम कदम के रूप में वर्ष 2016–17 के दौरान सभी जिलों में भारत सरकार की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना बनाई जा रही है। कृषि विभाग प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की सभी गतिविधियों के लिए नोडल विभाग है ।

3.48 उपलब्ध स्तही जल के अधिकत्म उपयोग के लिए सूक्ष्म सिचाई के प्रोत्साहन हेतू विभाग ने कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सहयोग से 13 जिलों में फव्वारा और ड्रिप

सिंचाई की पायलट परियोजना को स्वीकृति दे दी है जिसकी कुल लागत 25 करोड़ रूपये है । इस योजना का हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेहवा में उद्घाटन किया गया । इस योजना के दिसम्बर, 2017 के अंत तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है। इस योजना के सफल होने के बाद इसे अन्य जिलों में भी दोहराया जाएगा । इस योजना को स्वर्ण जयंती वर्ष में लागू करने के लिए चयनित किया गया है।

3.49 भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जल क्रांति कार्यक्रम जिसमें अम्बाला जिले के 1,250 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र को मॉडल कमांड के रूप में चयनित किया गया जिसमें पानी और कृषि क्षेत्र संबंधी सभी मुद्दों को सम्रग रूप से निपटाया जाएगा । मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की योजना 2,000 करोड़ की लागत से तैयार की गई है । परियोजना और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है । इस योजना के क्रियान्वित होने से डब्ल्यू.जे.सी. प्रणाली में 4,000–5,000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा । चैनलों के संचालन के लिए बेहतरीन तकनीक वास्तविक हाईड्रोलॉजिक डाटा, 100 प्रतिशत केन्द्र संचालित स्कीम नामतः राष्ट्रीय जल परियोजना भारत सरकार द्वारा 50 करोड़ रूपये की लागत से स्वीकृत की गई है । शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्से यानि कि पंचकूला में 3 और यमुनानगर में 6 कुल 9 जल भण्डारण संरचना बनाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए वैपकॉस से परामर्श लिया जा रहा है ।

3.50 हर साल माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी की योजनाएं स्वीकृत की जा रही है। बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी की वर्ष 2015–16 व 2016–17 की अनुमोदित योजनाओं का वर्ष वार ब्यौरा **तालिका 3.22** में दिया गया है ।

तालिका 3.22– वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

स्कीमों का विवरण	2015–16 (एच.एस.एफ. सी.बी. की 46 वीं बैठक)	2016–17 (एच. एस.एफ.सी.बी. की 47 वीं बैठक)
कुल स्वीकृत स्कीम	248	263
पूर्ण कार्य	95	110
कार्य प्रगति पर	45	50
कुल लागत (करोड़ रूपये)	488.25	480.17
व्यय (करोड़ रूपये)	105	73.66 (31–12–2016 तक)

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

3.51 हरियाणा में यमुना नदी के उपरी हिस्से में रेणुका, किशाउ और लखवार–व्यासी बांधों का निर्माण किया जा रहा है ताकि हरियाणा राज्य को यमुना नदी से निश्चित पानी उपलब्ध हो सके । लखवार बांध के निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटिड द्वारा आमंत्रित की जा चुकी हैं और 20–2–2017 को खुलेंगी । इस योजना पर कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा ।

3.52 अर्न्तराज्जीय मामलों को पुरी ताकत के साथ उठाया जा रहा है । राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो कि पिछले 12 वर्षों से लंबित थी का अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–2016 को हरियाणा के पक्ष में फैसला हुआ और माननीय न्यायालय ने कहा कि पंजाब 2002/2004 के निर्णय और दिनांक 31–12–1981 के समझौते को रद्द नहीं कर सकता । दिनांक 28–11–2016 को हरियाणा के सभी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडलों ने पंजाब में एस.वाई.एल. नहर के शेष भाग को जल्दी पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन सौंपा ताकि हरियाणा के लोगों को दीर्घ लम्बित न्याय मिल सके ।

वन

3.53 हरियाणा 81 प्रतिशत कृषि अधीन क्षेत्र के साथ मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है वन एवं वृक्ष आच्छांदित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.65 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है। वन विभाग सामुदायिक भागीदारी के द्वारा पर्यावरण में सुधार तथा वनों एवं वन्य प्राणीयों के लिए जंगलों के जैव–विविधता संरक्षण हेतू राज्य में वन एवं वृक्ष आच्छान्दित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हर घर में पौधारोपण हेतू "हर घर हरियाली" तथा कृषि भूमि, पंचायती भूमि, संस्थागत भूमि पर पौधारोपण हेतू कृषि वानिकी जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। नीम, शीशम, बड़, पीपल, बकैन, जण्ड एवं रोहेड़ा इत्यादि देशी प्रजातियों के पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान 18,412 हैक्टेयर क्षेत्र में 141.01 लाख पौधे लगाकर पौधारोपण किया गया है।

3.54 प्रकृति शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा कलेसर में किया गया था जिसमें स्थानीय लोगों खासकर युवाओं, महिलाओं और स्कूल के शिक्षकों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाता है। लोगों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाने के लिए हर जिले में हर्बल पार्क स्थापित किये गये हैं। राज्य में अब तक 58 हर्बल पार्क स्थापित किये जा चुके हैं। इससे लोग पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा वे भविष्य के ग्रीन स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करेगें।

3.55 हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (भारतीय एनजीओ) एवं पक्षियों के संरक्षण के लिए रॉयल सोसाइटी, लंदन (इंटरनेशनल एनजीओ) के सहयोग से वन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा इस केन्द्र में बंदी नस्ल गिद्धों की शीतल रिलीज की शुरूआत मास नवंबर, 2015 को की गई जो पूरे एशिया में पहली बार माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा एवं श्री प्रकाश जावेडकर, माननीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) भारत सरकार द्वारा गिद्धों को 3–6–2016 को खुले जंगल में रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है तथा मान्यता प्राप्त हुई है।

3.56 शिवालिक क्षेत्र में मिट्टी और नमी संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। शिवालिक में सभी मौजूदा जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित किया जा चुका है। कलेसर से कालका तक जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सभी संभव स्थलों की पहचान कर ली गई है और वर्ष 2016–17 के दौरान इन स्थलों पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर दिया जाएगा।

3.57 प्रबंधन सूचना प्रणाली और भौगोलिक सूचना प्रणाली वैज्ञानिक नियोजन एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं और इनको लेखों, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है।

3.58 वनों और वन्य जीवों के सुधार के लिए वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 946 गांवों में 2,195 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। आय सृजन गतिविधियों को अपनाने से उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये सदस्य वनरोपण, वर्मी–खाद, जैविक खेती, बालिकाओं के बचाव आदि गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। इससे आम जनता में जागरूकता बढी है और हरियाणा को हरा–भरा एवं साफ सुथरा बनाने में मदद मिलेगी। ये स्वंम सहायता समूह आत्मीयता से समाज के हरित स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

3.59 शिवालिक और अरावली में वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए विभिन्न कदम

उठाए गए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रीकरण हेतू सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की अवधारणा को लागू करने का एक प्रशंसनीय कदम उठाया गया है जिसके कारण मांगड़ बनी जैसे सुंदर जंगलों को बचा लिया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी

3.60 राज्य में गौहत्या पर पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा ''हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौसंर्वद्वन अधिनियम, 2015'' दिनांक 19–11–2015 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत, गौहत्या और उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाये गये हैं। गौहत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास व एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है और गौहत्या के उद्देश्य से गायों की अवैध तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद एवं उस अवैध तस्करी में प्रयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है।

3.61 देसी नस्ल की पांच दुधारू गायों से डेरी ईकाईयॅा स्थापित करने वाले को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत 1,231 डेयरी ईकाईयॅा स्थापित की जा चुकी हैं ।

3.62 हरयाना नस्ल और साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गुणवत्तायुक्त देशी गायों को पालने हेतु किसानों के प्रोत्साहन के लिये प्रदर्शन रिकार्डिग की एक योजना शुरू की गई है और अधिक दुग्ध उत्पादन के आधार पर उनके मालिकों को 10 हजार रूपये से लेकर 20 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस वर्ष के दौरान, अब तक 690 हरयाना नस्ल व 141 साहीवाल नस्ल की गायों की रिकार्डिंग कर ली गई है।

3.63 सरकार ने राज्य के रणनीतिक स्थानों पर बेसहारा गायों के प्रभावी पुनर्वास व रख–रखाव हेतू गौ–अभ्यारण स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वर्ण जयंती वर्षों के दौरान हिसार व पानीपत जिलों में उपयुक्त स्थानों पर गौ–अभ्यारण स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

3.64 ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन'' के तहत छोटे पशुओं, घोड़ों, सुअरों के सघन विकास और चारा सुधार के लिए विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया है। इस मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पशुधन के बीमे का भी प्रावधान किया गया है।

3.65 पशुपालन राज्य के ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुओं के अनुवांशिक सुधार के साथ–साथ इनको रोग मुक्त रखते हुए अधिकतम उत्पादन करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। पशुधन गणना वर्ष 2012 के अनुसार राज्य के पशुओं की संख्या 89.98 लाख है जिसमें 18.08 लाख गाय और 60.85 लाख भैंस हैं। पूरे राज्य में पशुधन को पशु चिकित्सा और प्रजनन सेवाएं देने के लिए 2,801 पशु चिकित्सा संस्थान हैं जो कि औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु चिकित्सा संस्थान हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त पशुओं को प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान 1,000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र पीपीपी मोड़ के तहत कार्यान्वित रहेंगे।

3.66 पशुपालन क्षेत्र को सरकार के सुसंगत और स्थायी सहयोग से वर्ष 2015–16 में दुग्ध का कुल वार्षिक उत्पादन 83.81 लाख टन तक पहुंच गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता बढ़कर 835 ग्राम हो गई है जो कि देश में दूसरे उच्चतम स्थान पर है। राज्य में वर्ष 2015–16 के दौरान, अण्ड़ों के उत्पादन की संख्या 49,133 लाख और ऊन

का उत्पादन 7.02 लाख किलोग्राम तक पहुंच चुका है जबकि राज्य में मासॅ उत्पादन 402.77 लाख किलोग्राम तक पहुॅच गया है ।

3.67 पशुओं में अनुवांशिक सुधार लाने के लिए, भैंसों की मुर्राह नस्ल और गायों की हरयाना व साहीवाल नस्लों के संरक्षण, वंश वृद्धि और स्वदेशी जर्मप्लाज्म के सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य में अद्वितीय नस्ल के पशुओं के प्रजनन हेतू 'जीन पूल' स्थापित करने के उददेश्य से बेहतर जर्मप्लाज्म वाले पशुओं की पहचान की जा रही है। कम से कम समय में हरेक दुधारू पशु की दुग्ध उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए नई तकनीक लागू करने के अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान स्कीम के अन्तर्गत श्रेणी 19–22 किलोग्राम, श्रेणी > 22–25 किलोग्राम व श्रेणी 25 किलोग्राम से अधिक में दूध दर्ज करवाने वाले मुर्राह भैंसों के मालिकों को क्रमशः 15,000, 20,000 तथा 30,000 रूपये नकद प्रोत्साहन के रूप में दिये जा रहे हैं।

3.68 पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुओं को आवश्यक चिकित्सा दवाइयॅ तथा जीवन रक्षक दवाइयॅ उपलब्ध करवाई जा रही है। विशेष प्रकार की पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रणनीतिक स्थानों पर पशु चिकित्सा पोलिक्लिनिक्स स्थापित किए गए है। अब तक सिरसा, भिवानी, सोनीपत व रोहतक में चार पोलिक्लिनिक्स स्थापित किये जा चुकें हैं। पालतु पशुओं के निदान व उपचार के लिए पंचकूला में एक आधुनिक चिकित्सा अस्पताल–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, की स्थापना की जा चुकी हैं। जींद और रेवाड़ी में पोलीक्लीनिक के निर्माण का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और विभाग इन्हें स्वर्ण जयंती वर्षों में चालू कर देगा । इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–2018 में 40 नये राजकीय पशु चिकित्सालय और राजकीय पशुऔषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

3.69 डेयरी विकास को स्वरोजगार का उपक्रम बनाने के दृष्टिकोण से वर्ष 2016–17 में 2,777 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2017–18 में 1,500 डेयरी ईकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इष्टतम दूग्ध उत्पादन हेतू उत्पादन बढ़ाकर व अच्छी गुणवतायुक्त वाले पशु आहार व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न जारी रहेंगे।

3.70 दिनांक 29–7–2016 को झज्जर से माननीय पशु पालन एवं डेरी मन्त्री द्वारा ''जोखिम प्रबन्धन और पशु बीमा'' नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बड़े पशुओं जैसे– गाय, भैंस, घोड़े, गधे व ऊँट इत्यादि के लिए 100 रूपये तथा छोटे पशु जैसे– भेड़, बकरी व सुअर इत्यादि के लिए 25 रूपये का प्रिमियम अदा करने पर तीन वर्ष के लिए बीमा करवाया जायेगा। प्रत्येक लाभप्राप्तकर्ता अपने 5 बड़े पशु व 50 छोटे पशुओं तक का बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जाति के परिवारों के पशुओं का मुफ्त बीमा करवाया जायेगा।

3.71 अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों के स्वामित्व वाले पशुओं के मुफ्त बीमा करने के साथ–साथ तीन दुधारू पशुओं की डेयरी, सूअर पालन और भेड़ व बकरी ईकाईयों की स्थापना करने हेतू उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2017–18 में कुल योजना आबंटन 22,150 लाख रूपये में से 2,000 लाख रूपये अनुसूचित जाति परिवारों के उत्थान के लिए चिन्हित किये गये हैं अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा डेयरी, सुअर पालन व भेड़ और बकरी की ईकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

3.72 गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं के आधुनिक एवं श्रेष्ठ तकनीकी के आधार पर समग्र विकास के लिए हिसार में एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए ईज़राईल सरकार के साथ दिनांक 15–4–2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे राज्य में दूध उत्पादन क्षेत्र में नई क्रांति का संचार होगा और

इस केन्द्र को स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

3.73 ''राष्ट्रीय गौजातीय प्रजनन व डेरी विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत राज्य में स्वदेशी नस्लों की गाय जैसे हरयाना व साहीवाल का संवर्धन, उन्नयन व एकीकृत विकास किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गौ जातीय प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन साल के लिये 77.90 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। इनमें से 22.90 करोड़ रूपये राष्ट्रीय गौ जातीय प्रजनन कार्यक्रम के लिये तथा 55 करोड़ रूपये राष्ट्रीयगौकुल ग्राम के लिये स्वीकृत किये हैं। वर्ष 2016–17 के लिये भारत सरकार ने 5 करोड़ रूपये की राशि एन.पी.बी.बी. कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को जारी कर दी है। राष्ट्रीय गौ जातीय प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख घटक जैसे क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम नेटवर्क का विस्तार करना, मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना, तथा स्वदेशी नस्लों का विकास व संरक्षण करना है।

3.74 राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के सैक्टर–1 में गौकुल ग्राम स्थापित किया जा रहा है। गौकुल ग्राम के उदेश्यों की प्राप्ति हेतु हरयाणा, साहिवाल तथा थारपारकर नस्ल के पशुओं तथा उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। नई गिर नस्ल की गायों के लिये एक समुह भी तैयार किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत गुणात्मक स्वदेशी गायों (हरयाणा, साहिवाल, थारपारकर तथा गिर) की खरीद करना, पशुओं को रखने के लिये दो आधुनिक शैड का निर्माण करना, कॉफ पैन्स का निर्माण करना, संतुलित पोषण, मिश्रित राशन के निर्माण प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना, जैव उत्पादों (मूत्र आसवन संयंत्र, जैव कीटनाशकों के उत्पादन, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट) आदि का उत्पादन करना है वर्ष 2016–17 में इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये भारत सरकार ने 10 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है।

3.75 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 5 साल की अवधि के लिये दो सब–प्रोजैक्ट्स स्वीकृत किये हैं जिसके अन्तर्गत उच्च अनुवंशिक सांडों (हरयाणा–पीएस व मुर्राह–पीटी) का उत्पादन करना तथा वीर्य कोष, हिसार को सुदृढ़ करना है।

(अ) चयन वंशावली के माध्यम से गुणात्मक हरयाणा सांडों का उत्पादन किया जाना है और इस कार्यक्रम के लिये 5.09 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह सब–प्रोजैक्ट राज्य के तीन जिलों जैसे– भिवानी, झज्जर व हिसार जिलों में लागू किया गया है।

(ब) संतान परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से गुणात्मक मुर्राह सांड पैदा किये जाने वाले इस कार्यक्रम के लिये 24.72 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह सब–प्रोजैक्ट राज्य के छः जिलों जैसे– भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, जीन्द व सोनीपत में लागू किया गया है।

3.76 राज्य में सरकार द्वारा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का नया परिसर हिसार में स्थापित किया जाएगा जिसके लिए विभाग द्वारा जमीन प्रदान की जा चुकी है और नाबार्ड के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी और नींव पत्थर रखा जा चुका है ।

मत्स्य

3.77 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है । राज्य के मत्स्य पालकों के लिए मत्स्य पालन एक सहायक धन्धे के रूप मे प्रसिद्ध हो रहा है । राज्य सरकार मत्स्य पालको ंको मत्स्य किसान विकास एजैन्सियों के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता को बढावा दे रही है । सजावटी मछलियों की मांग को पूरा करने के लिए राजकीय मत्स्य बीज फार्म, सैदपुरा

(करनाल) मे मछली बीज के साथ–साथ सजावटी मछली बीज उत्पादन हेतु हैचरी का निर्माण किया गया है ।

3.78 वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 18,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य के विरूद्ध 17,800 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन ला कर 6,400 लाख मछली बीज संचय के लक्ष्य के विरूद्ध 6,400 लाख मछली बिज संचय करते हुए 1,26,900 मि.टन मत्स्य उत्पादन के विरूद्ध 1,21,000 मि0टन मत्स्य उत्पादन किया गया । वर्ष 2014–15 में हरियाणा राज्य में पहली बार अनुपयोगी लवणीय एवम् जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु नयी परियोजना का सृजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सफेद झींगा पालन एवम् मत्स्य पालन के लिए बजंर लवणीय क्षेत्र जिला झज्जर, रोहतक, हिसार और जलमग्न क्षेत्र जिला मेवात व पलवल मे शुरू किया गया। वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 28 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा के अधीन लाया गया। वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत लवणीय भूमि मे सफेद झींगा पालन का सफलतापूर्वक परिक्षण के बाद विभाग द्वारा 39.67 हैक्टेयर अतिरिक्त लवणीय क्षेत्र सफेद झींगा पालन तथा 29.24 हैक्टेयर जलमग्न क्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन लाया गया। विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए सफेद झींगा पालन हेतु 3.04 करोड़ रूपये की राशि झीगां पालकों को अनुदान के रूप मे प्रदान की गई। विभाग द्वारा लवणीय जल क्षेत्र में सफेद झींगा पालन को बढावा देने के लिए धनराशि 1,098 लाख रूपये की राशि का प्रस्ताव लाया गया तथा राज्य स्तरीय स्वीकृत कमेटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए 750 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई।

खाद्य एवं आपूर्ति

3.79 राज्य में 30–9–2016 को 42,87,649 राशन कार्ड धारक थे। गैस कनैक्शनों की संख्या 61,80,818 थी। राज्य में 2011–12 से 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) राशन कार्डों व गैस कनैक्शनों की संख्या **तालिका 3.23** में दी गई है।

तालिका 3.23– राज्य में राशन कार्ड व गैस कनैक्शनों की संख्या

वर्ष	राशन कार्डों की संख्या				गैस कनैक्शनों की संख्या		
	ए.पी.एल	बी.पी.एल	ए.ए.वाई	कुल	एस.बी.सी.	डी.बी.सी.	कुल
2011–12	4428687	949794	269194	5647675	1664442	2474469	4135611
2012–13	3467189	869068	259500	4595757	1798955	2665861	4464816
2013–14	3467189	869068	259500	4595757	2020133	2941803	4961936
2014–15	3231483	862865	257495	4351843	2111577	3189098	5300675
2015–16	3179289	850463	255985	4285737	2252189	3483324	5735513
2016–17 (सितम्बर, 2016 तक)	3182738	849381	255530	4287649	2711301	3469317	6180618

स्त्रोतः–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.80 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को सम्मिलित करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में 2,55,610 ए.ए. वाई.+ बेघर, 4,53,735 सी.बी.पी.एल., 3,96,767 एस.बी.पी.एल. व 18,24,324 ओ.पी.एच. लाभार्थी है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने से जनवरी, 2014 से नवम्बर, 2016 तक 14,35,640 टन गेहूं 2 रूपये किलो की रियायती दरों पर लाभार्थियो को पहले ही वितरित किया जा चुका है। यह अधिनियम पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है अर्थात् अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा अन्य प्राथमिक परिवार।

अन्तोद्या अन्न योजना के लाभार्थियों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न हर महीने 2 रूपये प्रति किलो उच्च रियायती दर पर जारी रहेगा तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं इसी दर पर प्राप्त होगा। पर्याप्त ढंग से जीर्ण कुपोषण को कम करते हुए गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की साहसिक पहल है। दाल रोटी स्कीम के तहत राज्य सरकार अन्तोद्या अन्न योजना व बी.पी.एल. परिवारों को पोषक तत्व तथा प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.5 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रतिमाह 20 रूपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध करवा रही है।

खरीद

3.81 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। खरीद देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत करती है। वर्ष 2005–06 से 2016–17 तक राज्य में गेहूँ, धान और बाजरा की खरीद व न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा **तालिका 3.24** में दिया गया है।

तालिका 3.24–राज्य में सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	गेहूं खरीद (लाख टन)	गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)	धान खरीद (लाख टन)	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)		बाजरा खरीद (लाख टन)	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)
				सामान्य	ए–श्रेणी		
2005–06	45.29	640/–	23.56	570/–	600/–	0.05	525/–
2006–07	22.30	650/- +50 बोनस	20.47	580/- +40 बोनस	610/- +40 बोनस	-	540/-
2007–08	33.50	750/- +100 बोनस	17.85	645/- +100 बोनस	675/- +100 बोनस	1.23	600/-
2008–09	52.37	1000/-	18.22	850/- +50 बोनस	880/- +50 बोनस	3.10	840/-
2009–10	69.24	1080/-	26.36	950/- +50 बोनस	980/- +50 बोनस	0.77	840/-
2010–11	63.47	1100/-	24.82	1000/-	1030/-	0.74	880/-
2011–12	69.28	1120/- +50 बोनस	29.66	1080/-	1110/-	0.18	980/-
2012–13	87.16	1285/-	38.53	1250/-	1280/-	-	1175/-
2013–14	58.56	1350/-	35.87	1310/-	1345/-	-	1250/-
2014–15	65.08	1400/-	30.07	1360/-	1400/-	-	1250/-
2015–16	67.70	1450/-	42.59	1410/-	1450/-	0.05	1275/-
2016–17	67.57	1525/-	42.69	1470/-	1510/-	0.06	1330/-

स्त्रोतः–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

3.82 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां है। राज्य के सभी 21 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

3.83 राज्य में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशालय में उपभोक्ता हैल्पलाइन की

स्थापना की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बरः 1800–180–2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12–8–2013 से कार्यरत है। हैल्पलाईन राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदर्शन करने के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय 12–8–2013 से 8–12–2016 तक लगभग 14,825 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है जिसकी सफलता दर 85 प्रतिशत है ।

विधिक माप

3.84 भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओ के हित के लिए सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि व्यापार और वाणिज्य तथा अन्य वस्तुऐं जिनका विक्रय अथवा वितरण वजन, माप और संख्या में होता है के मानक नियत एवं प्रदत किए जा सकें । वर्ष 2015–16 के दौरान विधिक माप संगठन द्वारा 13 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 13.82 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2016–17 (30–10–2016 तक) के दौरान 7.37 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है ।

ईट–भटटे

3.85 राज्य में पूर्वी पंजाब ईट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा ईट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 बनाया गया। 31–10–2016 तक राज्य में आम जन एवं सरकारी विकास कार्य के लिए ईटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,995 ईट–भट्टा लाईसेन्सी कार्यरत हैं और राज्य से बाहर ईंटों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध को जिसमें ईंटों की कीमतों को निर्धारित करना, ईंटों के लिये परमिट जारी करना, उत्पादन स्तर बनाये रखना, ईंटों की बिक्री और सम्बन्धित मासिक विवरण इत्यादि को सरकार द्वारा पुनः अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लचीला बना दिया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत से अंतिम तक कम्प्यूट्रीकरण

3.86 विभाग ने नवंबर 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के कम्प्यूट्रीकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50–50 प्रतिशत् के सहभाजन पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के अंत से अंतिम तक कम्पयूटीकरण की योजना को लागू कर दिया है।

- 29,32,275 परिवारों/राशन कार्डो तथा 1,32,19,368 लाभार्थियों का अंकरुपण तथा सत्यापन किया जा चुका है।
- 26,73,646 (91.18%) राशन कार्डो में दर्ज कम से कम एक सदस्य और 1,04,45,858 (79.1%) लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया है।
- 9,588 उचित मूल्य की दुकान और 503 गोदामों का अंकरुपण का कार्य सम्पूर्ण किया जा चुका है ।
- विभाग का पारदर्शिता पोर्टल (http://haryanafood.gov.in) कार्यरत है और नियमित रुप से अपडेट किया जा रहा है।
- विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऑनलाईन एलोकेशन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा लक्ष्य (फीस्ट) को लागु किया है । विभागीय कर्मचारियों को खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा लक्ष्य (फीस्ट) के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। जनवरी 2016 से राज्य में परीक्षण आधार पर ऑनलाईन एलोकेशन किया जा रहा है । अक्तुबर, 2016 से राज्य में परीक्षण आधार पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किया जा रहा है । राज्य मे जल्द ही ऑनलाईन एलोकेशन तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।
- टोलफ्री हेल्पलाईन नं0 1967 शिकायतों के निवारण के लिए कार्य

कर रहा है। ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत है और विभाग के पी.डी.एस. पोर्टल http://164.100.86.247/hrgrams/ पर उपलब्ध है।

- मुख्यालय पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) की स्थापना की जा चुकी है।
- तकनीकी व्यक्तियों (प्रोग्रामर–22 तथा कनिष्ठ प्रोग्रामर–52) की तैनाती की जा चुकी है।
- उचित मूल्य की दुकान के स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जोन–1 (अम्बाला और हिसार डिवीजन) के लिए लिंक वल प्राईवेट लिमिटेड व जोन–2 (गुरूग्राम और रोहतक डिवीजन) के लिए बैल को नियुक्त किया गया है।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में 1 नवम्बर, 2016 को (लाभार्थीयों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण, आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमापित पी.ओ. एस. तकनीक के माध्यम से करने के लिए) उचित मूल्य की स्वचालित दुकानों का उद्घाटन किया ।
- 8758 प्वाईंट आफ सैल का, पंजीकरण एन.आई.सी. पोर्टल पर किया जा चुका हैं और उनमें से 7236 प्वाईंट आफ सैल स्थापित किये जा चुके है।
- नवम्बर, 2016 मे पी.ओ.एस. तकनीक के माध्यम से लगभग 8 लाख लाभार्थी परिवारों/राशन कार्ड धारको को राशन का वितरण किया गया है और कार्यरत 7,236 पी.ओ.एस. के माध्यम से 11,04,961 लेन देन हुऐ है। विस्तृत जानकारी http://164.100.78.195/stateLink पर उपलब्ध है।

3.87 वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसम्बर, 2016 तक) 21 थोक और 33 परचून मिट्टी तेल के दोषी डिपो धाराकों के लाइसेंस रद्द किये गये और 31 थोक और 98 परचून डिपो धारको के लाईसेंस निलम्बित किये गये। मिट्टी तेल के 5 थोक और 4 परचून डिपो धारको के विरूद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक के मिटटी तेल के डिपो और एल.पी.जी. डीलरो के निरीक्षण का ब्यौरा **तालिका –3.25** में दिया गया है।

तालिका 3.25- मिटटी तेल के डिपो, और एल.पी.जी. डीलरों के निरीक्षण का ब्यौरा

वर्ष	तेल डीलरों की संख्या		की गई कारवाई						एल.पी.जी. डीलरों की संख्या	डिफाल्टर डीलरों की संख्या	की गई कारवाई	
			लाइसेंस रद्ध		प्राथमिक जांच रिपार्ट दर्ज		निलबिंत लाइसेंस				आपूर्ति निलबिंत	प्राथमिक जांच रिपार्ट दर्ज
	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता				
2011–12	152	8202	0	158	0	12	0	0	305	4	0	3
2012–13	142	12167	1	97	0	9	0	0	348	7	0	5
2013–14	139	11903	0	132	0	3	0	0	383	3	2	1
2014–15	136	10390	1	165	0	10	0	0	387	0	0	0
2015–16	121	9067	1	128	3	5	24	0	397	0	0	0
2016–17 (दिसम्बर, 2015 तक)	115	9085	21	33	5	4	44	0	414	0	0	0

स्त्रोतः–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।

नागरिक केन्द्रित सेवा

क्र0 सं0	विभाग का नाम	सेवा का नाम	निपटान कार्य दिवस	सक्षम अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	डी–1 फार्म प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना जैसे कि ए.पी.एल. वर्ग के लिए।	22	निरीक्षक प्रभारी/ए.एफ.एस.ओ.	जिला खादय एवं पूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
2		परित्याग प्रमाण पत्र ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई. प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना।	15	–सम–	–सम–	–सम–
3		दूसरा राशन कार्ड जारी करना ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई.	15	–सम–	–सम–	–सम–
4		परिवार के सदस्य का समावेस/विलोप (ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई.)	15	–सम–	–सम–	–सम–
5		उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15	–सम–	–सम–	–सम–
6		पता बदलने के अतंगर्त एफ.पी.एस. बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15	–सम–	–सम–	–सम–
7		परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	7	–सम–	–सम–	–सम–
8		राशन कार्ड डेटा शुद्धि और घर के मुखिया में संशोधन।	7	–सम–	–सम–	–सम–

3.88 माह अगस्त, 2011 से जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू राशन कार्ड से सम्बंधित सात सेवाओं जैसेकि नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, परित्याग प्रमाण–पत्र, नया सदस्य शामिल/काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा (जैसा उपर दर्शाया गया है) में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्रों को नए सिरे से बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7–5–2015 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है।

3.89 उपरोक्त सेवाओं से सम्बंधित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय अधिकारियों एवं पी.आर. केन्द्रों पर उपलब्ध है। अगस्त, 2011 से अक्तूबर, 2016 तक विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन सेवाओं से सम्बंधित 12.01 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निर्धारित समय सीमा अवधि में निपटान किया जा चुका है।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.90 हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड) हरियाणा राज्य का एक सबसे बड़ा सहकारी पंजीकृत प्रसंघ है तथा 1 नवंबर, 1966 को अलग हरियाणा राज्य बनने के साथ ही अस्तित्व में आया है। तब से लेकर यह प्रसंघ हरियाणा के किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की सेवा में भी अग्रणी भूमिका

निभा रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रसंघ को 8,780.11 करोड़ रूपये का कारोबार तथा 38.06 करोड़ रूपये (कर पश्चात) का लाभ हुआ जबकि वर्ष 2014–15 में यह क्रमशः 8,501 करोड़ रूपये और 20.31 करोड़ रूपये था।

3.91 वर्ष 2015–16 के लिए हैफेड की स्मरणीय उपलब्धिया निम्न प्रकार हैं :

धान की रिकार्ड खरीद

चालू खरीफ सीजन के दौरान हैफेड ने 18.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जो अब तक का सर्वाधिक है तथा प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 35 प्रतिशत है जबकि हैफेड को आबंटित हिस्सा 33 प्रतिशत था। हैफेड ने खरीफ 2015 में 15.15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। 99.97 प्रतिशत कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम के लिए दिया गया था और सीएमआर वितरण में हैफेड का प्रदर्शन खाद्य विभाग सहित सभी सरकारी खरीद एजेंसियों के बीच सबसे अच्छा है।

पहली बार मूंग की खरीद :

हरियाणा में मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत पहली बार मूंग की खरीद की गई। हैफेड ने इस सीजन में 16,932 क्विंटल मूंग की खरीद हिसार और सिवानी (भिवानी) मंडियों में की है।

बाजरे की खरीद

चालू खरीफ वर्ष 2016 में सभी एजेन्सियों द्वारा की गई 27,758 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद में से हैफेड ने 6,039 मीट्रिक टन बाजरें की खरीद की है। इस प्रकार प्रदेश की कुल खरीद का लगभग 22 प्रतिशत है।

गेहूं की खरीद

रबी–2016 के दौरान हैफेड ने 25.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 37 प्रतिशत थी जबकि इसका आवंटित हिस्सा 33 प्रतिशत था।

सूरजमुखी की खरीद

हैफेड ने रबी मौसम 2016 के दौरान राज्य के किसानों के सहायतार्थ 4,785 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज की खरीद की है।

उर्वरको का वितरण

हैफेड ने राज्य में किसानों को समय पर यूरिया और डी.ए.पी. उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हैफेड ने 1–4–2016 से 30–12–2016 तक 0.84 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.23 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. की बिक्री की है। 1–1–2017 को हैफेड के पास लगभग 0.27 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.45 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. उपलब्ध थी।

चीनी मिल असन्ध

पिराई सीजन 2015–16 के दौरान हैफेड चीनी मिल असंध ने 31.19 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा अब तक की उच्चतम 11 प्रतिशत चीनी की रिकवरी की है। चालू पिराई सीजन 2016–17 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध में 37 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का अनुमान है ।

उपभोक्ता उत्पादो का विपणन

हैफेड ने 1–4–2016 से 31–12–2016 तक 54.02 करोड़ रुपये के उपभोक्ता उत्पादों का विक्रय किया है।

ई. खरीद

हैफेड ने राज्य सरकार की वैब साईट (https://haryanaeprocurement.gov.in) पर नया ई–टेंडरिंग पोर्टल शुरू कर दिया है । निविदा प्रकिया में पार्दर्शिता सुनिश्चित करने लिए सार्वजनिक कार्य एवं अन्य गतिविधियों की ई–टेंडरिंग प्रक्रिया पहले से ही इस नए पोर्टल पर आरंम्भ कर दी गई है।

नया पशुचारा संयंत्र

हैफेड 50 मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक पशुचारा संयंत्र जाटूसाना में स्थापित करेगा ।

भण्डारण

3.92 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन तथा अन्य खरीद एजेन्सियों के पास राज्य में 31–1–2017 तक 84.07 लाख मि. टन (खाद्य विभाग–3.79, हैफेड–11.26, एच.एस. डब्ल्यू.सी.–15.10, एफ.सी.आई.–7.58, सी.डब्ल्यू. सी.–4.72, एच.एस.ए.एम.बी.–4.19, एच.ए.आई. सी.–1.41, पी.ई.जी. स्कीम–34.02 लाख मि. टन तथा 2 लाख मि. टन ढांड (कैथल) स्थित स्टील सायलो जिसमें अडानी ग्रुप भी शामिल है) के आवृत भण्डारण क्षमता है। हैफेड द्वारा 1,19,531 मि. टन, एच.एस.डब्ल्यू.सी. 52,464 मि. टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा पलान बजट में डब्ल्यू.आई.एफ. स्कीम के तहत नाबार्ड की सहायता से तीन स्थानों भौरसेंदा (कुरूक्षेत्र), खरखौदा (सोनीपत) व तिगांव (फरीदाबाद) में कुल 89,678 मि. टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। तिगांव गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे विभाग को सौप दिया गया है । बाकि बचे दो स्थानों का कार्य प्रगति पर है जिसकी सम्पूर्ण अवधि का लक्ष्य दिनांक 31–3–2017 है।

हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

3.93 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों एवं व्यापारियों आदि को कृषि उत्पादों और अधिसूचित वस्तुओं की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हुई है।

वर्तमान में 30–11–2016 तक निगम के राज्य में 115 वेयरहाउस है जिनकी भण्डारण क्षमता 15.34 लाख मी. टन है जिसमें 15.10 लाख मी. टन क्षमता के कवर्ड गोदाम एवं 0.24 लाख मी. टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है वर्षवार औसत भण्डारण क्षमता **तालिका 3.26** में दर्शाई गई है ।

तालिका 3.26 – औसत भण्डारण क्षमता एवं औसत उपयोगिता

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता (मी. टन)	औसत उपयोगिता (मी. टन)	उपयोगिता प्रतिशत में	भण्डारगृहों की संख्या
2010–11	16,16,270	14,97,189	93	107
2011–12	16,72,188	16,45,066	98	107
2012–13	18,88,401	19,66,756	104	108
2013–14	17,91,037	16,03,636	90	109
2014–15	16,77,361	11,72,602	70	111
2015–16	17,23,162	11,81,468	69	115
2016–17 (नबम्बर, 2016 तक)	17,40,276	14,55,446	83	115

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन

3.94 1 नवम्बर 1967 को निगम की स्थापना के समय इसके पास मात्र 7000 मी. टन क्षमता के गोदाम थे जो कि 30–11–2016 तक बढ़कर 15,10,000 मी.टन. हो गये हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान 66,580 मी0टन क्षमता के गोदामों का निमार्ण किया जाना था जिसमे से 5 स्थानों पर 20,636 मी. टन क्षमता के गोदाम 31–3–2016 तक पूर्ण हो चुके हैं । वर्ष 2016–17 में निगम द्वारा राज्य में 15 अलग–अलग स्थानों पर 91,304 मी.टन क्षमता के गोदाम निर्माण की योजना है।

इन्लैंन्ड कन्टेनर डिपो :

3.95 निगम द्वारा रिवाड़ी में, हरियाणा व इसके आस पास के क्षेत्र के आयातकों व निर्यातकों को आयात एवं निर्यात सुविधा प्रदान करने के लिए एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.) सह कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) चला रहा है । यद्यपि, कोनकोर के साथ रणनितिक गठबंधन समझोते के तहत 1–11–2008 से डिपो आई.सी.डी.–सह–सी.एफ.

एस. का संचालन कोनकोर के द्वारा किया जा रहा है । 18–12–2009 से इन्लैंड कन्टेनर डिपो, रिवाड़ी को इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से आनलाईन विश्व से जोड़ा गया है ।

कृषि विपणन

3.96 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी) का गठन 1 अगस्त, 1969 को राज्य में मार्किट कमेटियों के नियन्त्रण तथा संचालन के उद्धेश्य से किया गया था। बोर्ड के गठन से अब तक 108 मुख्य यार्ड, 174 सब यार्ड तथा 197 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 31–1–2017 तक 12,057 कि.मी. लम्बाई की 4,690 सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यो, सूचना प्रौद्योगिकी की पहल तथा बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

विकास कार्य

3.97 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई अनाज व सब्जी मण्डियों के विकास/उत्थान, सम्पर्क सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर 31–1–2017 तक 1019.44 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

- **मण्डी कार्यः** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नई अनाज/सब्जी मण्डियों के विकास तथा मौजूदा मण्डियों के उत्थान के लिए 425.73 करोड़ रूपये खर्च किए और 190.45 करोड़ रूपये के विकास कार्यो से मण्डियों में उक्त सभी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य प्रगति पर हैं।

- **नई सम्पर्क सड़कों का निर्माणः** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 821 कि.मी. लम्बाई की 269 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य 232.81 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर 557 कि.मी. लम्बाई की 176 सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य 262.19 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर है।

- **सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मतः** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य वास्तविक जरूरत के अनुसार किया जाता है। अभी तक 2,383 कि.मी. लम्बाई की 827 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 344.11 करोड़ रूपये की लागत से पूरे किए गए हैं। इस खर्च में सड़कों की वार्षिक मरम्मत के खर्च भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1,281 कि.मी. लम्बाई की 405 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 141.85 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं।

मार्किट फीस

3.98 चालू वित्त वर्ष 2016–2017 में 520 करोड़ रूपये की मार्किट फीस एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 547.61 करोड़ रूपये मार्किट फीस के रूप में एकत्रित किए जा चुके हैं। वित वर्ष 2016–17 (31 मार्च, 2017) तक यह आंकडा बढ़कर 600 करोड़ रूपये तक पहुॅचने की सम्भावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल

3.99 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ई–नैंम, ई–खरीद, मण्डी के गेटों पर धर्मकांटे लगाने तथा पी.पी.एम. (प्लॉट व प्रापर्टी मनेजमेंट) जैसी विपणन सुधार प्रणालियॉ शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त सभी सड़कों का जियो–रेफरेन्श सर्वे भी किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम)

3.100 देश के 11 राज्यों में से हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जिसमें ई–नैम कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 54 मण्डियों को ई–नैम प्लेटफार्म के तहत जोड़ने की योजना बनाई है। प्रथम चरण में, 37 मण्डियॉ जोड़ी गई हैं और शेष 17 मण्डियॉ भी 31 मार्च, 2017 तक जोड़ दी जाएगी।

ई–खरीद

3.101 अनाज की खरीद प्रक्रिया में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के उद्धेश्य से हरियाणा सरकार ने ई–गर्वेन्स के माध्यम से "ई–खरीद" का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके तहत कृषि उत्पाद व्यापारियों तथा किसानों को वास्तविक सूचना तथा समय पर भुगतान की सुविधा मिलेगी। "ई–खरीद" हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त पहल है। इस स्कीम की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27–9–2016 को करनाल में की गई थी। लेन–देन प्रक्रिया 1 अक्तुबर 2016 को शुरू की जा चुकी है।

धर्म कॉटेः

3.102 राज्य की ई–नैम के अन्तर्गत चिन्हित की गई 26 मण्डियों में 27.10 करोड़ रूपये की लागत से 140 धर्मकाटे लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है और यह कार्य 30–9–2017 तक पूरा होने की सम्भावना है।

जियो–रेफरेन्शींग आफ रोड़

3.103 बोर्ड द्वारा निर्मित सभी 4,690 सम्पर्क सड़कों को यूनिक आईडी जारी कर दी है। प्रत्येक सड़क का जियो–रेफरेन्श सर्वे के साथ जीपीएस फोटोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी सड़कों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है। सभी सड़कों का "वैब एप" तैयार किया जा रहा है ताकि आम जनता सड़क सम्बन्धी अपनी किसी भी शिकायत के लिए इस पर सम्पर्क कर सके।

किसान बाजारः

3.104 बोर्ड द्वारा किसानों को बिचौलों के हस्तक्षेप के बिना उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उदेश्य से पंचकूला के सैक्टर–20 की मण्डी में किसान बाजार की स्थापना की गई है। इस बाजार का दूसरा उद्देश्य उपभोक्ता को ताजे फल तथा सब्जियॉ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। करनाल, गुरूग्राम, रोहतक तथा सोनीपत में भी ऐसे किसान बाजार शीघ्र स्थापित किए जाने की योजना है। पंचकूला के सैक्टर–20 की मण्डी में सेब मार्केट भी अक्तूबर, 2016 से कार्यरत कर दी गई है।

***

4

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। जिससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। अपर्याप्त और असक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद अर्थव्यवस्था को तरक्की से रोक सकता हैं। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढ़ाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त हैं। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर सीधा प्रभाव डालती हैं। बिजली सम्बन्धी समस्याएं, बिजली की कमी, भीड़–भाड़ वाली सड़कें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढते अन्तर एवं अकुशलता संकेत हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक व निजी भागेदारी कान्सैप्ट (पी.पी.पी.) के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पी.पी.पी. की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सड़कों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

औद्योगिक विकास

4.2 राज्य के विकास के स्तर को गति प्रदान करने के लिए राज्य एक विलक्षण "उद्यम संवर्धन नीति–2015" (इपीपी) बनाने में सफल हुआ है। इस नीति का लक्ष्य जी.डी.पी. को 8 प्रतिशत से अधिक बढाना, एक लाख करोड़ रूपये का पूँजी निवेश करना, 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना तथा हरियाणा को निवेश हेतू श्रेष्ठ प्रदेश बनाना है। भारत सरकार के 'मेक–इन–इण्डिया', 'डिजिटल इण्डिया' तथा 'स्कील इण्डिया' को ध्यान में रखकर इस नीति को बनाया गया है।

4.3 जहाँ आज के इस वातावरण में सभी राज्य निवेश को आकर्षित करने में एक दूसरे के विरूद्व प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिससे व्यापार सुविधा महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा सरकार ने "व्यापार को सुगम बनाने" के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को चुना है जो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन द्वारा निर्देशित हों; जो सबसे अच्छे वैश्विक स्तर के मानकों से अधिक हों जिससे अविलम्ब के साथ ही व्यापार करने की लागत में भी कमी आए। राज्य सरकार निवेशकों पर नियामक बोझ और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

4.4 हमनें ऑनलाईन थर्ड पार्टी एजैन्सियों से निरीक्षण की भी शुरूआत की है जिसमें बॉयलर के इंजीनियर संचालन का निरीक्षण और बॉयलर का पंजीकरण, ऑनलाईन दुकानों का पंजीकरण व श्रम द्वारा प्रतिष्ठानों, ऑनलाईन द्वारा वैधानिक सी फार्म, ई फाईलिंग रिर्टन, ई पेमैंट द्वारा वाणिज्य करों का भुगतान, आनलाईन औद्योगिक यूनिटों को स्थापित व चलाना तथा खतरनाक अपशिष्ट की निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा की जाती है। टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग द्वारा ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना है।

4.5 10 करोड़ रूपये से अधिक पूँजी निवेश तथा 1 एकड़ से अधिक भूमि के सी.एल.यू. की मंजूरी प्रदान करने के लिए "अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति" का गठन किया गया है इसके अलावा 10 करोड़ रूपये से कम निवेश तथा 1 एकड़ भूमि की सी.एल.यू. की आवश्यकता तक की परियोजनाओं सबंधी मंजूरी के लिये जिला स्तरीय मंजूरी समिति (डी.एल.सी.सी.) का गठन किया गया।

4.6 उद्योगों की शिकायत के निपटारे के लिए ऑनलाईन शिकायत निवारण तन्त्र सुविधा शुरू की गई है।

4.7 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना निगम ने प्लाटों के आवंटन, बिक्री व औद्योगिक ढांचे के प्रबन्धन के लिए ऑनलाईन ई–सेवा पोर्टल (hsiidcesewa.org.in) कार्यरत है।

4.8 राज्य में व्यापार की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मोनिटरिंग कर रहे है तथा पिछले 6 महीनों के दौरान मान्नीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ 50 से भी अधिक मीटिंग आयोजित की गई हैं।

4.9 इन प्रयासों के फलस्वरूप 1 वर्ष में व्यापार सुगम करने हेतू हरियाणा राज्य वर्ष 2016 में भारत के 32 राज्यों/यूटी में 14वें स्थान से 6वें स्थान पर पहुँच गया है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डी.आई.पी.पी.) ने विश्व बैंक की साझेदारी से राज्य में व्यापार सुधारों की कार्य –2016 (बी.आर.ए.पी.) योजनाओं का मूल्यांकन करवाया जाता है। इन मूल्यांकन के परिणामों ने दिखा दिया है कि हरियाणा राज्य व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में अग्रसर है। इन सुधारों के कार्यान्यवन किसी एक जिले या क्षेत्र तक ही सीमित नही है अपितु पूरे राज्य में लागू है।

4.10 "व्यापार को सुगम बनाने" के अन्तर्गत हमने हरियाणा में एकल छत प्रणाली शुरू की है। इन्वैस्ट हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाईन सामान्य एप्लीकेशन फार्म द्वारा विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, श्रम, कराधान, पर्यावरण, टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग को जोड़ा गया है। 15 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में एकल छत प्रणाली को शुरु कर दिया था, कुल 249 (77 ई.ई.सी+172 डी.एल.सी.सी) परियोजनाओं के लिए ऑनलाईन सामान्य एप्लीकेशन फार्म कुल 26,679 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश के साथ भरे गये और 96,000 से भी ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे। ये परियोजनाएँ लागू होने के लिए विभिन्न चरणों में है।

4.11 पोस्ट हैपनिंग हरियाणा समिट में एम.ओ.यू. की संख्या 406 तक पहुँच गई, इसमें 6.2 लाख करोड़ रूपये के पूँजी निवेश व 7.40 लाख लोगों को रोजगार की सम्भावनाएँ है। 80,000 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश व 2,50,592 व्यक्तियों को रोजगार के साथ 167 एम.ओ.यू. के लिए जमीन प्राप्त कर ली है और लागू होने के लिए विभिन्न चरणों में है ।

4.12 हरियाणा सरकार ने 10 और 11 जनवरी, 2017 को गुरुग्राम में प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन किया जिसका उद्देश्य हरियाणा मूल के प्रवासियों को इकट्ठा करना, नीति निर्धारण और स्थानीय व्यापार समुदाय के साथ मिलकर ठोस बातचीत से हरियाणा राज्य

में व्यापार का माहौल में मजबूती पैदा करना है। इन प्रयासों में सैक्टोरल सैशन और वन–टू–वन व्यापार मीटिंग भी शामिल होगें। इस सम्मेलन के दौरान 24 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए जिनमें 20,430 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश व 45,127 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस सम्मेलन में 33 देशों के 400 अप्रवासी भारतीयों ने भाग लिया।

4.13 अर्थव्यवस्था में सुधारीकरण और संरचना के उदारीकरण में निर्यात अर्थव्यवस्था एक ईंजन माना गया है। वैश्विक स्तर पर राजनैतिक व आर्थिक अशांति की चुनौती को देखते हुए हमें ऐसी रणनीतियों और नीतिगत के प्रस्ताव को बनाना होगा, जो निर्यात के विकास को विभिन्न क्षेत्रों के साथ नए बाजार को उत्प्रेरित कर सके। राज्य से समुद्री बन्दरगाहों के दूर होने व प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद हरियाणा राज्य ने निर्यात के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। राज्य के गठन के समय वर्ष 1966–67 के दौरान मात्र 4.5 करोड़ रूपये का निर्यात था जो आज वर्ष 2015–16 के दौरान 81,220 करोड़ रूपये के आस–पास है, यह सब अनुकूल वातावरण, राज्य की नीति और पहल के कारण है। वर्ष 2010–11 में राज्य से निर्यात 35,000 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2015–16 में लगभग दुगना 81,220 करोड़ रूपये हो गया है। राज्य सरकार ने भाड़ा सहायता स्कीम की शुरूआत की है जिसकी सीमा 1 प्रतिशत फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू (एफ.ओ.बी.) या वास्तविक किराया जिसमें कि वस्तुओं की फीस व टैक्स शामिल नहीं है जो ट्रांस्पोर्ट द्वारा निर्माण स्थान से बंदरगाह तक जहां से उन्हे भेजा जाएगा इनमें से जो भी कम होगा और अधिकतम 20 लाख रूपये वार्षिक राज्य के सूक्ष्म, छोटे व मध्यम निर्यातक इकाईयों को दिया जाएगा। निर्यातक इकाईयों के योगदान की मान्यता को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने एक्सपोर्ट अवार्ड स्कीम की शुरूआत की है। राज्य द्वारा 9 विभिन्न औद्योगिक समूहों में से कुल 18 'आउट स्टैडिंग एक्सपोर्ट अवार्ड' और एक 'आउट स्टैडिंग वूमन एक्सपोर्ट अवार्ड' के लिये 3 लाख रूपये दिया जाता है।

4.14 30–11–2016 को गुरूग्राम में राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें मान्नीय मुख्यमंत्री ने 111 पुरस्कार बांटे जिन्होनें पिछले 8 वर्षों में (2007–08 से 2014–15 तक) सबसे अच्छा निर्यात में प्रदर्शन किया, जिसमें 71.28 लाख रूपये दिए गए।

4.15 सूक्ष्म व छोटे उद्योगों के वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य के कारण कई अवसरो के साथ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई, जिसमें से एक चुनौती अपने उत्पाद के लिए विपणन के अवसर पैदा करने के लिये है। इस बात की जरूरत को महसूस किया गया कि सूक्ष्म व छोटे उद्योगों को उनके उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए देश व विदेश में राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। तदानुसार, 'बाजार विकास सहायता योजना' के माध्यम से राज्य के सूक्ष्म व छोटे उद्यमों को बाजार विकास सहायता देने के लिये उद्यम संवर्धन नीति–2015 में प्रावधान किया गया ।

4.16 वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पाद की गुणवत्ता 'जीरो डिफैक्ट' पर सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म व छोटे उद्योगों को अपने उत्पाद की गुणवता को बढ़ाने के लिए कच्चे माल व तैयार माल के लिए परीक्षण सुविधाओं को सृजित करने की जरूरत है। सीमित साधनों की वजह से सूक्ष्म व छोटे उद्यमियों को परीक्षण उपकरण खरीदने में मुश्किलें आती है। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में कहीं भी स्थित लघु व छोटे उद्यमियों के लिए 'परीक्षण उपकरण सहायता योजना' के तहत प्रावधान किया है।

4.17 रोजगार सर्जन, आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा के योगदान में हरियाणा राज्य का हथकरघा उद्योग एक समृद्ध विरासत है। राज्य में शिल्पी, शिल्पकारों, बुनकरों को उनके हथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये हमने 'हस्तशिल्प पुरस्कार योजना'शुरु की है। यह पहचान उन शिल्पियों को लगातार प्रोत्साहित करेगी और वे ज्यादा उत्साही व उत्पादक तरीके से शिल्प का उत्पाद करेंगे, जिससे राज्य के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

4.18 राज्य सरकार एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढाने में सहायता देने के लिए एक विस्तरित प्रस्ताव को अपनाने में प्रयासरत है। यह स्वीकार करते हुए कि एम.एस. एम.ई. बड़ी मात्रा में रोजगार देने वाले निर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार ने एम.एस. एम.ई. को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी भागीदारी में सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) स्थापित करने के लिए नीति अपनाई है।

4.19 एम.एस.एम.ई. निर्माण क्षेत्र एवं कुशलता विकास को बढावा देने के लिए दो टूल रूम प्रौद्योगिकी केन्द्र आई.एम.टी. रोहतक (19.8 एकड़) तथा औद्योगिक विकास केन्द्र, साहा (10 एकड़) में 150 करोड़ रूपये निवेश किया जाएगा। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने अपने योगदान के रूप में इन परियोजनाओं के लिए भूमि प्रदान की है। एक प्रौद्योगिक केन्द्र द्वारा विभिन्न दीर्घकालीन एवं लघु कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 10,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना सम्भावित है। केन्द्रीय टूल रूम, लुधियाना ने राजकीय उष्मा उपचार केन्द्र, फरीदाबाद के भवन में विस्तार केन्द्र स्थापित किया है। यह विस्तार केन्द्र एडवांस सी.ए.डी.व सी.ए.एम. की ट्रेनिंग के द्वारा प्रति वर्ष औसतन 400 विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को बढाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (एन.एस.आई.सी.), नई दिल्ली ने राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, निमका (फरीदाबाद) में प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं।

4.20 हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं संरचना निगम का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई), भारत सरकार की मेघा फूड पार्क स्कीम (एम.एफ.पी.एस.) के अन्तर्गत औद्योगिक संपदा बरही में लगभग 75 एकड़ भूमि पर मेघा फूड पार्क परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 177.59 करोड़ रूपये की लागत आएगी। परियोजना स्थल का निर्धारण हो चुका है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार 50 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं संरचना निगम की परियोजना को 'अन्तिम स्वीकृति' दे दी है। आंबटियों/उद्यमियों द्वारा फूड प्रोसैसिंग इकाईयाँ स्थापित करने के लिए मेघा फूड पार्क में लगभग 100 प्लाट/शैड काटे जाएंगे।

4.21 वित्त, मार्केटिंग तथा परिचालनों इत्यादि क्षेत्र में स्थिति/पेशेवर युवकों/ सलाहकारों की नियुक्ति करके उद्योग विशेषतया एम.एस.एम.ई. को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को उद्यमी सहायता समूह के रूप में सुदृढ एवं पुनः स्थापित किया जाएगा।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.22 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार के नोटीफिकेशन दिनांक 1–2–1969 की धारा **3** (1) पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के अधीन

हुई। बोर्ड सामान्य रुप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने, खादी और ग्रामोद्योगों को उन्नत करने और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्वेश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त –

i) ऋणियों को विभिन्न बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।

ii) व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलवाना जो खादी और ग्रामोद्योगों के माध्यम से रोजगार के साधन स्थापित करना चाहते हैं।

iii) खादी और ग्रामोद्योग सैक्टर में विकास

iv) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन में सहयोग।

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.23 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) की उद्घोषणा की। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जाति हेतु प्रदान किया जाता है। जहाँ तक कमजोर वर्ग के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला/शारीरिक रूप से अपंग/भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजना के लिए 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान है।

4.24 वर्ष 2015–16 में बोर्ड द्वारा 502 केसों के लिए 1,004.22 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 427 केसो, जिसमें 1,107.87 लाख रूपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित है, वितरित की जा चुकी है तथा वर्ष 2016–17 में बोर्ड द्वारा 683 केसों के लिए 1365.37 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने दिनांक 31–12–2016 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 198 केसो, जिसमें 563.05 लाख रूपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित है, वितरित कर दी है।

4.25 खादी रिबेट : खादी रिबेट स्कीम के अन्तर्गत खादी उत्पाद जैसे सिल्क, खादी, ऊनी व पोली वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत रिबेट, जोकि गांधी जयन्ती के अवसर पर 2 अक्तूबर से शुरू होती है, 2013–14 तक प्रदान की जाती रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड द्वारा 317.53 लाख रूपये की राशि, जो वर्ष 2011–12 के रिबेट क्लेम लम्बित थे, वितरित की गई है। वर्ष 2014–15 व 2015–16 में (दिनांक 30–6–2015 तक) 922.74 लाख रूपये की राशि, जोकि वर्ष 2012–13 व 2013–14 के रिबेट क्लेम लम्बित थे, वितरित की गई है।

खान एवं भू–विज्ञान

4.26 खान एवं भू–विज्ञान विभाग राज्य में खनिज संसाधनों के व्यवस्थित खनन विकास गवेक्षण तथा दोहन के लिये जिम्मेदार है। हरियाणा राज्य को बड़े खनिजों के पर्याप्त भण्डार के रूप में नही जाना जाता और राज्य की खनन गतिविधियां मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि रेत, पत्थर, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होते है, तक ही सीमित है।

4.27 खनिज अन्वेषण: खनिजों का अन्वेषण तीन विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि विभाग द्वारा स्वयं, राज्य और केन्द्रीय भू–वैज्ञानिक योजना के अनुसार चिन्हित स्थानों पर भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा तथा प्राइवेट एजेन्सियों को केन्द्रीय अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस अनुदान प्रदान करके।

4.28 अब विभाग भू–वैज्ञानिक के सीमित समूह के साथ या तो अपने सीमित संसाधनों द्वारा या स्वंय द्वारा या भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के साथ खनिज अन्वेषण के कार्य करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिला महेन्द्रगढ़ में तांबा तथा इसके साथ पाई जाने वाली धातु के अन्वेषण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

4.29 राज्य में खनन कार्य मुख्यतः निर्माण उद्योग में काम आने वाले लघु खनिज जैसे कि पत्थर, बोल्डर, बजरी, रेत, स्लेट पत्थर इत्यादि तक ही सीमित है।

4.30 विभाग ने वित्त वर्ष 2010–11 में भिवानी और हिसार जिलों की सीमा पर स्थित गांवों में जिप्सम, एक मुख्य खनिज (जिसे भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2015 में लधु खनिज अधिसूचित किया गया है) की उपस्थिति का पता लगाया गया है।

4.31 हालांकि, खनिज भंडार बड़ी मात्रा में नहीं है परन्तु इससे राज्य के अन्य भागों में खनिज मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए, मामले की जुलाई, 2011 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ चर्चा की गई थी और विस्तृत अन्वेषण के लिए जनवरी, 2012 में समीक्षा की गई है। हालांकि,आज तक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अन्य क्षेत्रों में जिप्सम के भण्डार नही मिले हैं। इसके अलावा, जिला महेन्द्रगढ़ में तांबा व इसके साथ पाए जाने वाले धातु खनिजों के अन्वेषणों को भी भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ उठाया गया है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति हासिल नही हुई है।

4.32 खनिज प्रबन्धन : राज्य मे खनन कार्य मुख्य तौर पर छोटे खनिजों जैसे कि पत्थर, बोल्डर, ग्रैवल, रेत तथा स्लेट स्टोन इत्यादि का है जिसका संचालन 'हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टॉकिंग, परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम, 2012' के अनुसार किया जाता है। खुली बोलियां को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से खनिज रियायत (पट्टे/ठेके) पर दिये जाते है।

4.33 पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में लम्बी मुकद्मेबाजी के बाद अक्टूबर, 2013 में समाधान उपरान्त राज्य ने सफलता पूर्वक दिसम्बर, 2013 में लघु खनिज खानों की नीलामी करवाई। नीलामी में राज्य को कुल 42 खनन इकाईयों के लिए 2,133.92 करोड़ रूपये की सालाना बोली प्राप्त हुई, जो अभूतपूर्व है। इसके अतिरिक्त एक पत्थर खान का खनन पट्टा ग्राम खानक जिला भिवानी में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचनात्मक विकास निगम जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, को दिया गया है।

4.34 यह ज्ञात होने पर की उन्होंने बहुत ऊंची बोलियां दे दी है तथा बोली लाभदायक नहीं रहेंगी, कुछ ठेकेदारों ने अपने ठेके रद्द करवा लिये। 42 ठेकों में से 19 ठेके रद्द/समाप्त किए गये। जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

- जिला सोनीपत की 2 इकाईयों की बोलियां ठेकेदारों ने रद्द करवा ली।
- 13 खनन इकाईयों की (03 जिला पंचकुला, 04 जिला यमुनानगर, 03 जिला महेन्द्रगढ़ एवं 03 जिला भिवानी) बोलियां माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई।

- जिला अम्बाला की 01 खनन इकाई, जिला करनाल की 01 इकाई, जिला पलवल की 01 इकाई तथा जिला महेन्द्रगढ़ की 01 इकाई का ठेका नियमों की पालना न करने की वजह से रद्द कर दिया गया है।
- जिला पानीपत की एक रेत खनन इकाई का मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

4.35 उपरोक्त अनुसार इस समय, 42 खनन ठेके जो की दिसम्बर, 2013 में नीलाम हुए थे, में से केवल 22 ठेके ही शेष बचे हैं। बड़ी खनन इकाइयों वाले ठेके/पट्टो के निरस्त्रीकरण के बाद विभाग ने 89 छोटे इकाइयों के ब्लॉक्स बना उनको अलग अलग तिथियों पर नीलामी के लिए डाल दिया। विभिन्न नीलामियों में 65 ब्लॉक्स बोलियों के लिये आकर्षित किये गये, बचे हुये को दोबारा ई–नीलामी के लिये रखा जायेगा।

4.36 वर्तमान में 119 गौण खनिज खदानें राज्य में है उनमें से 87 खदानों के संबंध में कौन सा खनिज रियायत से राज्य में प्रदान किया गया है। बाकि शेष बची खानों को भी जल्द ही ई–नीलामी में रखा जायेगा। इनमें से 87 खदानों पर खनन अनुबंध/खनन पट्टे की अनुमति है, 40 पट्टो पर खनन कार्य चल रहा है तथा 12 को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो गई है तथा 35 पर अभी पर्यावरण सम्बंधी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इन खानों में खनन कार्य जल्द ही शुरू होगा। छोटे आकार के 04 ठेके/पट्टे (03 जिला सोनीपत व 01 जिला भिवानी) रद्द कर दिए गए । कुल 16 पत्थर की खानों में से (08 जिला भिवानी की व 08 जिला महेन्द्रगढ़ की) और 24 रेत, पत्थर एवं बजरी की खनन इकाईयां/खण्ड (03 जिला पंचकुला, 06 यमुनानगर, 02 करनाल, 08 सोनीपत और जिला अम्बाला, कुरूक्षेत्र, पानीपत, पलवल व महेन्द्रगढ़ में प्रत्येक की 01) में खनन कार्य पर्यावरण मंजूरी व अन्य आवश्यक अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने उपरान्त सुचारू रूप से चल रहा है।

4.37 बड़ी खनन इकाईयों की बजाय छोटे खनन ब्लॉक देनें कि राज्य की नीति : वर्तमान सरकार बनने के उपरान्त खनन के ठेकों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बड़ी खनन इकाइयों/ब्लॉकों को खनिज रियायतें (ठेके/पट्टे) ठेके देने की बजाय छोटी खनन इकाइयों/ब्लॉकों को खनिज रियायतें दिये जाने का महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है, जिससे खनन व्यवसाय में दिलचस्पी रखने वाले छोटे उद्यमी भी खनन के काम में प्रवेश कर सकें। इस नीति के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार भी समाप्त होगा।

4.38 राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार जिला सोनीपत की 02 बड़ी रेत खनन इकाईयों के ठेके रद्द होने के बाद 14 छोटे आकार के खनन खण्ड बनाए गए। विभिन्न नीलामियों में से सभी 14 खनन खण्डों की बोली हो गई है। यद्यपि हाल ही में 03 छोटे खनन खण्ड रद्द कर दिये गये।

4.39 इसी प्रकार जिला यमुनानगर में 04 बड़े खनन ठेके रद्द होने के बाद 31 छोटे आकार के खण्ड बनाए गए। छोटे आकार के खण्डों को विभिन्न तिथियों में ई–नीलामी के लिए रखा गया था तथा इन नीलामियों में 29 खनन खण्डों की बोलियां प्राप्त हुईं।

4.40 इसी प्रकार से जिला पंचकुला में 3 बड़ी खनन इकाईयों के ठेके रद्द होने के बाद 18 छोटे आकार के खण्ड बनाये गये (पुल के कारण एक खनन खण्ड की बोली नही की गई) ये खण्ड दो बार ई–नीलामी में लिए रखे गये, इन नीलामियों में केवल 07 खनन खण्डों को बोलियां प्राप्त हुईं।

4.41 जिला महेन्द्रगढ़ की दो बड़े आकार की पत्थर खान पट्टो को रद्द किया गया इनमें से 5 छोटे आकार के खनन खण्ड बनाये गये

तथा 02 नये खनन खण्डों की पहचान की गई। इसी प्रकार जिला भिवानी के 02 बडे आकार के खनन पट्टे रद्द होने पर 07 छोटे खनन खण्ड बनाये गये तथा 04 नये खनन खण्डों की पहचान की गई। ये 18 नये बनाए गए खनन खण्ड विभिन्न दिनांको में ई–नीलामी के लिए रखे गये। इन नीलामियों में जिला महेन्द्रगढ़ के 07 खनन खण्ड तथा जिला भिवानी में 10 खनन खण्डों की बोलियां प्राप्त हुईं। इसके अलावा, जैसा कि पूर्वगामी पैरा में कहा गया कि जिप्सम की उपस्थिति की खोज के बाद, विभाग ने जिप्सम खनिज की लीज (गांव सहारवा जिला हिसार व गांव दरियापुर व गारनपुर कलां जिला भिवानी क्षेत्र में फैला हुआ) ई नीलामी द्वारा दी है और पट्टाधारक सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

4.42 ई–नीलामी : वर्तमान सरकार के एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा अब लघु खनिजों के रियायत ई–नीलामी के द्वारा दिये जाने लगे हैं। यह एक निष्पक्ष प्रणाली ही नहीं है बल्कि देश के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्तियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर प्रदान करते है ।

4.43 दिसम्बर, 2013 तथा बाद में प्रदान किये गये क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) 16 पत्थर की खानें (08 जिला भिवानी तथा 08 जिला महेन्द्रगढ़) तथा 24 कंकर, बजरी तथा रेत /केवल रेत खदानें (03 जिला पंचकुला, 06 जिला यमुनानगर, 02 करनाल, 08 सोनीपत तथा अम्बाला, कुरूक्षेत्र, पानीपत, पलवल व महेन्द्रगढ प्रत्येक में 01 में खनन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

(ii) कुल 42 ठेकों में से 19 ठेके/खनन पट्टे पहले ही रद्द किए जा चुके हैं तथा एक अन्य ठेके के रद्द किए जाने बारे मामला मान्नीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मे लम्बित है।

(iii) 22 चल रही खनन ईकाईयों (42 खनन ईकाईयों) जिनकी नीलामी दिसम्बर, 2013 में की गई थी तथा नये बनाए गए 63 खनन खण्ड (89 खण्डो में से) जिन्हें 2014–15 व 2015–2016 में हुई नीलामी में बोलियों के लिये आकर्षित किया गया, 39 ईकाईयों ने 14–9–2006 की अधिसूचना एम0ओ0ई0एफ0, भारत सरकार के अनुसार पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली है।

(iv) एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने भी खानक क्षेत्र से पत्थर के खनन हेतु पर्यावरण सम्बन्धित मंजूरी तथा अन्य जरूरी अनुमति मिल जाने के बाद खनन कार्य प्रारंभ कर दिया है।

(v) 30 अन्य खनन इकाईयां/ब्लॉक पर्यावरण सम्बन्धित मंजूरी लेने के लिए लम्बित हैं।

(vi) कुल 89 छोटे नये क्षेत्रों {14 सोनीपत, 19 पंचकुला, 08 अम्बाला, 33 यमुनानगर, 18 पत्थर की खानें महेन्द्रगढ़/भिवानी की} (कुछ खनन ईकाईयां एवं ब्लॉक रद्द किये गये) पुरानी बड़ी ईकाइयों को छोटे ब्लाकों/नये क्षेत्रों में विभाजित करने पर नये ठेके/पट्टे देने के लिए नई सरकार बनने के बाद पेशकश किया गया था।

(vii) कुल 89 छोटे ब्लाकों में से 63 ब्लाकों के लिये बोलियां की जा चुकी है तथा 25 खनन ब्लाकों/ईकाईयां (11 पंचकुला, 8 अम्बाला, 2 यमुनानगर, 3 लघु खनन ब्लाक सोनीपत तथा 1 पत्थर खनन ईकाई भिवानी) जिसके ठेके रद्द कर दिये गये, को ई–टैंडर के द्वारा बोली के लिये खोली जा चुकी है।

(viii) जिला अम्बाला की 01 बजरी तथा रेत की खनन इकाई का ठेका रद्द होने उपरान्त उस क्षेत्र के 08 छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं।

(ix) इसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ की 02 रेत इकाई का ठेका रद्द हो चुका है, जिसके छोटे ब्लॉक बनाए जाएंगे।

(x) जिला महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी की एक–एक पत्थर की खान में खनन कार्य रद्द कर दिया

गया तथा इनमें से छोटे–छोटे प्लाट बनाकर ई–टैंडर के लिये रखे जायेगें ।

(xi) जिला करनाल के 02 खनन ठेकेदारों जिन्होंने खनन कार्य करना शुरू कर दिया था, ने बहुत ऊंची बोली होने की वजह से ठेके अव्यवहारिक होने की वजह से, ठेके रद्द करवाने बारे प्रतिवेदन दिया है। 01 का ठेका रद्द हो चुका है, दूसरे को नोटिस जारी किया जा चुका है।

(xii) जिला फरीदाबाद की 02 खनन इकाईयों का खनन कार्य मान्नीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की वजह से शुरू नहीं किया जा सका/बन्द करना पड़ा है।

4.44 फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा मेवात जिलों के अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में खनन : हरियाणा के जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा मेवात से सम्बन्धित खनन मामलें मान्नीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फैसले हेतु लम्बित हैं। ये मामले मान्नीय उच्चतम् न्यायालय की वनपीठ के समक्ष विचाराधीन हैं। मान्नीय उच्चतम् न्यायालय ने 19–8–2011 को वन एवम् पर्यावरण न्यायालय को राज्य एवं पट्टा धारकों द्वारा प्रस्तुत पुर्नवास और बहाली योजना की जांच करके रिर्पोट देने बारे निर्देश दिये। वन एवं् पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय खान ब्यूरों से इन योजनाओं की जांच करवाई जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय ने भी भारतीय खान ब्यूरों की सिफारिशों का समर्थन करते हुए मान्नीय उच्चतम् न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है।

तालिका 4.1 अवैध खनन के सामने आये मामले व जिन पर कार्यवाही की गई

वर्ष	वैध दस्तावेजों के बिना अवैध खनन में सम्मिलित परिवहन वाहनों की संख्या	जुर्माना लाखों में	दायर एफ.आई. आर. की संख्या
2010-11	1270	146.78	107
2011-12	1588	263.33	117
2012-13	2564	163.31	122
2013-14	4518	991.59	148
2014-15	5333	1451.71	245
2015-16	3912	838.55	78
2016-17 (जून,16 तक)	618	103.26	9
कुल	**19803**	**3958.53**	**826**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा

तालिका 4.2– वर्ष 2010–11 से प्राप्त हुए राजस्व का ब्यौरा

वर्ष	आय (रूपए)
2010-2011	78,37,82,421
2011-2012	87,39,17,998
2012-2013	70,82,97,185
2013-2014	81,51,92,485
2014-2015	43,89,23,274
2015-2016	2,65,42,07,664
2016-17 (दिसंबर, 2016 तक)	3,56,30,91,461

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा

आबकारी एवं कराधान

राजस्व की वसूली

4.45 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है। विभाग विभिन्न अधिनियम जैसे कि वैट अधिनियम, आबकारी अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम, पी.जी.टी. अधिनियम और लग्जरी अधिनियम के रूप में कर का संग्रह करता है। आबकारी व कराधान विभाग विभिन्न वाणिज्य करों व उत्पाद शुल्क के संग्रह को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्व है। प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2016–17 में विभाग को वैट तथा सीएसटी में 28,750.98 करोड़ रूपये तथा आबकारी शीर्ष में 5,251.58 रूपये निर्धारित किया गया था जो कि बाद में संशोधित करके 25,000 करोड़ रूपये तथा 4,900 करोड़ रूपये दिनांक 9–8–2016 को कर दिया गया । इस विभाग ने 17,031.77 करोड़ रूपये अक्तूबर, 2016 तक एकत्रित किये जोकि पिछले वर्ष 15,348.85 करोड़ रुपये की तुलना में 10.96 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी नीति

4.46 वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में तैयार की गई आबकारी नीति में ठेकों के आबंटन में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ई– टेंडरिंग द्वारा किया गया है दूसरे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए शराब ठेकों (1,788 सी.एल. + 432 आई.एम.एफ.एल.) के सभी 2,220 समूहों का आबंटन सफलता पूर्वक ई– टेंडरिंग के माध्यम से पूरा किया गया है। इस आनलाईन प्रणाली से शराब ठेकों के आबंटन में पारदर्शिता लाई गई है। विभाग ने वर्ष 2016–17 में 3,182.11 करोड़ रूपये एकत्रित किए है जो कि वर्ष 2015–16 में 2,866.58 करोड़ रूपये थे, की तुलना में 11.01 प्रतिशत अधिक है।

व्यापारियों/डीलरों के प्रोत्साहन के लिए विभाग द्वारा उठाये गए कदम

4.47 व्यापारियों/डीलरों के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

(i) राज्य में जूता उद्योग को व्यवस्थित रूप मे बढ़ावा देने के तथा उद्यम संवर्धन नीति–2015 में की गई प्रतिबद्धता करने के लिए सरकार ने जूते जिनकी अधिकतम खुदरा कीमत 500 रूपये से अधिक है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दी हैं। इससे राज्य में जूता उद्योग लगाने की स्थापना के लिए बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जूते के अपर को भी वैट से कर मुक्त रखा है।

(ii) सरकार द्वारा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खल, बिनौला तथा बेसन को कर मुक्त करते हुए विशेष प्रयास किया है। इससे पहले खल पर 2 प्रतिशत, बिनौला तथा बेसन पर 5 प्रतिशत वैट की दर थी। यह कदम कृषि आधारित व्यापार और उद्योग के साथ–साथ राज्य के उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक होगा।

(iii) सरकार ने उद्यम संवर्धन नीति–2015 में की गई प्रतिबद्धता को पूरा किया है। सूती धागा जब राज्य में स्थापित विनिर्मित ईकाई द्वारा निर्मित करके बेचा जाता है, पर कर की दर कम करके शून्य प्रतिशत कर दी है। सरकार के इस कदम से राज्य में ओर सूती धागा उद्योग स्थापित होगें।

(iv) सरकार ने कृषि उपज के उपयोग के उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए "वेमिसेली" (सेवई) पर 12.5 प्रतिशत कर की दर से कम करके 5 प्रतिशत कर दी है।

(v) सरकार ने लघु उद्योगों तथा गृहस्थीयों को राहत प्रदान करने के लिए छोटा टोका (रसोई के लिए पतेदार सब्जियों का कर्तक) को वैट भुगतान से छूट प्रदान की है।

(vi) स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बैटरी संचालित इलैक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत कर की दर से कम कर के 5 प्रतिशत कर दी हैं। यह कदम राज्य में बैटरी संचालित इलैक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण के

लिए औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा।

(vii) सरकार द्वारा फरवरी, 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित पंजीकृत व्यापारियों जिनका माल खो गया है या नष्ट हो गया है, ऐसे प्रभावित व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए कर, ब्याज, जुर्माना या अन्य बकायों के सम्बन्ध में 27–5–2016 को जारी अधिसूचना द्वारा माफी स्कीम लाई गई।

(viii) राज्य में पारम्परिक मेंहदी व्यवसाय को प्रोत्सिाहित करने के लिए सरकार ने मेंहदी के पत्ते और इसका पाउडर पर अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2016 द्वारा 2 अगस्त, 2016 से वैट से कर मुक्त कर दिया है।

(ix) हरियाणा वैट/सी0एस0टी अधिनियम के अधीन पंजीकरण राज्य में कारोबार को आसानी से बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की समय अवधि अधिसूचना 25–5–2016 द्वारा 60 दिन से कम करके 15 दिन की कर दी है।

(x) वह औद्योगिक ईकाई जिनके पास स्वामित्व परिसर एवं 10 लाख रूपये की बैंक गारन्टी जमा करने के लिये, उनको पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये एक कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है ।

(xi) सुख साधन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र सुख साधन अधिनियम, 2007 के अधीन परिपत्र 14 जून, 2016 द्वारा 15 दिन में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की समय अवधि निर्धारित कर दी गई है।

(xii) 2 फरवरी, 2011 से पंजीकृत रोगी वाहन अथवा पशु एम्बुलेंस के रूप में पंजीकृत वाहन को सरकार द्वारा "न लाभ न हानि" के आधार पर चलने वाली एम्बुलेंस सेवाओं को यात्री भुगतान एवं मालकर से छूट की सुविधा अधिसूचना दिनांक 15–2–2016 में दी गई है।

(xiii) माल वाहनो की क्षमता की दर 1.2 टन तक की छूट दी गई है लेकिन 1.2 टन से लेकर 6 टन तक को 6000 रूपये, 6 टन से लेकर 16.2 टन तक 7200 रूपये, 16.2 टन से लेकर 25 टन तक 12,000 रूपये तथा 25 टन से ऊपर 18 हजार रूपये प्रति वर्ष दिये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 9–7–2015 को जारी की गई।

(xiv) यात्री कर निर्धारण अनुबंध कैरिज परमिट साधारण बस के लिये 125 रूपये, डीलक्स/सैमी डीलक्स के लिये 175 रूपये, साधारण वातानुकूलित बस 200 रूपये, डीलक्स/सैमी वातानुकूलित बस 300 रूपये, तथा लग्जरी वातानुकूलित बस के लिये 350 रूपये प्रति सीट, प्रति महीना सरकार द्वारा दिनांक 16–3–2016 को आदेश पारित किया गया ।

(xv) दिनांक 9 नवम्बर, 2016 को जारी अधिसूचना द्वारा रेलवे ट्रैक मशीन की बिक्री पर 1–4–2016 से वैट 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(xvi) दिनांक 17–10–2016 को जारी अधिसूचना द्वारा कैंसर के रोग निदान में उपयोग हेतु टेक्नीशियम 99–एन. जैनरेटर की बिक्री पर 1–11–2016 से वैट से मुक्त कर दिया गया है।

(xvii) 12 सितम्बर, 2016 को बिल्डरों/डवैलपर्स से कर, ब्याज, शासित या अन्य बकायों जो अन्तहीन मुकद्मों के कारण जिनकी वसूली मुश्किल थी, के संविदाकारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम, 2016 प्रारम्भ की गई।

(xviii) मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान 3 हिन्दी फिल्मों को मनोरंजन कर छूट दे दी गई है।

विभाग में कम्प्यूटरीकरण

4.48 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत विभाग को वाणिज्यिक कर के लिये मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) के अन्तर्गत वाणिज्य कर प्रणाली के लिए विभाग को इन क्रियाओं का

सविस्तार कम्प्यूटरीकरण करने हेतु चुना गया था। परियोजना का लक्ष्य पारदर्शी वातावरण बनाने एवं इस परियोजना को सूचारू रूप से लागू करने हेतु विभाग द्वारा मैं0 एरनेस्ट एण्ड यंग एल.एल. पी. को सलाहकार और मैं0 विप्रो लिमिटेड को सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर 115 करोड रूपए पर अनुबंधित किया गया है। सिस्टम इंटीग्रेटर इस परियोजना को लगभग 18 मास में पूरा करेगा और अगले 5 साल तक इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाए रखने में विभाग को सुविधा देता रहेगा। इस परियोजना के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियों/सुविधायें डीलरों/लाईसैंसधारियों को उपलब्ध कराई गई, निम्न प्रकार से हैः

i) आबकारी ठेकों की ऑनलाइन निविदा : विभाग द्वारा वर्ष 2015–2016 एवं 2016–2017 के लिए शराब के ठेके क्रमशः मार्च, 2015 और मार्च, 2016 के महीने में ई–टेन्डरिंग के माध्यम से आबंटित किये गये। प्रार्थीयों द्वारा इस माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भेजे गए और विभाग द्वारा ठेकों का आबंटन किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना ऑनलाइन किया गया। इस प्रक्रिया को लागू करने से ठेको की आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता होने के कारण राजस्व में वर्ष 2015–2016 में 18.23 प्रतिशत (441.7 करोड़ रूपये) तथा वर्ष 2016–2017 में 16.30 प्रतिशत (446 करोड़ रूपये) की प्रर्याप्त वृद्धि हुई।

ii) सी–फार्म ऑनलाइन जारी करना : विभाग द्वारा 1–6–2015 से व्यापारियों को ऑनलाइन सी–फार्म के जारी किये जाने की सुविधा शुरू की गई। इस सुविधा के अन्तर्गत व्यापारी सी–फार्म के लिए ऑनलाइन आवेदन देता है तथा निर्धारण अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त उसे सी–फार्म ऑनलाइन ही उपलब्ध करवा दिये जाते हैं। यह सुविधा 24x7 उपलब्ध है तथा व्यापारी को कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा के लागू किये जाने के उपरान्त 5–12–2016 तक व्यापारियों को 14,51,832 सी–फार्म जारी किये जा चुके हैं। अग्रिम सी–फार्म जारी करने के लिए ऑनलाइन मॉडयूल भी विकसित किया है और इसे राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया गया है।

iii) ऑनलाइन पंजीकरण : जुलाई, 2015 से विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों (वैट, सीएसटी, पीजीटी, लग्जरी एक्ट और मनोरंजन डयूटी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जाने की सुविधा लागू की गई। इस सुविधा के लागू किए जाने से आवेदक को बार–बार कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रही। ऑनलाइन पंजीकरण माडयूल के माध्यम से 5–12–2016 तक 30,021 नये पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं। इस मोडयूल के अंतर्गत व्यापारियों को पंजीकरण संशोधन एवं रद्द करने हेतु आवेदन दिए जाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

iv) टैक्स का ऑनलाइन भुगतान : विभाग द्वारा जुलाई, 2015 से व्यापारियों द्वारा कर भुगतान ऑनलाइन किए जाने का शुभारंभ किया गया था। जिसके फलस्वरूप व्यापारियों को बार–बार कार्यालयों एवं बैंक के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही। वह कहीं भी और किसी भी समय भुगतान कर सकते हैं। विभाग इस सुविधा के लिए ई–ग्रास भुगतान के प्रवेशद्वार का उपयोग भी कर रहा है।

v) ऑनलाइन रिटर्नः विभाग द्वारा जुलाई, 2015 से व्यापारियों को त्रैमासिक व वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2015–16 की सभी चार त्रैमासिक व वर्ष 2016–2017 की प्रथम दो त्रैमासिक रिटर्नें ऑनलाइन प्राप्त की जा चुकी है। इस प्रकार वार्षिक रिटर्न (आर–2) भी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा रही है। इस सुविधा के लागू करने से व्यापारियों को बार–बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं रही। अब तक 90 प्रतिशत से अधिक ई–रिटर्न इस माध्यम से प्राप्त की जा चुके हैं।

vi) ऑनलाइन परमिट और पासः राज्य में एक्साइज परमिट और पास की सेवा को 1 दिसम्बर, 2015 से ऑनलाइन शुरू करके शराब व्यापारियों को परेशानी से मुक्त किया गया है।

vii) ऑनलाइन रिफंडः विभाग द्वारा जुलाई, 2016 से ऑनलाइन रिफंड जारी किए जाने की सुविधा लागू की गई है। इसके अन्तर्गत व्यापारी रिफंड हेतू ऑनलाइन आवेदन देगा तथा रिफंड उसके बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा।

viii) शिकायत निवारण व सहायता पटलः विभागीय वैबसाईट पर विभाग द्वारा ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा लागू की गई है। व्यापारी/नागरिक इस वैबसाईट पर अपनी दुविधा/शिकायतें/सुझाव 24x7 ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यालय में एक समर्पित शिकायत निवारण सैल गठित किया गया है जो इनका निपटान निष्ठापूर्वक कर रहा है। शिकायतों के निवारण हेतू मुख्यालय में टोल फ्री टैलीफोन सुविधा भी उपलब्ध करवायी गई है। विभाग द्वारा किसी प्रकार की जांच/ई–सेवाओं में सुझाव के बारे मद्द हेतू मुख्यालय में सहायता पटल स्थापित किया गया है।

निकट भविष्य में मॉडयूल लागू किये जायेंगे

4.49 निकट भविष्य में निम्न मॉडयूल लागू किये जायेंगेः–

i) अपना बिल अपना विकास स्कीम : राज्य के विकास के लिये कर राजस्व के महत्व को बढ़ावा देने के लिये ग्राहकों को विक्रेताओं से बिल प्राप्त करने को प्रेरित करने एवं सवेंदनशील एवं जागरूक किया गया है । आयकर एवं काराधान विभाग, हरियाणा ने एक स्कीम "अपना बिल अपना विकास" हरियाणा सरकार को सौपीं है जिसमें उन ग्राहकों को नकद ईनाम दिया जायेगा, जो अपना बिल मोबाईल फोन के अनुरूप एप्लीकेशन द्वारा भुगतान करेगा। ईनाम ड्रा के माध्यम से दिये जायेगें। मोबाईल फोन एप्लीकेशन के विकास की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

ii) ऑनलाईन वैधानिक फार्मः सी–फार्म के सफल कार्यान्वयन के उपरान्त, विभाग सभी वैधानिक फार्मों (एफ, एच, ई–I, ई–II) को वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक ऑनलाईन उपलब्ध कराने की उम्मीद कर रहा है। इसको लागू करने की पायलट परियोजना दो जिलों में शुरू कर दी गई है।

iii) ऑनलाईन कर निर्धारण : विभाग ऑनलाईन कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक लागू करने की तैयारी में है। इससे कर निर्धारण के मामलों के निपटान में गति आयेगी तथा निर्धारण अधिकारियों की कार्यदक्षता में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें कर निर्धारण हेतू डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। ऑनलाईन निर्धारण का पायलट प्रोजैक्ट पांच जिलों में पहले ही शुरू किया जा चुका है।

iv) ऑनलाईन बकाया और वसूली : विभाग बकाया की वसूली हेतु मॉडयूल वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक लागू करने की उम्मीद करता है। इस मॉडयूल के अंतर्गत ऑनलाईन केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा बकाया तथा वसूली हेतू विभाग में तैयार किया गया है, जिससे राज्य में सभी प्रकार के बकाया एवं वसूली की स्थिति का पता चलता रहेगा। ऑनलाईन बकाया एवं वसूली का पायलट प्रोजैक्ट पांच जिलों में शुरू किया जा चुका है।

v) कर अनुसंधान ईकाई की स्थापना : विभाग में एक कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। कर अनुसंधान इकाई पर कर चोरी, भ्रष्ट आचरण व गम्भीर अनियमिताओं को डिजिटल डाटा विश्लेषण व विभाग के अन्य साधनों के माध्यम से खुफिया जानकारी संग्रहण करना, अनुसंधान तथा कार्यवाही करना, की जिम्मेदारी होगी।

विद्युत

4.50 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वहन की जाने वाली कीमत पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो जेनरेशन पोटेंशियल बहुत कम है। यहाँ तक कि कोयले की खाने भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमाने पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर कर रहा है।

4.51 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 11,053.30 मेगावाट है। इसमें 2,782.4 मेगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 828.97 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। वर्ष 2015–16 के दौरान इन स्त्रोतों से बिजली उपलब्धता 4,45,111 लाख के.डब्ल्यू.एच. थी। वर्ष 2015–16 के दौरान 3,22,370 लाख के.डब्ल्यू.एच. बिजली बेची गई थी। वर्ष–वार कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली की संख्या **तालिका 4.3** में दी गई है।

तालिका 4.3– राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली।

वर्ष	स्थापित उपत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29	343	6010	5010.00
1970–71	29	486	12460	9030.00
1980–81	1074	1174	41480	33910.00
1990–91	1757	2229.5	90250	66410.00
2000–01	1780	3124.50	166017	154231.00
2010–11	4106	5997.83	296623	240125.00
2011–12	4106	6740.93	326473	266129.66
2012–13	4106	9839.43	343177	262576.03
2013–14	4060	10683.61	402779	288608.72
2014–15	4060	11102.32	438956	319972.00
2015–16	3611.37	11053.30	445111	322370.61

* इसमें राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पी. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर तथा लघु हाईड्रो एवं सौर परियोजनाएं) आदि सम्मिलित नहीं है।

प्राप्ति स्थानः एच.वी.पी.एन.लिमिटेड

4.52 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर 2015–16 में 57,52,170 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.4** में दी गई है।

तालिका 4.4–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	कुल
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2011–12	3849779	479366	88821	540406	38593	4996965
2012–13	4020928	502912	91087	561381	41919	5218227
2013–14	4136499	522110	93839	582605	46076	5281129
2014–15	4266675	547395	96887	603797	47265	5562919
2015–16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170

प्राप्ति स्थानः एच.वी.पी.एन.लिमिटेड

4.53 वर्ष 1967–68 में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2015–16 में 1,628 यूनिट हो गई है। राज्य में वर्ष 2015–16 के दौरान बिजली की खपत 32,237.06 मिलियन यूनिट (एम.यू.) थी। बिजली की अधिकतम खपत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा 10,142.35 एम.यू., इसके बाद कृषि क्षेत्र में 9,176.50 एम.यू. है। वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 6,434.67 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी दी गई थी। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 4.5** में दी गई है।

तालिका 4.5–राज्य में क्षेत्र–वार बिजली की खपत

(एम.यू.)

सैक्टर	**2015–16**
औद्योगिक	10142.35
घरेलू	6987.30
कृषि	9176.50
वाणिज्यिक	3542.42
पब्लिक सर्विज (सार्वजनिक प्रकाश)	584.25
रेलवेज	321.95
विविध	1482.30
कुल	**32237.06**

स्त्रोतःएच.वी.पी.एन.लिमिटेड

4.54 राज्य में लम्बित पड़े बिजली बिलों में मार्च 2015 को 6,430.90 करोड़ रूपये से बढ़कर 30 सितम्बर, 2016 तक 7,027.11 करोड़ रूपये हो गई है। घरेलू क्षेत्र के अधिकतम लम्बित बिजली बिलों की संख्या 4,988.90 करोड़ रूपये थी। क्षेत्र–वार लम्बित बिजली बिलों का विवरण **तालिका 4.6** में दिए गए हैं।

तालिका 4.6–राज्य में क्षेत्र–वार लम्बित बिजली बिल

(लाख रूपये)

सैक्टर	2015–16	2016–17 (सितम्बर, 2016 तक)
औद्योगिक	38753.33	45942.05
घरेलू	469182.69	498890.42
कृषि	16272.66	17191.85
वाणिज्यिक	48665.36	53415.77
सरकारी विभाग एवं सेवाएं	70216.20	87270.68
कुल	**643090.25**	**702710.77**

स्त्रोतःएच.वी.पी.एन.लिमिटेड

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

4.55 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, परिचालन कार्यकुशलता में सुधार, वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं पुनर्गठन आदि शुरू किए गए हैं।

4.56 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय): केन्द्र सरकार ने कर्ज में डूबी हुई बिजली कम्पनियों के लिये एक स्थाई समाधान सुनिश्चित करने व वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई है जिससे उनकी दक्षता में सुधार हो सके । राज्य सरकार ने यह योजना अपनाई है। आशा की जा रही है कि इससे राज्य के विद्युत निगमों के संचालन तथा वित्तीय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अन्तर्गत, हरियाणा सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 17,300 करोड़ रूपये तथा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 8,650 करोड़ रूपये के बॉण्ड जारी किए हैं। हरियाणा डिस्कॉमस ने उदय बॉण्डस की आय से अपने उच्च लागत ऋण चुका दिए हैं। हरियाणा डिस्कॉमस के खातों में बचे शेष ऋण मुख्य रूप से नकद ऋण सीमा तथा कैपेक्स/पूंजीगत ऋण हैं। वर्ष 2018–19 तक 15 प्रतिशत ए.टी. एवं सी. हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत हानि कटौती प्लान (एल.आर.पी.) तैयार की गई है तथा लागू की जा रही है।

अक्षय ऊर्जा

4.57 राज्य में बड़े पैमाने पर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 23 मैगावाट के 4 बिजली खरीद समझौते तथा 165 मैगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के 13 परियोजनाएं आबंटित करने के समझोते आई. पी.पी. के साथ किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता से 70 मैगावाट के छत पर लगने वाले ऊर्जा संयंत्रों का लक्ष्य एम. एन.आर.ई./भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित किया है। इस प्रकार के सभी संयंत्र नेट मिटरिंग सुविधा वाले होंगे जिसमें सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा ग्रीड को निर्यात की जा सकेगी जो कि एक वर्ष के भीतर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा सकेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार की दिनांक 21–3–2016 की अधिसूचित अनिवार्य नीति/आदेशों के तहत विभिन्न श्रेणी में लगभग 23 मैगावाट के छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र बिना अनुदान लगाये जा चुके हैं। उपभोक्ता को शीघ्रता से स्वीकृति तथा सब्सिडी देने के लिए विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए, पूर्व सौर ऊर्जा नीति को पुनः परिभाषित किया

गया है ताकि विभिन्न निवेशकों के अनुकूल प्रावधान एक ही जगह उपलब्ध कराया जा सकें।

4.58 स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार ने किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वर्ण जयंती योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत किसानों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता से 2 एचपी और 5 एचपी के सौर जल पम्पिंग प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी। यह योजना खेती की लागत को कम करने और छोटे जोत के लिए कृषि व्यवसाय को व्यवाहरिय बनाने में मदद करेगा। यह राज्य ग्रिड पर विद्युत भार को भी कम करेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,050 सौर पम्पस लगाये जायेगें। चालू वर्ष के दौरान क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत राज्य एवं केन्द्रीय वितीय सहायता से 855 सौर जल पम्पिंग प्रणाली लगाई जायेगी। वर्ष 2017–18 में कुल 4,608 लाख रूपये की लागत से 2,195 सौर जल पम्पिंग प्रणाली लगाई जाने का प्रावधान है।

4.59 राज्य में उपलब्ध बायोमास ऊर्जा से 165.6 करोड़ रूपये की लागत से 36.80 मैगावाट क्षमता के 4 बायोमास संयंत्र उधोगों में स्थापित किए जा रहे है । इसके अतिरिक्त 10.43 करोड़ रूपये की लागत से 9,000 घन मीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 बायो सी.एन.जी. बोटलिंग परियोजनाएँ, 255 घन मीटर क्षमता के 3 संस्थागत बायोगैस संयंत्र तथा चार 3,670 घन मीटर क्षमता के बायोगैस पावर संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे है।

4.60 सरकार खेतों में फसल अवशेष जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने धान की पराली आधारित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला किया है। प्रथम चरण में, लगभग 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु राज्य के छः जिलों जिसमें करनाल, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, जीन्द, कैथल, अम्बाला है, के प्रस्ताव आवेदन जल्द ही आमन्त्रित किये जायेगें।

4.61 सरकार ने एक ओर स्वर्ण जंयती योजना 'मनोहर ज्योति' के नाम से 1,00,000 सौर आधारित घरेलू प्रणाली जनता की बुनियादी घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने लिए 232.50 करोड़ रूपये की लागत से तीन एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम, एक डी.सी.चालित छत का पंखा तथा एक मोबाईल चार्ज पोर्ट प्रति प्रणाली चरणबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से समाज के निचले तबके के लोगों के सशक्तिकरण में मदद करेगी ।

4.62 अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर की स्थापना, कमीशनिंग और बिक्री के बाद सेवा पर विशेष ध्यान देने के लिए, कुशल मानव शक्ति को विकसित करने हेतू सरकार ने ''सूर्यामित्रा'' नाम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान, सिरसा, सोनीपत व गुरूग्राम में 30 की संख्या वाले 3 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान, 10 ओर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

वास्तुकला

4.63 वास्तुकला विभाग, हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है जो सरकारी भवनों के अल्प–व्यय व सुन्दर ढंग से डिजाईन तैयार करता है। यह विभाग विभिन्न सरकारी विभागों एवं बोर्ड, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान करता है। इस विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के भवनों जैसे छोटे मकान से लेकर बहुमंजिलें प्रशासनिक एवं न्यायिक इमारतों की योजना तथा डिजाईन बनाने का कार्य किया जाता है। अब आगे से भवनों का डिजाईन हरियाणा भवन कोड–2016 के अनुरूप किया जा रहा है। विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्व भवन, न्यायिक भवन, विश्राम गृह की विभिन्न परियोजनाओं और अन्य विविध परियोजनाओं की योजना भी तैयार करता है।

सड़कें

4.64 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क उपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना, जिन पर पहले से काम चल रहा है। **तालिका 4.7** में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क निम्न प्रकार से है।

तलिका 4.7–राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं0	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–3–2016 तक)	लम्बाई कि.मी. में (30–11–2016 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 1198 एन.एच.ए.आई. – 1284	राज्य पी.डब्ल्यू.डी. – 1198 एन.एच.ए.आई. – 1284
2	राज्य उच्च मार्ग	1801	1801
3	मुख्य जिला सड़कें	1395	1395
4	अन्य जिला सड़कें	20344	20363
कुल		**26022**	**26041**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

4.65 वर्ष 2016–17 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, उंचा उठाने, सीमैंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। नवम्बर, 2016 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.8** में निम्न प्रकार से है।

तालिकाः 4.8– सड़कों की प्रगति व सुधारीकरण कार्यक्रम

(क) वित्तीय प्रगति

(करोड़ रूपये)

क0सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2016–17	खर्चा (नवम्बर 2016 तक)
1	प्लान– 5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋृण और पी.एम.जी.एस. वाई. सहित)	2716.01	734.23
2	नान प्लान –3054	629.04	301.21
3	केन्द्रीय सड़क कोष	100.00	29.67
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	150.00	55.20
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	10.73	2.22
6	डिपोजिट कार्य (एच0 एस0 आर0 डी0सी0 की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)	217.93	9.92
कुल		**3823.71**	**1132.43**

(ख) भौतिक प्रगति

क0सं0	मद	लम्बाई कि0मी0 में (नवम्बर, 2016 तक)
1	नया निर्माण	19
2	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	1197
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	541
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक / पेवमैंट	229
5	साईड ड्रेन / रिटेनिंग वाल	352
6	पुर्ननिर्माण तथा उठाना	201
7	(क) चौड़ा } राष्ट्रीय उच्च मार्ग	12.98
	(ख) मजबूत } राष्ट्रीय उच्च मार्ग	13.37

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तलिका 4.9— वर्ष 2016—17 के दौरान स्वीकृत सड़क / पुल कार्य

(करोड़ रूपये)

क0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि (नवम्बर,2016 तक)
1	प्लान—5054	976	1473.62
2	नान प्लान—3054	1164	759.75
3	नाबार्ड— सड़कें	26	154.21
	— पुल	3	29.77
4	केन्द्रीय सड़क कोष	15	366.05
5	प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना / भारत निर्माण — सड़कें	5	39.16
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	10	235.80
7	उपरगामी पुल / भुमिगत पुल (प्लान—5054)	32	454.00
8	पुल — प्लान — 5054	10	43.12
	नान प्लान — 3054	6	5.63
	कुल	**2247**	**3561.11**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तलिका 4.10— भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख—रखाव के लिए आबंटन

(करोड़ रूपये)

क0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2016—17	खर्चा (नवम्बर, 2016 तक)
1	राजस्व भवन	144.24	84.64
2	कैपीटल भवन	918.12	283.14
3	डिपोजिट भवन	180.00	61.44
	कुल	**1242.36**	**429.22**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.11– रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों का पूर्ण व प्रगति

क्र0सं0	विवरण	2016–17 (नवम्बर, 2016 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 4 22
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 4 5

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

रेलवे लाईन

4.66 रेलवे लाईनों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

i) रोहतक–झज्जर–रेवाड़ी नई रेलवे लाईन का कार्य 603 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हुआ।

ii) सोनीपत–जींद रेलवे लाईन का कार्य 800 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है तथा इसे 26–6–2016 को चालू कर दिया गया है।

iii) रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाईन की अनुमानित लागत लगभग 406 करोड़ रूपये हैं। 366. 54 करोड़ रुपये की राशि भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को देने के लिए जारी कर दिया गया।

iv) मौजूदा रोहतक–पानीपत रेलवे लाईन को रोहतक शहर की भीड़ कम करने के लिएउठाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 315 करोड़ रुपये होगी तथा रेलवे द्वारा 90 करोड़ रुपये देने के लिए सहमति की गई है व बकाया 225 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगीं। इसका नीव पत्थर 1–11–2016 को माननीय रेल मंत्री द्वारा रख दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.67 एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा अब तक 37 सड़क परियोजनाएं जिनकी लम्बाई 1,047 किलोमीटर है व लागत 3,029 करोड़ रुपये और 11 रेलवे उपरगामी पुल जिनकी लागत 265 करोड़ रुपये है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऋण योजना के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एन.सी.आर.पी.बी. सहायता योजना के तहत सड़क व पुलों के कार्य पर 115 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है। वर्ष 2016–17 में एक उपरगामी पुल जिसकी लागत 33 करोड़ रुपये है व एक सड़क परियोजना जिसकी लागत लगभग 35 करोड़ रुपये है, का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

4.68 चालू वित्त वर्ष के दौरान, एच.एस.आर. डी.सी. द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और अपने काउंटर मैग्नेट शहर में ई.पी.सी. आधार पर चार ऊपरगामी पुलों का कार्य आबंटित किया है। रोहतक शहर में दो लेन ऐलीवेटिड रोड़ के निर्माण की एक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपये है, आबंटित कर दिया गया है।

नाबार्ड योजनाएँ

4.69 नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–22 (सड़कें) के अंतर्गत 26 सड़कें जिनकी कुल लम्बाई 184.78 कि.मी. और 3 पुलों का कार्य के लिए 183.98 करोड़ रूपये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किये गये है । 29 कार्यों में से 23 कार्य आबंटित

किए जा चुके हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान नाबार्ड योजना के तहत 120 किलोमीटर सड़कों का सुधार 118.93 करोड़ रुपये की लागत से किया जा चुका है।

परिवहन

4.70 परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग नामतः रेगुलेटरी विंग व वाणिज्यक अंग (हरि0रा0परि0) है।

वाणिज्यक अंग

4.71 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्थाओं में से एक है। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 4,160 (31–12–2016) बसें हैं जो 23 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 12.70 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 12.39 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि कर से पूर्व लाभ, बसों की औसत आयु, स्टाफ व व्हीकल उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि.मी. (कर रहित), दुर्घटना दर व ईंधन की खपत इत्यादि।

4.72 हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के दौरान मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए ए.एस.आर.टी.यू. ट्राफी का विजेता घोषित किया गया। सरकार ने विभाग का योजना बजट वर्ष 2015–16 में 123.35 करोड़ रूपये से बढाकर वर्ष 2016–17 में 238 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जिसमें से दिनांक 31–12–2016 तक 71.73 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

बस सेवाओं का आधुनिकीकरण

4.73 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 39 वॉल्वो/मर्सडीज़ वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। चण्डीगढ–गुरूग्राम, दिल्ली–चण्डीगढ तथा चण्डीगढ–रोहतक बस सेवा को जनता द्वारा भी बहुत सराहा गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9–1–17 से गुरूग्राम से आगरा, हरिद्वार तथा यमुनानगर मार्ग पर भी वॉल्वो बस सेवाएं संचालित की हुई हैं। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा फरीदाबाद, गुरूग्राम, पंचकुला, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, रोहतक व भिवानी शहरों में जनता को आरामदायक व अच्छी यात्रा सेवा प्रदान करने हेतू आंतरिक शहरी बस सेवा शुरु कर दी गई है।

4.74 वर्ष 2015–16 में 199 बसों को नई डिजाईन बसों में बदला गया। वर्ष 2016–17 में 245 पुरानी बसों को बदलने तथा 350 नई बसें बस बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम है। 31–12–2016 तक 65 नई बसों को शुरू कर दिया गया है, वर्तमान वर्ष के दौरान पुरानी बसों को बदलने व नई बसे जोड़ने के लिए 300 नईं बसों को खरीदने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान इस मद में 21.92 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2016–17 के लिए 163.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31–12–2016 तक 72.98 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

4.75 विभाग द्वारा 1,495 चालकों को आउटसोर्सिंग आधार पर तथा 930 परिचालकों, 908 हैल्पर व स्टोरमैन के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

4.76 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 105 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में चालू परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:–

विभाग द्वारा एन.आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का पी.पी.पी. के माध्यम पर विकास करने के लिए नियुक्त सलाहकार द्वारा विभाग को आर. एफ.क्यू.–कम–आर.एफ.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन ईन्फ्रास्ट्रैक्चर (सी.सी.आई.) द्वारा स्वीकृत करवाकर टैण्डर जारी किया जा चुका है। करनाल, बावल, अम्बाला शहर, गुरूग्राम और फरीदाबाद में भी अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बस अड्डों का विकास पीपीपी के माध्यम पर किया जा रहा है। जिसमें से करनाल व अम्बाला शहर की आर.एफ. पी. रिपोर्ट कमेटी ऑफ सैक्टरीज ऑन ईन्फ्रास्ट्रैक्चर (सी.ओ.एस.आई.) द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा सी.सी.आई. की स्वीकृति लेकर इसी वर्ष के दौरान टैण्डर जारी करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त तौशाम (भिवानी), बरवाला (पंचकुला), पुन्हाना और तावडू, नूंह जिला मेवात, फिरोजपुर– झिरका, झज्जर तथा सांपला में नए बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं चालू कर दिए गए हैं तथा नलवा (हिसार), बिलासपुर व रादौर (यमुनानगर) में नए बस स्टैण्ड निमार्णाधीन है। बस स्टैण्ड जिनके लिए भूमि अधिग्रहण/पट्टे पर ली जा चुकी है:–

1. नया बस स्टैण्ड नाथुसरी चौपटा, सिरसा
2. नया बस स्टैण्ड राजीव चौक, गुरूग्राम
3. नया बस स्टैण्ड, सैक्टर –29, गुरूग्राम
4. नया बस स्टैण्ड, सैक्टर 12, फरीदाबाद
5. नया बस स्टैण्ड बादली, झज्जर
6. नई कर्मशाला, लोहारु
7. नया बस स्टैण्ड व कर्मशाला बहादुरगढ, झज्जर
8. नया बस स्टैण्ड नांगल चौधरी, महेन्द्रगढ
9. नया बस स्टैण्ड बावल, रिवाड़ी जमीन एच. एस.आई.डी.सी. द्वारा
10. नया बस स्टैण्ड, जीन्द
11. नया बस स्टैण्ड फारुखनगर जिला गुरूग्राम
12. नया बस स्टैण्ड, सैक्टर 12, रिवाड़ी
13. नया बस स्टैण्ड, फतेहाबाद
14. नया बस स्टैण्ड, मुस्तफाबाद व खिजराबाद, यमुनानगर
15. नया बस स्टैण्ड, कुंजपुरा, करनाल
16. नया बस स्टैण्ड, करनाल

बस स्टैण्ड जिनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है

4.77 टोहाना, झोझूकलां (भिवानी), कादमा, नीलोखेड़ी, तरावड़ी और निगदू (करनाल), पिपली व बाढसा (झज्झर) में नए बस स्टैंण्ड के निमार्ण के लिए जमीन अधिग्रहण/स्थानान्तरण की कार्यवाही चल रही है। विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2015–16 में 99.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वार्षिक प्लान वर्ष 2016–17 के लिए 70 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 69.43 करोड़ रुपये वर्ष 2016–17 में (31–12–2016 तक) खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण

4.78 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2015–16 में 35.47 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वार्षिक प्लान वर्ष 2016–17 के लिए 1.50 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये है, जिसमें से 2.26 लाख रुपये वर्ष 2016–17 में (31–12–2016 तक) खर्च किए जा चुके हैं।

सडक सुरक्षा

4.79 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने क़े. लिये 20 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी.टी.आई., मुरथल, हिसार, गुरूग्राम व महेन्द्रगढ में प्रशिक्षण शुरु किया गया है तथा इस प्रशिक्षण को विभाग के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी शुरु किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2015–16 (31–12–2016 तक) के दौरान 25,027 उम्मीदवारों को अपनी कार्यकुशलता सुधारने के लिए व आवश्यक चालक लाईसैंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन चालकों का प्रशिक्षण दिया गया है। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2016–17 के लिए 90 लाख रूपये अनुमोदित किये गये है। जिसमें से 4.56 लाख रुपये वर्ष 2016–17 (31–12–2016 तक) खर्च किए जा चुके हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन को नया रूप देना

4.80 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में एच0आर0ई0सी0 की अंशपूँजी को 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये, 2006–07 में 5 करोड़ रुपये, 2007–08 में 6 करोड़ रुपये, 2008–09 में 6.20 करोड़ रुपये, 2009–10 में 6.40 करोड़ रुपये, वर्ष 2010–11 में 6.60 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2015–16 में 6.65 करोड़ रूपये किया गया है। प्लान बजट वर्ष 2016–17 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये है, जोकि खर्च किए जा चुके हैं।

कम्प्यूट्रीकरण

4.81 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध समय में कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। डिपू मैनेजमैंट प्रणाली के अतिरिक्त ऑनलाईन अग्रिम आरक्षण व टिकटिंग प्रणाली लागू की गई है। कम्प्यूट्रीकरण पर वर्ष 2015–16 में 69.39 लाख रुपये खर्च किए गए। वार्षिक प्लान वर्ष 2016–17 के लिए 2 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 145.10 लाख रुपये वर्ष 2016–17 में (31–12–2016) तक खर्च किए जा चुके हैं।

तकनीक का प्रयोग

i) जी.पी.एस. आधारित व्हीकल ट्रैकिंग प्रणाली को 400 बसों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इसे हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में लागू करना प्रस्तावित है।

ii) विभाग द्वारा अग्रिम बुकिंग तथा पास जारी करने के साथ हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में हाथ से संचालित इलैक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीन को लागू करने की योजना है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इसे हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में लागू करना प्रस्तावित है।

iii) विभाग द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन के मुख्य बस स्टैण्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सभी मुख्य बस अड्डों पर यह निगरानी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव हरियाणा राज्य की स्वर्ण जंयती उत्सव का हिस्सा है। मार्च, 2017 तक इसे हरियाणा राज्य परिवहन

के सभी मुख्य बस अड्डों पर लगाना प्रस्तावित है।

iv) विभाग ने एन.आई.टी. फरीदाबाद में आधुनिक बस टर्मिनल के पी.पी.पी. मोड पर बनाने हेतू एक परियोजना आरम्भ की है जोकि हरियाणा सरकार की पी.पी.पी. नीति के तहत मांगो को पूर्ण करने के उपरान्त अगले वर्ष अर्थात 2017–18 के मध्य तक विकास हेतू निजि डेवलपर को सौंप दिया जाएगा।

रेगूलेटरी विंग

4.82 परिवहन विभाग के रेगूलेटरी विंग पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007, सड़क मार्ग द्वारा वहन नियम, 2011, हरियाणा मोटरयान नियमावली, 1993, हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2016 एवं मोटर वाहन कर नियम, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान 1,316 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 1,399.26 करोड़ रूपये की राशि एकत्र की गई। चालू वित वर्ष 2016–17 के दौरान 1,447.60 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 1086.18 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31–12–2016 तक एकत्र की गई है। चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों का लक्ष्य हासिल होने की सम्भावना है।

4.83 वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ अर्जित की गईः–

नई स्टेज कैरिज स्कीम

- हरियाणा रोडवेज पारंपरिक रूप से राज्य में बसों के बेड़े जिसकी संख्या लगभग 4,228 है, स्टेज कैरिज सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993 में निजी ओपरेटरों को 975 परमिट स्टेज कैरिज स्कीम के अन्तर्गत दिए गए थे । इसके उपरांत वर्ष 2001, 2004 और 2013 में स्टैज केरिज स्कीमें तैयार की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल याचित 20869/2013 में आदेश दिनांक 28–10–2014 द्वारा वर्ष 2013 की स्कीम का पुनः सर्वेक्षण करने का निर्देश दिए। तदानुसार, नई स्टेज कैरिज स्कीम 2013 का प्रारूप मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित करवाया गया तथा स्कीम की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 25–2–2016 को जारी की गई। नई प्रस्तावित स्टैज कैरिज स्कीम के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों को सुन लिया गया है तथा स्कीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

चालक कौशल में सुधार

- सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ड्राईविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में ड्राईविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.) के तीन संस्थान राज्य में स्थापित किए गए हैं तथा 55,106 चालकों को वर्ष 2015–16 के दौरान तथा चालु वित वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 1–4–2016 से 31–12–2016 तक 35,328 चालको को लाईट एवम हैवी ड्राईविंग प्रशिक्षण दिया गया है। ड्राईविंग प्रशिक्षण के लिए चौथा ड्राईविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.) गांव कालूवास, भिवानी में स्थापित किया जा रहा है, जिसके निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा गांव छपेडा जिला मेवात तथा ग्राम बहीन जिला पलवल में सशक्तिकरण समिति की दिनांक 15–2–2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ड्राईविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.) परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप मै0 मारुति सुजुकी इंडिया लि0 को उपरोक्त दोनो परियोजनाओं के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओ.ई.एम.) भागीदार के रुप में चयन किया गया है। छपेड़ा जिला मेवात में

ड्राईविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान के निर्माण हेतू विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त द्वारा बनवाई गई थी तथा वह सड़क परिवहन केन्द्रीय संस्थान, पुणे द्वारा पुनरीक्षित होने उपरान्त प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य द्वारा खर्च की जाने वाली कुल प्रस्तावित राशि के 50 प्रतिशत का वहन ओ. ई.एम यानी मैसर्ज मारूति सुजुकी इंडिया लि. द्वारा किया जाएगा। मैसर्ज मारूति सुजुकी इंडिया लि. के साथ एम.ओ.यू प्रक्रिया में है तथा इसके जल्द ही हस्ताक्षरित होने की संभावना है।

- राज्य में हरियाणा रोडवेज द्वारा भी 20 भारी वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल चलाए जा रहे है।

- चालक प्रशिक्षण संस्थान, मुरथल, हिसार, गुरूग्राम एवं महेन्द्रगढ़ में हल्के वाहन चालकों को हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा विभाग द्वारा अन्य सभी स्कूलों ड्राईवर प्रशिक्षण संस्थान में इसे लागू करने का प्रस्ताव है। दिनांक 1–4–2016 से 30–11–2016 तक 22,765 चालको को भारी वाहन चालक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- इसके अतिरिक्त निजी व्यक्तियों द्वारा भी 246 ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।

मोटर वाहनों के सड़क पात्रता में सुधार हेतु केन्द्र की स्थापना

- मोटर वाहनों में सड़क पात्रता की जांच के लिए 14.40 करोड़ रूपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से रोहतक में स्वाचालित और कम्प्यूटरीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्र प्रति वर्ष लगभग 1.25–1.35 लाख वाहनों की सड़क पात्रता की जांच करने की क्षमता रखेगा। संस्थान में मशीनों की स्थापना भी की जा चुकी है। केन्द्र को प्रशिक्षण के लिए चालू किया गया है तथा उद्घाटन के लिए तैयार है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि श्री नितिन गडकरी, मान्नीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से इस परियोजना के उद्घाटन के लिए समय लेने का कष्ट करें। राज्य में 868 प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्रदूषण कंट्रोल के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में फीस की बढ़ोतरी के लिए प्रदूषण कंट्रोल के अन्तर्गत सर्टिफिकेट के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

नागरिक सेवाओं में सुधार

- रोड टैक्स का ई भुगतान : विभाग द्वारा परिवहन वाहनों के रोड टैक्स के भुगतान के लिए वैकल्पिक आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ई पेमैंट की सुविधा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी रोड टैक्स की ई पेमैंट के लिए ई–ग्रास के माध्यम से स्वीकृत किया गया है।

- एस.एम.एस. सुविधाः नागरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए गए रोड टैक्स की सूचना एस.एम. एस के माध्यम से दी जाती है।

- डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन : हरियाणा राज्य में 47 स्थानों पर डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन सुविधा आनलाईन सुविधा के माध्यम से शुरू किया जा चुका है तथा 14 अन्य स्थानों को आनलाईन डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन सुविधा से शीघ्र जोड़ा जाना प्रस्तावित है। बाकि स्थानों पर भी यह सुविधा लागू किये जाने के प्रयास किए जा रहे है ।

- पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटन : राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का 'पारदर्शी रूप में आंबटन' कम्प्यूटरीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका है, जिसमें कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी ।

- कम्पयूटरीकरणः राज्य भर में सभी 82 पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालयों

में **वाहन** एवं **सारथी** साफटवेयर को लागू किया जा चुका है। सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियॉ कम्पयूटर से जारी की जाती है।

- सारथी और वाहन बेव संस्करण–4 का क्रियान्वयनः विभाग में पहले ही 82 पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी में वाहन/सारथी संस्करण–1 लागू है। विभाग द्वारा सारथी संस्करण–1 को सारथी संस्करण–4 पर स्थानांतरित किया जा रहा है तथा 82 लाईसैंसिंग प्राधिकारी में से अब तक 50 लाईसैंसिंग प्राधिकारियों में सारथी संस्करण–4 लागू किया जा चुका है तथा शेष लाईसैंसिंग प्राधिकारियों में कनेक्टीविटी उपलब्ध होने पर शीघ्र ही लागू किया जाएगा। सारथी संस्करण–4 के लागू होने पर विभिन्न प्रकार की सेवाऐं शुरु कर दी जाएँगी, जो की पहले सारथी संस्करण–1 के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती थी। इस संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में दिनांक 31–3–2017 से प्रथम चरण में वाहन संस्करण–4 लागू करने की संभावना है।

- आधारकार्ड के माध्यम से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली : विभाग के मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आधार कार्ड के माध्यम से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है।

सड़क सुरक्षा के उपायों और जागरूकता

- माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का पुर्नगठन किया गया है जिसमें सड़क सुरक्षा, सड़क इंजीनियरिंग और सड़क सुरक्षा योजना बनाने बारे विशेषज्ञों को शामिल किया गया। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक मान्नीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 11–5–2016 तथा 21–12–2016 को आयोजित की गई थी।

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा संचालन समिति का गठन किया गया है, जोकि हरियाणा सड़क सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

- छात्रों और युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा के बारे जागरूकता लाने के लिए राज्य के सभी सरकारी कालेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लबों को स्थापित किया गया ।

- मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्लयू.पी. 6907 वर्ष 2009 में जारी निर्देशों की पालना में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति तैयार करके स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। सड़क सुरक्षा नीति को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतू सड़क सुरक्षा समितियों का राज्य, जिला व सब–डिवीजन स्तर पर गठन किया गया है । स्कूल बसों में आई. पी. कैमरा व जी.पी.एस. सिस्टम को लगाना अनिवार्य किया गया इस प्रावधान में महिला अटैंडेंट/ट्रांसजेंडर की तैनाती भी अनिवार्य की गई इन निर्देशों की पालना के लिए सभी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को हिदायतें जारी की गईं।

- उच्चतम न्यायालय के निदेर्शो की पालना में मान्नीय न्यायमूर्ति श्री के0एस0 राधेकृष्णन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति का गठन सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए किया गया ।

- हरियाणा सड़क सुरक्षा कोष नियम, 2015 तैयार किए गए है; जोकि की आगामी राज्य सरकार के विचाराधीन है । जिसके अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की चालानों की फीस का 50 प्रतिशत शुल्क सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के उपयोग में लाया जाएगा।

- राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2016ः राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की तर्ज पर तैयार की गई है।

- नेतृत्व एजेंसीः राज्य सरकार ने दिनांक 8–9–2016 को परिवहन विभाग को नेतृत्व एजेंसी घोषित किया है। यह नेतृत्व एजेंसी सड़क सुरक्षा परिषद सचिवालय के रुप में कार्य करेगी तथा राज्य मे सडक सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करेगी तथा पुलिस, पी.डब्लयू.डी.(बी. एंड आर.) विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शहरी स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों और अन्य विभागों जो सड़क सुरक्षा के साथ सम्बन्धित है को भी शामिल रखेगी।

इन्फोरसमेंट

4.84 वर्ष 2015–16 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए 41,768 चालान किए गए जिससे वर्ष 2015–16 के दौरान अनुमानित चालान फीस 73. 56 करोड़ रूपये एकत्रित की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 1–4–2016 से 31–12–2016 तक 34,931 चालान किए गए तथा चालान फीस 63.11 करोड़ रूपये उपरोक्त अवधि में़ एकत्रित की गई है

पुराने डाटा का डिजिटलीकरण

4.85 आर.सी.,डी.एल.,सी.एल. व अन्य टैक्स इत्यादि की स्क्रीनिग तथा पुराने डाटा का डिजिटलीकरण करने की परियोजना मै0 गुजरात इंफोटैक लिमिटेड को सौंपी गई है। वेंडर द्वारा अभी तक पुराने डाटा की स्केनिंग का काम 20 जिलों में पूरा किया गया। लगभग 20 लाख अंतिम प्रविष्टियां प्राधिकारियों को नेशनल रजिस्टर पर डालने हेतू दी गई हैं। पुराने डाटा का डिजिटलीकरण करने का कार्य अप्रैल, 2017 तक पूरा होने की संभावना है।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट

4.86 केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार विभाग ने उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की योजना मई, 2012 में शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत दिनांक 31–12–2016 तक 16,38,322 वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगा दी गई हैं।

नागरिक विमानन

4.87 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा के द्वारा पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन केन्द्र हिसार, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जिनमें लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग तथा ग्लाईडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसेंस, कमर्शियल पायलट लाईसेंस तथा इंसट्रक्टर रेटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

***

5

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है।

शिक्षा

5.2 राज्य सरकार "सभी के लिए शिक्षा" उपलब्ध करवाने हेतू सतत प्रयासरत है, जिसके लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार एवं आसानी से उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे है ।

बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम

5.3 सामाजिक जागरूकता को सुधारने के लिए गणन्तत्र दिवस (2016) के कार्यक्रम में 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियान "बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम" के रूप में मनाया गया।

राज्य में राजकीय स्कूलों एंव छात्रों की संख्या

5.4 वित वर्ष 2015–16 में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,995 प्राथमिक स्कूल तथा शहरी क्षेत्रों में 903 प्राथमिक विद्यालय थे।

शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम

5.5 स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण तथा अन्य तीसरे पक्ष द्वारा सीखने के परिणामों के सर्वेक्षण में हरियाणा को शीर्ष 5 राज्यों के बीच बनाने के लिए कई पहल शुरू की गई है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा उन 5 राज्यों में सम्मिलित है, जो बढ़ते हुये सीखने के स्तर को दर्शाता है । यह दिखाता है कि शिक्षा गुणवता कार्य पर हमारी कोशिश सही रास्ते पर जा रही है ।

स्वच्छ भारत अभियान

5.6 हरियाणा राज्य के सभी स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक सप्ताह के लिए सफाई अभियान आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से स्कूल परिवेश और सार्वजनिक स्थानों में सफाई और रैलियों के माध्यम से साफ–सफाई के महत्व के बारे में जनता को अवगत करवाया गया। इस राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम के समापन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले में आयोजित किया गया था। इसमें भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में एक शैक्षिक रूप से बाहर महिला छात्र नामित वासिमा जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से है, को समाज में कई बाधाओं का सामना करने के बाद भी शिक्षा को जारी रखने के लिये बाल स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। हर स्कूल में शौचालय बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है तथा इस उपलब्धि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक प्रशंसा पत्र राज्य सरकार को भेजा

गया था। इस स्कीम के तहत विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में लड़कों व लड़कियों दोनों के लिये अलग कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए ।

मासिक परीक्षण की शुरूआत

5.7 हरियाणा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सरकारी आदेश क्रमांक 1/2014/5980 दिनांक 31–12–2014 तथा 3/2015/165 दिनांक 14–5–2015 की पालना में आर0टी0ई0 स्कीम की सत्त और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत मासिक मूल्यांकन परीक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। छमाही तथा वार्षिक टेस्ट के अलावा प्रश्न पत्र एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार किये जा रहे हैं तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मुद्रित एवं जारी किये जाते हैं। जनवरी, 2015 के बाद मासिक परीक्षण एक नियमित विशेषता है, जिसकी शिक्षक, माता–पिता तथा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा सराहना की गई। अब स्कूल का माहौल शैक्षणिक व मैत्रीपूर्ण तथा सीखने के अनुकूल है क्योंकि अध्यापक व छात्र जिम्मेदार शिष्टाचार में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मासिक परीक्षण के सभी परिणाम विभाग के एम.टी.एम.एस पोर्टल पर स्कूल द्वारा अपलोड किये जा रहे है। उनके परीक्षणों का विश्लेषण राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान और जिला स्तर पर जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।

मद	कक्षाएं	दर प्रति विद्यार्थी (रूपये)	लाभार्थी (विद्यार्थी)	राशि (रूपये में)
गैर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	100 150	5,82,280 3,75,463	5,82,28,000 56,3,19,450
			9,57,743	11,45,47,450
गैर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल बैग	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	120 150	5,82,280 3,75,463	6,98,73,600 5,63,19,450
			9,57,743	12,61,93,050
केवल सामान्य तथा बी0सी0 लडकों को मुफ्त वर्दी	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	400 400	4,11,515	16,46,06,000
सभी बच्चों को स्कूल फीस व फण्ड की प्रतिपूर्ति	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	36 94	9,78,417 6,53,716	3,52,23,012 6,14,49,304
			16,32,133	9,66,72,316
			कुल जोड	50,20,18,816
आर.टी.ई. गतिविधियों की तरह खण्ड़ एवं जिला स्तर पर अर्न्तराष्ट्रीय गीता जंयती समारोह मनाने हेतू वित्तीय सहायता वर्ष 2016–17 (प्लान)	ब्लाक स्तर पर ईनाम बांटने की राशि 11,000 प्रति ब्लाकॅ	जिला स्तर पर ईनाम बांटने की राशि		17,92,000
	13,09,000	4,83,000		
	कुल जोड़			**50,38,10,816**

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा विभाग,हरियाणा

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा निःशुल्क स्टेशनरी, स्कूल वर्दी और स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति व खर्चे

5.8 आर.टी.ई. अधिनियम, 2009/ 3 जून, 2011 को अधिसूचित नियम के तहत वर्ष 2016–17 के लिए निःशुल्क स्टेशनरी, स्कूल बैग, स्कूल वर्दी और स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति एवं खर्चे मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 81.17 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई तथा अन्य गतिविधियों के लिए आर0टी0ई0 योजना के तहत निम्नलिखित राशि प्रदान की गई हैं।

मिडिल स्कूलों के लिए राजीव गांधी छात्रवृति योजना

5.9 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 120 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना के तहत 82.30 लाख रूपये कुल व्यय के साथ 14,243 छात्रों को लाभविन्त किया गया था।

कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकमुश्त नकद पुरस्कार

5.10 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 8,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना के तहत 6,697.53 लाख रूपये कुल व्यय के साथ 7,77,088 छात्रों को लाभविन्त किया गया था।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति

5.11 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 21,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना के तहत 14,738.10 लाख रूपये कुल व्यय के साथ 7,77,088 छात्रों को लाभविन्त किया गया था।

कक्षा 1 से 8 तक गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति

5.12 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 2,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना के तहत 943.40 लाख रूपये कुल व्यय के साथ 1,09,513 छात्रों को लाभविन्त किया गया था।

कक्षा 1 से 8 तक पिछडा वर्ग–ए के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति

5.13 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 8,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से तहत 5,429.21 लाख रूपये कुल व्यय के साथ 5,10,078 छात्रों को लाभविन्त किया गया था।

अनुसूचित जाति के छात्रों (लड़के व लड़कियों) के लिए निःशुल्क साईकिल उपलब्ध करवाना, जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं

5.14 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना के तहत 503.99 लाख रूपये खर्च के साथ कुल 12,377 (लड़के 5,844) तथा (लड़कियां 6,533) लाभविन्त हुए।

मिड–डे–मील

5.15 यह योजना 8,919 प्राथमिक तथा 58,361 मिडिल स्कूलों में लागू की गई। वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु 31,090 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया जिसमें केन्द्र का अंश 20,090 लाख रूपये तथा राज्य का अंश 11,000 लाख रूपये है।

सर्व शिक्षा/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

5.16 राज्य सरकार द्वारा दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों "सर्व शिक्षा अभियान" और "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" को लागू किया गया है, जिसके तहत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय विभाजन 60:40 है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित बजटः

i) भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना और बजट के तहत वित्त वर्ष 2016–17 के लिए 1,06,238.36 लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की है, जिसके विरूद्ध 30–11–2016 तक लगभग 30,782.98 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

ii) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना और बजट के तहत वित्त वर्ष 2016–17 के लिए 85,208.03 लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की है, जिसके विरूद्ध 31–10–2016 तक लगभग 12,762.27 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

5.17 वर्ष 2016–17 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3,102.1 लाख रुपये खर्च करके प्राथमिक वर्ग और उच्च प्राथमिक वर्ग के 16,84,673 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई गईं।

विद्यालय अनुदान

5.18 वर्ष 2016–17 के दौरान सर्व शिक्षा के तहत 8,559 प्राथमिक स्कूल व 5,618 उच्च प्राथमिक स्कूलों को 5,000 रूपये प्रति प्राथमिक स्कूल व 7,000 रूपये प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल की दर से उपलब्ध कराए गए, यह अनुदान गैर कार्यात्मक वस्तुओं के प्रतिस्थापन के साथ साथ स्कूल के मौजूदा उपकरणों के रखरखाव के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा अभियान के तहत 50,000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से सभी 3,245 सरकारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को विद्यालय अनुदान के रूप में वितरित करने का प्रावधान है।

रखरखाव अनुदान

5.19 सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14,477 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों को 1,080.35 लाख रूपये की राशि रखरखाव अनुदान के रूप में वितरित करने का प्रावधान है।

विद्यालयों में निःशुल्क वर्दी

5.20 सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे लड़कों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की गई। 4,882.47 लाख रुपये की राशि राज्य के 12,20,618 विद्यार्थियों को वर्दी देने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.)को प्रदान की गई।

शिक्षक अनुदान

5.21 वर्ष 2016–17 में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले 65,054 शिक्षकों को 325.27 लाख रूपये की राशि शिक्षक अधिगम सामग्री बनाने के लिये वितरित करने का प्रावधान किया गया है।

समावेशी शिक्षा

5.22 वर्ष 2016–17 के दौरान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को समावेशी शिक्षा, भत्ता, ब्रेल पुस्तकें और बड़ी मुद्रित पुस्तकें, अनुरक्षण आदि उपलब्ध करवाने और चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों के आयोजन करने के लिए 355.92 लाख रूपये खर्च किए गए।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

5.23 वर्ष 2016–17 में 1,436 लाख रूपये की राशि राज्य में केजीबीवी के संचालन के लिये स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा स्वीकृत 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 29 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, जिसमें कुल 1,900 लड़कियां पढ़ रही हैं।

सामुदायिक प्रशिक्षण

5.24 राज्य में स्कूल प्रबंधन समिति के 87,366 सदस्यों के लिए एक तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 262.10 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया।

निर्माण कार्य

5.25 वर्ष 2016–17 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3,595.05 लाख रुपये की राशि विभिन्न निर्माण कार्यो के कार्यान्यवन के लिये 110 प्राथमिक स्कूलों के भवनों, 14 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों, 367 अतिरिक्त क्लास रूमों (ग्रामीण) के निर्माण के लिए, 646 लड़कों के लिए शौचालय और 493 लड़कियों के लिए अलग शौचालयों के निर्माण के लिए प्रदान किया गया। आरएमएसए के तहत, 52,724.99 लाख रुपये की राशि 42 अतिरिक्त क्लास रूमों, 29 साइंस लैब, 8 कंप्यूटर रूम, 24 पुस्तकालय और 50 आर्ट एंड क्राफ्ट कक्षों के निर्माण के लिए अनुमोदित की गई।

पढ़े भारत बढ़े भारत

5.26 बरखा श्रंखला पर आधारित ब्लाक व जिला स्तर प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल, ब्लाक व जिला स्तर पर किया गया जिसमें दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों ने

कहानी पढ़ने, सुनाने और लिखने की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ये प्रतियोगितायें सभी जिलों के सभी ब्लाक स्तर पर पूरी कर ली गई हैं।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार–2016

5.27 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016 में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों ने भाग लिया। चार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित इस प्रतियोगिता में 25 स्कूल ग्रीन रैंक व 107 स्कूल ब्लू रैंक के लिए चयनित किए गए, जो आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओ में भाग लेगें जिनका आयोजन निकट भविष्य में शीघ्र ही किया जाएगा।

बालिका शिक्षा स्थानीय रोल मॉडल के साथ बातचीत सत्र

5.28 छठी से दसवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों को छात्राओं की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक स्थानीय रोल मॉडल के साथ बातचीत के सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र द्वारा राज्य के सभी 119 ब्लॉकों के कुल 3,772 सरकारी स्कूलों को कवर कर लिया गया है।

जीवन कौशल विकास शिविर

5.29 राज्य की 6 से 8 वीं कक्षा की लड़कियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कार्यो के बारे में तथा उन्हें अपने शारीरिक परिवर्तन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जीवन कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया गया। इस शिविर द्वारा राज्य के 21 जिलों के 118 राजकीय विद्यालयों को कवर कर लिया गया है।

आरएमएसए के तहत रचनात्मक एवं कलात्मक प्रदर्शन

कला उत्सव 2016

5.30 वर्ष 2016–17 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत स्कूली छात्रों का द्वितीय स्तर पर कलात्मक प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए कला उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चार मुख्य कलाओं नृत्य, संगीत, रंगमंच और दृश्य कला में स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का कला उत्सव 14 से 19 नवम्बर, 2016 को आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा राज्य ने ताम्र कप के साथ 50,000 रूपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया।

माध्यमिक शिक्षा

5.31 राज्य सरकार को यह अच्छी तरह से विदित है कि 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी के रूप में मानी गई है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है तथा राज्य सरकार ने शिक्षा सब के लिए वांछित शैक्षिक एवं ढांचागत सुविधाओं और आसानी से पहुंच के साथ बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए हैं।

ई–गर्वनेन्स

5.32 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान, राजकीय प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान इत्यादि में ई–गर्वनेन्स के तहत कम्प्यूटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में शीर्ष ई–गर्वनेन्स पर 485 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया। वर्ष 2016–17 में मुख्य लक्ष्य, पुराने हार्डवेयर तथा दूसरे सम्बन्धित वस्तुओं को निदेशालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्तर पर विस्तार/बदली करना है। सॉफटवेयर के विकास का उन्नयन तथा अस्तित्व में रहे सॉफटवेयर को निदेशालय की जरूरत के अनुसार नई तकनीकी के साथ लागू करना है। ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत आने वाले दूसरे कार्यो में वेबसाइट का उन्नयन, पोर्टल के विकास के लिए विभिन्न बाहरी लाईनों की सेवाएं तथा जरूरत आधारित सॉफटवेयर उन्नयन की प्रक्रिया शामिल है। नेटवर्क एवं ऑकड़ों का नवीनकरण तथा निदेशालय के स्टाफ के सदस्यों को दी गई कम्पयूटर प्रशिक्षण निदेशालय तथा स्कूलों के स्तर पर विचारों के आदान–प्रदान में दूरी को कम

करती है, जिससे शिक्षा प्रबन्धन, शिक्षा योजना, प्रशासन में कार्यकुशलता बढती हैं। आज के युग में ई–गर्वनेन्स कार्यकुशल प्रशासन का अनिवार्य अंग बन गई है।

5.33 स्कूलों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली आधार कार्ड से चिन्हित करते हुए बास टेबलेट वाई फाई असेस प्वाईंट के साथ लगवाने का कार्य चल रहा है। वर्ष 2016–17 में दिनांक 6–1–2017 तक ई–गर्वनेन्स के तहत कम्पयूटर हार्डवेयर एवं अलाईड आईटमज, बायोमैट्रिक मशीन की खरीद तथा आई.टी. में तैनात पेशेवरों की फीस/वेतन के लिए कुल 135.12 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

5.34 पोर्टल पर सेवा प्रोफाईलज और व्यक्तिगत प्रोफाईलज बनाए गए तथा नई स्थानान्तरण नीति, 2016 सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। तदानुसार, स्थानान्तरण के लिए ऑनलाईन विकल्प प्राप्त किए गए और विभाग ने इस मॉडयूल का उपयोग करके 33,000 से अधिक शिक्षकों के न्यायसंगत और तर्कसंगत स्थानान्तरण किए गए।

विस्तृत कम्पयूटर शिक्षा कार्यक्रम आई.सी.टी.

5.35 यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा फंड घोषित है। इस स्कीम का लक्ष्य कम्प्यूटर की स्थापना करना है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016–17 में दिनांक 6–1–2017 तक 970.28 लाख रुपये खर्च हुए।

माध्यमिक स्तर पर निशक्तों के लिए समावेशित शिक्षा (आई.ई.डी.–एस.एस.)

5.36 वित्त वर्ष 2009–10 में, "एकीकृत निःशक्त विद्यार्थी शिक्षा परियोजना (आई.ई.डी.सी.)" के स्थान पर भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक स्तर पर आई.ई.डी.–एस. एस. नामक नई योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य माध्यमिक स्तर (कक्षा नौवीं से बाहरवीं तक) के दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत समावेशी एवं अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना को पूर्ण करना है। भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016–17 के लिए 1,102.98 लाख रूपये के कार्य प्रस्ताव एवं गत् वर्षों की प्रतिपूर्ति हेतु 504.50 लाख रूपये एवं कुल 1,607.48 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों पर दिव्यांग बच्चों के कल्याणार्थ हेतू कुल 385.12 लाख रूपये की राशि दिनांक 6–1–2017 तक खर्च की गई ।

अध्यापक शिक्षा

5.37 शिक्षक नवीनीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम के तहत चार जिलों मेवात, फतेहाबाद, पलवल व झज्जर में एक–एक (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त 2 खण्ड शिक्षक शिक्षा संस्थान मेवात व फतेहाबाद में अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू कार्यान्वित किये गये हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा इन जिलों की पहचान अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य के रूप में की गई है । इन संस्थानों के भवन निर्माण आदि कार्यो हेतू 1,498.76 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें से 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और शेष भारत सरकार उपलब्ध करवायेगी । इन डी.आई.ई.टी. व बी.आई.ई.टी. के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतू राज्य सरकार द्वारा 870.87 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की सिविल इंजिनियरिंग शाखा को निर्माण कार्य हेतू दी गई । सिलानी केशो जिला झज्जर में राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षण संस्थान, जो कि राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार है, खोला गया है। इस राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षण संस्थान हेतू वर्ष 2016–17 के लिए 580 लाख रूपये की राशि ग्रांट–ईन–एड में जारी की गई है तथा 6–1–2017 तक 406 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

5.38 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार सभी जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) तथा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद (एस. सी.ई.आर.टी.) की पुनः सरंचना करते हुए सभी सात ईकाइयां सभी डी.आई.ई.टी. में कार्यान्वित कर दी गई हैं। एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुरूग्राम (राज्य नोडल एजेन्सी) व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान शिक्षा के मानकों को सशक्त करने के लिये लगभग 25,000 शिक्षकों जिनमें जे0बी0टी0, टी0जी0टी0, पी0जी0टी0, स्कूलो के मुख्यध्यापकों व प्रधानाचार्यो को प्रशिक्षण दिया गया है।

साक्षरता

5.39 प्रौढ शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''साक्षर भारत'' हरियाणा के दस जिलों – भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़ व सिरसा में चल रही है। इस योजना का लक्ष्य निरक्षकों का साक्षर बनाना, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं, अल्पसंख्यकों व उपेक्षित श्रेणी के 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षकों को साक्षर बनाना है । राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, हरियाणा ने वर्ष 2016–17 में 3.60 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य तय किया था।

5.40 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21–8–2016 को हरियाणा के साक्षर भारत जिलों में आयोजित मूल्यांकन परीक्षा में 2,56,536 नव साक्षरों ने भाग लिया और मार्च, 2017 में आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी मूल्यांकन परीक्षा में लक्षित उद्धेश्य की प्राप्ति आपेक्षित है।

आरोही विद्यालय

5.41 भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वित्त वर्ष 2011–12 में शिक्षा के क्षेत्र में पिछडे खण्डों में 36 आरोही मॉडल स्कूलों को खोलने की योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य पिछड़े खण्डों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में चलाई जा रही थी, परन्तु भारत सरकार के समर्थन से वित्त वर्ष 2015–16 से यह योजना भारत सरकार से डी–लिंक कर दी जो राज्य सरकार ने स्टेट प्लान के तहत यह योजना ग्रहण कर ली। कुल 36 आरोही माडल स्कूलों में से 30 स्कूल पूर्ण हो गये हैं जो अपने भवनों में स्थानान्तरित हो गये हैं। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए राज्य सरकार ने 46.55 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसमें से 23.50 करोड़ रूपये की राशि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को आरोही माडल स्कूलों के स्टाफ को वेतन देने के लिये आबंटित की गई है। जबकि 20 करोड़ रूपये की राशि बकाया अधूरे स्कूल भवनों को पूर्ण करने के लिए निदेशक, राज्य परियोजना को जारी की गई है।

निर्माण/मरम्मत तथा रख रखाव

5.42 निर्माण शाखा में राजकीय विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनो के लिये निर्माण/मरम्मत/ रख रखाव तथा नये विद्यालय भवनों को जोड़ने /परिवर्तन से सम्बन्धित मामलो का निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं तथा पेय जल सुविधाएं, शौचालय, मूत्रालय, पर्याप्त अध्ययन कक्ष और चार दीवारी सहित विभिन्न उपयुक्त प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों सम्बन्धी निर्माण के कार्य भी करवाये जाते है। वर्ष 2015–16 मे योजना पक्ष पर 1,421.19 लाख रुपये की राशि से 256 विद्यालयों तथा गैर योजना पक्ष पर 1,362.19 लाख रुपये की राशि 205 विद्यालयों में उपयोग की गई है।

5.43 चालू वित्त वर्ष 2016–17 में योजना पक्ष पर 1,500 लाख रूपये तथा गैर योजना पक्ष पर 1,800 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2016–17 में योजना पक्ष पर 1,499.59 लाख रुपये की राशि से 180 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा गैर

योजना पक्ष पर 1,790 लाख रुपये की राशि से 192 विद्यालयों के भवन निर्माण/भवनों की मरम्मत/चार दीवारी का निर्माण/ कमरों इत्यादि हेतु राशि जारी की गई है।

5.44 वर्ष 2015–16 में, 12 नये स्कूलों के भवन निर्माण हेतू 1,409.98 लाख रूपये की राशि खर्च की गई तथा राज्य द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान पूँजी शीर्ष–4202 के अन्तर्गत नये स्कूल भवनों के निर्माण हेतू 2,500 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

'मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण प्रेरक योजना'

5.45 स्कूलों में स्वच्छ वातावरण की दिशा में छात्रों को जागरुक करने बारे 'मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण प्रेरक योजना' वर्ष 2011–12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य के प्रत्येक 119 खण्डों में से एक उच्च तथा एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का चयन किया जाता है। इसके लिये 50,000 रुपये प्रति उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को दिये जाते हैं उसके बाद चयनित विद्यालयों में से जिला स्तर पर सभी 21 जिलों में सबसे अच्छे उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को चुना जाता है तथा उनको 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, तत्पश्चात दो विद्यालय जिनमें से एक उच्च और एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में 5,00,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस उद्वेश्य के लिये वित्त वर्ष 2016–17 में 175 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

नाबार्ड

5.46 उपरोक्त के अतिरिक्त नाबार्ड परियोजना की सहायता से हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के 2,910 ग्रामीण क्षेत्रीय राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय का निर्माण तथा हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था को मंजूर किया गया है, इस उद्वेश्य के लिये वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 2,720 लाख रुपये का योजना मद में बजट प्रावधान किया गया था, जिसमे 1,360 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग द्वारा इस परियोजना को लागू करने के लिये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला को जारी कर दी गई । इस परियोजना के लिये वित्त वर्ष 2014–15 में 2,723 लाख रूपये (योजना कक्ष) का बजट प्रावधान था जिसमें से वित्त विभाग द्वारा 2,042 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई जो कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1,016 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के शौचालयों तथा हैंड पम्प का निर्माण करवाने हेतु जारी की गई। वित्त वर्ष 2015–16 मे वित्त विभाग द्वारा 816 लाख रूपये जारी किये जो कि एच.एस.एस.पी.पी. को लड़कियों के लिये अलग से शौचालय तथा हैंड पम्प की व्यवस्था करवाने हेतु अलाट कर दिये गये। उक्त स्कीम में वित्त वर्ष 2016–17 में 681 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रोत्साहन योजनायें प्लान/नॉन–प्लान

5.47 वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य प्रोत्साहन योजनाओं ओर लाभार्थियों की संख्या तथा जो खर्चा हुआ है उसे **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

पैंशन

5.48 राज्य सरकार द्वारा अराजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अशंदायी भविष्य निधि के बदले में 11–5–1998 से पैंशन स्कीम लागू की गई है इस स्कीम के अधीन लगभग 2,698 कर्मचारियों को पैंशन स्वीकृत करके लाभ दिया जा चुका है। वर्ष 2016–17 के दौरान 60 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

तालिका 5.1 – वर्ष 2015–16 और 2016–17 में प्राथमिक स्कूलों में योजना अनुसार लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया खर्च ।

योजना का नाम	वर्ष 2015–16 में		वर्ष 2016–17 (6–1–2017) तक	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा (रूपये लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा (रूपये लाखों में)/विशेष कथन
एक मुश्त भत्ता अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए	221521	3212.32	229019	3320.78
मासिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए	200560	7094.61	..	प्रगति में हैं
मासिक छात्रवृत्ति बी0सी0–ए के छात्रों के लिए	137259	3654.18	..	प्रगति में हैं
मासिक छात्रवृत्ति बी0पी0एल0 के छात्रों के लिए	28844	689.78	..	प्रगति में हैं
पंजाबी मैरिट छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं व 12वीं) के छात्रों के लिए तथा मेधावी छात्रवृति (कक्षा 9वीं से 12वीं)	14750	147.65	14906	149.01
हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना की कक्षा 11वीं व 12वीं के लिये	787	14.16	687	12.37
स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों को मासिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12 तक	181	5.84	125	4.54
राष्ट्रीय मीन्स–कम–मैरिट छात्रवृति योजना	..	4.09	..	3.05
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना	..	10.96	95	0.92
अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें उपलब्ध कराना (कक्षा 9वीं व 11वीं)	..	903.66	20249	529.49

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग,हरियाणा।

तालिका 5.2–राज्य में राजकीय विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या

वर्ष	शैक्षणिक स्तर	विद्यालयों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या	छात्राएं	अध्यापकों की संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
2015–16	माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक (9वीं से 12वीं)	3258	612944	317290	20839	29.4
2016–17	माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक (9वीं से 12वीं	3316	609949	312638	23849	25.6

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग,हरियाणा।

राजकीय विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या वर्ष 2015–16 तथा 2016–17

5.49 वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में राजकीय विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या का विवरण **तालिका 5.2** में दी गई है।

डयूल डैस्क

5.50 वर्ष 2015–16 के दौरान 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है तथा 15 करोड़ रूपये का अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध करवाया गया है। 5,300 और 22,978 डयूल डैस्क की आपूर्ति के आदेश अनुबन्ध दर दिनांक 18–5–2015 की शर्तों के अनुसार पी.सी.सी.एफ.–कम–प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा वन विभाग कारपोरेशन लिमिटेड, सैक्टर–4, पंचकुला को 15 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई थी। वर्ष 2016–17 के दौरान 35 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 1,22,881 डयूल डैस्क की कमी है। इसके अतिरिक्त 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिये 94,898 डयूल डैस्क की अतिरिक्त आवश्यकता है।

खेलकूद

5.51 वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में हरियाणा के छात्रों ने 98 स्वर्ण, 97 रजत एवं 117 कांस्य पदक (कुल 312 मैडल) प्राप्त किये। राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2015–16 में समस्त भारत में हरियाणा राज्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया है।

5.52 वर्ष 2015–16 के दौरान इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतू राज्य सरकार द्वारा 100 लाख रूपये (गैर–योजना) का बजट प्रावधान किया तथा 500 लाख रूपये (योजना) की राशि विभिन्न राजकीय विद्यालयों में खेल सामान खरीदने के लिये उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान 115 लाख रूपये (गैर–योजना) तथा 400 लाख रूपये (योजना) की राशि का प्रावधान किया हुआ है।

बुक बैंक

5.53 वर्ष 2015–16 के दौरान सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदने/बुक बैंक के लिये 350 लाख रूपये (योजना) की राशि उपलब्ध की गई । वर्ष 2016–17 में इस उद्धेश्य के लिये 100 लाख रूपये (योजना) की राशि का प्रावधान किया गया है।

उच्चतर शिक्षा

5.54 हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षा के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है। पिछले कुछ वर्षो से राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रभावी विकास देखने में आया है और यह आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहने की सम्भावना है। उच्चतर शिक्षा–विभाग ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने व क्षमता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, स्थिरता एवं सभी के लिए उपलब्धता हरियाणा सरकार की प्रतिबद्वता है। राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि उच्चतर शिक्षा समाज के सभी वर्गो तक समान रूप से पहुँचे विशेषतः वंचित वर्गो तक अनिवार्य रूप से ये आवश्यक है कि उच्चतर शिक्षा के अवसर सभी योग्य विशेषतः समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से उपलब्ध हों। वर्ष 2015–16 में उच्चतर शिक्षा के लिए बजट 1,380.10 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2016–17 में 1,650.27 करोड़ किया गया ।

5.55 इस वर्ष पाँच नये महाविद्यालय खोले गये हैं। कुल 110 महाविद्यालयों में से केवल 32 कन्या–महाविद्यालय हैं। निजी प्रबंधन (परंतु सरकार द्वारा अनुदानित) 97 महाविद्यालयों में से 35 कन्या–महाविद्यालय हैं। कन्याओं को उच्चतर शिक्षा उनके नजदीक क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्व है। इसलिए अधिक से अधिक अलग से छात्रा–महाविद्यालय

खोलने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में लैंगिक–जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है।

5.56 राज्य सरकार ने राजकीय व निजी क्षेत्र (सरकार द्वारा अनुदानित) के महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं के लिए सूचित संसाधन निवेश किए हैं। इसके साथ–साथ निजी क्षेत्र के लिए भी शैक्षणिक साझेदारों को तैयार किया गया है ताकि हर नागरिक तक उच्चतर शिक्षा उपलब्ध हो। वर्ष 2016–17 में स्टारैक्स विश्वविद्यालय,गुरूग्राम की स्थापना की गई। राज्य विश्वविद्यालय ग्राम कंकरौला, (गुरूग्राम) और मुंदरी (कैथल) में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। सभी विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेशन सैन्टर स्थापित किए गए हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत के कर्मचारियों के लिए पैंशन स्कीम लागू की गई है।

5.57 2016–17 के दौरान सभी महाविद्यालयों में ऑनलाईन दाखिलों की शुरूआत करना राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धि है। इसमें 2,98,193 अभ्यार्थियों ने सरकारी कॉलेजो में ऑन–लाईन दाखिलों के लिये आवेदन किया था जिसमें 1,91,462 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रथम वर्ष स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतू निःशुल्क प्रक्रिया द्वारा दाखिला लिया गया है। सत्र 2017–18 में भी दाखिले हेतू ऑनलाईन प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने व कालेजों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 1,647 रिक्त पदो के लिए विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर का प्रस्ताव हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसके समक्ष 6 विषयों में 51 सहायक प्रोफेसरों की सिफारिशें हरियाणा लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुकी है तथा जिन हेतू नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है। 2016–17 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति स्कीम हेतू 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

5.58 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक नई योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" (आर.यू.एस.ए.) शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का पूर्ण विकास हेतू बजट सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना में 60:40 के अनुपात मे बंटवारे के आधार पर भारत सरकार ने 9,960 लाख रूपये और राज्य सरकार ने 6,640 लाख रूपये का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार ने कैशलेस सोसायटी की तरफ ले जाने के लिए विभिन्न प्रेरणादायक कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के अध्यापक और छात्र सक्रिय रूप से राज्य में कैशलेस सोसायटी को बढ़ावा देने के लिए इसमें शामिल हो चुके हैं। सभी 110 राजकीय महाविद्यालयों में पी.ओ.एस. मशीन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी 110 महाविद्यालयों के परिसर में फ्री वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 2016–17 के दौरान एन.एस.एस. के माध्यम से "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" और "कैशलेस ट्रांजेक्शन हेतू जागरूकता अभियान" चलाये गए हैं।

5.59 हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के इतिहास में विशेष एन.सी.सी. कैडट इंनसेंटिव स्कीम (एन.सी.सी. कैडट प्रोत्साहन योजना) शुरू की गई है। एन.सी.सी. अकादमी, घरौंडा, करनाल में स्थापित करने हेतू जरूरी प्रबंध पूरे कर लिये गये है और जल्दी ही नींव पत्थर रखा जायेगा।

तकनीकी शिक्षा

5.60 वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय राज्य में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाऐं, जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त थे एवं एकमात्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिसमें 1,341 छात्रों की प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में तब से अब तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2016–17 में तकनीकी संस्थानों में प्रवेश क्षमता तथा प्रवेश का विवरण **तालिका 5.3** मे दिया गया है।

तालिका 5.3– वर्ष 2016–17 के दौरान तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश क्षमता व प्रवेश का विवरण

कोर्स	संस्थानों की संख्या			प्रवेश क्षमता			प्रवेश		
	सरकारी सहायता प्राप्त	निजी	कुल	सरकारी सहायता प्राप्त	निजी	कुल	सरकारी सहायता प्राप्त	निजी	कुल
डिप्लोमा (इन्जीनियर और फार्मेसी)	32	156	188	12355	45965	58320	8742	14956	23698
बी. आरकिटैक्टचर	2	18	20	120	770	890	104	376	480
बी. टैक.	10	127	137	3190	48712	51902	2277	12302	14579
एम.बी.ए.	4	111	115	230	8541	8771	75	3537	3612
एम.सी.ए.	9	35	44	540	2226	2766	299	138	437
कुल योग	**57**	**447**	**504**	**16435**	**106214**	**122649**	**11497**	**31309**	**42806**

स्त्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग,हरियाणा

5.61 विभाग डिप्लोमा संस्थानों (बहुतकनीकी) के लिए आवश्यकतानुसार कोर्स/कार्यक्रम तैयार करता है और पर्याप्त मानव संसाधन और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सुविधाएं सुनिश्चित करता है। यह डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर संस्थानों के माध्यम से इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और शहरी योजना, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ललित कला, एप्लाईड कला व शिल्प तथा डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। विभाग समाज में सुविधाओं से वंचित वर्गो जैसे अनुसूचित जातियों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों, ग्रामीण आबादी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी की शैक्षिक आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। यह छात्रों, पाठयक्रमों एवं संस्थानों के लिए उद्देश्य मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रणाली सुनिश्चित करता है। विभाग छात्रों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए कैरियर परामर्श प्रदान करता है। उत्तर क्षेत्र की भारतीय औद्योगिक संस्थाओं, पी.एच.डी. चैम्बर एवं कॉमर्स उद्योग, जिला उद्योग संघों व अन्य औद्योगिक ट्रेड संस्थान के सहयोग से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।

5.62 राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं :–

i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना गांव किलोड़ जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत किया जा रहा है, इस उद्धेश्य के लिये ग्राम पंचायत ने 50 एकड जमीन निःशुल्क प्रदान की है। परियोजना के लिए एचएसआईआईडीसी एवं हारट्रोन इस संस्था के औद्योगिक भागीदार हैं। वर्ष 2014–15 से आई.आई.आई.टी. की अतिथि कक्षायें एन.आई.टी., कुरूक्षेत्र में शुरू हो गई थी ।

ii) भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई. एम.) रोहतक की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोहतक में 200 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में की जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था हेतू निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाई है। वर्तमान में भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक को महर्षि दयानन्द विश्वद्यिालय, रोहतक के अस्थायी परिसर में चलाया जा रहा है।

iii) राष्ट्रीय डिजाईन सस्ंथान (एन.आई.डी.) की स्थापना उमरी (राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर) जिला कुरूक्षेत्र में की जा रही है। इस राष्ट्रीय महत्व संस्थान की

स्थापना के लिए 20.5 एकड जमीन ग्राम पंचायत उमरी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान की अतिथि कक्षायें राजकीय बहुतकनीकी संस्थान उमरी, कुरूक्षेत्र के प्रांगण में दिनांक 15–11–2016 से शुरू की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान के भवन निर्माण का कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण कार्पोरेशन (एन.बी.सी.सी.) द्वारा प्रगति पर है ।

iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) की स्थापना वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सेक्टर–23, पंचकुला में की जा रही है। राज्य सरकार ने एन.आई.एफ.टी. परियोजना के लिये 10.45 एकड भूमि प्रदान की है। राज्य सरकार इमारत के बुनियादी ढांचे, मशीनी उपकरणों की खरीद के साथ–साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परियोजना को पहले 4 वर्ष के लिये व्यवहारता गैप फंडिग के लिये 99.71 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन को सौपा गया है तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर के निर्माण की ड्राईंग का नक्शा मुख्य शिल्पकार हरियाणा द्वारा बनाये गये हैं, जोकि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और भवन निर्माण का कार्य फरवरी/मार्च, 2017 से आरम्भ करना प्रस्तावित है ।

v) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली का परिसर विस्तार (फैकल्टी डेवलपमेंट) की स्थापना राजीव गाँधी एजुकेशन सिटी, कुडंली, जिला सोनीपत में की जा रही है। इस उद्देश्य हेतू लगभग 50 एकड़ जमीन हुडा द्वारा आई.आई.टी. दिल्ली को निःशुल्क आबंटित की गई है। परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधा और संकाय विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के माध्यम से परिसर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आई.आई.टी. दिल्ली के निरीक्षण में किया जा रहा है ।

vi) एक अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विस्तार परिसर (अनुसंधान एवं विकास) गांव बाढसा, जिला झज्जर में स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए 50 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत बाड़सा जिला झज्जर से 15 करोड़ की कुल लागत पर खरीदी गई है। परिसर में कौशल विकास केन्द्र एवं जैव विज्ञान अनुसंधान पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। आगे की रूपात्मकता पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली कार्य कर रहा है।

vii) लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रौद्योगिकी केन्द्र राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीमका, जिला फरीदाबाद के प्रांगण में स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीमका, जिला फरीदाबाद की 87,300 वर्ग फुट की पूरी इमारत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) को उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एंव तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच दिनांक 22–11–2016 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हो चुका है ।

viii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, कुरूक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा मान्नीय केन्द्रीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार द्वारा 27–2–2016 को की गई थी। प्रौद्योगिकी केन्द्र अस्थायी रूप से राजकीय बहुतकनीकी उमरी (कुरूक्षेत्र) के भवन में कार्यरत होगा। एन.आई.ई.टी. सैन्टर के लिये 10,000 स्केयर फीट जगह उपलब्ध करवाई गई है ।

ix) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का प्लास्टिक सैटेलाइट केन्द्र करनाल में स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा मान्नीय केन्द्रीय मंत्री, रासयनिक एवं उर्वरक, भारत सरकार द्वारा 3–6–2016 को

की गई थी । उपायुक्त, करनाल को प्रस्तावित सैन्टर हेतू उचित भवन उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया जा चुका है ।

राजकीय इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान

5.63 श्री रणबीर सिंह राजकीय इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गाँव सिलानी केशो, झज्जर में की जा रही है, जोकि झज्जर से 9 किमी. दूरी पर झज्जर–गुरूग्राम रोड पर 40 एकड़ भूमि पर स्थित है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत 40 करोड़ रूपये है। शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण कार्य पी.डब्लयू.डी. (बी. एंड आर), हरियाणा के माध्यम से प्रगति पर है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन उपरान्त कक्षाऐं शैक्षणिक सत्र 2017–18 से आरम्भ कर दी जायेंगी।

5.64 राव विरेन्द्र सिंह राजकीय इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गाँव जैनाबाद, जिला रिवाड़ी में 52. 50 एकड़ भूमि पर की जा रही है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत 40 करोड़ रूपये है। शैक्षणिक ब्लॉक/चारदिवारी का निर्माण कार्य पी.डब्लयू.डी. (बी. एंड आर), हरियाणा के माध्यम से प्रगति पर है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन उपरान्त कक्षाऐं शैक्षणिक सत्र 2017–18 से आरम्भ कर दी जायेंगी ।

5.65 राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय नीलोखेड़ी, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीलोखेड़ी, जिला करनाल के प्रांगण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2016–17 से स्थापित किया गया है।

राजकीय बहुतकनीकी

5.66 दो राजकीय बहुतकनीकी, नीमका (फरीदाबाद) तथा शेरगढ़ (कैथल) का निर्माण कार्य पी.डब्लयू.डी. (बी. एंड आर), हरियाणा द्वारा पूरा हो चुका है। 5 नये राजकीय बहुतकनीकी इंद्री (करनाल), मालब (मेवात), छप्पार (भिवानी), जमालपुर शेखां (फतेहाबाद) तथा मन्डकोला (पलवल) में निर्माणाधीन हैं। दो नये राजकीय बहुतकनीकी–कम–बहु कौशल विकास केन्द्र सैक्टर–26, पंचकुला में, जिसकी अनुमानित लागत 38 करोड़ रूपये है (इसमें एच.एस.डी. एम. के भवन निर्माण राशि भी सम्मलित है) और गाँव धामलावास, जिला रेवाड़ी में, जिसकी अनुमानित लागत 16.85 करोड़ रूपये है, स्थापित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाऐं

5.67 भारत सरकार ने अल्पसेवित जिलों में 7 बहुतकनीकी संस्थाओं की स्वीकृति प्रदान की है जिसके लिए प्रत्येक को 12.30 करोड़ रूपये की धनराशि मानव संसाधन व विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत दो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, चीका जिला कैथल व लिसाणा जिला रेवाड़ी में स्थापित किये जा चुके है ।

5.68 4 राजकीय बहुतकनीकी हथनीकुंड (यमुनानगर), उमरी (कुरूक्षेत्र), जाट्टल (पानीपत) तथा धाँगड़ (फतेहाबाद) का निर्माण कार्य पी.डब्लयू.डी. (बी. एंड आर), हरियाणा द्वारा पूरा हो चुका है। जबकि राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर (पचंकुला) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5.69 अल्पसंख्यक मामलो के मंत्रालय, भारत सरकार के बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के तहत सढौरा जिला यमुनानगर में नया राजकीय बहुतकनीकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके भवन निर्माण पर 10 करोड़ रूपये की राशि खर्च होने का अनुमान है ।

5.70 राज्य में कौशल विकास करने की नई पहल निम्नलिखित हैः

i) हरियाणा कौशल विकास मिशन (एच.एस.डी.एम.) का समिति के रूप में दिनांक 4–5–2015 को हरियाणा पंजीकरण एवं नियमन समितियों के अधिनियम –2012 के तहत पंजीकृत किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक

14–7–2015 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। यह मिशन राज्य के विभिन्न विभागों में कौशल विकास योजनाओं के कियान्यवयन का समन्वय करेगा। यह मिशन मजदूरी एवं स्वरोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

ii) हरियाणा की एन.सी.आर. क्षेत्र की महिलाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के लिए अवसर प्रदान करने और कुशल कर्मियो की जरूरत का लाभ उठाने के लिए एच.एस.डी.एम. और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच एक समझौता दिनांक 14–7–2015 को हस्ताक्षरित किया गया है।

iii) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एकत्रित कौशल विकास योजना (आई.एस.डी. सी.) के तहत 7 जिलों पानीपत, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरूग्राम, भिवानी, हिसार और रोहतक में 2 वर्ष में 20,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण की कुल लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार में 75:25 के अनुपात में वहन की जा रही है। अब तक इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग 6,593 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 2,000 अभ्यार्थियों का मूल्यांकन/प्रशिक्षण चल रहा है।

iv) हरियाणा राज्य की कौशल अंतर विश्लेषण रिपोर्ट के मध्यनजर लघु अवधि के एन.एस.क्यू.एफ. अनुरूप कौशल पाठयक्रम चलाने के लिए प्रस्तावित राजकीय बहुतकनीकी सैक्टर–26, पंचकुला और ग्राम धामलावास (रिवाडी) में बहु कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रकिया में है। सभी नये राजकीय बहुतकनीकियों में कौशल केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रक्रिया में है।

स्वर्ण जयंती योजना के तहत परियोजनायें/कार्यक्रम

5.71 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 10–4–2016 को कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना गांव दुधौला जिला पलवल में स्थापित करने की घोषणा की गई। ग्राम पंचायत दुधौला जिला पलवल 82.72 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार के हिदायत अनुसार पट्टे पर देने के लिये सहमत है । निदेशक, विकास एंव पंचायत विभाग द्वारा भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये तीन वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई । कौशल विश्वविद्यालय को अस्थाई तौर पर पोलिक्लिनिक भवन, सैक्टर–55, फरीदाबाद में स्थापित किया गया, जिसके लिये महा–निदेशक, स्वास्थ्य सेवांए उक्त भवन तीन साल के लिये उपलब्ध करवाने के लिये सहमत है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने उक्त भवन का परिग्रह कर लिया है। वित्त विभाग द्वारा सपलिमैन्ट बजट 2016–17 में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बिल, 2016 दिनांक 30–8–2016 को हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका है । विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय नियम हरियाणा गजट नोटिफिकेशन नम्बर Leg. 29/2016 दिनांक 20–9–2016 के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है । विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के लिये 67 पदों का सर्जन वित्त विभाग द्वारा किया जा चुका है । विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा चुकी है। कौशल विकास निगम तथा विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय का कार्यमंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 3–1–2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा को स्थानानतरित कर दिया है ।

राजकीय बहुतकनीकियों के प्रत्यापनः

5.72 एक कार्यक्रम स्वर्ण जयंती परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है एन0बी0ए0 की मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित योग्यतायें/आवश्यकताओं को उनके आदेशों के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है ।

इस परियोजना के लिये कुल 115 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है,प्रत्यापन परियोजना 4 वर्षो में पूर्ण की जायेगी ।

औद्योगिक प्रशिक्षण

5.73 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (116 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), 223 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (2016–17 में 7 स्थानों में दाखिला नही करवाया गया), 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 2 निजी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से (राजकीय–52,175+प्राईवेट–33,148) 85,323 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

5.74 वित्त वर्ष 2016–17 में 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 52,175 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे हैं। जिनमें से 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिये तथा शेष संस्थानों में सह शिक्षा है। इसमें से 30 प्रतिशत सीटें सभी व्यवसायों में लड़कियों के लिये आरक्षित हैं। अम्बाला शहर, रोहतक, जीन्द, भिवानी, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में 7 अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनकी कुल सीटों की क्षमता 280 है, 2 प्राईवेट अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र जिनकी कुल सीटों की क्षमता 40 है तथा 223 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिन में 37,604 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी

5.78 हरियाणा राज्य ने डिजिटल भारत कार्यक्रम के तीन क्षेत्रों पर फोक्स किया है जो प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता, मांग पर अभिशासन तथा सेवाएं तथा नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण के रूप में डिजिटल अवसंरचना है। विभाग की गतिविधियां/उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

5.75 प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये 60 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षणों में से 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतू अंगीकृत किया गया है। संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय में स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 72 सोसायटियों का गठन किया गया, जिसमें 78 राजकीय संस्थान शामिल किये गये हैं ।

5.76 महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा चलाई गई 'स्किल डिवलैपमैन्ट इनीशियेटिव योजना (एस.डी.आई.)' के अर्न्तगत 232 रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण संस्थानों (वी0 टी0 पी0) द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को, जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से अब तक कुल 62,549 छात्र प्रशिक्षण ले चुके हैं।

5.77 वर्ष 2013 में भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से समैस्टर प्रणाली पर आधारित कला अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कोर्स कराने हेतू रोहतक में प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, अगस्त, 2015 में इस संस्थान में दाखिलें भी हुये हैं। इस संस्थान की कुल क्षमता 120+120=240 प्रति समैस्टर 120 है।

1. हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान): इस नेटवर्क के अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मंडल उपमंडल कार्यालय, हरियाणा सिविल सचिवालय भवन नई दिल्ली को राज्य मुख्यालय के साथ जोड़ा ताकि वाइस् ओवर डेटा प्रोटोकॉल वीडियो तथा आंतरिक एवं अंतर डेटा हस्तांतरण को सुगम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न

विभागों के 1,277 कार्यालयों को सीधे तौर पर जोड़ा गया है।

2. राज्य डाटा केंद्र (एस.डी.सी.): विभिन्न विभागों/संगठनों और ई–जिला परियोजनाओं के 75 आवेदनों को डाटा सेंटर पर डाला गया है। जगह की कमी तथा कम्प्यूटिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्लाउड परिकल्पना भी शुरू की गई है। इसके अलावा स्टेट डाटा सेंटर पर आवेदन डालने की विभागों की आवश्यकता के लिए उनकी तात्कालिक और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओर अधिक सर्वर जोड़कर कम्प्यूटर क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस क्षमता वृद्धि से तात्कालिक और भावी आवश्यकताएं वर्ष 2020 तक पूरी हो सकेंगी।

3. यूआईडीएआई डाटा सेंटर : हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) ने आई.एम.पी.टी. मानेसर, गुरुग्राम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) डाटा सेंटर की स्थापना के लिए यूआईडीएआई को 5 एकड़ का एक प्लाट आवंटित किया है। यूआईडीएआई डाटा सेंटर स्थापित किया जा चुका है और कार्य कर रहा है।

4. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.) : इस परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को प्रदेश भर में स्थापित किए जा रहे अटल सेवा केंद्रों (ए.एस.के.) के माध्यम से जी2सी और सी2जी सेवाओं की प्रदायगी के लिए ऑप्टिकल फाइबर पर जोड़ा जा रहा है। अब तक 4,051 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा ग्राम पंचायतों में वाई–फाई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा, 119 ग्राम पंचायतों/स्कूलों में वाई–फाई उपकरण स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान 350 गांवों में वाई–फाई कनेक्टिविटी स्थापित करने की योजना है।

5. अटल सेवा केन्द्र (ए.एस.के.) : सरकारी और निजी क्षेत्र से सम्बन्धित नागरिक केंद्रित सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में आईसीटी आधारित अटल सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 4,875 अटल सेवा केन्द्र आईडी सृजित की गई हैं तथा प्रदेश में 3,600 से अधिक अटल सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

6. आधार नामांकन : वर्ष 2015 की जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में आधार नामांकन शत–प्रतिशत है। बुजुर्गों, बीमारों और चलने–फिरने में असमर्थ लोगों के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से विशेष आधार नामांकन अभियान चलाया गया। इसके अलावा 0–5 आयु वर्ग के लिए आधार नामांकन हेतु 400 टैबलेट खरीदे गये हैं तथा 5–18 आयु वर्ग के लिए 500 आधार नामांकन किट खरीदे जा रहे हैं।

7. ई–जिला परियोजनायें : वर्तमान में प्रदेशभर में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से 24 विभागों से संबंधित 170 सरकार से नागरिक (जी2सी) ई–सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की 99 बिजनेस टू सिटीजन (बी2सी) सेवाएं तथा 12 जी2सी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। ये सेवाएं 3,600 से अधिक अटल सेवा केन्द्रों और प्रदेश में पहले से स्थापित 134 ई–दिशा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

8. स्टेट पोर्टल तथा सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) : इस परियोजना के माध्यम से विभिन्न विभागों की लगभग 35 इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाएं शुरू करने की योजना है। इनमें से 15 सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए इन सेवाओं को तीव्र मूल्यांकन सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

9. ई–शासन अनुप्रयोग : हाल ही में सीएम विंडो–मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली, हरियाणा, मुख्यमंत्री घोषणाएँ निगरानी प्रणाली, राजस्व न्यायालय मामले निगरानी प्रणाली, संपत्ति पंजीकरण कार्य में ई–स्टैंपिंग, ई–रजिस्ट्रेशन प्रणाली (वैब सक्षम ए.एम.एस.

–एच.ए.आर.आई.एस.), ऑनलाइन जमाबंदी, आधार सक्षम जीवन प्रमाण–पत्र, केआईआईएस की निगरानी हेतु सीएम ई–डेशबोर्ड, सीएम विण्डो हेतु मोबाइल एप्प, हरियाणा का स्टेट पोर्टल, ई–टिकट प्रणाली, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के साथ शहरी स्थानीय निकाय का एकीकृत वेब पोर्टल, हरियाणा सीएम वैब पोर्टल एसआईजीएमए–मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई–शासन हेतु स्माल इंटरफेस, उद्यमी ज्ञापन (I व II) ऑनलाइन भरना, हरसमय–पुलिस नागरिक सेवा पोर्टल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सीएम एंगेजमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ई–पीएमएस (परियोजना प्रबंधन प्रणाली), आईएफएमएस और एचआरएमएस विकसित किए गए हैं, जो की सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

10. ई–शासन परियोजनाओं में पुरस्कार : ई–शासन अनुप्रयोगों में सरकार को निम्नलिखित पुरस्कार मिले हैं :–

(i) नई पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 19 दिसम्बर, 2016 को पीएफआरडीए पुरस्कार।

(ii) ई–ग्रास के ई–स्टांपिंग के साथ एकीकरण के लिए 24 जनवरी, 2017 को सीएसआई निहिलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, 2016 मिला।

(iii) ई–ग्रास के ई–स्टांपिंग के साथ एकीकरण के लिए 8 सितंबर, 2016 को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट 2016 मिला।

(iv) 8 सितंबर, 2016 को स्कॉच द्वारा ई–टीडीएस के लिए ऑर्डर ऑफ मैरिट।

(V) हरियाणा ने समग्र वेब उपस्थिति के लिए 19 दिसंबर, 2016 को डिजिटल इण्डिया–रजत पदक प्राप्त किया।

(vi) जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ राजस्व रिकॉर्ड के एकीकरण के लिए जी–ट्रायंगुलेशन परियोजना, जिला गुरुग्राम हेतु 8 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय ई–शासन पुरस्कार मिला।

(vii) 8 सितंबर, 2016 को स्कॉच से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्लेटिनम अवार्ड।

11. एम–एस.आई.पी.एस. के तहत ब्राउन–फील्ड कलस्टरः इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के विकास में सहायता देने, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करने, नवाचार एवं अवसरों और कर राजस्व को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से भारत सरकार ने ब्राउनफील्ड कलस्टर के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम–सिप) अधिसूचित की है। ब्राउनफील्ड कलस्टर में स्थापित होने वाले उद्योग, पूंजीगत उपकरणों पर आबकारी/काउंटर वेलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा केन्द्रीय करों व शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। ये प्रोत्साहन अनुमोदन की तिथि से 10 साल की अवधि के अन्दर परियोजना में किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होंगे। जिला गुरुग्राम का क्षेत्र, जिला रेवाड़ी की बावल तहसील और धारूहेड़ा उप–तहसील, जिला पंचकूला (बरवाला खण्ड तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र समेत), जिला फरीदाबाद, जिला पलवल, जिला अंबाला, जिला यमुनानगर, जिला झज्जर और जिला सोनीपत (राज्य सरकार या इसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कुंडली और राई क्षेत्रों समेत सभी औद्योगिक क्षेत्र) को ब्राउन–फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कलस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है।

12. आईटी पार्क : हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम ने प्रदेश में चार स्थानों अर्थात पंचकूला, आईएमटी मानेसर और सोनीपत के राई व कुंडली में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से टैक्नॉलोजी पार्क/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैक्नॉलोजी पार्क के लिए अवसंरचना का विकास किया है।

13. निजी आईटी पार्क/एसईजेड : सरकार ने (नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में) प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर

आईटी/साइबर पार्क की स्थापना के लिए 11,400 करोड़ रुपये के परियोजना निवेश तथा 387 एकड़ भूमि के 48 प्रस्तावों को लाइसेंस प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में 6 सेज कार्य कर रहे हैं।

14. एस.टी.पी.आई. की स्थापना : प्रदेश में आईटी तथा आईटी सक्षम सेवा उद्योगों के विकास के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए विभाग ने पंचकूला में एस.टी.पी.आई. (भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क) की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं। एस.टी.पी.आई. गुरुग्राम उद्घाटन के लिए तैयार है।

15. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) : जिला सोनीपत के गांव किल्होड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है। आई.आई.आई.टी. की पूंजी लागत 128 करोड़ रुपये चिह्नित की गई है, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा औद्योगिक भागीदारों (हारट्रोन और एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), कुरुक्षेत्र के परिसर में तीन इंजीनियरिंग शाखाओं में अतिथि कक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शुरू हो गई हैं।

16. ई–शिक्षा केंद्र : हारट्रोन द्वारा प्रदेशभर में स्थित 80 ई–शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से नियमित रूप से हरियाणा सरकार के कार्यालय, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए नियमित तौर पर विशेष प्रशंसनीय पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हारट्रोन द्वारा अब तक 90,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 36,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

17. अधिकृत अध्ययन केंद्र : हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.के.सी.एल.) ने 245 अधिकृत अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं तथा वर्ष 2017–18 के दौरान 300 ओर अधिकृत अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

18. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) के तहत कौशल प्रशिक्षण : इस योजना के तहत 3,000 व्यक्तियों को चालू वर्ष में प्रशिक्षित करने के लिए चिह्नित किया गया है तथा अगले 4 वर्षों में 15,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

19. नियोजन आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष में 2,000 शहरी बीपीएल युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। हारट्रोन द्वारा अब तक 451 युवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

20. वीएलई के लिए भवन क्षमता निर्माण तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम : चूँकि एनओएफएन परियोजना के समन्वय के दौरान यह देखा गया कि गांव स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने में उद्यमशीलता के लिए वीएलई के व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तदनुसार, हारट्रोन को इसके बहु–कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से वीएलई को क्षमता निर्माण तथा उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण उपलबध करवाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 3,000 वीएलई को प्रशिक्षित किया जाना है। अब तक 1,204 वीएलई को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वार्षिक कैलेंडर बनाने के साथ–साथ एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण इकाई की योजना की प्रक्रिया जारी है।

21. सौर पीवी स्थापना और रखरखाव में कौशल प्रशिक्षण : हारट्रोन गुरुग्राम में सौर ऊर्जा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्र में 1,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है। हारट्रोन द्वारा अब तक 338 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, 338 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों का कौशल परिषद द्वारा मूल्यांकन किया गया और उनमें से 82 विद्यार्थियों को प्रमाणित किया गया। वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट

बिजली पैदा करने के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के लक्ष्य से राज्य सौर ऊर्जा मिशन को जोड़ने के लिए हारट्रोन की सौर ऊर्जा के कारोबार में अग्रणी कम्पनी के सहयोग से एक अत्याधुनिक सौर ऊर्जा प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है।

22. ई–साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षणः ई–साक्षरता कार्यक्रम के तहत हर घर में ई–साक्षरता के लिए हारट्रोन ने जिला पंचकूला के गांव रज्जीपुर को अपनाया है। चालू वर्ष में 151 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

23. आईटी/बीपीओ क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण : आईटी/बीपीओ क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के लिए हारट्रोन ने इंटेलनेट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुरूग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 18 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

24. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन : इस कार्यक्रम के तहत, 2,26,928 उम्मीदवारों को एप्रीशिएशन ऑफ डिजिटल लिट्रेसी (लेवल –1) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है और 1,31,047 उम्मीदवारों ने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करके भारत सरकार से डिजिटल साक्षरता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

25. जिला स्तर पर आईटी प्रयोगशाला : जिला स्तर पर आईटी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। डाटा के कम्प्यूटरीकरण/डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, बेसिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओरियंटेड प्रशिक्षण, वीएलई/यूएलई तथा जिला हितधारकों को जी2सी सेवाओं के लिए प्रशिक्षण और आंगनवाड़ी/आशा/आरडी के लिए एनडीएलएम कार्यक्रम तथा तकनीकी शिक्षा, शिक्षा बोर्ड और हारट्रोन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं के लिए इन प्रयोगशालाओं का उपयोग विशेष रूप से किया जा रहा है।

26. विशिष्ट प्रयोगशालाएं : अधिक से अधिक रोजगार नियोजन अवसरों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) योजना के तहत प्रदेश में फाइबर ऑप्टिक्स, रोबोटिक्स, आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के क्षेत्र में कम से कम चार विशिष्ट प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है।

27. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी अकादमीः हरियाणा के कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के कौशल सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी अकादमी स्थापित करने की योजना है। एनआईटी, कुरुक्षेत्र के निदेशक इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेंगे जिसे भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

28. स्टार्टअप वेयरहाउस : राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमियों के लिए नैसकॉम के सहयोग से गुरुग्राम में नवाचार परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

29. स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस (एस.आर.डी.बी.) : परियोजना का प्रारंभिक संस्करण कार्य कर रहा है और इसमें आधार कोष से लगभग 1.58 करोड़ नागरिकों का रिकॉर्ड लिया गया है। रेजीडेंट डाटा, जिसे लाभप्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,का सृजन भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप किया गया है। विभिन्न विभागों की 29 ई–सेवाओं को डाटा के आदान–प्रदान के लिए एस.आर.डी.बी. के साथ एकीकृत किया गया है। एस.आर.डी.बी. का इस्तेमाल करके मिट्टी के तेल, सामाजिक पेंशनों तथा छात्रवृत्तियों में अपात्र लाभार्थियों को निकाला गया है, जिससे राज्य को काफी बचत होगी। अब सरकार टैब आधारित ईकेवाई सर्वेक्षण के लिए आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू करने के लिए प्रयासरत है।

30. स्टेट रेजीडेंट डाटा हब (एस.आर.डी.एच.) : प्रदेश में स्टेट रेजीडेंट डाटा हब (एस.आर.डी.एच.) की स्थापना की गई है। वर्तमान में, एस.आर.डी.एच. के पास 1.44 करोड़ रिकॉर्ड हैं और यह जुलाई, 2015

तक स्टेट रेजीडेंट डाटा रिकार्ड यूआईडीएआई के साथ सम्पूर्ण है। एस.आर. डी.एच. डाटाबेस का उपयोग विभिन्न विभागों (निर्वाचन, शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभागों) के लिए सीडिंग कार्य में किया जा रहा है तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए यूआईडी नंबर से निवासियों की जनसंख्या और फोटो की खोज सक्षम बनाने के लिए एक वेब सेवा आधारित रेजीडेंट लुकअप विकसित किया गया है।

31. सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय : प्रदेश के लिए एक व्यापक सूचना सुरक्षा नीति तैयार की गई है, जिसके लिए सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आई.एस.एम.ओ.) पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। प्रदेश की 30 आईटी परिसंपत्तियों के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों की एक छोटी–सी समर्पित टीम सतत आधार पर जोखिम विश्लेषण (वीए) तथा भेदन परीक्षण (पीटी) के लिए लगी हुई है। एक वर्ष के अंदर प्रदेश की सभी आईटी परिसंपत्तियों को कवर करने की योजना है। निवारक और उपचारात्मक, दोनों परिप्रेक्ष्यों में खतरे से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने तथा सुरक्षा से सम्बन्धित घटनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एस.ओ.सी.) की स्थापना करने की योजना है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय द्वारा सतत सुरक्षा आकलन प्रक्रिया के भाग के रूप में अब तक 53 वेब पोर्टल का लेखा परीक्षण किया गया है।

32. सात विश्वविद्यालयों में ऊष्मायन केन्द्रों का निर्माण : प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों में 30 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से सात ऊष्मायन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

33. मोबाइल एप्लीकेशन विकास केंद्र : इंटरनेट एण्ड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (आई.ए.एम.ए.आई.) के साथ कौशल प्रशिक्षण केंद्र सहित एक मोबाइल विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ताकि कॉमन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग–कम–मीटिंग रूम, इंटरनेट इत्यादि जैसी सांझा सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए गुरुग्राम में 3,000 वर्गफुट क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

34. आई.टी. कैडर : प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में दक्षता, पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/संस्थानों में ई–शासन परियोजनाओं तथा आईटी एप्लीकेशंस के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके संदर्भ में प्रदेश में ई–शासन पहलों के सुचारू कार्यान्वयन तथा संपोशण के लिए प्रदेश में एक आईटी कैडर बनाने का प्रस्ताव है।

35. सूचना प्रौद्योगिकी नीति : सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार क्षेत्र पर नई नीति (अर्थात् आई.टी. एण्ड ई.एस.डी. एम. पॉलिसी) तैयार की जा रही है जो आईटी और आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ./इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कई प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी तथा निवेशक हितैषी वातावरण बनाकर, तेजी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाकर तथा विश्वसनीय अवसंरचना का विकास करके निवेश को बढ़ावा देगी।

36. संचार एवं संयोजकता अवसंरचना नीतिः भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नए दिशा–निर्देशों तथा अधिनियमों के दृष्टिगत मौजूदा संचार एवं संयोजकता अवसंरचना नीति को भी संशोधित किया जा रहा है।

37. यू.एम.ए.एन.जी. के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई.) द्वारा मोबाइल ऐप का विकास : डी.ई.आई.टी.वाई. द्वारा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस (यू.एम.ए.एन.जी.) शुरू करने का प्रस्ताव है। यह मोबाइल के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाओं की एकल बिंदु पहुंच के लिए कॉमन भवन, यूनिफाइड प्लेटफार्म/एप्लीकेशन बनाकर देश में मोबाइल गवर्नेंस में तेजी लाने की पहल है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक, केंद्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों

द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तक किसी भी स्थान से अपनी पसंद की अखिल भारतीय ई–शासन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा में पहले से ही 100 सेवाओं का शुभारंभ किया जा चुका है और मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ष 2017–18 के दौरान हरियाणा की कम से कम 50 जी2सी सेवाओं को एकीकृत करने का लक्ष्य है।

38. ई–कार्यालय परियोजना (हरियाणा में शुरू) : ई–कार्यालय की पायलट परियोजना (i) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, (ii) एनआईसी, (iii) हारट्रोन, (iv) आईआईटी, (v) जन स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालयों में मार्च, 2017 से पहले शुरू होने की सम्भावना है।

39. वाई–फाई हॉटस्पॉट परियोजना (हरियाणा में शुरू) : भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण के साथ डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस परियोजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट के लिए 110 स्थानों की पहचान की गई है। चालू वर्ष के दौरान 11 जिलों में 30 स्थानों को कवर किया जा रहा है और शेष स्थानों को अगले वित्त वर्ष में कवर किया जाएगा।

40. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्सः राज्य सरकार द्वारा गुरुग्राम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की स्थापना की प्रक्रिया जारी है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

- शैक्षणिक/औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से नवाचार के सार्वभौमिकरण के लिए तकनीकी डिजाइन और उत्पाद प्रारूप पर कार्य करने के लिए स्टार्ट–अप्स को प्रोत्साहित करना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवीन अनुसंधान को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी उत्पादों तथा उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए स्टार्ट–अप्स, एसएमई समेत आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, परिवर्तित करना और विकसित करना।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता पर पाठ्यक्रम शुरू करके विश्वविद्यालयों/तकनीकी कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को आईओटी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना।
- रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, सरकार और विद्यार्थियों के बीच अत्यावश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

41. सॉफ्टवेयर निर्यात : वर्ष 2015–16 के दौरान हरियाणा से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात वर्ष 2014–15 के 6.2 बिलियन डालर की तुलना में 6.8 बिलियन डालर होने का अनुमान हैं

42. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार : इस समय देशभर के आईटी सैक्टर का 6.8 प्रतिशत रोजगार हरियाणा के पास है। आईटी/आईटीईएस सैक्टर में लगभग 1.87 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.79 राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही हैं, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा इसे अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैः–

- **विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति स्कीम**

इस योजना के अंतर्गत विभाग मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में 3–वर्षीय बी.एस.सी./4–वर्षीय बी.एस.सी./5–वर्षीय सम्मनवित एम.एस.सी./एम.एस. की शिक्षा ग्रहण करने वाले 150 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह व 2–वर्षीय एम.एस.सी. के 50 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति मैरिट के आधार पर प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 1,501 विद्यार्थियों को लगभग 1,478.03 लाख रुपये की छात्रवृतियाँ दी गई है।

- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीमः** इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 परीक्षा में 10वीं कक्षा के छात्रों के नम्बरों के आधार पर उच्चतम 1,000 छात्रों को (500 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 500 छात्र सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्डों से) छात्रवृति देने का प्रावधान किया गया है। 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को 1500 रूपये प्रति माह की छात्रवृतियां दी जाएंगी। यह स्कीम अगले वर्ष से शुरू की जाएगी तथा छात्रवृति हेतू छात्रों का चयन नवम्बर, 2016 में हुई एन.टी.एस.ई. स्टेज–1 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप स्कीमः** सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में मेरिट के आधार पर यह छात्रवृति दी जानी है। विज्ञान विषयों के अनुसंधान अध्येता को 18,000 प्रतिमाह पहले दो साल तथा 21,000 रूपये तीसरे वर्ष के बाद दिये जाते है जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल तक होती है। इसके अतिरिक्त 20,000 रूपये वार्षिक एकमुश्त राशि दी जाती है, यह स्कीम 2009–10 में शुरू हुई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 104 विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जा चुकी है।

5.80 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एंव इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने स्वर्गीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में कुरूक्षेत्र में 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस केन्द्र में 1.15 लाख दर्शक आए तथा 25.71 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2016–17 (30–11–2016) तक के.सी.एम.पी. में 97,696 दर्शकों ने भ्रमण किया जिससे के. सी.एम.पी. को 22,55,925 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

5.81 पादप जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रयोगशालाएँ प्लान्ट टिशू कल्चर का कार्य करने के लिए परिपूर्ण हैं। इस जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में टिशू कल्चर के माध्यम से कई संभ्रांत फसलों का गुणन किया जाता है। केन्द्र में अमरुद, ग्वारपट्ठा, सर्पगन्धा, मीठी तुलसी, केला, ग्लेडियोलस, बांस, नीलगिरी, सफेद मूसली, डहलिया, आलू, जोजोबा, स्ट्राबेरी, मेंहदी, गन्ना और अन्य पौधों के जर्मप्लाज्मा को गुणा किया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान सी.पी.बी., हिसार ने अपनी गतिविधि के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। भारत सरकार की परियोजनाएँ समय के अनुसार चल रही हैं और एक नए शोध परियोजना के लिए केन्द्र को मंजूरी दी गई है। टिशू कल्चर का काम आदेश के अनुसार चल रहा है। इस केन्द्र की मुख्य गतिविधियां निम्न हैः–

- एक नई परियोजना "फिनोटिपिक, किमोटिपिक और जीनोटिपिक" विशेषताओं का अध्ययन करना और औषधीय पौधे (राओलफिया सर्पेन्टिना, ग्लेसिराइजा गलाबरा और कालमेघ) का मल्टीप्लीकेशन करना।
- 117 बायोटैक्नोलॉजी के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र प्लांट टिशू कल्चर और जैव

प्रौद्योगिकी में सी.पी.बी.,हिसार से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

- विभागों की आवश्यकता के अनुसार केन्द्र ने गन्ना, केला, बांस और मीठी तुलसी, ग्वारपट्ठा जैसे पौधों को ईन-विट्रों विधि द्वारा तैयार करके बेचे।
- प्रशिक्षण छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- सी.पी.बी., हिसार द्वारा प्लान्ट टिशू कल्चर तकनीक के प्रदर्शन पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- बायोटैक्नोलॉजी के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रो, किसानों, कृषि विभागों, वन अधिकारियों और उद्यमियों द्वारा प्लान्ट टिशू कल्चर और मॉलिकुलर बायोलोजी तकनीक के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समय–समय पर सी.पी.बी. का दौरा किया गया।

5.82 हरियाणा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (हरसैक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह केन्द्र राज्य के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और बुनियादी ढ़ांचे के मानचित्रण, निगरानी एवं प्रबंधन में कार्यरत है। यह केन्द्र राज्य में सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी. आई.एस.) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) से सम्बंधित गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। आज तक यहाँ पर 150 परियोजनाओं को पूरा कर किया जा चुका है और 30 परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। केन्द्र में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:–

(i) उपग्रह, मौसम के आंकड़े व जमीनी आधार पर एकत्र किए आंकड़ों का उपयोग कर फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान तथा राष्ट्रीय कृषि सुखा प्रबंधन तंत्र (फसल व नादमस)।

(ii) अंतरिक्ष तकनीकी व भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा फसल बीमा मूल्यांकन (किसान)।

(iii) हरियाणा के दस प्रमुख चावल और गेहूं उत्पादक जिलों में पुवाल जलाने वाले क्षेत्रों का आंकलन (2016–17 में)।

(iv) सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) के उपयोग द्वारा रेशम उत्पादन विकास।

(v) मरूस्थलीकरण क्षेत्रों का मानचित्रण।

(vi) हरियाणा में वन क्षेत्रों की सजरा स्तर पर मानचित्रण।

(vii) हरियाणा में भूमिसंरक्षण का मोनिटरिंग।

(viii) सोहना में उड़ान परियोजना के तहत ड्रोन आधारित मैपिंग।

(ix) हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों का मानचित्रण।

(x) नगर निगम, गुरूग्राम के मौजूदा डिजीटल भूमि रिकॉर्ड और नगर निगम, गुरूग्राम में भू–स्थानिक प्रयोगशाला की स्थापना।

(xi) नगर निगम, गुरूग्राम सीमा के तहत कर योग्य सम्पति के उपग्रह चित्रों द्वारा चित्रण।

(xii) विभिन्न शहरों में अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण।

(xiii) जी.आई.एस. प्रयोगशाला रोहतक में एम.सी. रोहतक के भूस्थानिक कार्य।

(xiv) हरियाणा में भूमि उपयोग/भूमि कवर विश्लेषण।

(xv) पंचायती राज संस्थाओं का स्थानिक सशक्तीकरण (ई.पी.आर.आई.एस.) ।

(xvi) हरियाणा स्थानिक डाटा अवसंरचना का विकास।

(xvii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए ग्रिड नक्शे बनाना।

(xviii) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो)-एन.एन.आर.एम.एस. द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम।

(xix) गुरू जंभेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, हिसार के सहयोग से भौगोलिक सूचना प्रणाली में एम.टेक. कोर्स।

हिपा

5.83 हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को शीघ्र सेवा प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय सेवा, हरियाणा लोक सेवा, वर्ग क व ख अधिकारी तथा राज्य सरकार के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और विभिन्न बोर्डो/निगमों में आए नवागुतकों के लिए उनकी योजना बनाने में कार्यक्षमता बढ़ाने व विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों व स्कीमों के प्रभावी रूप से लागू करने हेतू उनको प्रशिक्षण प्रदान हेतु बहु अनुशासनिक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में की गई है। संस्थान ने कई आयामों में प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए हैं जैसे लोक प्रशासन, व्यवहारिक विज्ञान, ग्रामीण विकास, अर्थशास्त्र और विकास योजनाएं, वित्तीय प्रबन्धन, नागरिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, कानून व राजस्व प्रशिक्षण आदि **(तालिका 5.4)**

तालिकाः– 5.4– हिपा द्वारा अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण कोर्सों का विवरण

प्रशिक्षण संस्थान	निर्धारित कोर्सो की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण के दिनों की संख्या
हिपा,गुरूग्राम	67	2145	12623
डी.टी.सी.,पचंकुला	34	1535	3314
डी.टी.सी.,हिसार	19	362	1962
डी.टी.सी.,रोहतक	23	693	3083
कुल	**143**	**4375**	**20982**

***

6

स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, दवाओ को निरतंर तरीके से उपलब्ध कराने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों (शिशु, बच्चे, युवाओं, माताओं तथा, आपातकालीन रोगियों) की स्वास्थ्य संबधी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त संचारी व गैर–संचारी रोगों को भी सावधानीपूर्वक जांच के द्वारा इलाज दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य अवसरंचना

6.2 इस समय राज्य में 59 नागरिक हस्पतालों, 121 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 488 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2,630 उपकेन्द्रों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 8 ट्रॉमा केन्द्र, 3 बर्न युनिट, 63 शहरी औषधालय, पोलिक्लीनिक तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है ।

मुख्यमंत्री मुफत ईलाज योजना

6.3 मुख्यमंत्री मुफत ईलाज योजना के तहत द्वितीय स्तर की शल्य चिकित्सा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानो में मुफत उपलब्ध करायी जा रही है। 231 विभिन्न शल्य चिकित्सा, 69 मुफत प्रयोगशाला जांच, एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, ई.सी. जी., मुफत इंडोर ट्रीटमेंट सेवाएं, 21 दन्त प्रकिया की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यमत्री मुफत ईलाज योजना के अन्तर्गत 18 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

हस्पतालों के लिए राष्ट्रीय आधिकारिक मान्यता बोर्ड

6.4 हरियाणा में एन.ए.बी.एच. के अन्तर्गत 84 सुविधाएं जिला हस्पतालों उप जिला हस्पतालो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक

6.5 वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मानक एन.क्यू.ए.एस. के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एच.एस.एच.आर.सी. का गठन किया गया जिसके तहत 328 सुविधाएं (20 जिला हस्पतालों, 23 उप जिला हस्पतालों, 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 206 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) हरियाणा में दी गई।

स्वच्छ भारत अभियान

6.6 हरियाणा में 2016–17 में कायाकल्प अवार्ड पर आधारित कार्यक्रम (स्वच्छ भारत अभियान) 321 सुविधाओं सहित पूर्ण किया गया। पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मानसिक सहायता देने के लिए 5 नागरिक हस्पतालो में सकून नामक लिंग स्वास्थ्य सहयोग केन्द्र खोले गए है। स्वास्थ्य पर अनियत्रित खर्चे को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य स्वास्थ्य लेखा गतिविधि संचालित की गई। वित्त वर्ष 2016–17 में ई–उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने में 10 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं।

6.7 हरियाणा राज्य में जन्म प्रमाण पत्रों का कम्पयूटरीकरण किया जा चुका है। लंबित पंजीकरण मे भी सुधार किया जा रहा है। जन्म पंजीकरण के आधार पर दिसंबर, 2016 तक

लिंग अनुपात 900 है। सिरसा (935), पंचकुला (923), फतेहाबाद (918), हिसार (913), पलवल (913), अबांला (912), मेवात (912), पानीपत (912), करनाल (908), रोहतक (905), सोनीपत (901) और जींद में लिंगानुपात 900 से अधिक पाया गया है। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात कुरूक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में पाया गया है। शेष जिलों मे लिंग अनुपात 860 से 900 है। वर्ष 2015 में लिगांनुपात 876 था।

6.8 नागरिक अस्पताल पंचकुला, भिवानी, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरूग्राम में बी.पी.एस. खानपुर कलां चिकित्सा महाविद्यालय के साथ एस.के.एच.एम. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नल्लहर, मेवात व पी.जी.आई. एम.एस. रोहतक में पी.पी.पी. मोड में सीटी स्कैन व एम.आर.आई. मशीन का प्रावधान है। नागरिक अस्पताल अबांला, पंचकुला, भिवानी, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गावं, जींद, सिरसा, यमुना नगर, झझर व बहादुरगढ़ में भारत सरकार व आई.एस.एन. दिशानिर्देशों के अनुसार हिमोडायलिसीस सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार ने कैथ लैब सेवाएं तथा कार्डियक केयर यूनिट पी.पी.पी. मोड पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशू स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके फलस्वरूप एन.एफ. एस.एच.–4 के अनुसार हरियाणा की शिशू मृत्यु दर (आई.एम.आर.) घट कर 33 प्रति हजार जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2013) तथा मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) घट कर 127 हो गया है। इसी तरह वर्ष 2016 में संस्थागत प्रसुतियां 92.1 प्रतिशत हो गई है। राज्य में इस समय 364 एंबुलेंस उपलब्ध है जिसमें से 102 रोगियों के लिए वाहन, 47 एडवांस लाईफ स्पोर्ट, 187 बेसिक लाईफ स्पोर्ट और 28 किलकारी बैक होम एंबुलेंस है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.10 यह कार्यक्रम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से शुरू किया गया था, इस समय यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पहला चरण (2005–12) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का दूसरा चरण (2012–17) 1 अप्रैल, 2012 को शुरू किया गया था। साझा पैटर्न 2014–15 तक (क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकार) 75:25 के अनुपात में है और साझा पैर्टन 2015–16 से (क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकार) 60:40 के अनुपात में है। राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पहले चरण के दौरान महत्वूपर्ण प्रगति की है। हरियाणा की मातृ मृत्यु दर 2004–06 में 186 थी जो कम होकर 127 (एस.आर.एस. 2013) हो गई है। शिशु मृत्यु दर जो 61/1000 (एस.आर.एस. 2002) थी कम होकर अब 36/1000 (एस.आर.एस. 2015) हो गई है। टी.एफ.आर. कम होकर (एस.आर.एस. 2014) में 2.1 हो गया है, जो (एस.आर.एस. 2002) में 3.0 था। संस्थागत प्रसव जो 2004 में 23 प्रतिशत थी, दिसम्बर, 2016 तक बढ़कर 92.1 प्रतिशत हो गई हैं।

मातृ स्वास्थ्य

6.11 हरियाणा में मातृ मृत्यु दर में विगत वर्षों में कमी आई है और हरियाणा का मातृ मृत्यु दर पूरे भारत की तुलना में एस.आर.एस. के अनुसार **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 6.1– मातृ मृत्यु दर व एस.आर.एस.

वर्ष	हरियाणा	भारत
1999–01	176	327
2001–03	162	301
2004–06	186	254
2007–09	153	212
2010–12	146	178
2011–13	127	167

स्त्रोतः स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

- **24X7 प्रसव बिन्दु की संख्या में बढौतरी**
  आर.सी.एच.–II/एन.आर.एच.एम. ने क्रियाशील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं (उप केन्द्रों) इत्यादि जैसे 24X7 पर अतिरिक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों और अन्य प्रसव के प्रावधानों के द्वारा अवधारणा कल्पित की है, ताकि मरीजों के लिए प्रसूति सुविधाएं उनके अड़ोस–पड़ोस में सुलभ हो जाये।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम**
  जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त सुविधाएं (प्रसव, सिजेरियन, जांच इत्यादि) प्रदान की जाती है।
- **जननी सुरक्षा योजना (भारत सरकार)**
  जननी सुरक्षा योजना एक सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली माताओं को प्रसव पर भुगतान किया जाता है। कुल 700 रुपये का भुगतान लाभार्थी को ग्रामीण संस्था में प्रसव के लिए दिया जाता है और शहरी संस्था में प्रसव हेतू यह राशि 600 रूपये तथा घर पर प्रसव के लिए यह 500 रूपये है।
- **जननी सुरक्षा योजना (राज्य)**
  इस योजना की शुरूआत अप्रैल, 2008 में राज्य योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के अधीन 1,500 रूपये की सहायता अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतू दी जाती है, चाहे व सरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र का अस्पताल। गर्भवती महिला को प्रसव हेतू भुगतान एकमुश्त 1,500 रूपये की राशि दी जाती है। यहां तक कि अनुसूचित जाति/जनजाति महिला जो बिना किसी प्रसूति पूर्व जांच के सीधे संस्था में प्रसव हेतू आती है, उसे पूरे 1,500 रूपये का भुगतान किया जाता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

6.12 परिवार कल्याण कार्यक्रम जन समुदाय की आवश्यकता तथा मांग के अनुसार और सेवाओं की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे है। यह कार्यक्रम प्रदेश की जनसंख्या को नियन्त्रित करने में सफल रहा है जिसके फलस्वरूप जो जन्म दर वर्ष 1971 में 42.1/1000 थी घटकर 21.2/1000 (एस.आर.एस. 2014) हो गई है। हरियाणा की दस वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान जनगणना के अनुसार 19.9 है।

कुल प्रजनन दर

6.13 एस.आर.एस. 2014 के अनुसार हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.1 है। कुल प्रजनन दर नसबंदी और परिवार नियोजन तकनीक, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं जागरूकता आदि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और स्वीकृति की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। यदि पति पत्नी दो बच्चों तक गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते है तो इसका कुल प्रजनन दर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में इस समूह द्वारा गर्भनिरोधक उपायों के रूप में नसबंदी सम्बन्धी करवाने में प्रगतिशील वृद्धि हुई है।

एड्स

6.14 एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 99 एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र, 160 सुविधा एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र, 31 मनोनीत एस.टी.आई./आर.टी.आई./क्लीनिकों, 90 रक्त बैंकों, 17 एल.ए.सी.एस. और 1 ए.आर.टी. केन्द्रों के माध्यम से सभी जिला और उप जिला स्तर पर एच.आई.वी. पीड़ितों की देखभाल और उपचार उपलब्ध सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा ठोस और सतत् प्रयास किए जा रहे है।

आयुष

6.15 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, युनानी, सिद्वा एंव होम्योपैथी (आयुष) इन सभी पैथियों की भारत वर्ष के सभी वर्गो में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षों तक उपयोग करके जॉची और परखी हुई पैथियॉ है जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषध प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे क्रोनिक रोगों के उपचार एंव रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नहीं है, महत्वपुर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बिमारियों के बढने के कारणों के हालातों को देखते हुए लोगों का रूझान आयुष पैथियों की तरफ, देश में तथा दूसरे देशों में भी होने लगा है।

6.16 आयुष विभाग हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उदेश्य के लिए 3 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 458 आयुर्वेदिक, 18 युनानी एंव 20 होम्यो0 औषधालय तथा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–3, पंचकूला में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) तीन स्पैशल आयुष क्लीनिक (गुरूग्राम, हिसार, अंबाला) तथा एक स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जीन्द में स्थानांतरित किये गये हैं तथा आयुष विंग वर्ष 2009–10 में 21 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 92 आयुष आई.पी.डी., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर तथा 112 आयुष ओ.पी.डी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

6.17 विभाग श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरूक्षेत्र के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है। 6 आयुर्वेदिक तथा 1 होम्योपैथिक कॉलेज निजी क्षेत्रों में प्राइवेट मैनेजमैन्ट के द्वारा चलाये जा रहे हैं।

6.18 वित्त वर्ष 2015–16 में आयुष विभाग के लिए 31.35 करोड़ रूपये प्लान स्कीम के अन्तर्गत तथा 88.33 करोड़ रूपये नान प्लान स्कीम के लिए की राशि खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान प्लान स्कीम के लिए 55.38 करोड़ रूपये तथा नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत 125.15 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए प्लान स्कीम के अन्तर्गत 151.88 करोड़ रूपये तथा नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत 174.69 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित है।

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण

6.19 कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा द्वारा ई.एस.आई. एक्ट 1948 के तहत राज्य में स्थित 16.77 लाख रूपये बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को राज्य के कुल 7 हस्पताल (4 ई.एस.आई.एस. हस्पताल, 3 ई. एस.आई.सी. हस्पताल) तथा 79 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियां, 3 आयुर्वेदिक ईकाईयां, 1 चल औषधालय व 2 चिकित्सा बीमा व्यवसायी जो वर्तमान में शाहबाद (कुरूक्षेत्र) व चरखी दादरी (भिवानी) में चल रहे हैं, से चिकित्सा सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

6.20 वर्ष 2017–18 की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार से है।

1. ई.एस.आई. योजना को जिला फरीदाबाद के पूर्ण क्षेत्र में लागू कर दिया गया है।
2. अम्बाला क्षेत्र के बीमाकृतों को द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं को सी.जी.एच.एस. भावदर पर नकदी रहित प्रदान करने के लिये दो निजी/चैरिटेबल हस्पताल एम्पैनल कर लिये

गये हैं तथा बीमाकृतों एवं उनके आश्रितों को यह चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी आरम्भ कर दी गई है।

3. सरकार द्वारा ई.एस.आई. डिस्पैंसरी, पंचकूला को दो डाक्टर डिस्पैंसरी से पॉच डाक्टर में अपग्रेड करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

4. सरकार द्वारा बरवाला (पंचकूला), साहा (अम्बाला) व खरखौदा (सोनीपत) में मोबाईल डिस्पैंसरी खोलने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।

5. बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा बरसत रोड–पानीपत व झाडली (जिला झज्जर) में डिस्पैन्सिरियां खोलने के लिए विभाग को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

6. शाहाबाद जिला कुरूक्षेत्र व चरखी दादरी में बीमाकृतों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतू चिकित्सा बीमा व्यवसायी प्रणाली (आई.एम.पी.सिस्टम) लागू किया गया।

7. बीमाकृतों व उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सरकार से 4 नई एम्बुलैसों की खरीद की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इनकी खरीद बारे कार्यवाही की जा रही है।

6.21 परियोजना/कार्यक्रम–2016–17:

1. बहादुरगढ़ (झज्जर) में 100 बिस्तर का हस्पताल खोलना।

2. फरीदाबाद के सैक्टर–8, ई.एस.आई. हस्पताल को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर की श्रेणी वाला हस्पताल बनवाने का कार्य प्रगति पर है।

3. नये क्षेत्रों–हथीन (पलवल), खरकड़ा (रेवाड़ी) एवं झाडली (झज्जर), को ई.एस. आई.स्कीम के अन्तर्गत लेने बारे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है और इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधायें व सेवायें लागू करने बारे कार्यवाही की जा रही है।

4. ई.एस.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा हरियाणा राज्य में सम्पूर्ण क्षेत्र में ई.एस.आई. स्कीम लागू की जानी है। बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महेन्द्रगढ़ में डिस्पैन्सरी खोलने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

5. 1 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंन्सरी बावल (रेवाड़ी) को 5 डाक्टर डिस्पैंन्सरी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

6. बीमाकृतों एंव उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु दो नई एम्बुलैंस खरीदने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

7. 10 ई.एस.आई. डिस्पैंन्सिरियां जो कि ई.एस.आई.सी. के भवनों में स्थित है, उनको 6 बिस्तरीय हस्पताल में अपग्रेड किया जाना है।

8. 3 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियां जो कि ई.एस.आई.सी. के भवनों में स्थित है, उनको 30 बिस्तरीय हस्पताल में अपग्रेड कियाजाना है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

6.22 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय को स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग से अलग एक निदेशालय के रूप मे 8 जनवरी, 2009 को स्वास्थ्य, दन्त, आयुर्वेदिक, होमोपैथिक, और पैरामैडिकल शिक्षा के विस्तार हेतू स्थापित किया गया। इस निदेशालय का चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के नियमन के लिए सरकार द्वारा प्रशासकीय सचिव स्वास्थ्य विभाग के अधीन नोटिफिकेशन दिनांक 4–9–2014 के अनुसार गठन किया गया है। विभाग का मुख्य कार्य इस प्रकार है:–

1. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा से सम्बंधित सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वतंत्र व निजी क्षेत्रों के सभी स्कूलो, कॉलेजों व विश्वविद्यालय को नियमित करना।

2. चिकित्सा शिक्षा की गुणवता को बनाये रखने के लिए नीतियों का निर्माण करना। चिकित्सा शिक्षा का अर्थ चिकित्सा, होमोपैथी, आयुर्वेदिक, नर्सिंग, फारमेटिकल, फिजीयोथेरोपी, पैरामैडिकल, पैराडेन्टेल, पैराक्लीनिक अस्पताल प्रशासन आदि से है।

3. स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा से सम्बंधित सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित व नियंत्रित करना।

4. हरियाणा में कार्यरत सभी निजी, सरकारी, अर्धसरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त और स्वत़ंत्र सस्थानों के प्रवेश, फीस मुद्दों और परीक्षाओं को नियमित करना।

5. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की प्रगति के लिए पैसों का प्रबंध करना और सार्वजनिक–निजी सांझेदारी द्वारा निवेश को बढ़ावा देना।

6. भारत सरकार/दाता संस्थायों से पैसे को इक्कठा करना।

7. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में मानव अनुसंधान की जरूरतों का प्रतिचित्रण करना और राज्य की जरूरतों के अनुसार मानव अनुसंधान स्त्रोत की योजना बनाना।

8. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में विद्याथियों व संकाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं को आरम्भ करना।

9. चिकित्सा शिक्षा के नियमन पाठयस्तर बढाने की रूपरेखा, विभिन्न पाठ्यक्रम/अध्ययन की समायावधि एंव नए पाठ्यक्रम का परिचय, अलग–2 संस्थानो में विभिन्न कोर्स के लिए सीट का आबंटन करना ।

10. नए चिकित्सा कॉलेज खोलने, चलाने व बंद करने हेतु नीति प्रतिपादित व मान्यता प्रदान करना।

11. मांग पत्र को जारी/नवीनीकरण/रद्करना व केंद्र सरकार, राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/स्वायत संगठन तथा निजी क्षेत्र के अधीन चिकित्सा संस्थान की स्थापना में अनिवार्यत्ता प्रमाण पत्र जारी करना।

12. राज्य के सभी चिकित्सा, पैरामेडिकल, दंत, पैरा दंत, नर्सिंग संस्थान विश्वविद्यालय की मान्यता, किसी अधिकृत मान्यता अधिकरण जो कि राज्य या राज्य से बाहर की से मान्यता सुनिश्चित करवाना और राज्य सरकार से संस्थान की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

13. सरकारी/निजी/स्वतंत्र और विश्वविद्यालयों सहित सभी संस्थानों से छात्रों के हित में अच्छी और गुणवत्ता शिक्षा समयबद्ध उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आश्वस्त करना।

14. चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान के अधीन उपक्रम, प्राधिकरण, बोर्डों, सहकारिता परिषद की स्थापना व प्रशासन करना।

15. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में राज्य के अंदर व राज्य के बाहर से समन्वय करना।

16. स्थापित किये जाने वाले व पहले से स्थापित संस्थानो का पंजीकरण व प्रतिचित्रण करना।

17. परीक्षा करना, नीति निर्धारित करना, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रदान करना।

18. हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए निजी, स्वायत्ता और सरकारी संस्थानो की शैक्षणिक/लेखा परीक्षा करना।

19. नर्सिंग, पैरा मैडिकल में उतीर्ण छात्रों को दर्ज करना तथा इनसे संबन्धित नीति व तकनीकता का निर्माण करना।

6.23 हरियाणा राज्य में मौजूदा संस्थानों का विवरण **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.2– राज्य में मौजूदा चिकित्सा संस्थान

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी	कुल	कुल सीटें
चिकित्सा कॉलेज	4 ई.एस.आई.सी. सरकारी सहायक प्राप्त	5 (एक सरकारी सहायक प्राप्त	9	एम.सी.एच./डी.एम. 7 एम. डी./एम. एस. 287 पोस्टग्रेजुएट 38 एम.बी.बी.एस. 1150
डेंटल कॉलेज	1	10	11	बी.डी.एस. 960 एम.डी.एस. 249
आयुर्वेद कॉलेज	2	9	11	बी.ए.एम.एस. 680
होम्योपैथी कॉलेज	–	1	1	बी.एच.एम.एस. 50
फिजियोथेरेपी कॉलेज	2	9	11	बी.एम.टी. 400 एम.पी.टी. 149
नर्सिंग कॉलेज				
ए.एन.एम.	8	76	84	2613
जी.एम.एम.	3	73	76	3160
बी.एस.सी.	1	29	30	1295
एम.एस.सी.	1	5	6	127
पी.बी.बी.एस.सी.	1	22	23	640
एम.पी.एच.डब्ल्यू.	2	25	27	1620

स्त्रोतः निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हरियाणा

बी.पी.एस. सरकारी चिकित्सा महिला कॉलेज, खानपुर कला, सोनीपत

6.24 इस मैडिकल व नर्सिग कॉलेज की लगभग कुल लागत 584 करोड रूपये है। पहले चरण में गॉव खानपुर कलां, सोनीपत बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय कॉम्प्लेक्स खानपुर कलां में 100 सीट का मैडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए तथा 500 बेड का अस्पताल लगभग 374 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया। इस अस्पताल में 5 मोडुएलर ऑपरेशन थियेटर, 20 बिस्तर आई.सी.यू., 10 बिस्तर एम.आई.सी.यू., 10 बिस्तर एन.आई.सी.यू. डॉयलसिस इकाई पहले से स्थापित की है जोकि पूर्णतः कार्यरत है तथा यह संस्थान मैडिकल क्षेत्र की सारी विशेष सेवाएँ प्रदान कर रहा है। अन्य विकास जैसे केंद्रीय अनुसंधान लैबोरेट्री, सीटी स्कैन/एम.आर.आई. की सुविधाएं जो की पी.पी.पी. मोड के तहत संस्थान में उपलब्ध है। यहाँ पर प्रति दिन लगभग 1,200–1,500 ओपीडी मरीजों का भार है। संस्थान में बिस्तर की क्षमता 95 प्रतिशत है तथा यह चिकित्सा क्षेत्र की सभी विशेषता प्रदान कर रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस कॉलेज को सन् 2012–13 में 100 विद्याथियों को प्रवेश की आज्ञा दी थी और 100 एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के प्रथम बैच को मास अगस्त, 2012 में प्रवेश करवाया गया तथा सन् 2015–16 में पांचवे बैच का प्रवेश किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्नातकोतर कोर्स में प्री क्लीनिक व पैरा क्लीनिक वर्ग की 21 सीट के लिए मंजूरी दे दी है। इन सीट पर प्रवेश का आरंभ वर्ष 2016–17 में हो गया। दूसरी चरण में एक नर्सिग कॉलेज दूसरी इमारतों के साथ जैसे कि कर्मचारियों के रहने के लिए आवास तथा

होस्टल आदि बनाया तथा इस कार्य के दूसरे चरण का काम भी शीघ्र शुरू होगा।

शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा कॉलेज, नल्हर, मेवात

6.25 राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य मापदन्डों को सुधारने व उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मेवात जिले के दूरदाज क्षेत्र में एक मैडिकल कॉलेज खोला है। मैडिकल कॉलेज व हस्पताल और दंत चिकित्सा कॉलेज तथा नर्सिग कॉलेज लगभग 507 करोड़ रूपये की लागत से बना। पहले चरण में 100 सीटों का मैडिकल कॉलेज व 500 बिस्तरों का हस्पताल लगभग 3.89 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया। यह हस्पताल आधुनिक मशीनों व साधनों सहित आंतरिक व बाहरी दोनों सुविधाएँ प्रदान करते हुए पूर्णतः कार्यरत है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने सन 2013–14 के लिए 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति दी थी और इस वर्ष एम.बी.बी.एस. के तीसरे बैच को प्रवेश दिया गया। चालू वितीय वर्ष 2015–16 का कुल बजट 8 करोड़ रूपये है। बहू क्षयरोग प्रतिरोधी की खोज के लिए सी.बी.एन.ए.ए.टी. मशीन लगाई गई है। कॉलेज पी.पी.पी. मोड के तहत सीटी स्कैन/ एम.आर. आई. की सुविधा पाँच जिलों मेवात, गुड़गाँव, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी में उपलब्ध करवाएगा।

कल्पना चावला चिकित्सा कॉलेज–करनाल

6.26 राज्य सरकार विख्यात खगोलशास्त्री कल्पना चावला की याद में 100 एम.बी.बी.एस. सीटों व 500 बिस्तरों का अस्पताल खोला गया है। दिनांक 25–9–2012 को सलाहकारी संस्था के रूप में हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन (एच.एस.सी.सी.) इंडिया लिमिटेड, नॉएडा को चुना गया है। इसका निर्माण कार्य जोरों–शोरों पर चल रहा है। इस कॉलेज की स्थापना की कुल लागत 645.77 करोड़ रूपये है। कल्पना चावला चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने रोड के विस्तार व चौड़ा करने की अनुमति प्रदान कर दी है जो कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड. आर.) विभाग द्वारा 6.61 करोड़ रूपये की राशि के साथ निष्पादित किया जाएगा। पूंजी पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। बुरी तरह से बीमार मरीजों की देखभाल के लिए 2 संवातक (वेंटीलेटर) को लगभग 25 लाख रूपये की कीमत पर खरीदा गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद पहले से ही निरीक्षण कर चुकी है और यह सम्भावना है कि भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुमति उपरांत एम.बी.बी.एस. का प्रथम बैच का प्रवेश शैक्षिणक वर्ष 2017–18 में हो जाएगा।

पंडित बी. डी. शर्मा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतक

6.27 राज्य सरकार ने 2 जून, 2008 में रोहतक जिले में पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालय का निर्माण किया। स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालयराज्य में बहुत से चिकित्सा संस्थान को नियंत्रित व सहबद्ध कर रही है। पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालय के अधीन स्नातकोतर चिकित्सा विज्ञान संस्थान 200 एम.बी.बी.एस.181 (152 डिग्री+29 डिप्लोमा) स्नातकोत्तर, 7 एम.एच./डी.एम. छात्रों को प्रत्येक वर्ष उपाधि दे रही हैं। चिकित्सा कॉलेज 1960 में पटियाला में एक अतिथि संस्थान के रूप में बना था। यह रोहतक मे 1963 में स्थापित हो गया। इस संस्थान को राज्य सरकार ने 1–4–1995 को पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालय में बदल दिया। इस संस्थान में आधुनिक रोग निदान व रोग उपचार की सुविधा वाला 1,710 बिस्तर का अस्पताल है।

6.28 इस संस्थान में सरकारी दंत कॉलेज जिसमें कि प्रत्येक वर्ष 60 बी.डी.एस. और 19 एम.डी.एस. छात्रों की क्षमता है और जोकि अब स्नात्कोत्तर दंत विज्ञान संस्थान में बदल चुका है। स्वास्थ्य विज्ञान रोहतक द्वारा कई अन्य कोर्स चलाए जाते है जैसे–रेडियोग्राफी में डिप्लोमा, रेडियोथेरपी तकनीक, पैरामेडिकल, ओपथालमिक सहायक कोर्स, दंत कारीगर, और स्वास्थ्य विज्ञान कोर्स।

6.29 भारत सरकार के एच.आर.डी. मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय

विश्वविद्यालय से जुडने के लिए गीगा बाइट इंट्रानेट की अनुमति दे दी है जिसके तहत पहले से विश्वविद्यालय, रोहतक तथा स्नाकतोतर चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लैब की स्थापना के आदेश हो चुके थे। भारत सरकार के स्वास्थय अनुसंधान विभाग के राज्य सरकार के साथ एम.ओ.ए. साइन होने के बाद राज्य सरकार ने पी.जी.आई., रोहतक में 5.25 करोड़ रूपये की बहू–उद्देशीय अनुसंधान लैबोरेटरी परियोजना के निर्माण हेतू स्वीकृत किए गए। भारत सरकार द्वारा पी.जी.आई., रोहतक में एक विषाणु निदान शास्त्र लैबोरेटरी का भी निर्माण किया गया। निर्माणाधीन स्कीम के तहत उपकरणो की प्राप्ति, नवीकरण कार्य व जनबल की भर्ती के प्रथम चरण हेतू लगभग 1.50 करोड़ रूपये का फंड दिया जा चुका है। एंडोस्कोपी हेल्पलाइन की सुविधा भी पी.जी.आई.,रोहतक में शुरू हो गई है।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कॉलेज, अगरोहा (हिसार)

6.30 महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा हिसार, सरकार से सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय है। महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा हिसार की 50 सीटों के लिए लगातार खर्च होने वाली राशि का 99 प्रतिशत तथा लगातार न खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह 50 सीटों का चिकित्सा महाविद्यालय वर्ष 1990 में स्थापित हुआ। वर्ष 1994 तक एम.बी.बी.एस. छात्रों की शिक्षा का कार्य चिकित्सा महाविद्यालय रोहतक द्वारा किया जाता रहा। तदोपरांत शिक्षा का कार्य वर्ष 1998 तक अग्रोहा में बदला गया और दोबारा वर्ष 2000 तक रोहतक में बदल दिया गया। वर्ष 2001 के बाद शिक्षा नियमित तौर पर अग्रोहा द्वारा दी जा रही है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्नातकोत्तर कोर्स में प्री–क्लीनिक व पैरा क्लीनिक वर्ग की 16 सीट के लिए मंजूरी दे दी है। इन सीट पर प्रवेश वर्ष 2016–17 में आरंभ हो गया।

कल्पना चावला स्वास्थय विश्वविद्यालय, गॉव कुटेल–करनाल

6.31 राज्य सरकार ने 100 एकड़ की जमीन पर जो कि ग्राम पंचायत ने मुफ्त में प्रदान की है तथा उस जमीन पर उत्कृष्ट केन्द के रूप में एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस उत्कृष्ट केन्द्र में सब विशेषज्ञ विभाग व अन्य सुपर विशेषज्ञ विभागों सहित पूर्वस्नातक, स्नातोकतर व पोस्ट डॉक्टरेट आदि पाठयक्रम चलाये जाते हैं। प्रस्तावित स्वास्थय विश्वविद्यालय में कई ऐसी संस्थाए होगी जो स्नातक व स्नातोकतर स्तर पर अनुसंधान कार्यो सहित पैरामैडिकल व नर्सिग करवाएगी। विश्वविद्यालय 750 बिस्तरों का आधुनिक साधनों व सुविधयों वाला हस्पताल होगा। प्रस्तावित 100 एकड़ भूमि एकल प्लाट है और लगभग 100 एकड़ का एक और प्लान इस प्लाट के साथ लगता ग्राम पंचायत भूमि पर उपलब्ध है और ग्राम पंचायत कुटैल आवश्यकता पड़ने पर देने के लिए तैयार है । इस कार्य को अब एक निविदा के माध्यम से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के चयन के लिए पी.डब्ल्यू. डी. (बी. एंड आर.) को सौंपा गया है। टेंडर जारी करने के लिए उन्हें अनुमोदन पहले ही दिया गया है। उत्कृष्ठता का केन्द्र के रूप में स्वास्थ्य विश्वद्यिालय का ड्राफट प्रारूप/ कन्सैप्ट पहले ही तैयार किया जा चुका है। यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार को एक निविदा द्वारा नियुक्त किया जाएगा अथवा केन्द्र सरकार की किसी परामर्श एजैन्सी को परियोजना संक्षिप्त और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतू नियुक्त किया जा सकता है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस परामर्श एजैन्सी को परियोजना के अंत तक परियोजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए कहा जा सकता है। इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 करोड़ रूपयें का बजट अलग से रखा गया है।

अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली (फेस–2 गॉव बाढ़सा, जिला झज्जर का विस्तार)

6.32 राज्य सरकार ने अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विस्तार के लिए 300 एकड़ जमीन आबंटित की है। लगभग 48 करोड़ रूपये की अदायगी राज्य सरकार द्वारा 5 बराबर किश्तों में गांव पंचायत को कर दी गई है। लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत से दिनांक 24–11–2012 अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान–ाा दूरस्थ बाह्य रोगी विभाग कार्य कर रहा है। 1800 करोड़ रूपये की लागत से यहॉ एक 600 बिस्तर का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 3–1–2014 को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी जा चुकी है। इस परियोजना को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगेगा। जिसमें दुसरे विशेष विभाग/संस्थान बनाये जाने भी प्रस्तावित है।

भिवानी में मैडिकल कालेज खोलना

6.33 हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जिला भिवानी में एक नया मैडिकल कॉलेज खोलने हेतू जगह की पहचान की गई है। जैसाकि सरकार के पत्र दिनांक 21–4–2014 अनुसार वर्तमान जिला हस्पताल/रैफरल हस्पताल से जुड़ा हुआ नया मैडिकल कॉलेज खोला जाना है। इस हस्पताल पर खर्च होने वाली राशि का 60 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना सम्भावित है। इस मैडिकल कॉलेज की स्थापना पर 189 करोड़ रूपये खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना को स्थापित करने के लिए भिवानी हांसी रोड़ 7–8 कि0मी0 की दूरी पर प्रेम नगर में भूमि जिसका क्षेत्रफल 179 बिगा 12 बिसवा सीमांकन किया गया है। इस गांव की ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करने उपरांत यह भूमि 33 वर्ष के लिए 1 रूपये प्रति एकड़ की दर से चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पास किया है। स्वास्थ्य विभाग ने वर्तमान जिला होस्पीटल को मैडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने हेतू एन.ओ.सी. जारी कर दिया है। दिनांक 17–10–2016 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विस्तृत मैडिकल कालेज परियोजना सूचना अनुमोदित कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग परिवार योजना कल्याण भारत सरकार द्वारा विस्तरित परियोजना रिपोर्ट जिसकी भूमि विभाग को स्थानांतरित की जानी है, इसकी अनुमोदना नही दी है। इस प्रस्ताव की रिपोर्ट की प्रति भारत सरकार को विस्तरित परियोजना सूचना उनके अर्द्व–सरकारी पत्र क्रंमाक प्राप्त हो गई है। उन द्वारा यह पूछा गया है कि अनुमोदित तिथि जिस तिथि को आधारशिला रखी जानी है, सूचित करने का कष्ट करें। जिसका निष्कर्षण विचारधीन है। इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में भिवानी मैडिकल कालेज की स्थापना हेतू 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

जींद में नये गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज की स्थापना करना

6.34 मैडिकल कॉलेज जींद की अवधारणा सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है व इसकी आधारशिला 11–09–2016 को रखी जा चुकी है। मैडिकल कॉलेज जींद को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्दर रखने के लिए केन्द्रीय स्वास्थय एवं परिवार कल्याण श्री जे. पी. नडडा को अर्ध–सरकारी पत्र संख्या सी.एम. एम-2016/7412 दिनांक 22–9–2016 सरकार द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर) पी.आई.ए. अनुमोदित किया गया है जो टेंडर व परियोजना प्रबंधन सलाहकार को चुनेगी। विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में दस प्रोजैक्ट के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में जींद में सरकारी मैडिकल कॉलेज की स्थापना करना निर्धारित किया गया है।

पंचकूला में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

6.35 राज्य सरकार का जिला पंचकूला में मैडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। भैंसा टिब्बा, सैक्टर–5 सी मनसा देवी कॉम्पलैक्स, पंचकुला में इसके लिए 31.5 एकड़ जमीन की शिनाख्त की गई है तथा सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सरकार ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार के

चयन के लिए पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) को लिए परियोजना सलाहकार को चुनेगा। कथित परियोजना की अवधारणा हेतू यू.एच.एस. रोहतक में प्रो0 कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त पंचकुला व प्रशासक हुडडा को इस बारे में निवेदन किया गया है कि इस बारे भूमि का पूर्ण सीमांकन करके चिकित्सा शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित करें। 14.5 लाख रूपये का हुडडा से प्राप्त अनुमानित व्यय सीमांकित स्थल की बाढ बनाने के लिए सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जगह का नक्शा व खाका पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को आगामी कार्य के लिए भेज दिया गया है। वित वर्ष 2016–17 में 25 करोड़ रूपये सरकारी मैडिकल कॉलेज पंचकुला की स्थापना के लिए निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक जिले में मैडिकल कॉलेज खोलना

6.36 राज्य सरकार का प्रान्त के प्रत्येक जिले में मैडिकल कॉलेज खोलने का उद्देश्य है।

पैरा मैडिकल शिक्षा

6.37 राज्य सरकार समय की मांग से पूरी तरह से वाकिफ है इसलिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। उन्नत मशीनरी अनुमति दे दी है जो कि टैंडर जारी करने के और उपकरण, निदान और उपचार के लिए उपलब्ध है परन्तु इस उद्देश्य के लिए कोई प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है। इससे पहले यह कार्य अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन अब प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इस उन्नत संवेदनशील मशीनरी और उपकरणों का प्रबंधन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक हो गया है। रोगी देखभाल और स्वास्थ्य संस्थानों में अन्य कार्यों के लिए मानव शक्ति को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। राज्य में इस समय कोई भी मान्यता प्राप्त पैरामैडिकल संस्था, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र द्वारा पैरा मैडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। इस बारे राज्य में कोई पैरामैडिकल काउंसिल नहीं है जो सिलेबस, बुनियादी सुविधाओं, स्टाफ या पैरामैडिकल पाठ्यक्रम के अन्य मानकों को नियंत्रित कर सके। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में पैरामेडिकल शिक्षा के नियमन के लिए और एक अधिनियम बनाकर पैरामैडिकल शिक्षा चिकित्सकों और संस्थाओं द्वारा अभ्यास को विनियमित करने का प्रस्ताव है। मामला प्रक्रिया में है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

6.38 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा ने अपने आदेश दिनांक 3–9–2015 द्वारा हरियाणा राज्य में तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थो के निर्माण, भण्डारण वितरण या तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थो की बिक्री है। जो या तो स्वाद, सुगन्धित या अन्य मिश्रण के साथ किसी अन्य नाम या गुटखा पान मसाला के नाम से प्रचलित हो, को मिलाया, सुगन्धित किया हुआ/सुगधिंत तम्बाकु खारा आदि या अन्यथा किसी भी प्रकार के नाम से जाना जाता हो, पैक या बिना पैक (खुला) या एक उत्पाद के रूप में बेचा जाता हो या अलग–2 रूप में बेचा जाता हो या इस तरह के एक तरीके से वितरित जोकि आसानी से उपभोक्ता द्वारा मिश्रित किया जाता है, को आदेश जारी करने के एक वर्ष तक के लिए प्रतिबधिंत किया गया है। विभाग ने उक्त आदेश दिनांक 7–9–2016 से आगामी एक वर्ष तक के लिए पुनः जारी कर दिए है।

6.39 सितम्बर, 2015 से सितम्बर, 2016 तक विभाग ने गुटखा, पान, मसाला, चबाने वाला तम्बाकू इत्यादि के 115 नमूने लिए गए जिनमें से 54 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए तथा 5 नमूने असुरक्षित पाए गए। तदानुसार असुरक्षित नमूने के 5 मुकदमें माननीय न्यायालय में दायर कर दिए गए है। 6 नमूने अवमानक पाए गए तदानुसार 3 मुकदमें अतिरिक्त उपायुक्त– कम–निर्णय अधिकारी के पास दायर कर दिए गए है तथा बाकी 3 मुकदमों में खाद्य कारोबार कर्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुकें है। 45 नमूने अधोमानक पाएं गए।

तदानुसार 23 केस अतिरिक्त उपायुक्त–कम–निर्णय अधिकारी के पास दायर कर दिए गए है, खाद्य कारोबार कर्ताओं को 15 केसों में नोटिस जारी कर दिया गया है और 7 केस कार्यवाहीधीन है। 3 नमूने जो अधोमानक और असुरक्षित पाए गए है उन तीनों केसों को खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में पुनः विश्लेषण हेतू भेज दिया गया है।

6.40 विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2016 से 18–12–2016 तक 1,207 खाद्यय लाईसैंस ऑनलाईन जारी किए गए है जिनमें से 14 हस्तचालित खाद्य लाईसैंस द्वारा और 2,410 ऑनलाईन खाद्य कारोबार कर्ता पंजीकृत किए गए। कुल राशि एक करोड़ सोलह लाख तरेसठ हजार पांच सौ रूपए (1,16,63,500) खाद्य कारोबार कर्ताओं के खाद्य लाईसैंस व पंजीकृत जारी करने के एवज में प्राप्त हुए।

6.41 विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2016 से 30–10–2016 तक 1,479 खाद्य नमूने हरियाणा राज्य में से लिए गए जिनमें से 362 नमूने अवमानक/अधोमानक/असुरक्षित पाए गए। इन सभी 362 केसों के संबध में खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्यवाही की गई है।

6.42 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा द्वारा जो राज्य के विभिन्न भागों में हुका बार युवाओं को तम्बाकु निकोटिन देते है। उन हुका बार के विरूद्ध 38 केसों में अभियोजन की स्वीकृति औषधि एवं कोस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत हरियाणा राज्य में दिनांक 1–4–2016 से 30–11–2016 तक दी जा चुकी है।

6.43 हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर युवाओं में अनुसूची–एच. नारकोटिक्स औषधि मनप्रभावी वास्तवितका के सामान्य दुरूपयोग को रोकने के लिए 186 संयुक्त छापामारी की गई है। 1,625 कैमिस्ट दुकानों के औषधि लाईसैंस रद्ध/निलम्बित किये गये हैं और 24 केसों के अभियोजन की स्वीकृति दी गई है और उक्त अवधि में 56 प्रथम सूचना रिपोर्ट एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के तहत दर्ज करवाई गई है।

31 दिसम्बर, 2016 तक 636.06 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

जन स्वास्थ्य

6.44 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल वितरण के लिए बनाए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अब गांवों में पेयजल स्तर को जनसंख्या की कवरेज के हिसाब से आंका जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31–12–2016 तक 157 पहचाने हुए ग्रामीण हैबिटेशनों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

6.45 वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए 1,354.20 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम के लिए 184.60 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय नदी सरंक्षण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय हिस्सा 100 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

6.46 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के कियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य 2000–01 से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 566.60 करोड़ रुपये की लागत से आर.आई.डी.एफ.– XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI व XXII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 51 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है जो कि **तालिका 6.4** पर दर्शाई गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान नाबार्ड योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक 33.15 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

तालिका– 6.4. परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्रम सं0	परियोजना का नाम		अब तक खर्च (रुपये करोड़)
1	54 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना (नहर आधारित) जिला महेन्द्रगढ़	93.10	72.77
2	64 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना (नहर आधारित) जिला महेन्द्रगढ़	127.04	110.40
3	42 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला रिवाड़ी	100.47	75.55
4	21 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला हिसार	20.14	18.80
5	12 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला सिरसा	18.39	16.95
6	41 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला भिवानी का लोहारु निर्वाचन क्षेत्र	77.35	65.67
7	5 मौजूदा जलघरों, जिनमें 24 गांव शामिल हैं, के लिए नहरी पानी की बढ़ोतरी तथा बुधपुर, चिमनावास, जिला रिवाड़ी में नए जलघरों का निर्माण	92.86	14.85
8	जिला महेन्द्रगढ़ में 62 ढाणियों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा एस.बी.एस, आई,बी,एस, से जोड़ना	7.76	3.99
9	जिला हिसार में 13 जलघरों, नामतः खेड़ी लोचब, जालब, नारा, किन्नर, राखी खास, शाहपुर, मदनहेड़ी, खरकड़ी, चानोट, मजोद, उगालन, भकलाना व धर्मखेड़ी इत्यादि के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	21.18	0.00
10	जिला हिसार के जलघरों नियाना, खरड़ अलीपुर, कुलाना तथा मयड़ के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	7.00	0.00

6.47 स्पैशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत जिन गांवों/बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति के घरों की है, उन में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ौतरी, नए नहर आधारित जलघर बनाकर, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कर के, मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर, मल निकासी सुविधाएं (शहरी क्षेत्रं) इत्यादि के साथ साथ इन्दिरा गांधी जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत बनाए गए ढांचों के रखरखाव द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान/अपग्रेड की गई हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 31 दिसम्बर, 2016 तक 16.14 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.48 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 80 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत (स्पैशल कंपोनैंट सब प्लान सहित) 203.38 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 31 दिसम्बर, 2016 तक 157.53 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।

6.49 राज्य में मल निकास से सम्बन्धित सुविधाएं 70 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है, जबकि 5 शहरों में मल निकासी सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है तथा हाल ही में अधिसूचित 5 शहरों में अभी कार्य शुरु किया जाना है।

चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान मल निकास सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत (स्पैशल कंपोनैंट सब प्लान सहितं) 275.52 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान से मल शुद्धिकरण संयत्र लगाने के साथ–साथ विभिन्न शहरों में बिना मल निकासी सुविधा वाले क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य किए जा रहे हैं। 31 दिसम्बर, 2016 तक 119.64 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.50 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति एवं मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड वित्तिय सहायता प्रदान कर रहा है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पडने वाले 4 शहरों नामतः सोहना, नूंह, पटौदी, फारुख नगर में जल आपूर्ति योजनाओं और 3 शहरों नामतः पटौदी, पुन्हाना और हथीन में मल निकासी सुविधाओं में 309.69 करोड़ रुपये की लागत से सुधार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान 155 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक 28.33 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.51 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सोनीपत और पानीपत शहरों में मल निकासी सुविधाओं के सुधार/ बढ़ौतरी व मल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रुपये और 129.51 करोड़ रुपये की लागत की दो परियोजनाएं जुलाई, 2012 में अनुमोदित की जा चुकी हैं। परियोजना की लागत भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 70:30 के अनुपात के आधार पर सांझा की जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए इस कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रूपये की धनराशि भारत सरकार के हिस्से की तथा 31.50 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य के हिस्से के रुप में स्वीकृत की गई है तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक 25.66 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.52 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1–4–2009 से संशोधित दिशानिर्देश लागू किए हैं तथा इस कार्यक्रम में उसके बाद संशोधन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में सामान्य कवरेज, स्थिरता, रसायनिक संदूषण तथा प्राकृतिक आपदा आदि के अन्तर्गत जल आपूर्ति योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान 184.60 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक 66.68 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। योजना विभाग ने अभी संशोधित वार्षिक प्लान फाईनल नहीं किया है। इसीलिए आंकडे वर्ष 2016–17 के लिए अस्थाई हैं और इन वर्षों के लिए योजनाएं अभी संशोधित करनी बाकी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.53 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है राज्य सरकार महिलाओ को आर्थिक तथा समाजिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्व है ताकि वे सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण में अपना बराबरी का योगदान दे सकें। राज्य सरकार महिलाओ तथा किशोर बालिकाओ के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को विभिन्न नितियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूकता तथा उनमें सीखने की क्षमता तथा बच्चों (0–6वर्ष) तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को उनके पूर्ण विकास के लिए पोषाहार प्रदान किया जा सके। वर्ष 2016–17 में विभाग के बजट में 1,22,784.50 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से जनवरी, 2017 तक 56,313.45 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं

6.54 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई जिसके तहत अति अंसतुलित लिंगानुपात वाले मेवात को छोडकर सभी जिलो में लागू किया गया। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से तथा सफलतापूर्वक लागू करने हेतू समाज के हर वर्ग के नागरिकों ने शहर तथा गांव स्तर पर यात्रा निकालकर बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया।

अब तक 49,205 जागरूकता रैली निकाली गई, 4,51,144 बेटियों की लोहड़ी मनाई गई, 6,827 नुक्कड़ नाटक आयोजित किये गये, 15,204 गुडडा–गुडडी बोर्ड पंचायत भवन में लगाये गये, 4,826 फिल्म शो, 35,409 प्रभात फेरी, 7,944 पप्पट शो, 82,991 हैल्थ कैंप/बेबी शो जिसमें 41,744 हस्ताक्षर अभियान चलाये गये। बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ लोगो के साथ सांझी प्रतियोगिता करवाई गई। 81 सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा शिक्षण में ख्याति प्राप्त करके समाज में अपना नाम स्थापित किया।

हरियाणा कन्या कोष

6.55 हरियाणा कन्या कोष राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। इस कोष का उद्वेश्य है बालिकाओं के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो, जहां उन्हें विकास व सशक्तिकरण के समान अवसर मिलें तथा इस कोष को बालिकाओं के कल्याण, विकास व उन्नति के लिये उठाये जाने वाले कदमों के लिए प्रयोग किया जायेगा। इस कोष के तहत अब तक 68.61 लाख रूपये की राशि बैंक आफ इंडिया के बैंक खाते में जमा की जा चुकी है। आयकर विभाग से हरियाणा कन्या कोष का पैन कार्ड प्राप्त हो चुका है। आयकर विभाग अधिनियम 12 ए ए के तहत हरियाणा कन्या कोष को चैरिटेबल सोसायटी पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी करते हुए छूट दी गई है।

आपकी बेटी–हमारी बेटी

6.56 घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना 22–1–2015 से लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राशि दी जाती है। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु होने पर लगभग 1 लाख रूपये उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। हरियाणा सरकार द्वारा अब 24–8–2015 से तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत अब तक 39,939 बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

6.57 माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का उद्देश्य असंतुलित लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगो की सोच में साकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में अब तक कुल 3.45 लाख रूपये खाते खोले जा चुके है ।

महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र ''सखी'' की स्थापना करना

6.58 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्व तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधायें जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र ''सखी'' की स्थापना, महिला आश्रम, करनाल में की गई है। अब तक वन स्टॉप केन्द्र करनाल में 283 केसों का निपटान किया गया। भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 6 अतिरिक्त जिलों गुरूग्राम, फरीदाबाद, नारनौल, रिवाडी, हिसार व भिवानी में वन स्टाप केन्द्र स्थापित किए गये है।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

6.59 समेकित बाल विकास सेवाएं, योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख,

संदर्भित सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा 15–45 वर्ष की महिलाओं को समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं। यह योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों, जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

6.60 राज्य सरकार की प्राथमिकता आई.सी.डी.एस. लाभपात्रों को गुणात्मक पौष्टिक प्रदान कर पोषाहार स्तर को सुधारना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 9.26 लाख बच्चों तथा 2.74 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से वीट बेसट न्यूट्रीशन प्रोग्राम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कन्फैड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। सस्ती दरों पर अनाज की खरीद बच्चों, गर्भवती दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर मे सुधार लाएगा। नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, पंजीरी तथा गुलगले दिये जा रहे हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार (मोर्निंग स्नैक्स तथा रैगुलर हॉट कुकड मील) दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को टेक होम राशन (टी.एच.आर.) दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों मे खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाए गए हैं।

आंगनवाड़ी भवन निर्माण

6.61 सरकार द्वारा बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी भवन गांव में एक ऐसा स्थान है जहां पर गांव की महिलाएं स्वतंत्र तौर पर बैठकर विचार विमर्श कर सकती हैं। वर्ष 2016–17 में 103.20 करोड़ रूपये की राशि 2015–16 के 1,339 आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण करवाने हेतू जारी की गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 597 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2002–03 मे प्राप्त हुई राशि से 5,881 आंगनवाड़ी भवनों में से 5,121 आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण पूरा हो चुका है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

6.62 इस योजना के तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटैक्शन सोसायटी तथा स्टेट प्रोजैक्ट स्पोर्ट यूनिट के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख व सुरक्षा के लिए संस्थागत तथा नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है। जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुनर्वास के लिये 78 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। यह संस्थाएं राज्य के सभी 21 जिलों तथा 47 खण्डों में 4,000 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी 21 जिलों में जुवैनिल जस्टिस बोर्ड (जे.जे. बोर्ड) और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के बजट में 2,750 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है जिसमें से मास जनवरी, 2017 तक 2,041.40 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

हरियाण राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

6.63 राज्य में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी कार्यरत है जिसका मुख्यालय, पंचकुला में है इस आयोग द्वारा सभी बाल देखरेख संस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण एवं मोनीट्रिंग किया जा रहा है।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

6.64 राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल मे चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन–निपुणता तथा व्यवसायिक–निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी मे सक्षम करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। पोषाहार कम्पोनैंट के अन्तर्गत 11–14 वर्ष की (स्कूल न जाने वाली बालिकाओं) तथा 14–18 वर्ष की (स्कूल जाने वाली व न जाने वाली बालिकाओं) 1,70,694 बालिकाओं को 5 रूपये प्रति लाभपात्र की दर से पौषाहार दिये जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 2016–17 के बजट में 2,995.50 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। जिसमें मास जनवरी, 2017 तक 760.60 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी हैं।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

6.65 भारत सरकार द्वारा योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संशोधित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 6000 रूपये की राशि दो किस्तों में दी जाती है। माताओं/महिलाओं को पहली किस्त (तीन मास के दौरान) व दूसरी किस्त (प्रसव के छः मास उपरांत) माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बंधित कुछ शर्तो को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के बजट में 270.38 लाख रूपये की राशि का प्रावधान जिला पंचकूला के लिए किया गया है, जिसमें से मास जनवरी, 2017 तक 232.93 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

6.66 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005 एवं बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम–2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर 21 संरक्षण–सह–बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी नियुक्त किए गए है। पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैड क्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 24 सेवा–प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जरुरतमंद महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मैडीकल सुविधा देने के लिए एवं 3 शैल्टर होमज को आश्रय सेवाओं के लिए अधिसूचित किया गया है। जनवरी, 2017 तक घरेलू हिंसा से संबंधित 5,965 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें से 2,037 शिकायतों का निपटान आपसी तालमेल से तथा बाल विवाह से सम्बंधित 371 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 272 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 के बजट में 150 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, जिसमें से मास जनवरी, 2017 तक 69.25 लाख रूपये व्यय किये गए।

***

7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एंव पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रो में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये है :–

7.2 हरियाणा राज्य मे स्वच्छ भारत मिशन सोसाईटी, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल व क्रियावयन के अर्न्तगत विकास एवं पंचायत विभाग मे पंजीकृत किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निधीकरण अनुपात 60:40 किया गया है। इस का मुख्य उददेश्य साफ–सफाई, स्वच्छता मे सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन की गुणवता में सुधार लाने हेतू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2019 को लागू किया गया है। बी.पी.एल. एवम् चिन्हित किये गये ए.पी.एल. जिसमें (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवम् सीमान्त किसान, जमीनहिन मजदूर, आपाहिज एवम् महिला मुख्या परिवार) शामिल है, के लिए घरेलु शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक महिला स्वच्छता परिसर, ठोस तरल एवम् कचरा प्रबन्धन एवम् आई.ई.सी. के लिए स्कीम के तहत सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अर्न्तगत वर्तमान सरकार के कार्याकाल के दौरान 1,98,592 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया है और 5,296 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करवाया गया है।

ठोस तरल कचरा प्रबन्धन

7.3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अर्न्तगत ठोस तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल घरों की संख्या, अधिकतम 7 लाख रूपये, 12 लाख रूपये, 15 लाख रूपये व 20 लाख रूपये उन ग्राम पंचायतों के लिए है जिनमें घरों की संख्या क्रमाशः 150, 300, 500 और 500 से अधिक है। अतिरिक्त लागत की पूर्ति राज्य/ग्राम पंचायत, दूसरे स्त्रोत जैसे वित्त कमीशन फण्ड, सी.एस.आर., स्वच्छ भारत कोष और पी.पी.एल. मॉडल के द्वारा की जानी है। सभी 21 जिलों के 1,302 ठोस तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट एस.एस.एस.सी. द्वारा स्वीकृत हो चुके है और कार्य प्रगति पर है।

7.4 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्य को 2019 तक पूरा करने की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 और 2017–18 तक शेष बचे हुए 4,02,497 घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। 6,081 ठोस तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने हेतू बचे हुए ठोस तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजेक्ट वर्ष 2019 तक लिए जाएगें। वर्ष 2015–16 के लिए 20,000 लाख रूपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 9,840.53 लाख रूपये की

राशि खर्च की गई। वर्ष 2016–17 के लिए 12,500 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित है। जिसमे से 11,088.27 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। राज्य मे कुल 5,296 ग्राम पंचायतों को 30–11–2016 से खुले मे शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

7.5 राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से स्वर्ण जयंन्ती स्वच्छता पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है योजना का मुख्य उददेश्य स्वच्छता कवरेज मे तेजी लाने और ग्रामीण क्षेत्रों को खुले मे शौच से मुक्ति दिलाने हेतू ग्राम पंचायतों मे प्रतियोगिता की भावना जागृत करना है। इस योजना के लिए प्रतियोगिता करवाई जाएगी और हर माह खण्ड़ व जिला स्तर पर एक सबसे अच्छी साफ–सुथरी, हरी भरी व खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत को 1–1 लाख रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही जिलें में जिसका सार्वजनिक शौचालय का रख–रखाव अच्छा होगा उसको भी 10,000 रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा ।

हरियाणा में ग्राम सचिवालयों की स्थापना

7.6 ग्राम पंचायतों को संस्थागत रूप देने और साथ ही उनके काम–काज मे पारदर्शिता लाने के लिए, विकास एवं पंचायत विभाग ने 2015–16 के दौरान सभी ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिवालय योजना बनाई गई थी। ग्राम सचिवों के स्वीकृत पदों को ध्यान मे रखते हुए, सभी ग्राम पंचायतों को 2,294 समूहों (प्रत्येक समूह मे 3–4 ग्राम पंचायत) मे रखा गया है। 4 वर्षों के प्रथम चरण में, ग्राम सचिवालय क्लस्टर स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। यह कार्य 31–3–2019 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरे चरण मे ग्राम सचिवालय शेष ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जायेंगे।

उद्देश्य

7.7 ग्राम सचिवालय की योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत और सभी विभागों के ग्राम–स्तर के पदाधिकारियों को एक छत के नीचे बेहतर कामकाज और समन्वय लाने के लिए है। यह योजना ग्राम पंचायत और अन्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में लगे एजेंसियो के काम–काज में क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

लक्ष्य

7.8 सभी जिलों के लिए 1,563 ग्राम सचिवालय की स्थापना का लक्ष्य 31–3–2017 तक होगा। इस प्रयोजन के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत घर या किसी ग्राम पंचायतों मे उपलब्ध अन्य उपयुक्त समुदाय इमारत को उन्नत किया जाएगा और बुनियादी आईटी सुविधाएं (बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर) ग्राम सचिवालय स्थापित करने के क्रम में प्रदान किये जायेंगे। 31–1–2017 तक 1,131 ग्राम सचिवालय एवं 679 अटल सेवा केन्द्र राज्य मे स्थापित किये जा चुके है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.9 इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (क) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गगज के आवासीय प्लाट मुफत अलाट् किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है। वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां एंव नालियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 3.87 लाख परिवारो को उपहारनामा के माध्यम से स्वामित्व का अधिकार 30–11–2014 तक प्रदान किया जा चुका है। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है, उनमें शेष पात्र परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों, जिनमें प्लाट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला कर किया जाएंगा। सरकार का इन बस्तियों मे पानी की पाईपलाईन और बिजली की लाईनों को बिछाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का इरादा है। इन बस्तियों के विकास के लिए

वर्ष 2015–16 मे 5,500 लाख रूपये की राशि मुहैया करवाई गई थी। जिसमे से 5,497 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2016–17 के लिए 7,500 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित है। जिसमे से अब तक 3,375 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना

7.10 सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास के लिए 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्रामीण जनसंख्या को शहरी आबादी की ओर विस्थापित होने से रोकने हेतू एक नई योजना स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक 5 वर्ष की अवधि की है। स्कीम का उदेदश्य बड़े गावों को व्यापार, विपणन सुविधा, सामाजिक एंव ढांचागत विकास, शिक्षण संस्थान एंव मानव विकास आदि में विकसित करना है ताकि ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर विस्थापित होने से रोका जा सके। इन गावों में सीवरेज की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जायेगी। स्कीम की कुल अनुमानित लागत 1,46,100 रूपये है। वर्ष 2016–17 के लिए 5,400 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित है।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.11 वर्तमान मे चलाई जा रही अनेक स्कीमो जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, निर्मल बस्ती योजना, गलियों को पक्का करने सम्बंधी स्कीम, चौपाल सबसिडी इत्यादि का अभिप्राय सभी गांव मे मुलभूत सुविधाएं जैसे पक्की गलियां, जल निकासी, बिजली, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के लिए जल आपूर्ति लाईनस, सामुदायिक भवनों, सामुदायिक केन्द्रों तथा चौपालो का निर्माण एवं मुरम्मत इत्यादि प्रदान करना है इसलिए सभी स्कीमों को इकट्ठा करके एक नई स्कीम हरियाणा ग्रामीण विकास योजना का नाम दिया गया है। स्कीम का उददेश्य आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाकर तथा उनमे सुधार करके जैसे गलियों का पक्का करना गंदे पानी की निकासी, सामुदायिक भवनों/चौपालों का निर्माण एवं मुरम्मत इत्यादि का उचित तरीके से मानचित्रण और आईटी आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर मे सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम के अंतर्गत जिन गांवों मे अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है मे आधारभूत सुविधाओं मे सुधार किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत संगत ग्राम पंचायतों की ईच्छा एवं आवश्यकताओं के आधार पर कोई भी कार्य किया जा सकता है योजना के तहत 28,200 लाख रूपये की बजट व्यवस्था की गई है और 8,578.62 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

स्वच्छता मे सुधार हेतू ग्राम पंचायतो के लिए वित्तिय सहायता

7.12 गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 10,229 से अधिक सफाई कर्मी लगाये गये थे। सफाई कर्मी को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिये आरम्भ अक्तूबर, 2007 से प्रत्येक सफाई कर्मियों को 3,525 रूपये प्रति माह मिलते थे जिसे 1 नवम्बर, 2010 से बढ़ा कर 4,348 रूपये और 1 नवम्बर, 2011 से दोबारा बढ़ा कर 4,848 रूपये प्रति माह कर दिया गया। सरकार द्वारा दिनांक 1–1–.2014 से सफाई कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय की दर 4,848 रूपये से बढ़ाकर 8,100 रूपये प्रति माह किया गया है और 1–11–2016 से इसे बढाकर 10,000 रूपये प्रति माह किया गया है और निर्णय लिया गया है कि मानदेय की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2015–16 के लिए 10,000 लाख रूपये कि राशि दी गई थी जिसमे से 9,672.24 लाख रूपये की राशि उपयोग की गई है। वर्ष 2016–17 के लिए 10,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित है, जिसमे से 7,050 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

7.13 यह योजना राज्य के समस्त जिलों में 1 अप्रैल 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाने हेतू लागू की जा रही है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस स्कीम में कार्य कर रहे श्रमिकों को 259 रूपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1–4–2016 से दी जा रही है जो कि देश में उच्चतम है।

7.14 इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु अन्य विभागों जैसे कि वन, कृषि, सिंचाई, स्कूल शिक्षा, महिला व बाल, विकास व पंचायत, मत्स्य, जन स्वास्थ्य, विपणन, निगम तथा भवन एवं सड़के निर्माण, इत्यादि से तालमेल करके गांवो में उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनवरी, 2017 तक 239.04 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि मे से 228.81 करोड़ (96 प्रतिशत) की राशि व्यय करके 64.75 लाख मानवदिवसों (66 प्रतिशत) का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 32.46 (52 प्रतिशत) लाख मानवदिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 29.34 लाख (47 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 20,464 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 4,010 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 493.26 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) अब प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई–जी)

7.15 यह योजना ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वर्ष 2014–15 से मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपये की राशि और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों के लिए 75,000 रूपये की राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, 8,922 मकानों का निर्माण जनवरी, 2017 तक किया जा चुका है तथा 24,476 मकान निर्माणाधीन हैं। इस अवधि में 55.33 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

इन्दिरा आवास योजना

7.16 इन्दिरा आवास योजना को वर्ष 2016–17 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में परिवर्तित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मैदानी क्षेत्रों में तथा 1 लाख 30 हजार रुपये पहाड़ी व कठिन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 0.12 लाख रुपये शौचालय निर्माण हेतु 90 दिनों तक का अकुशल मजदूरी मैदानी क्षेत्रों में व 95 दिनों तक का अकुशल मजदूरी पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 0.18 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि तीसरी किश्त के साथ दी जाएगी। इस योजना के अतंर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए 25,556 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 25,781 लाभार्थियों को सत्यापित किया गया है जिनमें से 2,631 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 2017–2018 के लिए 392 करोड़ रुपये का परिव्यय केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैडस)

7.17 यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 में लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनीत सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस स्कीम के अंतगर्त जनवरी, 2017 तक 19.57 करोड़ रुपये

व्यय करके 363 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 357 कार्य प्रगति पर हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई)

7.18 सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्तूबर, 2014 से आरम्भ की गई थी इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन ग्राम पंचायतो जिसकी जनसंख्या 3,000–5,000 तक है का चयन करना है तथा उन गांवो का विकास वर्ष 2019 तक करना है। इन ग्राम पंचायतो का विकास केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के कनवरजन से आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया जायेगा जिससे कि आस पास के गांवों की ग्राम पंचायतों को सीखने की प्रेरणा मिल सके। इस योजना को लागू करने के लिए इन ग्राम पंचायतो में ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2016–17 में (जनवरी, 2017) तक 477 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व 253 कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 2.50 करोड़ रुपये की केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

7.19 सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर विधायक आदर्श ग्राम योजना तैयार की गई है। राज्य के 58 विधायको ने एक–एक गांव का चयन कर लिया है। चयनित किये गये 18 गांवों के लिए अब तक 13.72 करोड़ रुपये की राशि आदर्श ग्राम बनाने के लिए जारी की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 0.18 करोड़ रुपये की राज्य के हिस्से के रुप में राशि प्रस्तावित की गई है।

स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना

7.20 सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना आरम्भ की है जिसके अंतर्गत हरियाणा से जुडे हुए समृद्व व्यक्ति, एन. जी.ओ., विश्वविद्यालय, हरियाणा से लगाव रखने वाले व्यक्ति, हरियाणा की ग्राम पंचायतों को गोद लेकर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, अच्छा शासन उपलब्ध करवाकर आदर्श ग्राम बनाएंगें। इस योजना के अंतर्गत अब तक 195 गावों को गोद लिया गया है तथा कुल 373 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

7.21 इस योजना को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 में शुरु किया है तथा मंत्रालय द्वारा राज्य में पलवल तथा फरीदाबाद जिले के कुल 12 गांवो को 2.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले चयनित गांवों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाओं के अभिसरण (कनवरजस) से आदर्श ग्राम बनाना है। अब तक फरीदाबाद जिले के कुल 6 चयनित गांवो तथा पलवल जिले के कुल 3 गावों की ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई हैं। वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 2.20 करोड़ रुपये की केन्द्र के हिस्से के रुप में राशि प्रस्तावित की गई है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.22 माननीय प्रधान मन्त्री, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरूआत दिनांक 21 फरवरी, 2016 को किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। 'रुर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर होगा। ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के अम्बाला, फतेहबाद, जीन्द, करनाल, रिवाड़ी एवं झज्जर जिलों में छः क्लस्टरो का चयन किया गया है। भारत सरकार ने इन क्लस्टरों के

विकास के लिये 32.75 करोड़ रूपये की राशि आंबटित की है। सभी चयनित क्लस्टरों का 3 से 5 वर्षो के अंतर्गत विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र व राज्य के हिस्से के रुप में राशि प्रस्तावित की गई है।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम

7.23 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल सरंक्षण, भूजल रिचार्ज करना, उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका के अवसरों को प्रदान करना है। वर्ष 2014–15 के लिए राज्यस्तरीय नोडल ऐजेन्सी ने 13 परियोजनाओं के लिए कुल छः जिलों क्रमशः अम्बाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़ एवं रिवाड़ी के लिए 59,275 हेक्टेयर क्षेत्रफल स्वीकृत किया है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2016–17 (जनवरी, 2017 तक), 9.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। एक योजना, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस राज्य के 11 जिलों क्रमशः करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद तथा गुरूग्राम के 22 खण्डों में जिनमें भूजल की निकासी अधिक की गई है, में जल संरक्षण एवं जल संचयन की नई योजना वित्त वर्ष 2015–16 में शुरु की गई है। जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकार की 60:40 की भागीदार हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के लिए 110 करोड़ रुपये केन्द्र एवं राज्य के हिस्से के रुप में राशि प्रस्तावित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

7.24 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1–4–2013 से लागू किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 (जनवरी, 2017 तक) 2,743 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं और 1,255 स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी राशि दी गई है तथा 10.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

शहरी बुनियादि ढ़ांचागत विकास

7.25 शहरी स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्थायें हैं जोकि शहरी क्षेत्रों में भौतिक संरचना और नागरिक सुविधाऐं प्रदान करती हैं। वर्तमान में राज्य की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में 80 पालिकाएं है जिनमें से 10 नगर निगम, 18 नगरपरिषदें तथा 52 नगर पालिकाएं।

7.26 शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बजट व्यवस्था पिछले वर्षो की अपेक्षा बड़ी है। वर्तमान वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना के सृजन व अन्य पर बल देते हुए राज्य बजट में 3,541.08 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 4,463.44 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

7.27 शहरी विकास मन्त्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्मार्ट शहरों के लिए देश में 100 शहरों को विभिन्न चरणों में स्मार्ट सिटी के रुप मे विकसित किया जाना है। जिसमें से हरियाणा राज्य के दो शहरों को आबंटित किया गया था और जिसके अनुसार हरियाणा राज्य सरकार की सिफारिश अनुसार फरीदाबाद तथा करनाल शहरों को स्मार्ट सिटी के रुप मे विकसित किया जाना है। फरीदाबाद शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा चयन के दूसरे चरण में चुना गया है। एक विशेष उद्वश्येय वाहन गठित किया गया है तथा स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को लागू करने के लिए कम्पनी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटिड के रूप पंजीकृत किया गया है। 92 करोड़ रुपये की राशि शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा सरकार के केन्द्रीय हिस्से द्वारा जारी किये गए है और उसी प्रकार की राशि राज्य सरकार की ओर से भी जारी की जाएगी। करनाल अगले दौर मे स्मार्ट सिटी के चयन के लिए प्रतिस्पर्ध करेगें, जिसके लिए

स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को वर्गीकृत व संशोंधित किया जा रहा है।

हरियाणा नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) उपनियम, 2016

7.28 हरियाणा राज्य ने अधिसूचित किया है, कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन, 2016 अधिसूचना दिनांक 28–9–2016 के नियमन के लिए अधिसूचित जो भी नगर पालिकाओं के लिए राजस्व का एक बड़ा स्त्रोत है, बेहतर विनियमयन के लिए सरकार ने उपविधियों मे संशोधन को मंजूरी दी है जो वर्तमान में कानूनी पुनरीक्षण के अधीन है और शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

हरियाणा स्ट्रीट विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट विक्रेता नियमन) नियम, 2016

7.29 हरियाणा स्ट्रीट विक्रेता (आजिविका का संरक्षण और स्ट्रीट वैंडिग नियमन) को नियम, 2016 के तहत हरियाणा राज्य द्वारा मजुरी दे दी गई है, जो सड़क विक्रेताओं (आजिविका का संरक्षण और स्ट्रीट वैंडिग नियमन) नियम, 2014 के तहत अधिसूचित किये जाने है उक्त नियम कानुनी पुनरीक्षण के तहत कर रहे है और शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

सिटी बस सेवा गुरुग्राम की स्थिति

7.30 सिटी बस सेवा के लिए हरियाणा सरकार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10–10–2016 को इन्फ्रास्ट्रक्चर के सचिवों की समिति (सी.ओ.एस आई.) में आयोजित बैठक में प्रस्ताव को मंजुरी दी थी। प्रमुख सचिव (सी.ओ.एस आई.) से अनुमोदन के बाद, इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 2–12–2016 के तहत कैबिनेट उप अवंसरचना संबंधी समिति (सीसीआई) के समक्ष एजेण्डा के लिए अनुमोदन किया है। सीसीआई की बैठक दिनांक 19–1–2017 को तय की गई थी, लेकिन अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।

सिटी बस सेवा फरीदाबाद की स्थिति

7.31 फरीदाबाद मे सिटी बस सेवा का प्रस्ताव गुरुग्राम की तर्ज पर विचाराधीन है।

राजीव गांधी शहरी विकास मिशन

7.32 राजीव गांधी शहरी विकास मिशन स्कीम के अर्न्तगत चालू वित्त वर्ष 2016–17 के लिए राज्य बजट में 1,165.65 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है और 1,071 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न पालिकाओं को जारी की गई है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 1,546.22 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन

7.33 स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य बजट में 125 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। जिसमें से 90.17 करोड़ रुपये की राशि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय/सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जारी की गई है। इस मिशन के तहत 19,767 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय/सामुदायिक शौचालय तथा 1,584 सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा प्रगति पर है। सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा राज्य के सभी शहर दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाएगे। सिरसा तथा कुरुक्षेत्र जिले के अन्तर्गत आने वाले शहरों को खुले मे शौच मुक्त बनाने की घोषणा की है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

7.34 राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के एक समूह के लिए सामान्य प्रसंस्करण व निस्तारण सुविधाए प्रदान की जाएगी। हरियाणा की समस्त 80 शहरी स्थानीय निकाय को सम्मिलित करते हुए सामान्य प्रसंस्करण व निस्तारण सुविधाएं जिसमें 15 क्लस्टर शमिल है, परिकल्पित की गई है। फरीदाबाद तथा सोनीपत कलस्टर को प्रस्ताव के लिए आंमत्रित किया गया है। 5 कलस्टर के प्रस्ताव का अनुरोध मार्च, 2017 के अन्त तक आमत्रित किये जाएगे। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रंबधन

परियोजनाओं के जिन 15 समुहों के लिए निविदाए जून, 2017 तक जारी की जाएगी। एकीकत ठोस अपशिष्ट प्रंबधन की सुविधा मार्च, 2019 के तहत सभी नगर पालिकाओं के लिए प्रदान की जाएगीं तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन

7.35 भारत सरकार शहरी विकास मन्त्रालयएक नई स्कीम नामतः ''कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन'' (ए.एम. आर.यू.टी.) प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम का उद्वेश्य यह है कि प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति एवं सीवरेज कनैक्शन हो, ताकि शहरों में विकास हो और खुले क्षेत्रों (पार्क इत्यादि) का रख–रखाव हो और सार्वजनिक परिवहन के स्थान पर गैर मोटर चालित परिवहन (पैदल चलना व साईकिल से चलना इत्यादि)। गैर मोटर चालित परिवहन सुविधाए उपलब्ध हो। इस योजना के अर्न्तगत, 18 शहरी स्थानीय निकाय (गुरूग्राम, पंचकुला, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ, पलवल, सिरसा तथा जीन्द) शमिल किये जाएगें। इस स्कीम के अन्तर्गत 101.76 करोड़ रुपये सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को जारी किए गए है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 440 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

विभिन्न परियोजनाएं/योजनाएं

7.36 शहरी स्थानीय विभाग की विभिन्न परियोजनाओ/योजनाओं की पहचान की है। नामतः स्वर्ण जंयती पार्क, मुख्य प्रवेश दवारों, खुले में शोच मुक्तशहर, फलाईओवर के सौदंर्यकरण, गुरुग्राम में अजायबघर कैमरा की स्थापना, गुरुग्राम मे कन्वेशन सैंटर (सांस्कृतिक परिसर), काफी टेबल बुक के विषय पर सूचना पुस्तिका (निदेशक जनसम्पर्क के साथ परामर्श के बाद अंन्तिम रुप दिया जाएगा), ठोस कचरा प्रबन्धन, गुरुग्राम में अंतः शहर बस सेवाए को स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1–11–2016 से 31–3–2018 के दौरान लागू किया जाना है। 221.45 करोड़ रुपये की राशि इन परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी।

दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती योजना

7.37 दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती योजना का उद्धेश्य अनुसूचित जाति बस्तियों में सामान्य जन–सुविधाए प्रदान करना है। चालू वित्त वर्ष 2016–17 के लिए बजट में 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमे से 30 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की जा चुकी है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 66 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए स्कीम

7.38 राज्य सरकार द्वारा राज्य की पालिकाओं में चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए 2014–15 में यह स्कीम शुरु की गई है। चालू वित्त वर्ष 2016–17 के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 11 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

7.39 राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में छोटे दुकानदारों, रेहडी वालों, फडी वालों, खोखा/कियोस्कों मालिकों को अग्नि/विघुतीय, बाढ़, भूचाल अथवा प्राकृति आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए नई योजना आरम्भ की गई है। चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 77 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से 58.59 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

इन्टरनैट आधारित ई–टैण्डरिंग प्रणाली

7.40 हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 1–12–2014 से हरियाणा राज्य के सभी नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं में इन्टरनैट आधारित ई–टैण्डरिंग प्रणाली आरम्भ की गई है जिसके अर्न्तगत सभी प्रकार के कार्य

जिसमें सिविल कार्य, स्टोर आईटम तथा श्रमिक नियोजन का कार्य शामिल है,एन.आई.सी. पोर्टल अर्थात etenders.hry.nic.in पर आउट सोर्सिंग नीति के माध्यम से किये जा रहे है।

7.41 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नान प्लान स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 2016–17 के लिए 357.96 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान (200 करोड़ रुपये नगर निगमों तथा 157.96 करोड़ रुपये नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के लिए) किया गया है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 409.03 करोड़ रुपये का बजट (262.01 करोड़ रुपये नगर निगमों तथा 147.02 करोड़ रुपये नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के लिए) की मांग की गई है।

7.42 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 241.32 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है और 168.92 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की जा चुकी है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 365.60 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

7.45 इस योजना का उददेश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हुऐ मलिन बस्ती निवासियों के लिए घर बनवाने हेतू सहायता प्रदान करना है। उक्त योजना भारत एवं राज्य सरकार 80:20 के अनुपात में फण्ड उपलब्ध करवाती है। भारत सरकार द्वारा कुछ रदद/छटाई के उपरान्त, राज्य के 15 शहरों के 242.77 करोड़ रूपये की 23 परियोजनाएं अनुमोदित है, जिसमें केन्द्रीय शेयर 189.07 करोड़ रूपये है। इन परियोजनाओ में 10,327 आवासीय इकाइयों के निर्माण सहित मलिन बस्तियों में ढाचांगत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। सभी संबंधित नगरपालिकाओं को 232.04 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके है। इन नगरपालिकाओं द्वारा दिनांक 31–1–2017 अनुसार 196.55 करोड़ रूपये खर्च करते हुए 9,921 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 406 का कार्य व मलिन बस्तियों में ढाचांगत मूलभूत सुविधाए प्रगति पर था। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम की अवधि 31–3–2017 तक बढ़ा दी गई है।

अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण

7.43 13 वें वित्त आयोग द्वारा हरियाणा राज्य में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान 100 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी। 75 करोड़ रुपये की राशि पहले ही ड्रा की जा चुकी है जिसमें से 60+74=134 दमकल गाडियां और 18 कम्बी टूल/अग्निशमन उपकरण खरीदे गए है। शेष 25 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष 2016–17 में निदेशालय अग्निशमन सेवाएं शामिल करने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है।

7.44 श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा 20 एकड भूमि आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार को माता मनसा देवी आयुर्वेदिक और योग संस्थान की स्थापना के लिए उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है।

राजीव आवास योजना

7.46 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 278.82 करोड़ रूपये की राशि की चार परियोजनायें (अम्बाला, यमुनाागर, रोहतक एवं हिसार) स्वीकृत की जिसमें भारत सरकार का अंश 206.93 करोड़ रूपये है। भारत सरकार ने 108.94 करोड़ रूपये राशि की पहली किस्त जारी कर दी है तथा राज्य सरकार ने अपना अनुपातिक अंश जोड़कर 97.46 करोड़ रूपये की राशि राजीव आवास योजना से सम्बन्धित क्रियान्वन एजैंसियों को जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2016–17 में 31–1–2017 तक 71.87 करोड़ रूपये की राशि

प्रयुक्त करते हुये 584 आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण किया जा चूका है तथा 2014 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने राजीव आवास योजना को बन्द कर तथा उसकी जगह लागू नई योजना सभी के लिए आवास (शहरी) में समायोजित कर दी गई है।

सभी के लिए आवास मिशन (शहरी)/प्रधानमंत्री आवास योजना

7.47 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय श्रेणी के लाभार्थियों को मकान/मकान के नये निर्माण/मकान खरीद एवं मौजूदा मकान के उन्नयन हेतु दिनांक 26–5–2015 को एक नई योजना सभी के लिए आवास/प्रधान मंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राज्य की सभी 80 नगर पालिकाओं/परिषदों/नगरनिगमों को इस योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2016–17 में 40 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना हेतू संसोधित प्लान में 11.65 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.13 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवा दी है तथा राज्य ने अपना अंश 4.89 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत मांग सर्वेक्षण सभी के लिए आवास योजना तथा परियोजनाऐं बनाने हेतू कन्सलटैंट लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 759 आवास ईकाईयों के निमार्ण हेतू यमुनानगर की विस्तृत परियोजना को अनुमोदित की गई है जिसकी कुल लागत 22.77 करोड़ रूपये है, जिसमें से भारत सरकार ने अपनी पहली किस्त जिसकी लागत 4.55 करोड़ रूपये है तथा राज्य सरकार ने अपना हिस्सा 3.04 करोड़ रूपये मिला कर कुल 7.59 करोड़ रूपये जारी कर दिया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

7.48 भारत सरकार ने पुरानी स्कीम ''स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना'' के स्थान पर नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) की घोषणा की। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) का मुख्य उददश्ेय शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार, कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों का उपयोग कर उनकी आजिविका में एक सराहनीय सुधार करना जिसके परिणाम स्वरूप उन्हे सक्रिय करके गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करना है और मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण के माध्यम से गरीबी दूर करवाना है। मिशन के लिए चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर परिवारों को आश्रय उपलब्ध करवाना है। इस योजना के कियान्वन में तीव्रता लाने हेतू, राज्य शहर विकास प्राधिकरण ने स्कील ट्रेनिंग का कार्य 9 एजैंन्सियों को दे दिया गया है। उक्त एजेंसियां द्वारा 73 प्रशिक्षणों में 7,150 शहरी गरीब व्यक्तियों को कुशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाऐगी। सोशल मोबिलाईजेशन के कार्य को महत्व देने हेतू रिसोर्स ओग्रेनाईजर के चयन हेतू एक टेण्डर लगया जा चुका है जो कि हर कस्बे में अगले दो वर्षों में स्वयं सहायता ग्रुप बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगें। इस स्कीम के अर्न्तगत स्ट्रीट वेण्डर का सर्वेक्षण तथा स्ट्रीट वेण्डिग प्लान बनाने हेतु एक आर. एफ.पी. फलोट की गई है। इस आर.एफ.पी. द्वारा कन्सलटैंट का चयन किया जायेगा। जिसके पश्चात स्ट्रीट वेण्डर के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा तथा राज्य के हर शहर में स्ट्रीट वेण्डिग प्लान भी बनाये जायेंगें। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए भारत सरकार ने उक्त योजना के लिए 27 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य प्लान में 14 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत,

374 व्यक्तियों को तथा ग्रुपों के आवेदन लोन बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये है तथा बैंकों ने 31–1–2017 तक 253 एकल लाभार्थियों एवं

आवास

7.49 आवास बोर्ड़, हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 से लेकर 30–11–2016 तक 87,719 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें से 64,755 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये है।

7.50 अब 13,117 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर हैं जिसमें से 1,500 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 9,961 मकान बी.पी.एल. वर्ग के लोगों के लिए तथा 1,656 मकान अन्य वर्ग के लिए हैं ।

7.51 दिनांक 1–4–2016 से लेकर 30–11–2016 तक 4,183 मकानों का कार्य सम्पन्न किया गया है। दिनांक 1–4–2016 से 30–11–2016 तक कुल 54.15 करोड़ रूपये मकानों के निर्माण कार्य पर खर्च किए गए।

7.52 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 192.0295 एकड़ भूमि हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, करनाल, चीका, चरखी दादरी, जगाधरी, सफीदों, सिरसा, गोहाना, झज्जर एव कैथल में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए आबंटित की है।

7.53 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 50.965 एकड़ भूमि फरीदाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ, रोहतक, पंचकूला, पिंजौर, पलवल व रिवाड़ी में सेवारत, व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए आबंटित की है।

ग्रुपों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों ने ऋण प्रदान किया है।

7.54 हरियाणा शहरी निकाय विभाग द्वारा 27.24 एकड़ भूमि करनाल, चीका, चरखी दादरी तथा जुलाना में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए आबंटित की है।

7.55 हरियाणा शहरी निकाय विभाग ने 35.696 एकड़ भूमि विभिन्न स्थानों पर सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए आबंटित की है। जिसमें से 3.517 एकड़ भूमि सैक्टर–106, 6.829 एकड़ भूमि सैक्टर–76 और 8.48 एकड़ भूमि सैक्टर–102 ए, गुडंगाव, 5.40 एकड़ पलवल व 11.47 एकड़ सांपला में है।

7.56 नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने 10,564 प्लाटों का कब्जा आवास बोर्ड हरियाणा को दे दिया हैं। आवास बोर्ड हरियाणा इन प्लाटों पर बी.पी.एल. परिवारों के लिये तीन मंजिला फलैटस बनाएगा। 17,681 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 9,961 ई.डब्ल्यू.एस. मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये निर्माणाधीन हैं।

7.57 आवास बोर्ड हरियाणा करनाल, हिसार एवं चरखी दादरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 2,034 ई.डब्लयू. एस. फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा।

7.58 आवास बोर्ड हरियाणा फरीदाबाद झज्जर, सांपला व रिवाड़ी में सेवारत, व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये 812 टाईप–ए तथा 500 टाईप बी. के फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

मानव विकास, सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई ही योजना विकास का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही है ।

मुख्य मन्त्री विवाह शगुन योजना स्कीम

8.3 इस विभाग द्वारा ''मुख्य मन्त्री विवाह शगुन योजना स्कीम'' के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 41,000 रुपये, समाज के सभी वर्ग के लोगों जिनके पास 2.50 एकड़ से कम कृषि भूमि या 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय हो, को उनकी लड़की की शादी हेतु 11,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी हेतू दी जाने वाली 41,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिला खिलाडी जो किसी भी जाति एवं किसी भी आय वर्ग से संबन्धित हो तथा उसने 26 ओलम्पिक, 16 गैर– ओलम्पिक और 22 टूर्नामैन्ट/चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो को उनकी स्वयं की शादी लिए 31,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 6,717.08 लाख रुपये की राशि 26,784 लाभार्थियों पर खर्च की गई। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2016–17 के दौरान 10,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 19–1–2017 तक 5,129.60 लाख रुपये की राशि 18,065 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 से यह स्कीम आन लाईन विधि से क्रियान्वित की जा चुकी है।

8.4 अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा 69 कल्याण केन्द्र चलाये जा रहे हैं प्रत्येक केन्द्र में 20 अनुसूचित जाति व 5 पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे निकटतम कल्याण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100 रूपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150 रूपये प्रतिमास कच्चे माल हेतु प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम में छात्रवृति 100 रुपये प्रतिमास से 600 रुपये तथा 150 रूपये प्रतिमास से 300 रुपये कच्चे माल हेतू बढ़ाने का मामला विचाराधीन है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 56.24 लाख रूपये की राशि 1,823 प्रशिक्षणार्थियों पर खर्च की गई। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान इस स्कीम के

अन्तर्गत 1,725 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतू 90 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है तथा 19–1–2017 तक 35.14 लाख रूपये की राशि 1,725 प्रशिक्षणार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना स्कीम

8.5 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृति में 8,000 रूपये से 12,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पिछड़ें वर्ग के छात्रों को भी 10वीं कक्षा में प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 2408.18 लाख रुपये की राशि 30,420 लाभार्थियों पर खर्च की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान 3,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 19–1–2017 तक 964.33 लाख रुपये की राशि 10,234 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना

8.6 जातिवाद को कम करने हेतू यदि हरियाणा राज्य में रहने वाला अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के से विवाह करता है तो मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत उन्हें 1,01,000 रूपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 179.50 लाख रूपये की राशि विवाहित जोडों पर खर्च की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान इस उद्देश्य हेतू 394.90 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है। 19–1–2017 तक 320 विवाहित जोड़ों को 163.36 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम

8.7 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 रूपये प्रतिमास से 1,200 रूपये प्रतिमास छात्रवृति के अतिरिक्त सभी नान रिफंडेबल फीसें प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये है। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 17,631.22 लाख रूपये की राशि 74,222 छात्रों पर खर्च की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान इस उद्देश्य हेतू 31,387 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है। 19–1– 2017 तक 15,101.59 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम

8.8 इसी प्रकार भारत सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। यद्यपि सभी योग्य अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वापिस न की जाने वाली सभी फीसों की अदायगी की जाती है परन्तु राज्य की मांग अनुसार पर्याप्त राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान न करने के कारण राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों, इन वर्गो की विधवाओं के बच्चों तथा असहाय या अनाथ बच्चों को केवल नान रिफंडेबल फीस का भुगतान भी करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये है। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत पर 1,177.95 लाख रूपये की राशि 49,935 छात्रों पर खर्च किए गये। वर्ष 2016–17 के दौरान इस उद्देश्य हेतू 3,736 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है तथा 19–1– 2017 तक 394.15 लाख रूपये की राशि 2,551 छात्रों पर खर्च की जा चुकी है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.9 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊॅचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों का परिचालन बैंकों के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन. एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से कर रहा है। भारत सरकार की हिदायतानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,500 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 51,500 रूपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसें भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमडा़ तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरि, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, ऑटो–रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,03,000 रूपये है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. स्कीमों के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है। निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1,50,000 रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एच.एस.एफ. डी.सी.) योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम एन.एस.एफ. डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमें के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस. एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस. एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निगम एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

8.10 निगम द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान 8,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अंतर्गत 77.90 करोड़ रूपये, जिसमें 7.95 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है, की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है । निगम द्वारा वर्ष 2015–2016 में 7,089 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतू 45.31 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 4.91 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है । निगम द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान 8,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अंतर्गत 78.25 करोड़ रूपये, जिसमें 7.95 करोड़

रूपये की अनुदान राशि शामिल है, की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा वर्ष 2016–17 (मास नवम्बर, 2016 तक) में 1,376 लाभार्थियों को विभिन्न

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.11 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतू कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2016–17 में 5,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2016 तक 39 पिछड़े वर्ग के लोगों को 33.69 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2016–17 में 3,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 15 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 792 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 506.88 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2016–17 में 1,300 निःशक्त लोगों को 10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2016 तक 520 निःशक्त लोगों को 385.27 लाख रूपये वितरित किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

8.12 राज्य में प्रचलित बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। इस स्कीम के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, जिनकी पति/पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1.600 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक 14,19,593 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है जिनमें 6,79,358 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर

1 नवम्बर, 2016 (दिसम्बर, 2016 में वितरित) से 1,400 रूपये से 1,600 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सी.एस.सी. तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

8.13 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,600 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक 6,24,103 विधवा तथा निराश्रित महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर 1 नवम्बर, 2016 (दिसम्बर, 2016 में वितरित) से 1,400 रूपये से 1,600 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सी.एस.सी. तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

8.14 राज्य में अन्धे, बहरे, निःशक्त तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों के पुर्नवास के लिए कई पग उठाए गए हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में रह रहे 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु के निःशक्त व्यक्तियों को, जिनकी सभी साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूर की न्यूनतम आय से अधिक न हो, को 1,600 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक

1,42,746 निःशक्त व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिनमें 40,982 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर 1 नवम्बर, 2016 (दिसम्बर, 2016 में वितरित) से 1,400 रूपये से 1,600 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सी.एस.सी. तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। निःशक्त छात्रों को 400 रूपये से 1,000 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित निःशक्त व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 500 से 1,000 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, 1,000 रूपये प्रतिमास 10वीं व 8वीं पास डिप्लोमा होल्डर को, 1.500 रूपये प्रतिमास स्नातक/10वीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निःशक्त पेंशन योजना के तहत सभी दिव्यांगजन वर्गों की पात्रता को 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

तालिकाः 8.1– लाभार्थियों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का खर्च (31 दिसम्बर, 2016)

(लाख रूपये)

क्रम सं0	योजना का नाम	2015–16		2016–17	
		लाभार्थियों की संख्या	किया गया खर्च	लाभार्थियों की संख्या	किया गया खर्च
1.	बुढ़ापा सम्मान भत्ता	1368551	205424.32	1419593	22713.49
2.	विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता	585653	87511.58	624103	9985.65
3.	अन्धे, बहरे, निःशक्त तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों का पुर्नवास				
	(क) निःशक्त व्यक्तियों को पैंशन	135192	20373.31	142746	2283.94
	(ख) निःशक्त छात्रों को छात्रवृति	4190	219.39	3570	52.46
	(ग) शिक्षित निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	870	8.90	170	1.73
	(घ) स्कूल न जाने वाले निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता	7014	70.14	7014	70.14
4.	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता	29158	466.53	29158	466.53
5.	अन्यः				
	(क) असहाय बच्चों को वित्तीय सहायता	88703	10149.29	105408	1240.64
	(ख) आम आदमी बीमा योजना/ जनश्री बीमा योजना	12000 (परिवार)	308.71	0	211.25
	(ग) परिवार लाभ योजना	3185	636.90	815	317.06

स्त्रोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

8.15 उन माता–पिताओं, जिनकी केवल बेटियां ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे माता अथवा पिता, जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,600 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से उनके 45वें जन्मदिवस से 60वें जन्मदिवस तक 15 वर्ष के लिए भत्ता दिया जा रहा है। इसके उपरान्त वे बुढ़ापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक 29,158 लाभपात्रों को इस योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है जिनमें 11,708 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2016 (दिसम्बर, 2016 में वितरित)

भत्ता की दर 1,400 रूपये से 1,600 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सर्व सेवा केन्द्रों, वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हुए खर्च का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.16 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन 1–4–2014 से 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है। स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को प्रदान की जाएगी। अगर उनके एक से अधिक योग्य बच्चे हैं तो वे सभी पैंशन में बराबर के हकदार होंगे। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/ सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से हैः–

- राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता 13–7–2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये कर दी गई है।
- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी हेतू दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20–8–2009 से 21,000 रूपये से बढाकर 51,000 रूपये प्रत्येक शादी के लिए कर दी गई है चाहे एक वर्ष में एक से अधिक शादी क्यों न हो।

राज्य सैनिक बोर्ड

8.17 राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम बलिदान के एवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.2– शौर्य पुरस्कार एवं विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार की राशि

(राशि रूपये)

क्र0सं0	**युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार**	**एक मुश्त नकद पुरस्कार**
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	21,00,000
5	मैन्शन– इन डिस्पैच (शौर्य)	10,00,000
	शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार	
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	10,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	7,50,000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

8.18 राज्य सरकार दिनांक 5–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.3–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

(राशि रूपये)

क्र0स0	शौर्य पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार राशि
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50,000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30,000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

8.19 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.4– सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

(राशि रूपये)

क्र0 सं0	वित्तीय सहायता	राशि
1	**भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक** (दिनांक 1–11–2016 से 2000 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा हर वर्ष/प्रति वर्ष 1–11–2017 से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) **द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता**	3,000 4,500
2	**पैरा/टेट्रा हेमी प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक** (दिनांक 1–11–2016 से 1500 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा हर वर्ष/प्रति वर्ष 1–11–2017 से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,000
3	**भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता** (दिनांक 1–11–2016 से 2000 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा हर वर्ष/प्रति वर्ष 1–11–2017 से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,000
4	**अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता** (दिनांक 1–11–2016 से 1500 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा हर वर्ष/प्रति वर्ष 1–11–2017 से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,000

5	**अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता** (दिनांक 1–11–2016 से 1500 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा हर वर्ष/प्रति वर्ष 1–11–2017 से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,000
6	**आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान** (दिनांक 1–4–2017 से 35000 रूपये से बढ़ाकर 50000 रूपये किया जाना है) व **कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता**	50,000 10,000
7	**युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है।** (दिनांक 1–11–2016 से 2000 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा हर वर्ष/प्रति वर्ष 1–11–2017 से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

8.20 राज्य सरकार द्वारा युद्ध सेवा पदक/असाधारण सेवा पुरस्कार विजेताओं को राशि एक मुश्त नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.5– युद्ध सेवा पदक विजेता को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये)

क्र0सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4,00,000
3	युद्ध सेवा मैडल	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	1,25,000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

8.21 हरियाणा सरकार रक्षा सेना सैनिकों को सेना मैडल, असाधारण सेवा/निष्ठा से कार्य करने वाले रक्षा सैनिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.6–सेना मैडल विजेता एवं उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये)

क्र0सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा को जो पुरस्कार 31–3–2008 के बाद और 19–2–2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ निष्ठा से काम करने पर पुरस्कार जो 19–2–2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	–

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

8.22 आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा मौद्रिक अनुदान/पैंशन, दिया जाता है जो **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.7—आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/ पैंशन

(राशि रूपये)

क्र0स0	पुरस्कार का नाम	राशि
1	विक्टोरिया क्रॉस	15,000
2	मिलीटरी क्रॉस	10,000
3	मिलीटरी मैडल	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

8.23 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के आश्रित को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुग्रह राशि भी प्रदान करती है। यह अनुदान राशि सरकारी हिदायतोंनुसार उन सभी "युद्ध में घायल" मामलों में प्रदान की जाती है जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं रक्षा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी कार्यवाही या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान घटित हुई है। यह अनुग्रह राशि 20 लाख रूपये से 50 लाख रूपये दिनांक 2—8—2016 से बढा दी गई है व 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की अनुग्रह राशि उन निःशक्तों को, उनकी निःशक्त प्रतिशता के आधार पर प्रदान की जाती है जो युद्ध, उग्रवादी, आई.ई.डी. विस्फोट व कार्यवाही एवं विशेष कार्यवाही के दौरान युद्ध में घायल को भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार प्रदान की जाती है। यह राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

रोजगार

8.24 रोजगार विभाग सी.एन.वी. एक्ट 1959 के तहत प्रार्थियों का पंजीकरण, अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्व सम्प्रेषण, काम ढूंढने वालो को व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा संगठित संस्थापनाओं से मानव शक्ति के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है।

8.25 रोजगार विभाग प्रार्थियों का पंजीकरण, अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्व सम्प्रेषण, काम ढूंढने वालो को व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा संगठित संस्थापनाओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है। विभाग द्वारा बेरोजगारों को प्रदान की जा रही सभी सुविधायें विभाग की वैब साईट www.hrex.org पर आनॅ लाईन उपलब्ध करवाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2016—17 में (31—12—2016तक) रोजगार के इच्छुक 8,15,864 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है। नई सेवा नियोक्ता आनलाईन पंजीकरण में नियोजक स्वयं वेबसाइट में पंजीकरण करवा सकते हैं तथा वे सीधे अपनी आवश्यकता अनुसार योग्य प्रार्थियों के ब्यौरे की जांच कर सकते है।

8.26 राज्य के संगठित क्षेत्र में रोजगार से सम्बन्धित सूचना और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या व रोजगार कार्यालय से नौकरी चाहने वाले पंजीकृत योग्य व्यक्तियों की संख्या **तालिका 8.8 से 8.10** तक में दी गई है।

तालिकाः 8.8– राज्य के संगठित क्षेत्रों में रोजगार

(31 दिसम्बर, 2016 तक)

स्थापना का प्रकार	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	
	2015	2016 (अ)
सार्वजनिक क्षेत्र		
(क) केन्द्र सरकार	19,272	19,230
(ख) राज्य सरकार	2,38,984	2,37,658
(ग) अर्धसरकारी (केन्द्र / राज्य)	94,197	92,978
(घ) स्थानीय निकाय	12,897	12,658
उप–योग	**3,65,350 (43.58)**	**3,62,524 (42.91)**
निजि क्षेत्र	4,72,949 (56.42)	4,82,287 (57.08)
कुल योग	**8,38,299 (100.00**	**8,44,811 (100.00)**

अः अन्नतिम

स्रोतः रोजगार विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 8.9– रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

(31 दिसम्बर, 2016 तक)

शैक्षिणिक योग्यता	पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या	
	2015	2016 (अ)
अशिक्षित		
मैट्रिक से नीचे / अनपढ़ व अन्य	1,28,257 (16.26)	1,42,146 (17.42)
शिक्षित		
(क) मैट्रिक	1,82,411	1,73,212
(ख) वरिष्ठ माध्यमिक (10 +2 तक)	3,15,909	3,17,144
(ग) स्नातक	1,27,702	1,45,426
(घ) स्नातकोत्तर / एम.फील. / पी. एच.डी.	34,376	37,936
उप–योग	**660398 (83.74)**	**6,73,718 (82.57)**
कुल योग	**7,88,655 (100.00)**	**8,15,864 (100.00)**

अः अन्नतिम स्रोतः रोजगार विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 8.10– रोजगार कार्यालय से पंजीकृत काम ढुढ़ने वाले योग्य व्यक्तियों का विवरण

(31 दिसम्बर, 2016 तक)

वर्ग	काम ढुढ़ने वालों की संख्या	
	2015	2016 (अ)
I इंजीनियर		
(क) स्नातक इंजीनियर	5,075	6,122
(ख) डिप्लोमा इंजीनियर	10,271	11,453
(ग) आई.आई.टी. प्रशिक्षित	25,492	27,014
योग– I	**40,838 (39.70)**	**44,589 (39.09)**
II मेडिकल तथा पैरा मेडिकल		
(क) एलोपैथिक डाक्टर (एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस.)	150	142
(ख) आयुर्वैदिक तथा युनानी डाक्टर	145	141
(ग) दन्त चिकित्सक	63	66
(घ) होमोपैथिक में स्नातक	20	18
(ड) पैरा मेडिकल	4,611	4,192
योग–II	**4,989 (4.85)**	**4,559 (3.99)**
III कृषि तथा पशु चिकित्सक		
(क) कृषि स्नातक/स्नातकोत्तर	212	211
(ख) पशु चिकित्सक स्नातक/स्नातकोत्तर	15	15
योग– III	**227 (0.22)**	**226 (0.19)**
कुल योग I-III (तकनीकी)	**46,054 (44.77)**	**49,374 (43.28)**
IV शिक्षा		
(क) जे.बी.टी. अध्यापक	9,655	13,211
(ख) आर्ट एण्ड क्राफ्ट अध्यापक	–	–
(ग) बी.एड./एम.एड. अध्यापक (विज्ञान, गणित, सामाजिक तथा अन्य)	42,203	46,273
(घ) पी.टी.आई./डी.पी.एड./एम.पी.एड. अध्यापक	3,121	3,229
(ड) भाषा अध्यापक	1,843	1,978
योग IV	**56,822 (55.23)**	**64,691 (56.71)**
कुल योग I-IV (गैर–तकनीकी)	**1,02,876 (100.00)**	**1,14,065 (100.00)**

अः अन्नतिम

स्रोतः रोजगार विभाग, हरियाणा।

सक्षम युवा योजना

8.27 हरियाणा स्वर्ण उत्सव पर 1 नवम्बर, 2016 को राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए "सक्षम युवा योजना" का प्रारम्भ किया गया। बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण व मानदेय सक्षम युवा योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक है। योजना के तहत 3,000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता व 100 घण्टे मानद कार्य करने

के एवज में योग्य रजिस्टर्ड स्नातकोत्तर को 6,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता स्कीम

8.28 बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अर्न्तगत विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2016 से 31–12–2017 तक 24,826 प्रार्थियों को 13.08 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में वितरित की गई है। "सक्षम" के तहत पात्र स्नातकोतर युवाओं के लिए 3,000 रूपये प्रतिमास बेरोजगारी भत्ता एवं 6,000 रूपये प्रतिमास तक मानदेय मानद कार्य के लिए दिए जाने का प्रावधान है। स्वीकृत राशि 45 करोड रूपये में से शेष राशी 31.91 करोड़ रूपये वर्ष 2016–17 के अन्तिम त्रैमास जो 31–3–2017 को समाप्त होगा, से पूर्व खर्च कर ली जाएगी ।

8.29 प्राईवेट सैक्टर के कर्मचारियों को अच्छी गुणवत्ता व कौशल बनाने हेतु विभाग द्वारा 9 जिलों में प्राईवेट प्लेसमैन्ट कांउसलिंग तथा भर्ती केन्द्र खोले गये है जिनके द्वारा 16 जोब मेला के तहत 1–4–2016 से 31–12–2016 तक 1,467 प्रार्थियों को जोब पर रखा गया है।

8.30 इंटर्नशिप, कौशल विकास पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार की मदद से हिसार में मॉडल कैरियर परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। यह संस्थान बेरोजगारों एवं नियोक्ताओं की सूचना एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न मांगों को पूरा करने का मुख्य केंद्र होगा। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 25 लाख रूपये की धनराशि जारी की है ।

श्रम कल्याण

8.32 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। श्रम विभाग एक श्रमिक की आर्थिक आवश्यकताओ के लिए पूर्णता जागरुक है। इन बारे न्यूनतम वेतन की दरें समय–2 पर नियत तथा संशोधित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इस दर को पुन निर्धारित करते हुये 1–11–2015 से अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 7,600 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी दर दिनांक 1–07–2016 से अकुशल, अर्धकुशल (ए.),अर्धकुशल (बी.),कुशल (ए.),कुशल (बी.) व उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 8,070.44 रूपये, 8,473.96 रूपये, 8,897.65 रूपये, 9,342.53 रूपये, 9,809.66 रूपये व 10,300.14 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

बजट प्रावधान

8.31 विभाग के लिए वर्ष 2016–2017 में कुल बजट 70–71 करोड़ रूपये की राशी स्वीकृत की गई थी, जिसमें नान प्लान स्कीमों में 69.93 करोड़ रूपये तथा प्लान स्कीमों में 78 लाख़ रूपये है। वर्ष 2017–2018 में इसे बढ़ाकर नान प्लान स्कीमों के लिए 100 करोड़ रूपये तथा प्लान स्कीमों के लिए 2.25 लाख रूपये करने का बजट प्रस्ताव है।

8.33 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढ़ौतरी हेतु सूचना

प्रौद्योगिकी एवं इससे सम्बन्धित उद्योगों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधन की पूर्ण जिम्मेवारी लेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत 1–1–2016 से 31–12–2016 तक कुल 121 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 26,717 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

8.34 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई जिनमें

मुफ्त रहने, व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 78.20 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

8.35 श्रम विभाग द्वारा "तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण/ओडिट नीति" अधिसूचित की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संस्थानों, दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में श्रम कानूनों की प्रक्रिया को सुलभ एवं सुचारू रूप से लागू करना है। इस योजना को वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की "व्यापार सुधार नीति 2016–सुगमय व्यापार" की अनुपालना में प्रतिपादित किया गया हैं। इस योजना का उद्देश्य व्यापार–नियामन का सरलीकरण, व्यवसायों की सुविधा के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 व अन्य श्रम अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्धारित किये गये नियमों की अनुपालना तथा अधिकारियों द्वारा अनावश्यक निरीक्षण को कम करना हैं।

8.36 श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों में पारदर्शी निरीक्षण नीति तैयार कर दी गई है।

- व्यापार नियमों को सरल बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये
- व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकी तथा नई पद्धति को अपनाते हुए पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से विभिन्न श्रम कानूनों के तहत वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने के लिये
- कानून में उल्लिखित भावना और तरीके से श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य, कल्याण और दूसरी रोजगार की शर्तों के अधिकारों की रक्षा के लिये
- सुगमय व्यापार के लिये सुधार की दृष्टि से निरीक्षण प्राधिकारियों की मनमानी तथा तदर्थ कार्यवाही को समाप्त करने के लिये और कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार एवं उत्पीडन को रोकने के लिये आदि उद्देश्यों के मद्देनजर सेवा शर्तो में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण इत्यादि का प्रावधान किया गया हैं।

8.37 श्रम विभाग द्वारा स्वयं प्रमाणन नीति अधिसूचित की गई हैं जिसका मुख्य उद्धेश्य औद्योगिक संस्थानों, दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में श्रम कानून प्रक्रिया को सुलभ एवं सुचारू रूप से लागू करना एवं अधिकारियों द्वारा उन संस्थानों के निरीक्षण मे नियंत्रित करना हैं जिन्होने विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण हेतू बिना किसी प्रकार का समझौता किए यह नीति अपनाई हैं।

8.38 श्रम विभाग द्वारा हरियाणा सिलिकोसिस पुर्नवास नीति बना दी गई हैं। सिलिकोसिस एक फेफड़ों की लाईलाज बीमारी है जोकि सिलिकोसिस प्रवर्त्तक कार्य स्थलों जैसे कि स्टोन क्रेशर, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, निर्माणाधीन स्थल एवं खानों पर हो सकती है। यह नीति सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्यों, जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके ईलाज, मुआवजा, पुर्नवास तथा विभिन्न कल्याणकारी मापक सुनिश्चित करेगी।

बजट

8.39 प्लान स्कीम के तहत वर्ष 2016–17 का प्लान बजट 918.15 लाख रुपये है जिसमें से 169.11 लाख रुपये दिसम्बर, 2016 तक खर्च किये जा चुके हैं।

उपलब्धियॉ

8.40 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यन्वित की जा है जैसा कि मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता, औजार, सिलाई मशीन, साईकिल खरीदने के लिये वित्तिय सहायता, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, पैतृक घर जाने पर किराया, मुफ्त भ्रमण सुविधा, बच्चों के विवाह के लिये सहायता, स्वास्थ्य बीमा योजना, घातक बिमारियों के लिए वित्तीय सहायता, अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता, बुढापा पैंशन, मृतक के

परिवार के लिये पारिवारिक पैंशन, सेवा में अपंगता होने पर पैंशन व सेवा में मृत्यु पर तथा दाह संस्कार के लिये सहायता तथा घर खरीदने के लिये सहायता इत्यादि चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत 1–01–2016 से 31–12–2016 तक 64,751 लाभार्थियों पर 61.47 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की उपलब्धियॉ

8.41 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे कन्यादान – बेटी की शादी के लिये सहायता, छात्रवृति, चश्मा खरीदने के लिये वित्तिय सहायता, श्रमिक की सेवा में दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता, श्रमिक की मृत्यु होने पर तथा दाह संस्कार के लिये वित्तिय सहायता, विधवा/उसके आश्रितों को वित्तीय सहायता, प्रसुति लाभ, दांतों के ईलाज, नकली अंग लेने के लिये, श्रवण मशीन, ट्राई–साईकल खरीदने के लिये वित्तिय सहायता, श्रमिकों के मंदबुद्धि व दृष्टिहीन बच्चों के लिये आर्थिक सहायता, साईकिल, सलाई मशीन खरीदने के लिये आर्थिक सहायता, एल.टी.सी., राज्य स्तर के खेल–कूद एवं सांस्कृति कार्यक्रम की प्रतियोगितयों का आयोजन, तथा मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि चलायी गई हैं। इन योजनाओं के तहत 1–1–2016 से 31–12–2016 तक 39,009 औद्योगिक श्रमिकों पर 2,944.06 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

खेल तथा युवा कार्यक्रम

8.42 हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्न्तराष्ट्रीय खेल जगत में देश का गौरव बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। ओलम्पिक खेल जो कि दिनांक 5 से 21 अगस्त, 2016 तक रियो (ब्रांजील) में आयोजित हुये थे जिसमें भारत की तरफ से 2 मैडल (एक रजत तथा एक कांस्य) जीते गये थे, उसमें से एक कांस्य मैडल हरियाणा द्वारा जीता गया था। उसी प्रकार पैरालम्पिक खेलें जो कि दिनांक 7 से 18 सितम्बर, 2016 तक रियो (ब्राजील) में आयोजित हुई जिसमें भारत ने 4 मैडल (दो स्वर्ण, एक रजत तथा एक कांस्य) प्राप्त किये उसमें से एक रजत मैडल हरियाणा द्वारा जीता गया।

8.43 ओलम्पिक खेलों में कुमारी साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य मैडल जीता और उन्हें खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने खेल नीति–2015 के अनुसार 2.50 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार पैरालम्पिक खेलों में श्रीमती दीपा मलिक ने पैरा एथलैटिक्स गोला फैंक में एक रजत मैडल जीता, उसे विभाग ने 4 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। ओलम्पिक खेलों में 116 खिलाड़ियों के समूह ने देश की ओर से भाग लिया, जिसमें से 20 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से थे। इस तरह 17 प्रतिशत खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य की ओर से भाग लिया। पैरालम्पिक खेलों में 19 खिलाड़ियों के समूह ने देश की ओर से भाग लिया, जिसमें से 10 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से थे। इस तरह लगभग 53 प्रतिशत खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य की ओर से भाग लिया गया जबकि हरियाणा की आबादी पूरे देश की आबादी का 2 प्रतिशत है।

8.44 उपर्युक्त के अतिरिक्त खेल एवं युवा कार्यक्रम हरियाणा की ओर से 28 खिलाड़ियों जिन्होंने कोई पदक नहीं जीता केवल रियो ओलम्पिक खेलों व पैरालम्पिक खेलों–2016 में हरियाणा की ओर से प्रति खिलाड़ी 15 लाख रूपये की नकद राशि देकर सम्मानित करने जा रही है। इस प्रकार प्रति भागिता करने वाले 28 खिलाड़ियों को 4.20 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा। प्रत्येक मैडल विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को भी 10 लाख रूपये की नकद राशी से विभाग की ओर से सम्मानित किया जायेगा।

संरचना

8.45 राज्य सरकार ने अपने साधनों से अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की कुछ मुख्य खेल सुविधाएं आरम्भ की है। कुछ मुख्य खेल संरचना विभाग द्वारा विकसित की जानी है जिसके लिए 18 करोड़ रूपये 18 जिलों में जिला स्तर के

स्टेडियम में 1 करोड़ रूपये प्रति जिला की दर से सुविधा केन्द्रों के निर्माण के लिए जारी किये गये व शिवाजी स्टेडियम, पानीपत के नवीनीकरण के लिए 2.66 करोड़ रूपये, भीम स्टेडियम, भिवानी में एथलैटिक्स ट्रैक बिछाने के लिए 3 करोड़ रूपये और वारहीरोज मैमोरियल स्टेडियम, अम्बाला कैंट में उच्च स्तर के स्टेडियम निर्माण, प्रस्तावित आईएएफ सिंथेटिक ट्रैक व प्रस्तावित फीफा कृत्रिम फुटबाल ट्रैक के लिए 20 करोड़ रूपये दिये गये।

खेल उपकरण

8.46 वित्त वर्ष 2016–17 में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कोचिंग सेन्टर, नर्सरीज, एकेडमी व कुश्ती अखाडा के लिए खेल उपकरण की खरीद का मामला आपूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति स्कीम के तहत 1.30 करोड़ रूपये के खेल उपकरण इसी वित्तीय वर्ष में आपूर्ति एवं निपटान विभाग के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं।

8.47 वर्ष 2016–17 में विभाग ने विभिन्न युवा कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किये हैं। जिनमें साहसिक खेल जैसे कि प्रारम्भिक जल खेल का पाठयक्रम वे क्षेत्रीय जल खेल केन्द्र शामिल है। 2 जल खेल कैम्प का आयोजन पौंगडैम (हिमाचल प्रदेश) 4 नदी जल खेल कोडियाला ऋषिकेष (उतराखण्ड) 2 उच्च स्तरीय ट्रैकिंग कैम्प नारकण्डा में तथा दो कैम्प मनाली (हिमाचल) में लगाये गये गये। जिला स्तरीय नृत्य, नाटक, संगीत, सांस्कृतिक कार्यशालाएं सभी जिलों में आयोजित किये गये हैं। 1 नवम्बर से 24 नवम्बर, 2016 तक जिला स्तर पर युवा उत्सव आयोजित किया गया। राज्य युवा उत्सव दिनांक 3 से 5 जनवरी, 2017 तक आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा उत्सव दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2017 तक आयोजित किया गया है। 2 साहसिक कार्यक्रम पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में भारत सरकार तथा गाईड राष्ट्रीय साहसिक संस्थान द्वारा मास मार्च, 2017 में आयोजित किये जायेंगे।

8.48 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता दिनांक 13 से 15 जुलाई, 2016 तक मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, राई में आयोजित हुई जिसमें 270 लड़के व 140 लड़कियों ने भाग लिया। महर्षि बाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर दिनांक 15 से 16 अक्टूबर, 2016 तक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 84 लड़के व 84 लड़कियों ने भाग लिया।

8.49 स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर दिनांक 7 से 9 नवम्बर, 2016 तक राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन कर्ण स्टेडियम, करनाल में करवाया गया जिसमें सभी जिलों से 378 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दिनांक 16 से 18 नवम्बर, 2016 तक राज्य स्तरीय सिविल प्रतियोगिता का आयोजन जिला पंचकूला, अम्बाला व सोनीपत में करवाया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान खेल विभाग का बजट 274.57 करोड़ रूपये था जबकि वर्ष 2016–17 में 401.18 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा पर्यटन

8.50 पर्यटन विभाग की मुख्य गतिविधि पर्यटन अवस्थापना का विकास करना तथा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में पर्यटन को उन्नत करना है। विकास गतिविधियों को राज्य अपनी वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य द्वारा वित्त पोषित करता है। इस समय हरियाणा पर्यटन द्वारा 43 पर्यटक स्थल केन्द्र जिसमे 839 कमरे, 15 श्यनकक्ष, 42 रैस्टोरैंट, 36 बार, 54 सम्मेलन केन्द्र/समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल, 5 फस्ट फूड केन्द्र, 1 गोल्फ कोर्स और 14 पैट्रोल पम्प है। हरियाणा केवल एक ऐसा राज्य है जहां होटल

प्रबन्धन से संबंधित 5 संस्थान कुरूक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर मे कार्यरत है जो कि देश के सत्कार शिक्षा के सर्वोच्च निकाय, राष्ट्रीय परिषद फार होटल मैनेजमैंट व कैटरिगं टैक्नोलॉजी, नोएडा (जिसकी स्थापना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है) से संबधित है।

कृष्णा सर्किट

8.51 हरियाणा में कुरूक्षेत्र के बिना पर्यटन की कल्पना भी नही की जा सकती–दैवीय संगीत की भूमि जहां भगवान कृष्णा ने महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध के दौरान भगवत गीता का शाश्वत उपदेश दिया। हरियाणा पर्यटन ने कस्बे के प्रसिद्व अतीत को बनाए रखने में व इसे आगुन्तकों के लिए सुगम्य बनाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है। ज्योतिसर में प्रतिदिन सांयकाल को हरियाणा पर्यटन द्वारा लाईट एण्ड साऊड शो आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुरूक्षेत्र में पर्यटन की आधारभूत संरचना विकसित करने व दुनियां भर में प्रसिद्ध करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत कुरूक्षेत्र को चिन्हित किया है। तदानुसार, राज्य सरकार ने राज्य पर्यटन की नोडल संस्थानों/सक्षम क्षेत्रीय संस्थाओं से परामर्श व गहन अनुसंधान करने के बाद पांच प्रमुख स्थानों की चिन्हित किया जो कि सनहित सरोवर, अमीन कुंड, नरकटरी, ब्रहसरोवर, ज्योतिसर और कुरूक्षेत्र शहर है। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा श्रीमद्भगवत गीता व महाभारत और महाभारत युद्ध क्षेत्र के 48 कोस के मूल थीम पार्क स्थल की 3डी मल्टीमीडिया शो को इस अभिनव परियोजना में शामिल किया गया है। इस स्कीम को भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की वित्त सहायता से पूरा किया जाऐगा जिसका एक विस्तृत प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राशि 99.51 करोड रूपये की तैयार कर भारत सरकर को भेजी गई है। जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने 97.34 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दे दी है व 19.48 करोड रूपये की राशि जारी कर दी है।

महेन्द्रगढ़/माधोगढ़––नारनौल/रिवाड़ी सर्कट

8.52 स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत महेन्द्रगढ़/माधोगढ़–नारनौल/ रिवाड़ी ऐतिहासिक सर्कट के विकास हेतू राशि 48.11 करोड़ रूपये का एक प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। जो कि अभी लम्बित है।

बैठके, अभिप्रेरणाएँ, सम्मेलन व प्रदर्शन पर्यटन

8.53 हरियाणा पर्यटन राज्य को व्यापार व वाणिज्य के प्रमुख केन्द्र के रूप मे स्थापित करने के लिए बहुत सक्रिय रहा है। प्रतिष्ठित सम्मेलन कक्षो का समूह जोकि बैठको, प्रोत्साहनो, सम्मेलनो व प्रदर्शनी खंड चलाता है। इस दिशा मे एक प्रयास है। ये सम्मेलन कक्ष होटल राजहंस सूरजकुण्ड, तिलयार झील रोहतक, रैडविशप, पंचकूला व फलैमिंगो हिसार, पैराकिट पीपली, गौरेया, बहादुरगढ़ और ग्रै पैलिकन यमुनानगर मे बनाए गए है। इसके अतिरिक्त विश्वस्तरीय सम्मेलन कक्ष भी पिपली और जगाधरी मे 8.84 करोड़ रूपये की अनुमनित लागत के साथ बनाए जा रहे है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.54 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन यात्रा हेतू 10,000 रूपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता, मानसरोवर यात्रा हेतू 50,000 रूपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता और गुरू दर्शन यात्रा जो कि श्री ननकाणा साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब व श्री पावंटा साहिब हेतू 6,000 रूपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह वित्तीय सहायता केवल 50 यात्रियों को वर्ष 2016–17 में प्रदान की जाएगी जिसके लिए विभाग द्वारा वार्षिक योजना 2016–17 में 30 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

मेले/त्यौहार

8.55 30वॉ अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी, 2016 तक आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और मेले का समापन समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल, हरियाणा ने किया। इस मेले का थीम राज्य तेलंगाना था। मेले में 23 देशों ने भाग लिया। इस मेले मे पहली बार चीन, जापान, कांगो, मालदीव, तुनीसीया, चिली, मलेशीया, नाम्बीया और इज्जीप्ट ने भाग लिया और साथ ही भारत के सभी राज्यो ने भी भाग लिया। इसी प्रकार पिंजौर में 2^{nd} व 3^{rd} जुलाई 2016 को आमों का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया गया मेले ने

दर्शकों को बहुत आकर्षित किया है। मैंगो मेला 'फलों के राजा' के रूप में मनाया जाता है और मस्ती भरा भी है और जो दर्शकों को अच्छी किस्मों के फलों को देखने, स्वाद चखने, मेले में आने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देता है। जिसमें समस्त उत्तर भारत के आमों की आवक और आमों के उत्पादन दर्शाये गये। इस मेले में रिकार्ड आमों की किस्मों को ईन्द्राज किया गया जोकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरप्रदेश और उत्तरखण्ड से आए थे। विभिन्न आमों की किस्में और आमों से बनाए गए प्रोडक्टस दर्शाए गए। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिऐ पर्यटन के विकास हेतू विभागीय योजना बजट में 4,308. 25 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया है जिसके विरुद्ध 2,733.88 लाख रूपये खर्च किए जा चुके है।

पर्यावरण विभाग

8.56 पर्यावरण विभाग, हरियाणा, राज्य पर्यावरण आंकलन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक रूप से देखता है और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व राज्य सरकार के बीच नोडल कार्यालय है। मौसम परिवर्तन की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति के द्वारा मौसम परिवर्तन की राज्य स्तरीय कार्य योजना में विभिन्न सम्बंधित विभागों की मांग के आधार पर 5 वर्ष के लिए 4,204 करोड़ रूपये की राशि का अनुमोदन किया गया। विभिन्न वर्गों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए लगभग 8,00,50,500 रूपये का एक प्लाट आई.एम.टी. मानेसर गुड़गांव में खरीदा है।

8.57 विभाग राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं का मुकाबला करने के लिए विभिन्न अनियमितायों अर्थात् जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण व जल तथा वायु की स्वास्थ्यवर्धकता को बनाए रखने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रभावशाली रूप से लागू कर रहा है। लागूकरण अभिकरण हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड है तथा पर्यावरण विभाग के कार्यों पर प्रशासकीय नियन्त्रण का प्रयोग करता है।

उपलब्धियां

8.58 वर्ष 2016–17 के दौरान (31–12–2016 तक) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य परियोजनाओं को उनकी प्रदूषण संभावना पर आधारित केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशों पर लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन प्रवर्गीकृत किया है तथापि बोर्ड ने हरे प्रवर्ग को सहमति प्रबन्धन से कम प्रदूषण उद्योग के रूप में छूट दी है। संचालन की सहमति की अवधि उद्योगों/परियोजनाओं के लाल प्रवर्ग के लिए 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, नांरगी प्रवर्ग के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष तक तथा हरे प्रवर्ग के लिए 15 वर्ष तक बढ़ाया है। उद्योगों के सभी प्रवर्गों के स्थापना की सहमति 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए बढाई गई है। स्वयम प्रमाणीकरण के आधार पर स्वतः नवीनीकरण प्रणाली शुरू करके स्थापना की सहमति को बढाने की प्रक्रिया और संचालन की सहमति के नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया । बोर्ड ने जल (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा सीमा से परे संचालन) नियम, 2008 के अधीन स्थापना और संचालन की सहमति, अनुदान/इन्कार करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदान की हैं। उनके अधिकार संबन्धित क्षेत्र में लाल और संतरी प्रवर्ग के उद्योगों के लिए जहां पर निवेश की राशि 10 करोड़ रूपये या सी.एल.यू. मामले 1 एकड़ तक पुष्टि क्षेत्र में की गई। यह निर्णय लिया गया कि स्थापना /चलाने की सहमति/अधिकृत करने के लिए कोई भी दस्तावेज हार्ड कॉपी में नहीं लिया जाएगा बल्कि इकाई सभी दस्तावेजों को ओ.सी.एम.एम. एस के माध्यम से जमा करवाएगीं । बोर्ड ने विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों/नियमों के

अर्न्तगत बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उद्योगों/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए निरीक्षण नीति जारी की जिससे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उद्योगों के गैर जरूरी निरीक्षण को रोका जा सके और एक पारदर्शक तरीके से विनियमित किया जा सके। बोर्ड ने उद्योगों/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए कम्पयूटराईजड रिस्क मैनेजमेन्ट के आधार पर निरीक्षण मोडयूल तैयार किया । ऑनलाईन पोरटल से डिजिटल हस्ताक्षर मंजूरी प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया को तैयार किया गया और जनवरी, 2016 से लागू किया गया, जोकि आवेदकों की स्थापना/संचालन की सहमति और ऑथोराईजेशन ओ.सी.एम.एम.एस से डाउनलोड करने की सहुलियत प्रदान करता है । ऐसी प्रणाली विकसित व लागू की गई जिससे कोई भी पब्लिक डोमन पर हरियाणा के उद्योगों/परियोजनाओं के स्थापना/संचालन की सहमति और ऑथोराईजेशन के प्रमाणपत्रों को सत्यापित कर सके ।

8.59 बोर्ड ने उद्योगों/परियोजनाओं के प्रत्येक लाल/नारंगी प्रवर्ग द्वारा अपेक्षित स्थापना सहमति, संचालन सहमति के लिए आवेदनों की आनलाईन प्रक्रिया शुरू की है। जल (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अधीन जनवरी, 2013 से खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा सीमा से परे संचालन) नियम, 2008 के अधीन सेवाओं का अनुमोदन किया है। इन आवेदनों को 1–4–2013 से केवल ऑन लाईन सहमति प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है।

8.60 भुगतान मुख्यद्वार के लिए प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा पहले ही विकसित तथा लागू की गई है। उद्योग बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करने की बजाए ई–भुगतान गेटवे के माध्यम से स्थापना सहमति तथा संचालन सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। पूर्वोक्त अधिनियमों/नियमों के उपबन्धों के अनुसार 120 दिन की समय सीमा सी.टी.ई./सी.टी.ओ./प्राधिकार आवेदनों का निर्णय करने के लिए सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में निर्धारित की गई है तथापि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन पालिसी, 2015 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड ने साधारण परिस्थितियों में, यदि मामला पूर्ण है तथा क्षेत्रीय कार्यालय को वापस नहीं भेजा गया है, 55 दिन में तथा यदि इसे पूरा करने के लिए जो 60 दिन के समीप है, क्षेत्रीय कार्यालय को वापस भेजा गया है तो 65 दिन में सी.टी.ई. के समाशोधन के लिए आदेश दिनांक 20–10–2015 द्वारा हिदायतें पहले ही जारी की है।

8.61 वर्तमान में आनलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली की स्थापना महंगी है जिसके कारण छोटी इकाईयॉ लगाने की स्थिति में नहीं हो सकती। इस लिए आनॅलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली लगाने की प्रक्रिया को प्रथम चरण में बहिःस्राव तथा वायु उत्सर्जन गुण की मोनीट्ररिंग के लिए उच्चतम प्रदूषण वाले उद्योगों में प्रारम्भ की गई है। प्रथम चरण में प्रकृति में उच्चतम प्रदूषण के 101 बड़े तथा मध्यम लघु उद्योगों/परियोजनाओं को ऑनलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली की स्थापना के लिए शामिल किया गया है जिसमें से 67 ऐसी इकाईयों ने उसे लगा लिया है तथा 42 इकाईयां बहिःस्राव तथा वायु उत्सर्जन के लिए पहले ही जो सर्वर बोर्ड में लगाया गया है या बादल सर्वर जो किराये पर लिया गया है के जरिए, ऑनलाईन प्रदर्शित की जा रही हैं। अन्य उद्योगों में भी इसे चरणबद्ध ढंग से धीर–धीरे लगाया जाएगा। ऑनलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली की व्यवस्था उद्योगों की हस्त जांच को कम करेगी।

8.62 बोर्ड ने वर्ष 2016–17 के दौरान इसकी अपनी 4 प्रयोगशालाओं के अलावा सहमति प्रयोजनों के लिए बहिःस्राव/वायु उत्सर्जन के उद्योगों के अपने नमूनों के विश्लेषण को सुगम बनाने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निजी क्षेत्र की 16 प्रयोगशालाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की 2 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। पानीपत के

आवासीय क्षेत्रों में चलाई जा रही रंगाई इकाईयों को नए रूप से विकसित औद्योगिक सम्पदा सैक्टर–29, भाग–।। में पुनः स्थापित किया जा रहा है ताकि प्रदूषित बहिःस्राव को सामूहिक बहिःस्राव उपचार सयन्त्र के माध्यम से प्रभावी रूप से उपचारित तथा मानीटर किया जा सके तथा भू–जल के पर्यावरणीय प्रदूषण से बचा जा सके। इस प्रयोजन के लिए 498 प्लाट विभिन्न रंगाई इकाईयों को आवंटित किए गए हैं। आवंटित 498 प्लाटों में से, 494 प्लाटों का कब्जा दिया गया है तथा 357 इकाईयों को सैक्टर–29, भाग–।। में बदला गया है। इन इकाईयों के बहिःस्राव के उपचार के लिए 21 एम.एल.डी. की क्षमता का सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रचालन में है तथा सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

8.63 गुजरात पर्यावरण संरक्षण तथा अवसंरचना लिमिटेड पाली, फरीदाबाद में सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा का संचालन कर रहा है। इस सुविधा की 12 से 14 टन प्रतिदिन की भस्मीकरण क्षमता है। भू–भराव स्थल का अनुमानित जीवन 30 वर्ष है। खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान तथा सीमा से परे संचालन) नियम, 2008 में आने वाली औद्योगिक इकाईयां तथा परियोजनाएं अपने खतरनाक अपशिष्ट के प्रबन्धन तथा निपटान के लिए इस सुविधा का प्रयोग कर रही है।

8.64 फरीदाबाद में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट आनॅलाईन स्टैक मॉनीट्ररिंग सुविधा के लिए लगाया गया है तथा इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह दूरवर्ती स्थान से प्रदूषण स्तरों की प्रभावी तथा सतत् मॉनीट्ररिंग सुनिश्चित् करता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक तथा पंचकूला में चार सतत् परिवेशी वायु गुण मोनीट्ररिंग केन्द्र स्थापित किए हैं। परिवेशी वायु गुण के सतत आंकडों (डाटा) की मुख्य सरवर (सेवक) के माध्यम से मानीटर किया जा रहा है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भी आंकड़ें दिए जा रहे हैं। इससे वायु गुण के बेहतर प्रबन्धन को सतत् आधार पर परिवेशी वायु गुण आंकड़ों की उत्पति को सुगम बनाया गया है। दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश से पहले गांव पल्ला में यमुना नदी के जल में जीव रसायन आक्सीजन मांग स्तर 3 एमजी/लीटर है जो कि नियन्त्रण में है।

8.65 राज्य के जैविक साधनों के परीक्षण के उद्धेश्य से, हरियाणा जैव–विविधता बोर्ड जैव–विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसरण में गठित किया गया है। बोर्ड राज्य के जैविक साधनों के प्रलेखन तथा परीक्षण में सहायता करेगा। यह पणधारियों में हरियाणा के जैविक साधनों के बारे में जानकारी की हिस्सेदारी को भी सुगम बनाएगा। जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य कार्य योजना विभिन्न सरकारी विभागों के साथ परामर्श की बाद तैयार की गई है। राज्य कार्य योजना का अनुमोदन जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति द्वारा किया गया था। अनुमोदित योजना को आगे मंजूरी के लिए पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

8.66 विभाग की पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों के बारे में विभिन्न पणधारियों के क्षमता स्तर को बढ़ाने के लिए आई.एम.टी., मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है। बायोंमैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 1998 के अधीन प्राधिकार तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अधीन निर्धारण के लिए सॉफ्टवेयर मॉडयूल तैयार किया गया है। खतरनाक अपशिष्ट तथा ई–वेस्ट की प्रयोगशालाओं, रिसाईकलरों/रिप्रोसैसरों के लिए साफ्टवेयर माड्यूल भी तैयार किया गया है। यह बोर्ड तथा उद्योग का कीमती समय बचाएगा। आनॅलाईन प्रणाली समयबद्ध रीति में समाशोधनों को शीध्र सम्पादित करेगी तथा सहमति प्रणाली में दक्षता तथा पारदर्शिता लाएगी।

शून्य तरल बहाव के लागूकरण के लिए जारी हिदायतें

8.67 राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अधीन व्यापक तथा समयबद्ध रीति में गंगा नदी के प्रदूषण के विषय को सम्बोधित करने का निर्णय किया गया है। 6–1–2015 को राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के कार्यकलापों में माननीय प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा किए गए पुनः निरीक्षण में शून्य तरल बहाव को सुनिश्चित् करने सहित थ्रस्ट ऐरिया को पहचाना गया है। तदानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अश्वनियों, गूदा तथा कागज मिल, चीनी मिल तथा वस्त्र उद्योगों तथा समूहों से शून्य तरल बहाव के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अधीन निर्देश जारी किए थे। यह नदी प्रणाली में प्रदूषण भार को भरपूर रूप से कम करेगा। बोर्ड ने कार्य योजना के लागूकरण के लिए सभी सम्बन्धित पणधारियों को निर्देश जारी किए थे तथा निर्देशों की अनुपालना का अवलोकन करेगा।

8.68 बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ वर्ष 2010 में जिला फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता प्रबन्धन के लिए 50:50 निधि बांटने के आधार पर फरीदाबाद में सतत् वायु गणवत्ता निगरानी केन्द्र की स्थापना की । उसके बाद बोर्ड द्वारा तीन और सतत् वायु गणवत्ता निगरानी केन्द्र की स्थापना गुडगांव, रोहतक और पंचकूला जिला मुख्यालय में 2010 में की गई थी । इन चारों स्टेशनों की जानकारी संबन्धित शहरों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन बोर्ड द्वारा दर्शायी जाती है, और उसी समय यह जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की वैबसाईट/सर्वर पर भेजी जाता है ।

8.69 बोर्ड ने कार्यसूची मद संख्या 173.25 के अनुसार (1) पानीपत (2) सोनीपत (3) धारूहेडा (रेवाडी) शहरों में सतत् वायु गणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की । बोर्ड ने कार्यसूची मद संख्या 174.7 के अनुसार (1) बहादुरगढ (2) करनाल (3) कैथल (4) यमुनानगर (5) एक अतिरिक्त केन्द्र मानेसर गुडगांव में (6) एक अतिरिक्त केन्द्र सैक्टर 55 और 56 फरीदाबाद शहरों में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। बोर्ड ने मंजूरी के बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सतत् वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र के नवीनतम विनिर्देश प्राप्त किए और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने विनिर्देशों की समीक्षा और निविदा प्रारूप तैयार करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया ।

सहकारिता

8.70 सरकार ने गन्ने की अगेती, मध्यम, पछेती किस्मों का राज्य सुझावित मूल्य क्रमशः 320 रूपये, 315 रूपये तथा 310 रूपये निर्धारित किया है जो कि सर्वाधिक है जबकी केन्द्र सरकार द्वारा एफ.आर.पी. (उचित व पारिश्रमिक कीमत) 230 रूपये निर्धारित किये गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2016–17 के दौरान गन्ना उत्पादकों को अदायगी करने हेतु सहकारी चीनी मिलों को बजट प्रावधान 400 करोड़ रूपये में से 77 करोड़ रूपये दे दिए हैं।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.71 हरियाणाा सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत मंदी की अवधि (अप्रैल से सितम्बर) में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य से प्रति लिटर 5 रूपये अधिक दिए जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रूपये 2,450 लाख रूपये का अनुदान दिया गया ।

8.72 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण केसों में सही लेनदेन करने वालों को 50 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जा रही है। ऋणी सदस्यों को 31–3–2018 तक ब्याज दर पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) के उन ऋणी सदस्यों को जो 28–2–2018 तक फसली ऋण करेगें, उन्हें ब्याज में चार प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

8.73 हरियाणा सरकारी ने सब्जियों व फलों की पैदावार बढाने, स्टोरेज, प्रसंस्करण व

विपणन हेतु फल व सब्जी समितियों को ऋण देने के लिए योजना शुरू की है। इसी प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने व्यवसायिक गतिविधियाँ (उत्पादन, व्यापार, सेवा में सुधार) करने वाली महिला सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए एक अन्य योजना आरम्भ की है। यह योजना जिला स्तर पर लागू की जाएगी। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 5 लाख रूपये तक का ऋण प्रत्येक समिति को दिया जाएगा जिसमें अनुदान का भाग 20 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रूपये तक होगा।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

8.74 20 – सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल है जोकि लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–8.11** में दिये गये हैं।

तालिकाः 8.11– बीस –सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां

बिन्दू/मद		ईकाई	2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
01ए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	लक्ष्य नहीं	59.46
06ए	(इन्दिरा आवास योजना) मकान निर्माण	संख्या	19106	7877
06बी	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग का आवास निर्माण	संख्या	472	453
07ए03	आंशिक रुप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुॅची बसावटें	संख्या	500	34
08ई	संस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	लक्ष्य नहीं	343102
10ए02	अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए. से एस.सी.एस.पी. व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देना	संख्या	8000	3303
10ए03	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अर्न्तगत सहायता प्रदान करना	संख्या	लक्ष्य नहीं	62659
12ए0	समेकित बाल विकास परियोजना खण्ड	संचयी संख्या	148	148
12बी0	क्रियाशील आंगनबाड़ियां	संचयी संख्या	25962	25962
15ए01	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र–सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	25093.52	25192
15ए02	सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	संख्या लाख	207.55	189.95
18डी	पम्पसैटों को सक्रिय करना	संख्या	8800	8012

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

8.75 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो कि अकुशल काम की तलाश में है अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मास दिसम्बर, 2016 तक राज्य में इस योजना के तहत 59.46 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 19,106 घरों के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ मास दिसम्बर, 2016 तक 7,877 घरों का निर्माण

किया गया। मास दिसम्बर, 2016 तक इ.डब्लयू.एस./एल.आई.जी. शहरी क्षेत्र आवास स्कीम के अर्न्तगत विभाग द्धारा निर्धारित 472 घरों के लक्ष्य की तुलना में 453 घरों का निर्माण किया जा चुका हैं।

8.76 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.डी.डब्लयू.पी.) के अर्न्तगत आंशिक रूप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुॅची बसावटों के लिए वर्ष 2016–17 में 500 बसावटों का लक्ष्य निर्धारण किया गया जिसके विपरित 34 बसावटों की उपलब्धि मास दिसम्बर, 2016 तक प्राप्त की जा चुकी हैं।

8.77 विभाग द्धारा वर्ष 2016–17 के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए. से एस.सी.एस.पी. व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देने का लक्ष्य 8,000 निर्धारित किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य के विपरित 3,303 परिवारों को (मास दिसम्बर, 2016 तक) लाभान्वित किया जा चुका है। संस्थागत प्रसव योजना के तहत वर्ष 2016–17 में (मास दिसम्बर, 2016 तक) 3,43,102 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य में वर्ष 2016–17 (मास दिसम्बर, 2016 तक) 148 आई.सी.डी.एस. ब्लाक परिचालन में हैं और 25,962 आंगनवाड़ी चल रही हैं। वृक्षारोपण के तहत 25,192 हैक्टयेर क्षेत्र कवर किया जा चुका है 189.95 लाख सीडलिंग लगा दिये गए हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान (मास दिसम्बर, 2016 तक) 8,800 पम्प सैटों के लक्ष्य के विरूद्ध 8,012 पम्प सैट लगाए जा चुके हैं।

***

अनुलग्नक 1.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05=100)

समुह	विवरण	भार	सूचकांक		
			2012-13	2013-14	2014-15
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	163.4	187.4	173.5
16	तम्बाकू उत्पाद	0.55	95.3	96.3	73.7
17	वस्त्र	38.77	70.4	84.1	102.7
18	पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	158.5	173.5	164.3
19	चमड़े की टेनिंग व डेसिंग, लगेज, हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	97.5	88.8	99.3
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	167.1	170.0	181.6
21	कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	119.4	123.9	124.4
22	रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	87.6	106.7	118.7
23	कोक, शुद्ध पैट्रोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	155.4	174.6	185.4
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	159.8	167.9	115.0
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	138.9	161.5	171.6
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	150.6	228.3	280.4
27	आधारभूत धातुएं	109.70	197.6	194.6	207.7
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	221.7	237.8	270.5
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	254.1	401.2	482.7
30	कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	234.2	175.5	201.9
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	147.8	176.3	218.4
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	200.4	203.7	219.5
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	131.0	179.3	166.1
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	180.5	138.7	158.8
35	अन्य परिवहन उपकरण	173.52	175.5	165.9	150.1
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	78.7	75.6	69.3
	विनिर्माण	918.22	173.6	177.8	187.6
	विद्युत	81.78	243.5	252.7	275.4
	सामान्य सूचकांक	1000.00	179.3	184.0	194.8

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2—औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि

(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004—05=100)

उद्योग समूह	भार	2012-13	2013-14	2014-15
विनिर्माण	918.22	4.6	2.4	5.5
वर्ष 2014—15 के दौरान 10 % से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
17. वस्त्र	38.77	-10.7	19.5	22.1
19. चमड़े की टेनिंग व डेसिंग, लगेज, हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	-9.4	-8.9	11.8
22. रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	1.3	21.8	11.2
26. अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	10.4	51.6	22.8
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	7.8	7.3	13.8
29. अन्यत्र अवर्गित मीनरी तथा उपकरण	63.15	23.5	57.9	20.3
30. कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	8.3	-25.1	15.0
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	12.6	19.3	23.9
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध—टेलर	233.94	-6.8	-23.1	14.5
वर्ष 2014—15 के दौरान 5 % से 10 % वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	6.1	1.7	6.8
23. कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	7.6	12.4	6.2
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	13.0	16.2	6.3
27. आधारभूत धातुएं	109.70	24.6	-1.5	6.7
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	5.4	1.6	7.8
वर्ष 2014—15 के दौरान 5 % से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
21. कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	6.5	3.7	0.4
वर्ष 2014—15 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
15 खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	6.9	14.7	-7.4
16. तम्बाकू उत्पाद	0.55	0.9	1.0	-23.5
18. पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	10.9	9.5	-5.3
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	2.1	5.0	-31.5
33- चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	3.2	36.8	-7.4
35. अन्य परिवहन उपकरण	173.52	-0.5	-5.4	-9.5
36. फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	8.7	-3.9	-8.3

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.3–हरियाणा में योजनाओं के अधीन परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपये)

योजना अवधि		अनुमोदित परिव्यय	व्यय
वार्षिक योजनाएं	1966–69	77.11	94.14
चौथी योजना	1969–74	225.00	358.26
पांचवी योजना	1974–79	601.35	677.34
वार्षिक योजना	1979–80	219.76	202.96
छठी योजना	1980–85	1800.00	1595.47
सातवीं योजना	1985–90	2900.00	2510.64
वार्षिक योजना	1990–91	700.00	615.02
वार्षिक योजना	1991–92	765.00	699.39
आठवीं योजना	1992–97	5700.00	4899.19
नौंवीं योजना	1997–02	11600.00	7986.12
दसवीं योजना	2002–07	12000.00	12979.64
ग्यारवीं योजना	2007–12	35000.00	43161.22
बाहरवीं योजना प्रायोजित परिव्यय	**2012–17**	90000.00	
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2012–13**	 14500.00 14424.17	 12520.87
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2013–14**	 18000.00 17235.13	 13929.96
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2014–15**	 21520.15 21327.66	 17801.40
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2015–16**	 24870.87 42591.34	 37806.39
वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय	**2016–17**	 40078.53	

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

अनुलंग्नक 1.4 मुख्य शीर्ष अनुसार वर्ष 2016–17 के योजना परिव्यय का आवंटन

(करोड़ रूपये)

क0 स0	विकास के मुख्य शीर्ष	12 वीं योजना (2012–17)	वार्षिक योजना 2012–13	वार्षिक योजना 2013–14	वार्षिक योजना 2014–15	वार्षिक योजना 2015–16	वार्षिक योजना 2016–17
		अनुमानित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
I	कृषि व सहबद्ध गतिविधियॉ	5880.00 (6.53)	1054.77 (8.42)	1161.66 (8.34)	1460.48 (8.20)	2148.85 (5.68)	2707.97 (6.76)
II	ग्रामिण विकास	6223.00 (6.91)	1058.57 (8.46)	1167.03 (8.38)	1340.14 (7.53)	1222.74 (3.23)	1865.12 (4.65)
III	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	202.00 (0.22)	17.35 (0.14)	23.73 (0.17)	33.24 (0.19)	25.04 (0.07)	49.10 (0.12)
IV	सिचाईं तथा बाढ नियंत्रण	7700.00 (8.55)	845.55 (6.75)	821.40 (5.90)	806.48 (4.53)	899.47 (2.38)	1192.01 (2.97)
V	उर्जा	7402.00 (8.23)	463.18 (3.70)	395.72 (2.84)	187.93 (1.05)	17647.41 (46.68)	10018.73 (25.00)
VI	उद्योग तथा खनिज	647.00 (0.73)	58.08 (0.46)	73.32 (0.53)	124.80 (0.70)	71.42 (0.19)	777.92 (1.94)
VII	परिवहन	9860.00 (10.96)	1388.09 (11.09)	1953.82 (14.02)	1578.24 (8.87)	2156.77 (5.70)	3283.30 (8.19)
VIII	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण	120.00 (0.13)	18.54 (0.15)	21.22 (0.15)	12.49 (0.07)	23.75 (0.06)	20.70 (0.05)
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएं	200.00 (0.22)	27.64 (0.22)	21.17 (0.15)	30.36 (0.17)	22.82 (0.06)	90.46 (0.23)
X	केन्द्रीकृत योजना	1555.00 (1.73)	97.76 (0.78)	241.73 (1.73)	49.02 (0.28)	143.89 (0.38)	400.00 (1.00)
XI	समाजिक सेवाएं	49474.30 (54.97)	7315.92 (58.43)	7911.85 (56.80)	12017.02 (67.50)	13203.30 (34.92)	19347.30 (48.27)
XII	सामान्य सेवाएं	736.70 (0.82)	175.42 (1.40)	137.31 (0.99)	161.20 (0.91)	240.93 (0.64)	325.92 (0.81)
	महायोग (I-XII)	**90000.00**	**12520.87**	**13929.96**	**17801.40**	**37806.39**	**40078.53**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

स्त्रोत्रः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

नोटः कोष्ठक में दी गई संख्या प्रतिशत में है ।

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपयें)

मदें	2013–14	2014–15	2015–16 (स.अ.)	2016–17 (ब.अ.)
1	3	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**38012.08**	**40798.66**	**54167.35**	**62955.53**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**30541.66**	**32247.69**	**40284.42**	**48507.96**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	**25566.60**	**27634.57**	**34939.88**	**40199.51**
i) भू –राजस्व	12.42	15.28	16.50	18.15
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3697.34	3470.45	4567.59	5251.58
iii) बिक्री कर	16774.33	18993.25	25000.00	28750.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	1094.86	1191.50	1316.00	1447.60
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	3202.48	3108.70	3096.90	3700.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	497.45	527.07	600.00	660.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	219.19	239.73	249.89	269.88
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	68.53	88.59	93.00	102.30
आ) राज्य का अपना गैर–कर राजस्व (i से v)	**4975.06**	**4613.12**	**5344.54**	**8308.45**
i) ब्याज प्राप्तियां	1090.72	933.59	1052.02	2375.50
ii) लाभांश तथा लाभ	6.49	5.81	7.40	6.75
iii) सामान्य सेवाएं	585.50	257.35	413.73	396.31
iv) सामाजिक सेवाएं	1687.65	1730.18	1762.80	2220.30
v) आर्थिक सेवाएं	1604.70	1686.19	2108.59	3309.59
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	**7470.42**	**8550.97**	**13882.93**	**14447.57**
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	3343.24	3548.09	5496.22	6188.80
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	4127.18	5002.88	8386.71	8258.77
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**9907.43**	**10922.90**	**30834.94**	**25759.01**
i) कर्जे की प्राप्तियां	261.85	272.82	457.41	688.13
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74	16.87	22.34
iii) लोक ऋण (निवल)	9635.69	10631.34	30360.66	25048.54
कुल प्राप्तियां (1+2)	**47919.51**	**51721.56**	**85002.29**	**88714.54**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो **"**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क**"** शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2013–14	2014–15	2015–16 (स.अ.)	2016–17 (ब.अ.)
1	3	2	4	5
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**41887.10**	**49117.87**	**64860.50**	**75235.88**
क) विकासात्मक (i+ii)	28153.60	32208.56	45785.56	52884.98
i) सामाजिक सेवाएं	15413.41	19120.56	25194.92	29402.77
ii) आर्थिक सेवाएं	12740.19	13088.00	20590.64	23482.21
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	13597.32	16764.73	18767.18	22103.35
i) राज्य की विधाएं	560.78	747.35	801.64	866.86
ii)वित्तीय सेवाएं	287.06	334.51	406.97	440.72
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	5849.77	6928.27	8543.36	10490.04
iv) प्रशासनिक सेवाएं	2729.45	3498.45	3806.62	4644.98
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	4170.26	5256.15	5208.59	5660.75
ग) अन्य*	136.18	144.58	307.76	247.55
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**4710.21**	**4558.40**	**20176.80**	**13546.08**
घ) विकासात्मक (i से ii)	4307.33	4145.14	19559.75	12956.78
i) सामाजिक सेवाएं	1985.48	2071.29	1953.30	2465.63
ii) आर्थिक सेवाएं	2321.85	2073.85	17606.45	10491.15
ड़) गैरविकासात्मक (i से ii)	402.88	413.26	617.05	589.30
i) सामान्य सेवाएं	282.16	290.70	467.51	528.80
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	120.72	122.56	149.54	60.50
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**46597.31**	**53676.27**	**85037.30**	**88781.96**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घ)	**32460.93**	**36353.70**	**65345.31**	**65841.76**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**14000.20**	**17177.99**	**19384.23**	**22692.65**
6. अन्य* (ग)	**136.18**	**144.58**	**307.76**	**247.55**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपयें)

मदें	2013–14	2014–15	2015–16 (स.अ.)	2016–17 (ब.अ.)
1	3	2	4	5
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	164.97	(-)652.31	76.07	14.98
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	170.78	(-)616.92	100.04	38.95
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	38012.08	40798.66	54167.35	62955.53
ख) खर्च	41887.10	49117.87	64860.50	75235.88
ग) अधिशेष/घाटा	(-)3875.02	(-)8319.21	(-)10693.15	(-)12280.35
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74	16.87	22.34
4. पूंजीगत परिव्यय	3934.60	3715.53	6481.67	8816.69
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	17712.95	18858.75	38940.80	34726.04
ख) पुनः अदायगी	8077.26	8227.41	8580.14	9677.50
ग) निवल	9635.69	10631.34	30360.66	25048.54
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	775.61	842.87	13695.13	4729.39
ख) वसूलियां	261.85	272.82	457.41	688.13
ग) निवल	(-)513.76	(-)570.05	(-)13237.72	(-)4041.26
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	-	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	720.99	1041.05	1345.00	1572.00
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(-)2860.23	1655.93	(-)1341.08	(-)1508.04
12. प्रेषण (निवल)	(-)0.24	(-)13.89	(-)30.00	(-)40.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(-)817.28	728.38	(-)61.09	(-)43.46
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-)652.31	76.07	14.98	(-)28.48
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-)616.92	100.04	38.95	(-)4.51

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2013–14	2014–15	2015–16 (स.अ.)	2016–17 (ब.अ.)
1	3	2	4	5
I प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**42418.79**	**48864.07**	**80448.38**	**83213.65**
1. उपभोग व्यय (i+ii)	17010.98	20747.14	24097.40	28789.34
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	14964.83	18209.18	20674.44	24729.70
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	1828.24	2096.53	3078.15	3651.08
iii) स्थानांतरण के प्रकार	217.91	441.43	344.81	408.56
2. चालू हस्तांतरण*	19082.29	17930.12	24942.79	29191.69
3. सकल पूंजी निर्माण	2649.23	2717.67	4196.01	6061.92
4. पूंजीगत हस्तांतरण	2657.80	6479.96	11664.10	12319.95
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	138.03	114.74	1713.55	1998.86
6. कर्ज तथा अग्रिम	775.61	842.86	13695.12	4729.38
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	104.85	31.58	139.41	122.51
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**3770.37**	**4174.76**	**4455.76**	**5250.60**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	1124.58	1227.78	1310.58	1460.88
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1192.55	1369.49	2039.26	2278.58
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	33.94	39.88	42.90	43.90
4. ब्याज	525.05	574.93	464.79	579.17
5. सकल पूंजी निर्माण	876.66	953.68	540.98	848.07
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	17.59	9.00	57.25	40.00
कुल व्यय (I+II)	**46189.16**	**53038.83**	**84904.14**	**88464.25**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, बेज़ नं. 21–28, सैक्टर–4, पंचकूला
Ph.: 0172-2560139 E-mail : esa@hry.nic.in web.: www.esaharyana.gov.in